एकादश माला, खंड 16, अंक 17

गुरुवार, 14 अगस्त, 1997
23 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 58
Date 16.8.98

(खंड 16 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

गुरुवार, 14 अगस्त, 1997/23 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

;.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	11	संरक्षरण	संरक्षण
37	10	श्री किंजरप्पू येरननायडू	श्री किंजारप्पू येरननायडू
232	नीचे से 6	श्री रमेश चिन्नितला	श्री रमेश चेन्नितला
282	12	श्री पी॰एन॰भिवा	श्री पी॰एन॰शिवा
318 319	नीचे से 7 13	स्थिति	स्थित
342	नीचे से 8	श्री सैयद मसदूल हुसैन	श्री सैयद मसूदल हुसैन
353	नीचे से 11	श्री सुखदेव पासवान	श्री सुकदेव पासवान

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)
अंक 17, गुरुवार, 14 अगस्त, 1997/23 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
हाउस ऑफ कामन्स की स्पीकर राइट आनरेबल सुश्री बेटी बुथरायड का स्वागत	1–2
निधन संबंधी उल्लेख	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 325	3–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 340	30–45
अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 से 3756	45–252
सभा पटल पर रखे गए पत्र	252–266
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	267
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश – *सभा पटल पर रखा गया*	267
प्राक्कलन समिति	
आठवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*	267
लोक लेखा समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*	268
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति	
प्रतिवेदन – *प्रस्तुत*	268
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति	
साक्ष्य – *सभा पटल पर रखा गया*	268
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
तीसवां प्रतिवेदन – *सभा पटल पर रखा गया*	268
कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	269

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय घोष के अपहरण के बारे में 270-273
श्री इन्द्रजीत गुप्त

नियम 377 के अधीन मामले 318-324

(एक) उत्तर प्रदेश में उन्नाव में स्थित हड्डी और चमड़ा मिलों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता
श्री देवी बक्स सिंह 318-319

(दो) मध्य प्रदेश में नया गांव स्थित सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 319

(तीन) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता
श्री नरेन्द्र बुडानिया 319-320

(चार) केरल राज्य में बिजली संकट दूर करने के लिए कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पूर्ति किए जाने की आवश्यकता
श्री वी.एम. सुधीरन 320

(पांच) तमिलनाडु में इरोड़ में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता
श्री वी.पी. षणमुगा सुन्दरम 321

(छः) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच कराए जाने की आवश्यकता
श्री हरिवंश सहाय 321

(सात) महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को सांविधिक मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता
श्री मधुकर सरपोतदार 322

(आठ) उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरठ में जिन चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किया गया है, उन्हें शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता
श्री अमर पाल सिंह 322-323

(नौ) कर्नाटक में कोडगु जिले को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता
श्री वी. धनन्जय कुमार 323

(दस) बिहार राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को ऋण दिए जाने में बरती गई कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता
श्री राम बहादुर सिंह 323

विषय कालम

(ग्यारह) चण्डीगढ़-भटिंडा और चण्डीगढ़-लुधियाना सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता
प्रो0 प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 324

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कार्यवाही 324-367

प्रो0 रासा सिंह रावत 324-329
श्री रमेश चेन्नित्तला 331-334
श्री सुब्रता मुखर्जी 337-341
श्री गिरधारी लाल भार्गव 341-345
श्री अनादि चरण साहू 345-350
श्री आनन्द मोहन 351-353
श्री सुकदेव पासवान 353-356
श्री नीतीश कुमार 356-365
श्री वी. वी. राघवन 365-367

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) विधान परिषद विधेयक 368
(दो) विद्युत विनियामक आयोग विधेयक 368

लोक सभा

गुरुवार, 14 अगस्त, 1997/23 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय प्रश्नकाल से पहले मैं एक ऐसे मद का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसे सूचीबद्ध किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया रुकिए हम अभी प्रश्न नहीं ले रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

हाऊस ऑफ कामन्स की अध्यक्षा राइट आनरेबल सुश्री बेटी बुथरायड का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे सभा में घोषणा करनी है। मुझे सभी को सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि आज सभा में हमारे बीच हाऊस ऑफ कामन्स की अध्यक्षा राइट आनरेबल सुश्री बेटी बुथरायड उपस्थित हैं। वह भारत में भारत की संसद के निमंत्रण पर हमारी स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती समारोह में भाग लेने के लिए हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में पधारी हैं।

हमारे संसदीय लोकतंत्र की सफलता पर वह ब्रिटेन की जनता की ओर से बधाई और शुभकामनाओं का संदेश लाई हैं। उन्होंने इससे पूर्व भी कुछ अवसरों पर भारत की यात्रा की है। वर्ष 1994 में वह संसद के केन्द्रीय कक्ष में गोविन्द बल्लभ पन्त स्मारक भाषण देने के लिए हमारे बीच आई थीं। विमति को सम्मान देने वाली हमारे लोकतंत्र की शैली के संबंध में उन्हें विस्तृत जानकारी है।

उनका निर्वाचन क्षेत्र वेस्ट ब्रोमविच है जहां के 10 प्रतिशत मतदाता वे लोग हैं जो इस उप महाद्वीप से वहां जाकर बसे हैं। इस अर्थ में वह सभी मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह पहली बार 1973 में निर्वाचित हुई थी और उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र का लगभग पच्चीस वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह अपनी विदग्धता, बुद्धि चातुर्य, अनुशासन, शालीनता, न्यायप्रियता तथा निष्पक्षता के लिए विख्यात हैं। वह अपने तरह की एक कलाकार भी हैं।

वह संसद के केन्द्रीय कक्ष में मध्यरात्रि समारोह की शोभा बढ़ायेंगी जो हमारी स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती की वर्ष पर्यन्त मनाये जाने वाले समारोह की शुरूआत होगी।

इस सौहार्दपूर्ण अवसर पर हम सभी माननीय सदस्य राइट आनरेबल सुश्री बेटी बुथरायड का हार्दिक स्वागत करते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों मुझे माननीय सदन को अपने एक पूर्व मित्र श्री सी. रामस्वामी मुदालियर के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सी. रामस्वामी मुदालियर प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने भूतपूर्व मद्रास राज्य के कुंभकोणम संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उससे पूर्व वे वर्ष 1939-47 के दौरान कुंभकोणम म्युनिसीपल कॉसिल के वाइस चेयरमैन थे।

पेशे से व्यवसायी श्री मुदालियर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

श्री मुदालियर का 9 जुलाई 1997 को कुंभकोणम में 92 वर्ष की आयु में देहान्त हो गया।

हमें इस मित्र के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने में माननीय सदन मेरा साथ देगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हिमाचल प्रदेश में शिमला और किन्नौर जिलों में खराब मौसम और अचानक आई बाढ़ के कारण 125 लोगों की असामयिक मौत हो गई और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। हम इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं।

इन दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय अब हाउस ऑफ कॉमन के माननीय स्पीकर को आपकी सहृदयता की प्रशंसा का अवसर दें।

मैं मद संख्या 21 का उल्लेख कर रहा हूँ। कल श्री पी. चिदम्बरम द्वारा आयकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1997 पुरःस्थापित किया गया था। हमें इस विधेयक का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्या इस पर संसद के अगले सत्र में चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इस संबंध में चर्चा करूंगा।

पूर्वाह्न् 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना

+

*321. **श्री चित्त बसु** :
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्राधिकरण के मुख्य कार्य क्या होंगे;

(ग) क्या इस प्राधिकरण को यह अधिकार दिये जाने की संभावना है कि यह विद्युत खपत में बचत करने के आयामों का पालन न करने वाले निगमों तथा उपभोक्ताओं को दंडित कर सकें;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्राधिकरण केन्द्र तथा राज्य विद्युत बोर्डों के बीच समन्वय स्थापित करने की भूमिका कहां तक निभाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) **पूर्वाह्न् 11.01 बजे)** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों एवं उपस्करों द्वारा ऊर्जा की खपत किए जाने अथवा ऊर्जा के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए मानकों एवं स्तरों का निर्धारण करने, ऊर्जा लेवलिंग तथा नामोट्रिक्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा लेना परीक्षण अनिवार्य बनाए जाने हेतु स्कीम प्रवर्तित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ऊर्जा के संबर्द्धन के लिए एक अधिनियम बनाए जाने का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ एक ऐसी एजेंसी बनाया जाना भी शामिल है जो विभिन्न संबंधित सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों के समन्वय से इस तरह के कार्यों के निष्पादन हेतु प्रावधान करेगी।

(ग) और (घ) प्रस्तावित एजेंटों के साथ-साथ राज्य सरकारों तथा उनकी निर्दिष्ट एजेंसियों को मानकीय स्तर से कम के उपस्करों तथा उपकरणों के निर्माण तथा बिक्री के संबंध में प्रावधानों को अनुपालना न किए जाने के लिए दण्ड लगाए जाने की शक्तियां प्रदान किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रस्तावित एजेंसी द्वारा ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों विभिन्न संबंधित केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों और अन्य संस्थानों के प्रयासों को समन्वित किए जाने की आशा है। राज्य सरकार और उनकी विर्दिष्ट एजेंसियों की मुख्यतः प्रस्तावित कानून के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा।

श्री चित्त बसु : उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार एक अन्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में, मुझे अन्य क्षेत्रों के उत्तरदायित्व को निभाने में एक अन्य प्राधिकरण के गठन पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं पहले सरकार से यह जान सकता हूँ कि क्या निर्धारित प्राधिकरण को विद्युत शुल्क के निर्धारण का अधिकार है ? दूसरे क्या यह विद्युत क्षेत्र संभाव्यता या अन्य विदेशी निवेश के सम्बन्ध में है। तीसरे क्या यह विद्युत खरीद करार और ईंधन उपयोग के संबंध में करार के विशेष संदर्भ के साथ निबन्धन एवं शर्तों से संबंधित है। और अन्त में क्या यह विदेशी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : 'और' का प्रयोग बहुत हो गया।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देगा और वह किसी अन्य मामले पर ध्यान नहीं देगा जैसाकि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री चित्त बसु : जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन इस सदन के परिनियम द्वारा किया गया था। एक अन्य समानान्तर प्राधिकरण की क्या आवश्यकता है जबकि परिनियम के अनुसार एक प्राधिकरण कार्यरत है ? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या कार्यों की नकल होगी या नहीं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं और सरकार इसकी सलाह की तथा इसके सांविधिक कर्त्तव्यों के निष्पादन की इससे अपेक्षा करती है। तथापि आठवें दशक के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री के ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन में यह भी अधिकांश विशेषज्ञों ने ऊर्जा संरक्षण संबंधी बात कही थी कि देश को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उदाहरणार्थ ऊर्जा मानदण्डों के स्तरीकरण के सम्पूर्ण प्रश्न, या ऊर्जा लेखा-परीक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न विद्यमान हैं। इसलिए इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा संरक्षण नीति के लिए एक अलग तन्त्र हो जो (क) चैम्बर्स ऑफ

कॉमर्स और इन्डस्ट्री के साथ उपभोक्ता समूहों और कृषक समूहों के साथ समन्वय करने में सक्षम हो और (ख) ऊर्जा लेखा परीक्षा करने और ऊर्जा मानक विकसित करने, गठन करने और कार्यान्वित करने में समर्थ हो।

मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव पर ध्यान दें जिस पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि इससे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मुख्य कार्यकरण में कोई बाधा आयेगी बल्कि यह कार्य करता रहेगा ..... *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण बिजली उत्पादन के लिए प्रासंगिक है जबकि केन्द्रीय ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण बिजली की खपत को नियमित करने के लिए है। यही भेद है।

श्री संतोष मोहन देव : यह जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? .....*(व्यवधान)* आपसे जल्दबाजी की आशा नहीं की जा सकती।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : ऊर्जा संरक्षण प्राधिकरण इसमें शामिल नहीं है ..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। मैंने उन्हें यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : हाँ, महोदय, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष जी, देश के विकास के लिए ऊर्जा की महती आवश्यकता है। आज देश में चिन्ता इस विषय की है कि हम एनर्जी का जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका विवेकपूर्ण सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

शायद इसीलिए ऐनर्जी कन्जर्वेशन के लिए आपने एजेंसी बनाने की बात निश्चित की। विद्युत एक्ट के सैक्शन 59 के अनुसार राज्य विद्युत परिषदों को यह निर्देश है कि वे कम से कम 3 प्रतिशत लाभ हर वर्ष कमाएंगे। आज तक सारे विद्युत परिषदों ने 3 प्रतिशत लाभ कमाकर आपको नहीं दिया है और राज्य सरकारें भी इसका अनुपालन नहीं करती हैं। केन्द्र सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए आज तक कोई व्यवस्था या पूछताछ नहीं की है। आखिर एनर्जी कन्जर्वेशन के लिए आप जो व्यवस्था देने जा रहे हैं, उसमें आपने इक्विपमेंट की बात कही। आप जो उत्पादन करते हैं, उसका वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, ट्रांसमिशन लौसेस बढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में भंयकर चोरी है और उस चोरी में कन्ज्यूमर भी जिम्मेदार है और आपका विभाग भी जिम्मेदार है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप जो अथारिटी बना रहे हैं, क्या उसे इस दिशा में भी कोई निर्देश है? क्या इसे बनाने से पहले और इसके लिए नियम, कानून बनाने से पहले आपने राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया है, उनसे भी चर्चा की है क्योंकि अंत में अथारिटी को लागू करने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आएगी?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रपोज्ड लैजिसलेशन के बारे में 6-7 साल से चर्चा हो रही है और राज्य सरकारों के साथ इसके बारे में पूरी कंसलटेशन्स हुई है। 1-2 को छोड़कर ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस एक्ट को वैलकम किया है क्योंकि इसमें एक तो एनर्जी ऐप्लायंसेस के लिए स्टैन्डर्डस होंगे, एनर्जी इंटैन्सिव इंडस्ट्रीज के लिए ऐनर्जी ऑडिट्स और स्टैन्डर्डस होंगे और जनरेशन या ट्रांसमिशन के लिए जो ऐनर्जी इक्विपमेंट है, उसके बारे में भी स्टैन्डर्डस की चर्चा होगी। जैसा मैंने कहा, हम केन्द्रीय लैजिसलेशन में पूरा प्रयत्न करेंगे और मैं यह मानता हूँ कि राज्य सरकारें भी जब यह अथारिटी बनाएंगी तो वे भी यह करेंगी जैसे किसानों के कोई रिप्रैजेनटेटिव हों क्योंकि पम्प सैट्स के इक्विपमेंट्स के बारे में, डीजल ऐफीशैंसी के बारे में भी चिन्ता रहती है या ट्यूब लाइट या ऐसे लैम्प्स हैं जिनसे वही लाइट बहुत कम ऊर्जा के इस्तेमाल से मिल सकती है। हम यह प्रयत्न करेंगे कि कोई गुंजाइश भी इस एनर्जी अथारिटी को अपनी ऐडवाइस दें। ..... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया आप ज्यादा विस्तार में अपनी बात मत बताइये। संक्षेप में बताएं। हमारे पास सीमित समय है।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : माननीय सदस्य का जो इंटरैस्ट है, राज्य सरकारों के साथ ही यह एनर्जी कन्जर्वेशन प्रोग्राम बनाया जायेगा और काफी हद तक पैनल्टीज भी राज्य सरकारें ही इम्प्लीमेंट करेंगी।

[अनुवाद]

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे आयोग बनाने के संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि सभी राज्य सरकारों ने इसका स्वागत किया है।

एक माननीय सदस्य : यह 'ऑलमोस्ट' क्या है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं समझता हूँ कि एक या दो राज्यों ने आपत्ति प्रकट की है।

श्री प्रदीप भट्टाचार्य : वे राज्य कौन से हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मेरे विचार से जम्मू-कश्मीर उनमें से एक है। राज्यों ने भी कहा है कि वे इसके विरोधी नहीं हैं बल्कि राज्य सरकारों ने इस विधेयक का स्वागत किया है।

डॉ० रामचन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात् ऊर्जा संरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण, प्रकृति का नियम है। एक कानून यह भी है कि ऊर्जा का अपव्यय होता है, इसलिए मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने (क) ऊर्जा के अपव्यय की दर और (ख) हमारे देश में ऊर्जा के अपव्यय के मुख्य कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार भौतिकी के नियमों के अन्तर्गत ही कार्य करेगी। लेकिन यह उपकरणों आदि से संबंधित चिंता बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री जग मोहन : महोदय, प्रश्न आपके द्वारा बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन का है। बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 59 में यह बात बाध्यकारी है कि राज्य विद्युत बोर्ड तीन प्रतिशत आगत दर का अर्जित करें। यदि राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो इसकी क्या गारंटी है कि नया प्राधिकरण इन विनियमों को लागू करने में सक्षम होगा।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, नया प्राधिकरण अपना अधिकतर कार्य समन्वय और प्रचार अभियानों द्वारा करेगा। उदाहरणार्थ, संसार में कुछ ऐसे देश हैं वहां जब कोई ऊर्जा संरक्षण परियोजना चलाई जाती है तो इस बारे में इस राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल से चर्चा की जाती है। इस प्रकार की बातों के प्रभाव की आशा की जाती है। प्रवर्तन भाग बहुत ही विशिष्ट होगा और उपकरणों अथवा लेबलिंग या मानकों का दुरुपयोग कम होगा और हमें आशा है कि अब यह लागू होगा।

[हिन्दी]

ईंधन की आपूर्ति और मूल्य को नियंत्रण से मुक्त करना

*322. **डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निजी विद्युत उत्पादकों के लिए ईंधन की आपूर्ति और मूल्य को नियंत्रण मुक्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) **तरल ईंधन** : थोड़े समय में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दृष्टि से भारत सरकार ने लगभग 12000 मे.वा. की तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन लिंकेज मुहैया करवाने के लिए तरल ईंधन आयात का मूल्यन प्रबंधन मूल्यन तंत्र से अलग होगा तथा इसे आयल पूल एकाउंट के साथ सहयोजित नहीं किया जाएगा। इन तरल ईंधनों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होंगे तथा इनके लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा तरल ईंधन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र परियोजनाओं दोनों के लिए लागू मूल्यन तंत्र के तहत् होंगे। तथापि, एल.एस.एच.एस. का आयात ओ.जी.एल. पर अनुज्ञेय है।

प्राकृतिक गैस : मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का आयात ओ.जी.एल. पर अनुज्ञेय है। यह सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के लिए सभी परियोजनाओं पर लागू है।

कोयला : कोयले की ई.एफ.जी. श्रेणियों का मूल्य औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित सूत्र के अनुरूप कोयला कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए कैप्टिव खनन अनुज्ञेय है। ओ.जी.एल. पर कोयले का आयात भी किया जा सकता है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों के लिए सभी परियोजनाओं हेतु लागू है।

[हिन्दी]

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा साफ प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार की नीति विद्युत उत्पादकों के लिए नियंत्रण मुक्त करने की है ? मंत्री जी का जो उत्तर आया है उसमें, चाहे वह सरल ईंधन हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो और चाहे कोयला हो, इन तीनों प्रकार के ईंधन के बारे में, स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। मैंने पूछा था कि क्या सरकार निजी विद्युत उत्पादन के लिए धन की आपूर्ति की मांग जो वे करते हैं, उसको नियंत्रण से मुक्त करेंगे या नहीं ? इसलिए मैं मंत्री जी.से कहना चाहता हूँ कि वे इसका स्पष्ट उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट उत्तर देना है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : स्पष्ट उत्तर है, आप इस बारे में और क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं।

डॉ० रामकृष्ण कुसमरिया : ईंधन ऊर्जा का स्रोत है। यह विद्युत के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्युत से ही हमारे देश के विकास की सम्भावना है, चाहे सिंचाई हो, चाहे औद्योगिक इकाइयों के लिए विद्युत की आवश्यकता हो। इसलिए इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आप इसके नियंत्रण और आपूर्ति के ऊपर स्पष्टरूप से निर्देश दें। क्या इस प्रकार की कोई मांग विद्युत आपूर्ति मंडलों की तरफ से आई है ?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अगर आप नापथा की चर्चा कर रहे हैं कि उसके ऊपर आयात पर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की इस सम्बन्ध में नीति है कि नापथा के ऊपर लिमिटेड क्वांटिटी आफ पावर जेनरेशन बेस्ड होनी चाहिए, हालांकि भाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित

होंगे। उसका आयात नाफ्था के खाली केपेसिटी के जो लाइसेंस एप्रूव किए जाएंगे, उनके लिए होगा।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : मडोदय, यह अच्छी तरह ज्ञात है कि केरल में बिजली की भारी कमी है। इतने बारिश के बावजूद भी नडर खाली है और अब भी बिजली की कमी है। प्रत्येक दिन वहां बिजली में कटौती की जाती है। सौभाग्य से हमारे पास अनेक बिजली परियोजनाएं हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पर्यावरण मंत्रालय कुछ न कुछ आपत्ति करती रहती है जिसके परिणामस्वरूप पोयमकुट्टी योजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है। विगत 15 वर्षों से हम सरकार से पोयमकुट्टी योजना की स्वीकृति की मांग करते रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं दी। आखिरकार केरल को नेप्था आधारित और कोयला आधारित छोटे एवं मध्यम विद्युत परियोजनाओं को अपनाना पड़ा। उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि इसके लिए 12,000 मेघालय तथा तरल ईंधन की आवश्यकता होगी। यह सूचना मिली है कि केरल के इन लघु एककों तथा वहां की वृहत कायमकुलम परियोजना पर भी ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष मडोदय : कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री ए.सी. जोस : मडोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केरल की संभारिक स्थिति को देखते हुए क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह बताएगी कि हमारे कायमकुलम योजना और अन्य योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार नेप्था और अन्य तरल ईंधन उपलब्ध कर दी जाएगी।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष मडोदय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा केरल को 660 मेघावाट ईंधन आवंटित किया है। जहां तक कायमकुलम परियोजना का संबंध है तो यह एक स्वीकृत परियोजना है और इसके लिए ईंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। मैं माननीय सदस्य को यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ष हम केरल को पर्याप्त ऋण उपलब्ध करायेंगे जिससे वह अपने वर्तमान बिजली संयंत्रों में सुधार कर सके, जिससे वे अधिक क्षमता से कार्य कर सके।

श्री ए.सी. जोस : ऐसी स्थिति में, आप पोयमकुट्टी परियोजना को स्वीकृति क्यों नहीं प्रदान करते .....*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु : धन्यवाद मडोदय, निजी बिजली उत्पादकों को 12,000 मेघावाट के लिए तरल ईंधन की आपूर्ति की जानी चाहिए। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हाल ही में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार तरल ईंधन की आपूर्ति निजी बिजली उत्पादकों द्वारा आधारभूत संरचना लगना होगा। निजी विद्युत उत्पादक इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि आधारभूत संरचना स्थापित करने की लागत इन पर थोपी जाए। यही कारण है कि इन निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा 12,000 मेघावाट तक विद्युत उत्पादन करने हेतु ये संयंत्र भारत सरकार की कोई स्पष्ट ईंधन नीति के अभाव में नहीं लगाये गए। ये निजी ऊर्जा उत्पादक आधारभूत संरचना हेतु लगने वाली कीमत वहन करने की आपत्ति कर रहे हैं। इन निजी विद्युत उत्पादकों के प्रति सरकार के क्या स्थिति है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन आधारभूत संरचनाओं पर होने वाले व्यय को निजी विद्युत उत्पादकों पर थोपना चाहती है या सरकार उन निजी विद्युत उत्पादकों को ईंधन उपलब्ध कराने हेतु अपनी संसाधनों में से बजटीय आबंटन करेगी।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मडोदय, तरल ईंधन परियोजनाओं के बारे में सरकार की स्थिति शुरू से ही स्पष्ट है .....*(व्यवधान)* निजी विद्युत उत्पादकों को आमंत्रित नेप्था की अंतर्राष्ट्रीय कीमत देनी पड़ेगी। जहां तक अतिरिक्त अवसंरचना के निर्माण का संबंध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह चाहता है कि वे निजी उत्पादक कुछ धनराशि जमा कराएं जिसे मूल नेप्था के अन्तिम मूल्यों के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

श्री अनिल बसु : वे इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं इसके उद्देश्य को समझता हूँ। यह अच्छी तरह ज्ञात है कि यह एक मंहगी संयंत्र होगा। सरकार को ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें संयंत्रों पर छूट दी गई हो।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : अध्यक्ष मडोदय, मंत्री जी बता रहे हैं जिस प्राइस पर पावर प्रोड्यूस होगी, उसको डिकन्ट्रोल करने के बाद सरकार का कन्ट्रोल नहीं रहेगा। मंत्री जी यह भी बता रहे हैं कि नैप्था को एक फ्युल के रूप में एन्क्रेज कर रहे हैं। नैप्था इतनी कास्टली आइटम है, इस वजह से संसार के किसी भी देश में इससे बिजली पैदा करने पर जोर नहीं दिया जाता है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारा देश पहला देश है, जहां नैप्था पर आधारित पावर प्रोड्यूस करने के लिए एक्सीपैरिमेंट किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है 'फूल्स रश इन हवेअर एंजल्स फिएर टु ट्रीड' वही हाल हो रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि कॉस्टली फ्युल से बिजली पैदा करके हम बिजली को लक्जरी आइटम बना रहे हैं। क्या इससे बिजली साधारण लोगों की पहुंच से बाहर नहीं हो जाएगी ? मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहती हूँ, क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा हो, बल्कि कम दर पर साधारण लोगों तक बिजली पहुंचे, जबकि आप इस पर सब्सिडी भी नहीं दे रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मडोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि नैप्था बेस्ड पावर मंहगी पावर है। योजना आयोग ने इस बारे में पिछले साल अध्ययन किया था। चार-पांच लोकेशन्स पर अध्ययन करे, इस नतीजे पर पहुंचे कि नैप्था बेस्ड पावर 2.10 रुपये से लेकर 2.60 रुपये उसकी कास्ट होगी।

प्रो० रीता वर्मा : नैप्था इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, जबकि विश्व के किसी भी देश में नैप्था पर आधारित पावर प्रोड्यूस नहीं की जाती है। अपने देश में नैप्था नहीं है और हम उसको इम्पोर्ट करने जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला और ओर रिसोर्सेस पर एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन्स नहीं लिए थे और नैप्था बेस्ड पावर प्लान्ट्स दो महीने में कन्स्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। योजना आयोग की स्टडी ने यह बताया कि यह भारत के इन्टरैस्ट में होगा कि कुछ लिमिटेड क्वान्टिटीज में नैप्था से पावर बनाई जाए।

प्रो० रीता वर्मा : मंहगी से मंहगी बिजी होगी और वह भारत से इन्टरैस्ट में होगा। हम केवल यहीं एक्सपैरिमेंट कर सकते हैं, जबकि विश्व के किसी भी देश में नैप्था से बिजली पैदा नहीं होती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही तीन अनुपूरक प्रश्न कर चुके हैं।

प्रो० रीता वर्मा : मैं अपनी प्रश्न को स्पष्ट करना चाह रही थी।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : नैप्था आधारित विद्युत सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : आप किसी भी देश का नाम बता दीजिए, जहां नैप्था से बिजली पैदा हो रही है? सरकार की पालिसी गलत है। सरकार चाहती है कि बिजली को एक लक्जरी आइटम बना दिया जाए और साधारण लोगों को बिजली न मिले।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं आपको सूचना भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नैप्था से उपयोग से आप बिजली बनाने जा रहे हैं, तो क्या नैप्था का प्रयोग करने से पर्यावरण पर असर होगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इसी तरह से छोटा होना चाहिए तथा उत्तर भी शायद इसी तरह छोटा होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए इक्विपमेंट्स हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा नेचुरल गैस से होता है और इस पर आधारित मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुकूल चार प्लान्ट्स सैंक्शन हुए थे, लेकिन नैचुरल गैस नहीं दी गई। नैप्था मांगी तो नैप्था भी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी नैप्था की कमी की वजह से पावर जनरेशन नहीं हो पा रही है। मैं जानना चाहता हूँ, इसके लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं? क्या नैप्था का आवंटन आप बढ़ाने जा रहे हैं या देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश में जो 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हो रहा है उसको रोका जा सके? इस दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला और गैस फ्युल लिंकेज की पूरी प्रोवीजन की जाएगी।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, हम ईंधन पर एक विशेष चर्चा चाहते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आज अन्तिम दिन है।

[हिन्दी]

फ्री पावर-फ्री फॉल

*323. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1997 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में "फ्री पावर-फ्री फॉल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, 63 प्रतिशत विद्युत का उपयोग बिना कोई भुगतान किए ही किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के उपयोग हेतु वास्तव में अनुमानतः कितने प्रतिशत का भुगतान किया गया है?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हाँ।

(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर यह अनुमान है कि वर्ष 1996-97 के लिए प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति की औसत लागत तथा औसत राजस्व क्रमशः 186 पैसे तथा 147 पैसे थी। इसका आशय है 79% लागत की वसूली। आपूर्ति की

पूरी लागत की गैर-वसूली में अनेक घटकों में कृषि तथा घरेलू क्षेत्र को जो कुल बिक्री के 39% के लिए जिम्मेवार है लेकिन कुल राजस्व में उनका केवल 15.4% का योगदान है, के लिए प्रचलित कम टैरिफ, चोरी, बिना मीटर के आपूर्ति इत्यादि समाविष्ट है। लागत के अनुमान के रूप में बिक्री राजस्व के राज्यवार ब्यौरे-अनुबंध-I में दिए गए हैं। अनुषांगिक खपत तथा संचारण एवं वित्तीय हानियों (वाणिज्यिक हानियाँ समेत) के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-II और III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) संयंत्र भार अनुपात (पीएलएफ) का सुधार तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुधारने में तथा क्षमता के बेहतर समुपयोजन में परिणाम देने के लिए भी सहायक होगी।

16.10.96 तथा 3.12.96 को मुख्यमंत्रियों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर अपनाई गई विद्युत के लिए न्यूनतम समान राष्ट्रीय कार्य योजना में प्रावधान है कि खुदरा टैरिफ का संगतीकरण, पीएलएफ सुधार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी तथा निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जायेंगे :

(i) खुदरा टैरिफ का संगतीकरण

व्हीलिंग प्रभारों आदि समेत खुदरा टैरिफ का निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्णीत किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल प्रभाव से प्रत्येक यूटिलिटी कम से कम समग्र रूप से 3% की दर पर लाभ कमाए।

(ii) उपभोक्ताओं की श्रेणियों के बीच एस.ई.आर.सी. द्वारा आर्थिक सहायता के आदान-प्रदान की अनुज्ञा दी जा सकती है। तथापि, कोई भी क्षेत्र आपूर्ति की औसत लागत (उत्पादन की लागत पारेषण एवं वितरण की लागत) के 50 प्रतिशत से कम अदा नहीं करेगा। कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ 50 पैसे प्रति कि.वा.घं. से कम नहीं होगा जिसे अधिक से अधिक 3 वर्षों में औसत लागत के 50 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा।

(iii) एस.ई.आर.सी. की सिफारिशें अधिदेशात्मक हैं। यदि एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इसके जरिए संस्तुत टैरिफों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे राज्य बजट में स्पष्टतः इस प्रकार के परिवर्तन की वित्तीय हानि के लिए प्रावधन करना होगा।

पी.एल.एफ. का सुधार

जिन ताप विद्युत केन्द्रों का पी.एल.एफ. वर्तमान में 40 प्रतिशत से कम है उन्हें प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करनी होगी, जिन संयंत्रों का पी.एल.एफ 40 तथा 60 प्रतिशत के बीच में है ऐसे मामलों में उनमें 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करनी होगी तथा जिनका पी.एल.एफ. 60 प्रतिशत से अधिक है उन्हें 1% की बढ़ोत्तरी करनी होगी। सन् 2002 तक देश में राज्य क्षेत्र में समग्र पी.एल.एफ. कम से कम 65 प्रतिशत हो तथा राष्ट्रीय औसत 70 प्रतिशत तक हो।

वाणिज्यिक हानियों समेत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए मीटर लगाने की व्यवस्था

उपकेन्द्रों तथा सभी मुख्य भारकों (फीडरों) पर अनिवार्य रूप से मीटरिंग को लागू किया जाएगा। सभी नये बिजली कनैक्शनों के साथ-साथ 10 हार्सपावर से अधिक कृषि के लिए भी अनिवार्य रूप से मीटरिंग की जाएगी तथा इस कार्य को 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। सन् 2002 तक सभी तरह की विद्युत आपूर्ति को मीटर द्वारा ही किया जाएगा।

वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी

विद्युत के वितरण में निजी क्षेत्र भागीदारी के क्रमिक के लिए राज्य सरकारें सहमत हैं। निजी भागीदारी की प्रक्रिया को प्रारंभ में एक राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों को समाविष्ट करने हेतु एक अथवा दो व्यवहार्य भौगोलिक क्षेत्रों में लागू किया जायेगा तथा यह राज्य धीरे-धीरे इसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू कर सकता है।

अनुबंध-I

लागत के अनुपात के रूप में बिक्री राजस्व

क्र.सं.	रा. बिक्री	1996-97 (लेखे अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	81.23
2.	असम	63.76
3.	बिहार	79.34
4.	दिल्ली (डेसू)	74.15
5.	गुजरात	73.31
6.	हरियाणा	71.28
7.	हिमाचल प्रदेश	102.15
8.	जम्मू व कश्मीर	16.17
9.	कर्नाटक	72.69
10.	केरल	73.09
11.	मध्य प्रदेश	79.91
12.	महाराष्ट्र	85.05
13.	मेघालय	72.90
14.	उड़ीसा	89.38
15.	पंजाब	63.04
16.	राजस्थान	71.84
17.	तमिलनाडु	87.46
18.	उत्तर प्रदेश	73.71
19.	पश्चिमी बंगाल	79.27
	औसत	78.93

अनुबंध-II

अनुशंगिक खपत

रा.वि.बो.	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1. आन्ध्र प्रदेश	5.36	5.35	5.66	6.44	6.81
2. असम	9.18	8.55	8.09	8.47	8.27
3. बिहार	12.87	12.70	12.80	11.15	11.41
4. दिल्ली (डेसू)	8.44	7.57	8.72	9.20	8.62
5. गुजरात	10.39	10.04	9.66	9.28	9.28
6. हरियाणा	5.33	5.46	5.20	5.28	5.25
7. हिमाचल प्रदेश	0.35	0.27	0.24	0.56	0.51
8. जम्मू व कश्मीर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9. कर्नाटक एसईबी	0.12	1.47	1.60	1.78	1.62
केपीसी	3.30	3.70	3.50	4.20	4.50
10. केरल	0.50	0.57	0.38	0.51	0.64
11. मध्य प्रदेश	9.26	9.30	9.09	9.20	9.20
12. महाराष्ट्र	7.91	7.89	7.53	7.80	7.80
13. मेघालय	0.42	0.34	0.34	0.73	0.53
14. उड़ीसा	2.89	3.29	2.71	0.81	0.00
15. पंजाब	4.20	4.92	4.49	4.63	4.89
16. राजस्थान	7.33	7.50	7.10	7.67	7.42
17. तमिलनाडु	6.06	6.79	6.41	7.28	7.29
18. उत्तर प्रदेश	8.74	8.15	7.58	7.58	7.45
19. पश्चिमी बंगाल	11.14	10.71	10.91	10.61	10.44
एसईबी डब्ल्युबीपीडीसी	9.63	9.99	10.40	9.92	9.55
औसतः	6.91	7.04	6.78	7.05	7.18

अनुबंध-III

विद्युत विभागों में प्रतिशत परिणाम, पारेषण एवं वितरण हानियां (चोरी इत्यादि जैसी वाणिज्यिक हानियों समेत)

क्षेत्र	राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत विभाग	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	27.49	26.79	26.78	25.00	30.80
	2. हिमाचल प्रदेश	21.45	20.37	19.51	18.31	18.21
	3. जम्मू व कश्मीर	42.33	49.21	48.28	45.69	48.74
	4. पंजाब	18.97	21.52	19.24	19.37	16.70
	5. राजस्थान	25.92	23.11	22.74	25.00	24.78
	6. उत्तर प्रदेश	26.93	26.06	24.43	24.08	21.69
	7. चण्डीगढ़	23.72	29.64	26.21	27.27	28.44
	8. डेसू	23.86	24.35	23.56	31.79	34.56

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	23.71	23.56	22.03	20.34	20.02
	2. मध्य प्रदेश	24.94	25.08	21.35	20.26	19.60
	3. महाराष्ट्र	18.06	18.40	17.83	16.22	16.33
	4. दमन एवं नगर हवेली	17.69	19.66	17.98	12.64	11.35
	5. गोवा	24.97	23.78	21.85	24.50	26.87
	6. दमन एवं दीव	16.85	15.90	15.67	22.34	6.30
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	22.43	19.70	19.88	19.91	7.95
	2. कर्नाटक	20.11	19.88	19.55	19.55	9.40
	3. केरल	21.67	21.67	21.95	20.00	20.05
	4. तमिलनाडु	18.74	18.63	17.50	17.16	7.00
	5. लक्षद्वीप (आईएसएलएस)	18.62	17.43	18.72	16.99	7.84
	6. पांडिचेरी	19.20	18.00	15.31	15.80	15.00
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	21.09	23.19	22.00	20.35	19.06
	2. उड़ीसा	25.29	24.65	25.25	22.43	23.30
	3. सिक्किम	24.53	25.89	22.55	22.60	2.82
	4. पश्चिम बंगाल	21.81	22.26	24.87	20.82	2.11
	5. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	19.83	21.66	23.62	23.71	22.80
उत्तर पूर्वी	1. असम	24.10	21.76	21.41	22.44	24.00
क्षेत्र	2. मणिपुर	28.02	24.43	22.35	23.92	35.10
	3. मेघालय	11.80	11.49	11.79	18.03	8.70
	4. नागालैण्ड	26.08	23.14	27.26	33.45	16.02
	5. त्रिपुरा	29.59	31.96	30.64	30.53	3.96
	6. अरुणाचल प्रदेश	19.99	28.20	32.32	42.04	44.30
	7. मिजोरम	29.63	34.95	29.04	31.89	2.76
	अखिल भारत (यूटिलिटियां)	22.89	22.83	21.80	21.41	20.13

स्रोत : डी.एम. एंड एल.एफ. प्रभाग

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में जो बिजली का संकट है उसके हल के लिए पिछली बार जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें कॉमन मिनिमम एक्शन प्लान बनाया गया था और उसका इन्होंने इस स्टेटमेंट में जिक्र भी किया है। देश में सबसे ज्यादा दुनिया भर में ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। देश में पॉवर क्राइसेस के जो फेक्टर हैं उनमें पावर जेनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन हैं। इन्होंने जो ट्रांसिमिशन लॉसेस और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट दिया है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। आपने इसके प्वांइट्स तो दे दिए लेकिन उसकी असल में क्या प्रोग्रेस हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं? दूसरी बात यह है कि देश में जो पावर जेनरेशन के प्रोजेक्ट हैं उनकी केपेसिटी 86,000 मेगावाट है। क्या यह सच नहीं है कि केवल 40,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो नौवां फाइव ईयर प्लान है उसमें आपने क्या सोचा है? इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? जब डिमांड बढ़ रही है, 1 लाख 42 हजार मेगावाट की जरूरत पड़ रही है और इनसे पहली केपेसिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय सोच रहे हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, पिछले कुछ वर्षों में प्लांट लोड फेक्टर 59 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक पहुंच गया है और इस साल भी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। पिछली दो महीनों में बिजली की विकास दर 21 महीनों के बाद पहली बार 8.2 प्रतिशत

जून में और 8.4 प्रतिशत जुलाई में थी और प्लांट लोड फेक्टर की इम्प्रूवमेंट से हुआ है। इस साल हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि 1600 से 1800 करोड़ रुपए रिहबिलीटेशन और मेन्टेनेंस के लिए स्टेट इलैक्ट्रसिटी बोर्ड को, जो हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रावधान मिला है उसमें करें। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नेशनल ग्रिड है उसमें अभी भी वेस्टर्न ग्रिड से सदर्न ग्रिड की चंद्रपुर एचवीडीसी लाइन को इस बार हम सितम्बर में ऑपरेशनल बनाएंगे और बाकी भी जो दो मेज़र लाइने हैं ईस्टर्न ग्रिड की, सदर्न ग्रिड के साथ और ईस्टर्न ग्रिड की नार्दन ग्रिड के साथ, उसके लिए पूरा व्यय का इंतजाम किया गया है। राज्य सरकारों को भी ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लोन असीस्टेंस के लिए इस बार हम प्रावधान कर रहे हैं और यह प्रत्यन किया जाएगा कि कंडीशंस ऐसी हो जो वे अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि पिछली जो आठ पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें 200 से भी अधिक प्रोजेक्ट चल रहे थे। उनमें सिर्फ 64 प्रोजेक्ट कम्पलीट हुए हैं। जैसे हमारे पंजाब में थीम डेम प्रोजेक्ट है उसका पानी पाकिस्तान को चला जाता है और बिजली नहीं मिलती। उसकी 1969 में 85 करोड़ कास्ट थी और अब 3000 करोड़ रुपए में कम्पलीट होगा। ऐसे देश भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेरा कहना यह है कि क्या हाईडल प्रोजेक्ट से बिजली सस्ती नहीं बन सकती ?

नेचुरल गैस से क्या बिजली सस्ती नहीं बन सकती है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपने प्राइवेट सैक्टर में जो बिजली जैनरेट करने के लिए सोचा है और नाप्था का जो मामला 8 हजार मैगावाट बिजली प्रोजेक्ट के लिए आपने सोच लिया है और उसके लिए 12 मिलियन टन नाप्था एनुवल आना था! आपने शुरू में तो बोल दिया कि सब्सिडी देंगे...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रश्न काल है। आप क्या कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यही पूछ रहा हूँ जी।

अध्यक्ष महोदय : क्या पूछ रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : आप सुन नहीं रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि सब्सिडी यह पहली बात नही है। पहले नेचुलर गैस के प्रोजेक्ट के लिए सब्सिडी की बात बोल दी, फिर सरकार मुकर गयी। अब इन्होंने नाप्था के लिए सब्सिडी बोली थी यह भी सरकार मुकर गयी। रीता जी ने नाप्था के लिए ठीक बोला था। नाप्था इतना मंहगा हो जाएगा और बिजली तो पहले ही मंहगी है। दो रुपये पचास पैसे बिजली की कोस्ट है। यह दुनिया में सबसे अधिक है। लिक्विड गैस से बिजली और मंहगी हो जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। हर चीज की कोई सीमा होती है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : जो आउट-गोंइग प्रोजेक्ट्स हैं.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० आप ऐसा नहीं कर सकते। यह एक प्रश्न काल है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यदि आप तीन मिनट के अंदर प्रश्न नहीं करते तो इसका आशय यह है कि आप विषय से अवगत नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : सर, केवल दो बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : दो बातों का तो सवाल ही नहीं होता है।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पहला तो यह है कि ....*(व्यवधान)* सरकार सब्सिडी देगी ताकि लिक्विड गैस से प्लांट चल सके। यह दो बातें बताएं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उनके प्रश्न से कुछ समझ पाए ?

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : इस साल हाइडल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 660 करोड़ रुपया एक्सट्रा बजट के बाद अलॉट किया गया है और राज्य सरकारों को भी थर्मल और हाइडल प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए लोन असिस्टेंस है, जिसमें पंजाब में 600 मेगावाट के रणजीत सागर प्रोजेक्ट के लिए भी इंतजाम किया गया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस प्रश्न के उत्तर में एक लम्बा वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है जिसमें राज्यों के बिजली बोर्डों द्वारा व्यवस्था कैसे की जाए, उसके उपायों का उल्लेख किया है। एक उपाय उन्होंने बताया है कम्पसलरी मीटरिंग "सभी बिजली आपूर्तियों को 2002 इस्वी तक मीटरबद्ध कर दिया जाएगा।"

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि मीटर का मैनीपूलेशन अपने आप में बिजली चोरी का एक काम है। या तो स्वंय या मीटर रीडर रीडर से मिलकर उनकी गति को धीमी करवा देते हैं। जिसके कारण जितनी बिजली की खपत होती है वह मीटर में दिखाई नहीं देती है। कम्पलसरी लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आप ऐसे मीटर का उत्पादन करवाएंगे जिन मीटर्स का मैनूपुलेशन न किया जा सके।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मीटर क्वालिटी में काफी इम्प्रूवमेंट है, और हम उनको सपोर्ट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, यह एक पंक्ति का प्रश्न होना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। वितरण और वसूली के प्रश्न पर एक सुझाव था कि इसकी जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी जानी चाहिए। क्या इस पर निर्णय लिया जा चुका है या ऐसा कोई राज्य है जहां पर वितरण और वसूली के कार्य को पंचायतों को सौंपा गया है जिससे कि वसूली का प्रतिशत बढ़ सके?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : राज्य वैकल्पिक वितरण व्यवस्थाओं के प्रयोग में लाकर देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नौ राज्यों में 32 के.वी.ए. लाइन से नीचे- राजस्थान में वितरण व्यवस्थाओं के निजीकरण की एक व्यापक योजना बनाई है। कुछ राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में कुछ सहकारी परियोजनाएँ आरम्भ की गई हैं। मैं पश्चिम बंगाल राज्य के विद्युत मंत्री से भी विचार-विमर्श कर चुका हूँ और हम विशिष्ट योजनाओं की सहायता करेंगे जो इस बात का प्रयास करेंगी कि उपभोक्ता तक प्रभावी ढंग से बिजली की आपूर्ति की जाए और उपभोक्ताओं को उसके लिए भुगतान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सके।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या यह पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अभी तक के प्रमुख प्रस्ताव सहकारी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वितरण प्रणाली, संप्रेषण में होने वाले नुकसान और चोरी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने चोरी और संप्रेषण में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोई प्रौद्योगिकी विकसित की है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : ऐसी प्रोद्योगिकियाँ हैं जिसमें सबसे पहला काम विभिन्न स्तरों - वितरण, संप्रेषण और उप-संप्रेषण प्रणालियों में, समुचित रूप से पैमाइश लेने की आवश्यकता है; और हम और ज्यादा आधुनिक प्रौद्योगिकियों, जो इलेक्ट्रानिक्स का प्रयोग करती हैं, को पूरा समर्थन देते हैं। फिर भी, मेरे विचार से, यह कहना सही होगा कि निम्नतम स्तर पर संगठनात्मक ढाँचे, जो कि मैं समझता हूँ माननीय सदस्य जिसके बारे में अधिकांशतः प्रश्न पूछ रहे हैं बिलों की वसूली करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री के. एस. आर. मूर्ति : महोदय, मंत्री के वक्तव्य में, यह कहा गया है कि लागत वसूली 79 प्रतिशत है। एन.टी.पी.सी. को छोड़कर देश के सभी राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। अब जबकि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य सभी उन्हें ऋण देने से मना कर रहे हैं तो भारत सरकार राज्य बिजली बोर्डों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, शुरू में हम स्वंतत्र प्रशुल्क विनियमन निकायों का राज्य और केन्द्र स्तर दोनों में गठन के लिए सभा के समक्ष विधान ला रहे हैं। इन निकायों की सिफारिशें बाध्यकारी होंगी। इसलिए यह आशा है कि एक बार यह विधान स्वीकृत हो जाने पर राज्य बिजली बोर्डों की प्रणालियों में राज्य स्तर सुधार होगा। साथ ही, जहां कहीं कई प्रारूप हों सुधार की विशिष्ट रणनीति के लिए और मैं उनका उल्लेख करके सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे - उड़ीसा, राजस्थान इत्यादि- यदि सुधार के लिए विश्व बैंक और ए.डी.बी. पैकेजों के अतिरिक्त वित्तीय लागत आती है तो राज्य बिजली बोर्डों के लिए विद्युत वित्त निगम भी निधियों को उपलब्ध करा सकता है। जब राज्य बिजली बोर्ड को विद्युत वित्त निगम निधियों को उपलब्ध कराता है तो वह राज्य की स्थिति को देखते हुए एक विशिष्ट प्रकार के सुधार कार्यक्रम को उनके साथ स्थापित करना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जानकारी दी, उनके किसी डिसप्यूट में न पड़ते हुए कि प्राइवेट सैक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है और गवर्नमैंट सैक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस सब के बावजूद आज भी हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको हम बिजली के कनैक्शन इलैक्ट्रिसिटी की कमी होने के कारण नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रदेश में एक लाख लोग ऐसे हैं, यहां तक कि चंडीगढ़ की मार्किट में, गांवों में, कॉलोनीज में और सैक्टर में जहां हम बिजली के कनैक्शन दे नहीं पा रहे हैं। क्या आप इस पर विचार और गौर करेंगे कि आजादी की इस पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 1998 तक इस देश में जो आदमी चाहेगा, चाहे वह गावों में रहता हो, चाहे कॉलोनीज में रहता हो, चाहे किसी मार्किट में हो, जो भी बिजली के कनैक्शन मांगेगा, उनको सरकार बिजली के कनैक्शन देगी और इलैक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। क्या मंत्री जी इस पर विचार कर हमें ऐश्यारैंस देंगे?

एक माननीय सदस्य : कनैक्शन और बिजली दोनों दें।

श्री सत्य पाल जैन : कनैक्शन भी मिले और बिजली भी मिले क्योंकि कई जगह कनैक्शन है लेकिन बिजली नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता क्या यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है।

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रिफिकेशन

के लिए प्रावधान किया गया है। खासतौर से गरीब लोगों के लिए कुटीर योजना है और ट्राइबल्स के लिए स्पैशल प्रोजैक्ट्स हैं। दुर्भाग्यवश तीन-चार ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने पुराने लोन वापस नहीं किए। इस कारण एक-दो वर्षों से उनके पैसे नहीं मिल पाए। हम उसे लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे कि अभी बिहार के बारे में चर्चा हो रही थी। अगर वह म्युचअली एक्सैप्टेबल रीपेमेंट शेड्यूल बनाएंगे तो हम फिर उनको इस बात के लिए पैसे दे सकेंगे। अगर राज्य सरकार यह योजना बनाए तो हम उनको प्रोत्साहन देंगे। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सब राज्य सरकारें यह योजना बनाएं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन पूरा होगा तो हम उसके लिए लोन असिस्टैंस जरूर डैवलप करेंगे।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की लागत

+

*324. **श्री नथवल किशोर राय :***
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत उत्पादन की लागत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तथा अंतिम वर्ष के दौरान जल, ताप तथा परमाणु क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की अलग-अलग औसत लागत क्या रही;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की औसत लागत बढ़ी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं तथा प्रत्येक कारक के परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की औसत लागत में अनुमानतः कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 8वीं योजना के प्रारंभ में और वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय तर पर जल विद्युत तथा ताप विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की लागत नीचे दी गई है :

	8वीं योजना के दौरान	वर्ष 1995-96 के दौरान
1	2	3
जल विद्युत स्टेशन	10 पैसे/कि.वा.घं. से 69 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न है।	19 पैसे/कि.वा.घं. से 115 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न है।
ताप विद्युत स्टेशन	56 पैसे/कि.वा.घं. से 190 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न है।	79 पैसे/कि.वा.घं. से 228 पैसे/कि.वा.घं. तक भिन्न-भिन्न है।

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा.वि.बो. को विभिन्न न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशनों से की जाने वाली आपूर्ति की दर निम्नवत है:

पैसे/कि.वा.घं.

न्यूक्लीयर विद्युत स्टेशन का नाम	विद्यमान दर (प्रभावी होने की तिथि)	प्रस्तावित दर (प्रभावी होने की तिथि)
1. तारापुर	57 (दिसम्बर, 1992)	83 (जुलाई, 1996)
2. राजस्थान	61 (1992-97)	206 (मार्च, 1997)
3. कलपाकम	63 (अप्रैल, 1991)	130 (जुलाई, 1996)
4. नरौरा	120 (जनवरी, 1991)	159 (जुलाई, 1996)
5. काकरापारा	207 (मई, 1993)	204 (जुलाई, 1996)

(ग) जी, हाँ। 8वीं योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की औसत लागत अधिक हो गयी है।

(घ) जल एवं विद्युत उत्पादन की औसत लागत के मुख्य घटक और 8वीं योजनावधि के दौरान इसकी प्रतिशत वृद्धि निम्नवत् है:

विद्युत उत्पादन लागत में वृद्धि के मुख्य घटक	8वीं योजनावधि के दौरान प्रतिशत वृद्धि
1. ईंधन की लागत	42%
2. स्थापना एवं प्रशासन	20%
3. ब्याज भुगतान	45%
4. मूल्यह्रास	60%

परमाणु विद्युत स्टेशनों के संबंध में विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि के मुख्य कारण (क) भारी जल के लीज प्रभार और ईंधन की लागत में वृद्धि और (ख) कुछ विद्युत उत्पादन यूनिटों की क्षमता में कमी का होना है।

अध्यक्ष महोदय : सभी प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, आज मेरा सौभाग्य है। सभी सदस्य विद्युत क्षेत्र के प्रति जागरूक हैं।

श्री ए.सी. जोस : उत्तर भी काफी अच्छे ढंग से दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो मूल प्रश्न है, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विद्युत उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और अपना देश अभी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को बदलकर लिबरलाईजेशन में आया है और हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कंपटीशन फेस करने जैसी स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से विद्युत लागत में वृद्धि हुई है, यह चिन्ता का विषय है। दुनिया की मार्किट में हमारे उद्योग कभी भी प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पायेंगे। यू.एस.ए., यू.के. में 1.4 किलोवाट के रेट से मैक्सिमम उत्पादन लागत है और भारतवर्ष ने 2.88 प्रति किलोवाट की लागत से अपना विद्युत उत्पादन बढ़ाया है, यह काफी चिन्ता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि ईंधन की लागत में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि ईंधन में कोयला और नाफ्था इत्यादि की बात है, यह सरकार के अधीन है और उस पर मनोपली भारत सरकार की चलती है...

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री नवल किशोर राय : मैं सवाल पूछ रहा हूँ। विद्युत उत्पादन की लागत इतनी बढ़ी है कि यह चिन्ता का विषय है...

अध्यक्ष महोदय : 'चिन्ता का विषय है' आप दस बार बोल चुके हैं।

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे कौन से उपाय करने वाली है जिससे विद्युत लागत में कमी हो सके। चूंकि विद्युत मंहगी हो रही है, वह सस्ते दर पर हो सके और दुनिया की मार्किट में प्रतियोगिता के लिये उपस्थित हो सके, इसके लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, कई क्षेत्रों में जैसे कोयले में सरकार में निजी निवेश, कतिपय कोयले के प्रकारों के मूल्यों के विनियमन की नीतियों की घोषणा की है। यह प्रत्याशित है कि जो निवेश आएगा वह लागत को कम करने की प्रवृति का होगा। प्रशुल्क-नियंत्रक निकायों के लिए प्रस्तावित विधान में, अर्थव्यवस्था का पूरा मुद्दा, कार्य-क्षमता और लागत कम करने को एक विशेष निवेश पद के रूप में दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, वह संतोषप्रद नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इसमें ब्याज भुगतान 45 प्रतिशत दर्शाया गया है, इसको कम करके उत्पादन लागत को कम करने पर विचार करेगी या उत्पादन लागत तब तक कम नहीं की जा सकती जब तक विद्युत की आपूर्ति सस्ते दर पर करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी का इन्तजाम करके दुनिया में भाग लेने के लिये भारतीय उद्योग को सरकार मौका देगी?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : वास्तविक मुद्दा उत्पादन की वास्तविक लागत कम करना और कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा राज सहायता उपलब्ध न कराने का है। हमारी सभी नीतियों का उद्देश्य यही है। जैसाकि हमने एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में देखा कि और ज्यादा मंहगे ईंधन की लागत का अर्थ बिजली आपूर्ति की लागत 2.70 रु0 के करीब पहुंचना हो सकता है। यह आपूर्ति के सीमान्त स्रोत हैं परन्तु औसत लागतें कम हैं। परन्तु सम्पूर्ण रूप में विद्युत प्रणाली का सुधार पैकेज ही लागत को कम करेगा और मेरा विश्वास है कि राज सहायताओं को सीमित किया जाना होगा और उन्हें लक्षित किया जाना होगा।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : ब्याज जो 45 प्रतिशत दे रहे हैं, उसको मानेंगे क्या?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जी, नहीं।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्ये बिजली बोर्डों को विभिन्न नाभिकीय विद्युत स्टेशनों से ऊर्जा की आपूर्ति की दर में आठवीं योजना के अनुसार वृद्धि हुई है। विशेषकर राजस्थान यह 61 पैसे से 206 पैसे हो गया जबकि काकरापारा में इसके उलट 207 पैसे से 204 पैसे तक घट गयी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उत्तर पढ़ना-आवश्यक है?

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं इसे अपने प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे उत्तर को पढ़े बिना भी स्पष्ट कर सकते हैं।

जस्टिस गुमान मल लोढा : इसके क्या कारण हैं? राजस्थान जो रेगिस्तान और अन्य चीजों के मध्य स्थिति है और पिछड़ा हुआ है। ऊर्जा की लागत को बढ़ाने का प्रयास करते हुए, भारत सरकार यदि राजसहायता को कम भी करे तो ऊर्जा की लागत को कम करने के सम्बन्ध में क्या कर रही है? राजस्थान के लोगों को सस्ते दर पर विद्युत मिले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहे हैं तथा सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु भी जिसमें पूंजीगत निवेश होना है क्षमताओं को कम किया जाता रहा है और बिजली के प्रति इकाई लागत पर भी इसका परिणामी प्रभाव पड़ा है।

श्री सनत मेहता : मैं एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न की सुनिए और टिप्पणियों पर ध्यान मत दीजिए।

श्री सनत मेहता : औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने ईंधन परिदृश्य पर विचार किया है और यह सिफारिश की है कि जो राज्य, कोयला खदानों से 600 कि.मी. से 800 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं, ऐसे राज्यों को कोयले और अन्य ईंधनों के आयात की अनुमति दी जाए अब जबकि सरकार ने कोयले की ओ.जी. एल. नीति को पहले ही घोषित कर दिया है। क्या विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर कोयले पर सीमाशुल्क को कम करने का प्रयास करेगा ? अन्यथा खदानों से 800 कि.मी. दूरी पर स्थित राज्यों में विद्युत की लागत को कम करने में कोयले का ओ. जी.एल. आयात का लाभ सहायक नहीं हो पाएगा।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : कोयले के आयात पर बहुत ही कम आयात शुल्क है।

श्री सनत मेहता : यदि यह बहुत ही कम है तो उसे हटाना बहुत ही आसान होगा।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : घरेलू कोयला उद्योग के साथ उचित व्यवहार की भी कुछ बाध्यताएं हैं और यह कोई अपराध नहीं है। परन्तु सामान्यतः विद्युत मंत्रालय ऊर्जा स्रोतों पर कम से कम कराधान के पक्ष में है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य मंत्री अब विद्युत मंत्री से ईर्ष्या कर रहे हैं।

रेल टिकट आरक्षण एजेंटों की नियुक्ति

*325. **श्री चिन्तामन वानगा**:क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेल टिकट आरक्षण एजेंटों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को रेल यात्री सेवा एजेंटों द्वारा टिकटों के दुरुपयोग संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा टिकटों का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) रेलों पर रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति, इच्छुक यात्रियों की ओर से रेल आरक्षण कार्यालयों से टिकट खरीदने के लिए की गई है, जिसके लिए वे सामान्य यात्री की तरह लाइन में खड़े होकर टिकट खरीदते हैं।

(ख) और (ग) टिकट जांच कर्मचारियों, धोखाधड़ी विरोधी दस्तों और रेल सुरक्षा बल की सहायता से वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आरक्षण कार्यालयों में की गई जांचों के दौरान रेल यात्री सेवा एजेंटों के कामकाज के संबंध में कुछ अनियमितताएं देखने में आई हैं। रेल यात्री सेवा एजेंटों के परिसरों में भी यह देखने के लिए बारम्बार जांच की जाती है कि उनके द्वारा कोई अनियमितताएं तो नहीं बरती जा रही हैं और यदि किन्हीं अनियमितताओं का पता चलता है तो उनके संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

श्री चिन्तामन वानगा : मैंने पूछा था कि रेलवे टिकट रिज़र्वेशन में सरकार ने आरक्षण एजेंटों की नियुक्ति की है, तो मंत्री जी ने उत्तर में रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंटों के बारे में जानकारी दी है। रेल ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट जो होते हैं, इनका काम क्यू में रिजर्वेशन के लिए खड़े पैसेंजर्स को टिकट पर्चेज करके देना होता है।

मेरा सवाल है कि जिस तरह से एयरलाइन्स में प्राइवेट रिज़र्वेशन एजेंट होते हैं, उस प्रकार के एजेंटों की नियुक्ति करने के बारे में क्या मंत्री महोदय कुछ सोच रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : किस तरह के एजेंट के बारे में कहना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया प्रश्न को धीरे-धीरे फिर से एक बार दोहराएंगें ?

श्री चिन्तामन वानगा : रेल मंत्री सेवा एजेन्टों और टिकट आरक्षण एजेंटों में अन्तर होता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जो रेलवे ट्रेवलर्स सर्विस एजेंट होते हैं उनका काम यह होता है कि जो लोग लम्बी लाइनों में खड़े होते हैं उनके लिए रेलवे के टिकट खरीदकर देना। जिस तरह से एअरलाइंस के एजेंट होते हैं क्या मंत्री जी उसी तरह के एजेंटों की नियुक्ति करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी मुझे मालूम नहीं है कि एअरलाइंस में किस तरह के एजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारे एजेंट होते हैं उनसे लोग पहले अनधिकृत रूप में टिकट खरीदते थे और उन पर रेलवेज की तरफ से एक्शन लिया जाता था। 1985 में सुप्रीम कोर्ट की डाइरेक्शन के आधार पर कुछ ऐसे लोग जो जाकर लाइन में लगकर टिकट नहीं खरीद सकते हैं उनकी सुविधा के लिए एजेंट नियुक्त किया गया है और वह उनके बदले में रेलवे में टिकट खरीदता है। लेकिन जो टिकट बेचने की अथॉरिटी दी जाती है वह सिर्फ रेलवे को ही है और ऐसे टिकट खरीदने की अथॉरिटी सिर्फ अधिकृत एजेंटों को दी गई है।

श्री चिन्तामन वानगा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सैकिंड सप्लीमेंट यह है कि रेलवे के प्रवासियों में आधे पैसेंजर मुम्बई के पैसेंजर होते हैं। .....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.57 बजे

(इस समय दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिए

..... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे इसका ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूं ऐसा होता ही रहता है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चिन्तामन वानगा : देश में रेलवे के जितने प्रवासी हैं उसमें से आधे मुम्बई के होते हैं। मुम्बई के किसी भी स्टेशन पर जाइये वहां पर रेलवे की बहुत लम्बी क्यू टिकट खरीदने वालों की होती है। वहाँ पर एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो मेरा सवाल यह है कि मुम्बई में करंट बुकिंग के लिए क्या मंत्री जी रेलवे ट्रैवलर्स सर्विस एजेंट की नियुक्ति करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : जब कभी आवश्यकता होती है और रेलवे इसको महसूस करता है तो इस तरह के विज्ञापन निकाले जाते हैं और नियुक्ति की जाती है।

श्री मंगत राम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह दुरुस्त है कि जम्मू कश्मीर और खास तौर से ईस्टर्न स्टेट में जहाँ पर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पूरी स्टेट में नहीं पहुँचे हैं ऐसे इलाकों में रेलवे के टिकट हासिल करने में बड़ी दिक्कत आती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? कृपया प्रश्न पूछें। समय नहीं बचा है।

[हिन्दी]

श्री मंगत राम शर्मा : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या वे कोई ऐसा इंतजाम करेंगे कि जिन इलाकों में रेलवे स्टेशन बहुत दूर हैं वहाँ पर वे कोई अपना ऑफिस खोलेंगे, ताकि उन इलाके के लोगों को रेलवे टिकट लेने और रिजर्वेशन करने में आसानी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में डोडा, श्रीनगर वैली, लेह, पुंछ, राजौरी हैं लेकिन रेलवे स्टेशन सिर्फ जम्मू में है। इससे दूर-दराज के लोगों को जम्मू आकर टिकट लेने में बड़ी दिक्कत आती है। क्या आप दूर-दराज के इलाकों में रेलवे के दफ्तर खोलेंगे ताकि लोगों को टिकट लेने में आसानी हो जाए।

श्री राम विलास पासवान : खोलेंगे नहीं, ऑलरेडी हम लोग खोल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं जहाँ रेलवे नहीं पहुँची हैं वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

हमने कश्मीर में भी कंप्यूटराइज्ड टिकिट बुकिंग की व्यवस्था कर दी है। जिन दूसरी जगहों का आप नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर भी टिकिट बुकिंग की व्यवस्था की जाए, मेरा आग्रह है कि कृपया आप इस बारे में लिखकर हमें भेज दीजिए, उसको हम देख लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इन्टरनेट का उपयोग करने वाले

*326. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :***
श्री अमर पाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में इन्टरनेट का उपयोग करने वाले हजारों व्यक्ति गत कुछ वर्षों से इन्टरनेट टेलीफोन प्रणाली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय फोन काल कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इससे सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक कितना नुकसान हुआ; और

(ग) इस प्रकार होने वाले राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इन्टरनेट टेलीफोनों को तकनीकी सीमाओं तथा उच्च लागत के कारण, भारत में इसका व्यापक प्रयोग इस समय संभव नहीं है। इससे जो ध्वनि (वायस) प्राप्त हो सकती है वह वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है और यह विश्वसनीय भी नहीं है तथा इसके लिए कीमती उपस्कर इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, उक्त सुविधा के किसी प्रकार के दुरुपयोग से बचने के लिए इन्टरनेट प्रयोक्ताओं पर कानूनी बाध्यता होने के कारण भी इसकी सीमाएं हैं।

(ख) इन्टरनेट सेवाएँ, अगस्त, 1995 में सीमित स्तर पर प्रारम्भ की गई थी। किसी प्रकार के दुरुपयोग से होने वाली न्यूनतम संभाव्य हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि कम हानि होने की आशा है।

(ग) इसके अनुप्रयोग के समय इन्टरनेट के प्रयोक्ता को इस आशय का वचन देते हुए करार करना होता है कि वह इन्टरनेट टेलीफोनों का प्रयोग नहीं करेगा। करार का उल्लंघन करने पर उसका कनेक्शन काटा जा सकता है।

मुआवजा राशि में वृद्धि

*327. डॉ० कृपासिन्धु भोई :
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल में तोड़-फोड़, बम विस्फोट, इत्यादि घटनाओं सहित रेल दुर्घटनाओं सहित रेल दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1997 के दौरान तोड़-फोड़ की घटनाओं के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(घ) क्या सरकार ने तोड़-फोड़ के किसी मामले को सी.बी. आई. जाँच के लिए भेजा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 और 124-ए के अंतर्गत परिभाषित गाड़ी दुर्घटनाओं तथा अनपेक्षित घटनाओं में मारे गए और घायल हुए रेल यात्रियों तथा प्लेटफार्म टिकट धारकों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) 1997 के दौरान तोड़-फोड़ के कारण गाड़ी के पटरी से उतरने की पाँच दुर्घटनाएँ हुईं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज की दर

*328. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान पवन ऊर्जा परियोजनायें स्थापित करने के लिए कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या इन ऋणों पर ब्याज की दर को कम कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घटी ब्याज की दर को किस तारीख से लागू किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा 461.25 करोड़ रु. की कुल ऋण राशि उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए अन्य वित्तीए संस्थाएं और वाणिज्यिक बैंक भी ऋण उपलब्ध कराते हैं।

(ख) से (घ) इरेडा ने उन पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया है, जिन्हें 7.6.97 को या उसके पश्चात् मंजूरी दी गई थी। पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्याज दरों का विवरण नीचे दिया गया है :

योजना	ब्याज दर (प्रतिवर्ष) ब्याज कर को छोड़कर	संशोधित ब्याज दर (प्रतिवर्ष) ब्याज कर को छोड़कर
1. परियोजना वित्त पोषण		
(क) अंतर्राष्ट्रीय निधियां	16.5%	15.5%
(ख) इरेडा की निधियां	17.0%	16.0%
2. उपकरण वित्त पोषण	17.0%	17.0%

दूरसंचार पर फिक्की की रिपोर्ट

*329. श्री उत्तम सिंह पवार :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में फिक्की से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) रिपोर्ट 6 अगस्त, 1997 को प्राप्त हुई थी। इस रिपोर्ट में भारत में दूर संचार क्षेत्र के विकास के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। इसमें निम्नलिखित चार सूत्री कार्यनीति का अनुसरण करते हुए सेवा और विनिर्माण, दोनों को शामिल करके, देश में दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु कार्यनीति की घोषणा की गई है, अर्थात्—

(क) एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और विश्वस्तरीय माइंडसेट विकसित करना

(ख) भारत में दूरसंचार बाजार में यथेष्ठ वृद्धि करना

(ग) उद्योग द्वारा विश्व स्तर की प्रतिस्पर्धा विकसित करना

(घ) सरकार द्वारा ज्ञापपूर्ण और कल्पनाशील नीति-ढांचा तैयार करना।

इस बुनियादी दृष्टिकोण के आधार पर इसमें भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की हैं।

(ग) विभाग की भावी दूरसंचार नीतियों का निर्माण करते समय रिपोर्ट के उपयुक्त निर्णयों को ध्यान में रखा जाएगा।

बिजली घरों को गैस का आवंटन

*330. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'अन्ता'' के चरण-2 संकल्पना के पश्चात् दिल्ली और गुजरात स्थित विद्युत केन्द्रों को गैस आवंटित की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र अन्ता चरण-2 को गैस का आवंटन कब तक प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या विद्यमान गैस आधारित ताप विद्युत केन्द्र जी टीपीएस अन्ता को आवंटित की गई गैस विद्युत विभाग की नीति के अनुसार इसे ''बेस-लोर्ड स्टेशन'' के रूप में चलाने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके चरण-1 तथा चरण-2 के लिए अतिरिक्त गैस कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत बोर्ड की बवाना परियोजना और गुजरात विद्युत बोर्ड गंधार परियोजना तथा एन.टी.पी.सी की गंधार परियोजना के लिए गैस का आवंटन एन.टी.पी.सी. की अन्टा चरण-II परियोजना जिसे 0.25 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आवंटित की गई थी, के साथ-साथ लिया गया था।

(ग) से (ङ) एच.डी. में पाइपलाइन के साथ उपलब्ध होने वाली प्रक्षेपिक गैस को पूर्णतः आवंटित किया जा चुका है तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अन्टा I अथवा अन्टा-II परियोजनाओं के लिए तत्काल ही पुनः गैस आवंटित करने की स्थिति में नहीं है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पार्क

*331. **श्री मधुकर सरपोतदार** :
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक प्रतिभाओं के सहयोग से व्यावहारिक (एप्लाइड) अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु ''विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी'' पार्कों का विकास करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पास एक ''विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्क (स्टेप)'' नामक एक योजना है। योजना के तहत तकनीकी संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपलब्ध ज्ञान-पूँजी का उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यक्तियों के बीच उद्यमियों का विकास करने के लिए किया जाता है। ''स्टेपों'' की सहायता संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों तथा मेजबान संस्थाओं द्वारा की जाती है। ''स्टेप'' नवीन खोजों तथा उद्यमवृत्ति के लिए अवसंरचनात्मक तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। ग्यारह ''स्टेप'' स्थापित किये जा चुके हैं तथा 9वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

रेल दुर्घटनाएं

*332. **श्री राधा मोहन सिंह** :
डॉ. रमेश चन्द्र तोमर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे फाटक पर रेलगाड़ियों और बसों की टक्कर के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में कोई जाँच करायी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) सूचना निम्नानुसार है :

	1994-95	1995-96	1996-97
गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या	6	10	12
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	1	31	100

(ग) जी हाँ।

(घ) 28 दुर्घटनाओं में से 7 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक के कारण हुई थीं और 21 दुर्घटनाएं बस ड्राइवरों की लापरवाही के कारण हुई थीं।

(ङ) समपारों पर सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

(1) समपार फाटकों के पहुँच मार्गों पर सड़क चिह्नों, गति अवरोधकों/गड़गड़ाहट पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अपने वाहनों की गति धीमी करने के लिए सचेत किया जा सके।

(2) समपारों के पहुँच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है ताकि समपार फाटक पर गाड़ी पहुँचने से पहले गाड़ी के चालक को यह याद दिलाया जा सके कि उसे सीटी बजाकर सड़क उपयोगकर्त्ताओं को सचेत करना है।

(3) अत्यधिक यातायात घनत्व वाले समपारों को उत्तरोत्तर चरणबद्ध आधार पर सिगनलों से अन्तर्पाशित किया जा रहा है। इसके अलावा, चौकीदार वाले सभी समपारों पर धीरे-धीरे टेलीफोनों की व्यवस्था की जा रही है।

(4) चौकीदार की मुस्तैदी की जाँच करने के लिए नियमित रूप से आकस्मिक जाँचें और रात्रिकालीन निरीक्षण किए जाते हैं।

(5) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

(6) संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टीवी पर क्विकीज, रेडियो पर वार्ता, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं। रेलों के जन जागरण कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

(7) राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते समय विशेषकर, ट्रकों, बसों और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवरों को लाइसेंस जारी करते समय सख्ती बरतें।

भ्रष्टाचार के मामले

*333. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा सिविल अधिकारियों की आय से अधिक परिसंपत्तियों के कितने मामलों की जांच की गई हैं;

(ख) उक्त मामलों में (श्रेणीवार) कितने अधिकारी शामिल है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार तथा बेईमानी से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध स्वतः कार्यवाही करता है जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह होता है; और

(ङ) क्या मंत्रालय द्वारा उसके नियंत्रणाधीन सतर्कता अनुभाग की शक्तियों तथा कार्य-प्रणाली की कोई समीक्षा की गई है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1995-96 के दौरान रेल मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक सम्पत्ति जमा करने के 26,651 मामलों की जांच-पड़ताल की गई थी।

(ख) जांच-पड़ताल किए गए मामलों में 356 राजपत्रित अधिकारियों को शामिल पाया गया। ऐसे मामलों में शामिल अधिकारियों का ग्रेड-वार ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) संयुक्त सचिव स्तर और इससे ऊँचे स्तर के अधिकारी	40
(2) कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड/प्रवरण ग्रेड अधिकारी	98
(3) वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी	102
(4) कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी	116

(ग) 1995-96 के दौरान कुल 9258 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 3467 शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई थी, 4305 शिकायतों को फाइल कर दिया गया क्योंकि कोई ऐसा ब्यौरा उपलब्ध नहीं था जिससे उनकी सत्यता की पुष्टि की जा सकती और 1432 शिकायतों को दूसरे विभागों के पास भेज दिया गया क्योंकि उनमें सतर्कता की दृष्टि से ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी जांच की जाती। शेष 54 शिकायतों को अगले वर्ष में ले जाया गया क्योंकि 1995-96 में उनकी जांच-पड़ताल पूरी नहीं हो सकी।

(घ) जी हाँ। संदिग्ध निष्ठा वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध निरोधक और छद्म जाँच की जाती है।

(ङ) रेलों के सतर्कता विभाग के क्रियाकलापों की रेलवे बोर्ड द्वारा हर महीने तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर तीन महीने बाद समीक्षा की जाती है। सतर्कता विभाग की शक्तियों की हाल में कोई समीक्षा नहीं की गई है।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता

*334. **श्री चनवारी लाल पुरोहित** :
श्रीमती लक्ष्मी पनवाला :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक ठोस कार्य-योजना तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1997-98 के लिए इस हेतु कितने वार्षिक परिव्यय का अनुमोदन किया गया है;

(ग) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. तथा केन्द्र शासित प्रदेश की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी आबादी को इसमें शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) किन-किन राज्यों ने अब तक जल संबंधी कार्य-योजना तैयार कर ली है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गयी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरप्पू येरननायडू): (क) जी हाँ।

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1997-98 के लिए अनुमोदित वार्षिक आवंटन 1126.90 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए कुल लक्ष्य, 90454 बसावटों को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

(घ) सभी राज्यों ने शामिल न की गई और आंशिक रूप से शामिल बसावटों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है।

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिए कुल स्वीकृत राशि और जारी राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1978-98 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन और जारी धनराशि

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन	जारी धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7964.00	3982.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1444.00	722.00
3.	असम	2438.00	1219.00
4.	बिहार	9380.00	0.00
5.	गोवा	227.00	113.50
6.	गुजरात	4987.00	2336.00
7.	हरियाणा	2736.00	1368.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1596.00	798.00
9.	जम्मू व कश्मीर	4431.00	2215.50
10.	कर्नाटक	7325.00	3662.50
11.	केरल	3724.00	1862.00
12.	मध्य प्रदेश	8817.00	4708.50
13.	महाराष्ट्र	10602.00	5301.00
14.	मणिपुर	529.00	264.50
15.	मेघालय	568.00	284.00
16.	मिजोरम	406.00	203.00
17	नागालैंड	422.00	0.00
18.	उड़ीसा	4173.00	2086.50
19.	पंजाब	1330.00	665.00
20.	राजस्थान	11863.00	5931.00
21.	सिक्किम	372.00	186.00
22.	तमिलनाडु	6314.00	3157.00
23.	त्रिपुरा	503.00	251.50
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00	7387.50
25.	पश्चिम बंगाल	5704.00	2852.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.50	0.00
27.	दादरा व नगर हवेली	12.50	0.00
28.	दमन व दीव	12.50	0.00
29.	दिल्ली	5.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	12.50	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00	0.00
	कुल	112690.00	51556.50

रेल सुविधाओं का विकास

*335. **प्रो. पी.जे. कुरियन :**
श्री ए. सम्पत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेषकर केरल में रेल सुविधओं का विकास यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन राज्यों में रेल सुविधाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में अब तक रेलवे सुविधाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रेलवे सुविधाओं का विकास, रेलों की परिचालनिक आवश्यकता और यात्री तथा माल यातायात की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अपेक्षित सीमा तक सुविधाओं का विकास करने

में धनराशि की अत्यधिक तंगी एक बड़ी कठिनाई है। केरल में दोहरीकरण, नई लाइनों के निर्माण और रेल विद्युतीकरण से संबंधित चल रहे कार्य नीचे दिए गए हैं :

1. अंगामाली-सबरीमाला नई लाइन
2. कोल्लम-तिरुनेलवेल्लि-श्रीचेंदूर-आमान परिवर्तन
3. शोरूवण्णूर-मंगलोर दोहरीकरण
4. कुट्टीपुरम-गुरुवायूर दोहरीकरण
5. कोल्लम-त्रिवेंद्रम दोहरीकरण
6. रेल विद्युतीकरण-कोचीन हार्बर टर्मिनस सहित ईरोड़-पालघाट-एर्णाकुलम
7. रेलों के लिए पूरक मांगें 1997-98 में कोट्टायम-ईणूमेली नई लाइन

केरल राज्य को सेवित करने के लिए समय-समय पर नई गाड़ियां भी चलाई गई हैं। इस संबंध में हाल ही में किया गया प्रयास, हजरत निजामुद्दीन-कोचीन एक्सप्रेस को सप्ताह में एक बार चलाना और हवड़ा-कोचीन एक्सप्रेस का तिरूवनंतपुरम तक विस्तार करना है।

(ग) भारतीय रेलें, रेल सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि का लेखा राज्य-वार नहीं रखती हैं। परियोजनाओं को रेलवे-वार स्वीकृति दी जाती है। दोहरीकरण पर हुआ खर्च जो केरल राज्य के लिए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नीचे दिया गया है :

1994-95	14.00 करोड़ रुपए
1995-96	43.00 करोड़ रुपए
1996-97	63.00 करोड़ रुपए
1997-98	65.00 करोड़ रुपए

दुर्घटना दावे

*336. **श्री भक्त चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दावा न्यायाधिकरणों द्वारा दावों के निपटान में औसतन कितना समय लिया जाता है;

(ख) एक से तीन वर्ष तक के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनके निपटान में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) लगभग 10 महीने।

(ख) पीठ का नाम — 1.7.97 तक एक से तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या

दिल्ली	2
लखनऊ	20
गोरखपुर	15
चेन्नई	6
सिकंदराबाद	1
एर्णाकुलम	2
बैंगलूरू	5
भोपाल	6
	57

(ग) यद्यपि अधिकरण द्वारा दुर्घटना दावों के मामलों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, तथापि निम्नलिखित कारणों से विलंब हो जाता है :

1. आवेदकों अथवा उनके वकील का उपस्थित न होना।
2. आवेदकों/उनके वकील द्वारा उनके साक्षी अथवा अन्य साक्ष्य को पेश करने के लिए स्थगन आदेश लेना।
3. दावेदारों के पास उत्तराधिकार का प्रमाण न होना।
4. दावेदारों द्वारा मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने का अनुरोध करना।
5. अवयस्क दावेदारों की अभिभावकता (गार्जियनशिप) संबंधी विवाद।

(घ) यात्रियों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

I. **प्रशासकीय कार्रवाई**

i) सभी क्षेत्रीय रेलों को निदेश जारी किए गए हैं कि जैसे ही किसी यात्री गाड़ी की दुर्घटना हो या कोई अप्रिय घटना हो जाए, घायलों और मृतकों के सभी विवरण प्राप्त किए जाएं, दावाकर्ताओं के पास दावे के आवेदनपत्र का फॉर्म भेजा जाए और इसका रिकार्ड रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठ को भी उपलब्ध कराया जाए।

ii) जब दावे दायर किए जाते हैं और सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, दावे के शीघ्र निपटान के लिए रेलों द्वारा अधिकरण को हर संभव सहायता दी जानी चाहिए।

iii) ऐसे मामलों में, रेलों द्वारा रेल दावा अधिकरण का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर लिखित बयान दायर किया जाना होता है।

iv) मुख्य दावा अधिकारियों को बिना किसी पूर्व वित्तीय सहमति के 2 लाख रुपए तक की डिगरी की राशि को स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

v) डिगरी की राशि स्वीकृत किए जाने के पश्चात्, रेलों को यह सुनिश्चित करना होता है कि 15 दिन के भीतर चैक जारी और प्रेषित कर दिए जाते हैं।

II. अधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

i) दुर्घटना के दावों से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

ii) दावेदारों की सुविधा के लिए पीठ के मुख्यालयों से इतर स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट पीठें आयोजित की जाती हैं।

iii) किसी पीठ में सदस्य उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित होने पर सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में भेजा जाता है।

iv) दावेदारों के आवेदनों को उनकी सुविधा के अनुसार एक पीठ से उनके निवास स्थान के नजदीक, दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।

v) आम तौर पर पार्टियों को कार्यवाही रुकवाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

केबल नेटवर्क पर अश्लील कार्यक्रम और विज्ञापन

*337. **श्री मंगलराम प्रेमी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) के अंतर्गत राज्य सरकार को केबल टी.वी. नेटवर्क द्वारा प्रसारित/पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की निगरानी/जाँच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केबल टी.वी. नेटवर्क पर अश्लील कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों को अभी भी प्रसारित किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 11, 18 और 19 में कम से कम केन्द्रीय सरकार के समूह ''क'' अधिकारी के स्तर के राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी के कार्य इस प्रकार हैं :

(1) अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए गैर-पंजीकृत केबल प्रचालकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे उपस्कर को जब्त करना।

(2) अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध पर कार्रवाई करने हेतु न्यायालय को लिखित में शिकायत करना।

(3) किसी केबल प्रचालक को ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण या पुनर्प्रसारण से रोकना जिससे धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातिवादी, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों अथवा समुदायों के बीच विद्वेष, घृणा अथवा दुर्भावना को बढ़ावा मिलने अथवा सार्वजनिक शान्ति भंग होने की संभावना हो।

(ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), 1995 की धारा 5 तथा 6 में यह व्यवस्था है कि केबल सेवा के माध्यम से प्रसारित या पुनर्प्रसारित सभी कार्यक्रम और विज्ञापन निर्धारित संहिताओं के अनुरूप होने चाहिए। तथापि, मुक्त प्रसारण विदेशी उपग्रह चैनलों को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के अनुपालन से छूट दे दी गई है। इस समय भारत में उपलब्ध अधिकांश विदेशी उपग्रह चैनल मुक्त प्रसारण चैनल हैं। इसलिए विद्यमान कानूनों में इन चैनलों पर प्रभावी विनियमन की व्यवस्था नहीं है। विदेशी उपग्रह चैनलों को विनियमित करने और उन्हें भारतीय कानूनों तथा विनियमों की परिधि में लाने के लिए सरकार ने पहले ही संसद में एक प्रसारण विधेयक प्रस्तुत कर दिया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा बच्चों के लिए बनाई गई फिल्में

*338. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बच्चों के लिए कुल कितनी फिल्में बनाई हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान बनाई सभी फिल्में हिंदी में थीं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने किसी बाल फिल्म का निर्माण नहीं किया है। तथापि, निगम ने विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों का निर्माण किया था। राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में बाल फिल्मों का निर्माण किया जाता है। वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान, राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र द्वारा 3 फीचर फिल्मों, 1 टेलीविजन धारावाहिक (13 कड़ियां), 2 लघु ऐनिमेशन फिल्मों और एक कठपुतली ऐनिमेशन टेलीविजन धारावाहिक (17 कड़ियां) का निर्माण किया गया। इनमें से, एक फीचर फिल्म मराठी में थी। इसके अलावा, 6 फीचर फिल्मों और 1 लघु फिल्म को क्षेत्रीय भाषाओं में डब किया गया था।

राष्ट्रीय बचत पत्रों की परिपक्व राशि के भुगतान में विलम्ब

*339. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डाकघरों में निवेशकों को राष्ट्रीय बचत की परिपक्व राशि का भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका तेजी से भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार एम.पी.के.पी.वाई ऐजेंटों द्वारा आवर्ती जमा राशियों की डाकघरों में प्रेषण की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अधीन भुगतान सामान्यतया समय पर किया जाता है। तथापि, परिपक्व राशि के भुगतान में विलम्ब के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i) शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय तत्काल किए जाते हैं;

ii) फील्ड स्टाफ द्वारा यह देखने के लिए आकस्मिक जांच की जाती है कि निवेशकों को किए जाने वाले भुगतान में कोई विलम्ब न हो;

iii) निवेशकों को परिपक्व राशि का भुगतान करने में होने वाले विलम्बों को दूर करने के लिए समय-समय पर हिदायतें जारी की जाती हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसे किसी प्रस्ताव पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

*340. **श्री थामस इंसवा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इस प्रयोजन हेतु कुछ परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे सीमेंट संयंत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है जिनके लिए समझौते किए गए हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने कुछ समझौते रद्द कर दिए हैं और किसी परामर्शदाता को काली सूची में शामिल किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे सीमेंट संयंत्रों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा मशीनरी आदि उपलब्ध करायी गई और परामर्शदाता और फैब्रीकेटर की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने वर्ष 1995-96 से पूर्व लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए छः परामर्शदाताओं तथा चार निर्माताओं की नियुक्ति की है। ये परामर्शदाता हैं—मैसर्स पॉलसंस लिमिटेड, मद्रास; मैसर्स उषा मिनी प्लांट कार्पोरेशन, नई दिल्ली; मैसर्स गणेश इंडस्ट्रीयल सर्विस एजेंसी, अहमदाबाद; मैर्स जयेम्स इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली; मैसर्स यूएएल टेक्नॉलोजीज, नई दिल्ली तथा मैसर्स फैक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, उद्योग मंडल, कोचीन। ये निर्माता हैं—मैसर्स लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, उदयपुर; मैसर्स मिनीच प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली; मैसर्स जयेम्स परकिम प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई तथा मैसर्स उषा मिल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(घ) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आरआरएल) जोरहाट द्वारा विकसित की गई तकनीकी जानकारी के आधार पर 1976-91 के दौरान देश में कुल 29 लघु सीमेंट संयंत्रों को लाइसेंस प्रदान किए, जिनमें से बहुत से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार एनआरडीसी ने जिन 29 संयंत्रों के बारे में समझौते किए हैं उनमें से 3 संयंत्रों में आई समस्याओं की सूचना दी गई है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) ने 1.2.1989 को एक परामर्शदाता अर्थात् मैसर्स उषा मिनी प्लांट्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली के साथ यह समझौता समाप्त कर दिया। एनआरडीसी द्वारा सभी राज्य वित्तीय संस्थानों को उन लघु सीमेंट संयंत्र को वित्तीय सहायता न देने की सलाह दी गई है जहाँ मैसर्स उषा मिनी प्लांट्स कार्पोरेशन, नई दिल्ली को परामर्शदाता के रूप में चुना गया है।

(छ) यथासूचना एनआरडीसी ने अपने विविध लाइसेंसीकृत लघु सीमेंट संयंत्रों की निष्पादकता की जाँच की है तथा उनके

अबाध गति से कार्य को सुनिश्चित करने हेतु समाधानों संबंधी सुझाव देने के लिए अपने खर्च पर वैज्ञानिकों को नियुक्त किया है, हालांकि एनआरडीसी की तरफ से ऐसी सेवाएँ उपलब्ध करवाना अनिवार्य नहीं था।

[हिन्दी]

ठेका प्रणाली समाप्त करना

3527. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में बढ़ती अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए ठेका प्रणाली को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी नहीं। रेलों ने ठेका प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है क्योंकि अपराध को बढ़ावा देने में ठेका प्रणाली की कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएँ

3528. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश को यह जानकारी दी है कि विशाखापत्तनम में 4,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना के कार्य में गाडगिल फार्मूला बाधा बन रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रधान मंत्री ने मुख्य मंत्री को पहले यह आश्वासन दिया था कि इस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए शीघ्र ही हरी झंडी दिखाई जाएगी और अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इस परियोजना को मंजूरी प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (2x500 मे.वा.) की स्थापना को केन्द्र सरकार द्वारा 3650.79 करोड़ रुपए की लागत पर जुलाई, 1997 में अनुमोदित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

फिश प्लेटें हटाना

3529. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीना-विदिशा खंड पर पिछले चार महीनों के दौरान फिश प्लेटें हटाने की घटनाएँ कई बार हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बीना-विदिशा खंड पर कोई न कोई समस्या उत्पन्न होने और दुर्घटना होने की संभावना होने के क्या कारण हैं;

(घ) इस खंड पर अंतिम बार हुई दुर्घटना का ब्यौरा क्या है और यह दुर्घटना कितनी भयंकर थी; और

(ङ) मध्य रेलवे ने इस खंड पर रेल लाइनों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान मध्य प्रदेश में बीना-विदिशा खंड पर फिश प्लेटों के हटाये जाने का केवल एक मामला घटित हुआ था।

(ख) से (घ) 16.6.1997 को लगभग 1.35 बजे बीना-विदिशा खंड पर मंडी बामोरा तथा कलहार स्टेशनों के बीच कि.मी. सं. 953/2-14 पर, गाड़ी सं. 2723 डाऊन आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का इंजन तथा 13 सवारनी डिब्बे पटरी से उतर गए थे जिसके परिणाम स्वरूप 13 यात्री घायल हुए थे। स्थानीय पुलिस, पठारी, ने 16.6.1997 को रेल अधिनियम की धारा 150 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के अंतर्गत अपराध सं. 55/97 पर एक मामला दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) क्षेत्र में फिश प्लेट के जोड़ों की झलाई के लिए मध्य रेल पर एक अभियान चलाया गया है।

प्राकृतिक आपदा

3530. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान अभी तक देश के किन-किन भागों में भूकम्प और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं घटी हैं;

(ख) भूकम्पों और प्राकृतिक आपदाओं की ऐसी घटनाओं से कितना नुकसान हुआ और नुकसान का स्वरूप क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश में भूकम्प पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए दी गई सहायता का स्वरूप क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए राज्य सरकारों ने स्थिति की रिपोर्ट इस प्रकार दी है :

(i) भारी वर्षा तथा बाढ़ ने 21 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम

बंगाल और सिक्कम) तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के हिस्सों को प्रभावित किया।

(ii) चक्रवातों ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, महाराष्ट्र तथा गुजरात के तटीय जिलों को प्रभावित किया; तथा

(iii) उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र के कुछ हिस्से सूखे से प्रभावित हुए।

1997-98 के बारे में अभी तक दी गई सूचना इस प्रकार है:

(i) 13 राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब) के हिस्से भारी वर्षा तथा बाढ़ से प्रभावित रहे।

(ii) 5 राज्यों (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश) के हिस्से ओलोवर्षण से प्रभावित रहे।

(iii) जबलपुर तथा उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर-पूर्व के इलाके मध्यम दर्जे के भूकम्प से प्रभावित हुए।

(ख) 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान अभी तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हुए नुकसान के परिमाण को दर्शाने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	नुकसान	1996-97	1997-98
1.	इन्सानी जान की क्षति	3789	844
2.	जानवरों की क्षति (लाख में)	2.06	0.15
3.	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	550.00	212.00
4.	घर/झोपड़ों को नुकसान (लाख में)	23.68	4.40
5.	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	130.00	27.89

(ग) भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राहत और पुनर्वास उपायों के लिए प्राकृतिक आपदा निधि के केन्द्रीय अंश के रूप में 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 40.42 करोड़ रुपये निर्गत किये हैं। मई, 1997 के भूकंप को देखते हुए राहत और पुनर्वास उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 45.26 करोड़ रुपये भी निर्गत किये गये।

आरक्षित पद

3531. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय के अंतर्गत विभागों/उपक्रमों में की गई नियुक्तियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पद-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या इस समय इस मंत्रालय के विभागों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ आरक्षित पद खाली पड़े हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी पद-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त आरक्षित पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(च) ये पद कब तक भरे जायेंगे; और

(छ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड का विनियंत्रण

3532. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1997 के "द आब्जर्वर ऑफ बिजनेस एंड पोलिटिक्स" नई दिल्ली "स्वेडिश फर्म में ग्रेन फ्रॉम वी.एस.एन.एल. डिरेगुलेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) यह समाचार स्टॉकहोम से मि. अल्फ्रेड डी टैवर्स द्वारा भेजा गया है। लेखक ने स्वीडिश व्यापार मंत्रालय, के अधिकारियों, एरिक्सन (स्वीडिश टेलीकॉम जेन्ट), कुछ आर्थिक विश्लेषकों तथा स्वीडिश इकनॉमिक डेली द्वारा व्यक्त विचारों को विस्तृत रूप से उद्धृत किया है। यह समाचार लेख द्वारा वी.एस.एन.एल. को एक नवरत्न के रूप में माने जाने की अवधारणा तथा अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन परियाट के क्षेत्र में वी.एस.एन.एल. के भावी विकास/विस्तार के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित है।

(ग) चूँकि प्रेस रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से भारत में स्वीडिश फर्म के व्यापारिक हितों में वृद्धि करने की लेखक की विचारधारा परिलक्षित होती है जिसमें वी एस एन एल को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के बाद एरिक्सन को शामिल किया गया है, अतः इस पर सरकार की ओर से कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया अपेक्षित नहीं है।

ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों का उपयोग

3533. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज के शिक्षित बेरोजगार कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने में कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि ग्रामीण विकास के लिए मौजूदा प्राशासनिक व्यवस्था पर्याप्त है, इसका मूल्यांकन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाए; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) और (ख) समाज के शिक्षित बेरोजगार कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निधियों के उपयोग से संबंधित आंकड़ों की मंत्रालय द्वारा अलग से निगरानी नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन की केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने और इनको तर्कसंगत बनाने के लिए योजना आयोग ने प्रो. एस.आर. हाशिम, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पश्चिम बंगाल में उच्च क्षमता और कम क्षमता के ट्रांसमीटर लगाना

3534. **श्री महबूब जहेदी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में स्थान-वार कम क्षमता और उच्च क्षमता के कितने ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनका वर्तमान संचालन और प्रसारण क्षेत्र कितना है और इन ट्रांसमीटरों को सुदृढ़ बनाने और इनका आधुनिकीकरण करने हेतु भावी कार्य-योजना क्या है;

(ग) राज्य में कितने दूरदर्शन केन्द्र कार्यरत हैं;

(घ) इन केन्द्रों के आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संलग्न विवरण में दिए गए स्थान-वार ब्यौरों के अनुसार वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में 6 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 20 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) यद्यपि इस राज्य की अनुमानित 96.0% जनसंख्या और 95.4% क्षेत्र में टी.वी. सेवा इस समय उपलब्ध है तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित 5 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर/3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं के चालू हो जाने पर क्षेत्र-वार तथा जनसंख्या-वार दोनों ही तरह से शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ग) से (च) हालांकि पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता में डी.डी.-1 और डी.डी.-2 के लिए टी.वी स्टूडियों और शान्तिनिकेतन में एक अन्तरिम स्टूडियो सेटअप इस समय कार्य कर रहे हैं, तथापित, जलपाईगुड़ी में स्टूडियो केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्टाफ की मंजूरी दिए जाने पर इसे चालू कर दिया जाएगा। शान्तिनिकेतन में स्टूडियो (स्थायी सेटअप) भी इस समय कार्यान्वयनाधीन है। पुराने उपकरणों को बदलकर नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत करके संवर्धन/आधुनिकीकरण के द्वारा दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण करना एक सतत् कार्यकलाप है जिसे केन्द्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर किया जाना है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में वर्तमान में प्रचालन में टी.वी. ट्रांसमीटर परियोजनाओं का स्थान-वार ब्यौरा

उ.श.ट्रा.	आसनसोल
अ.श.ट्रा.	कलकत्ता
अ.श.ट्रा.	कलकत्ता (डी.डी.-2)
उ.श.ट्रा.	कलकत्ता (डी.डी.-3)
उ.श.ट्रा.	कुर्सियांग
उ.श.ट्रा.	मुर्सिदाबाद
अ.श.ट्रा.	अलीपुरद्वार
अ.श.ट्रा.	बालूरघाट
अ.श.ट्रा.	बर्दमान
अ.श.ट्रा.	बसंती
अ.श.ट्रा.	बिष्णपुर
अ.श.ट्रा.	कोंतेई
अ.श.ट्रा.	दार्जिलिंग
अ.श.ट्रा.	फरक्का
अ.श.ट्रा.	फारग्राम
अ.श.ट्रा.	कालिमपोंग
अ.श.ट्रा.	कल्ना
अ.श.ट्रा.	खड़गपुर
अ.श.ट्रा.	कृष्णनगर
अ.श.ट्रा.	मालदा

अ.श.ट्रा.	मदीनीपुर
अ.श.ट्रा.	पुरूलिया
अ.श.ट्रा.	राणाघाट
अ.श.ट्रा.	रायना
अ.श.ट्रा.	शान्तिनिकेतन
अ.श.ट्रा.	मुर्शिदाबाद (डी.डी.-2)
अ.श.ट्रा.	ईगरा
अ.अ.श.ट्रा.	झालदा

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन

3535. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन के अंतर्गत अनेक गाँवों को अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन गांवों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हाँ।

(ख) गांवों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1997-98 के दौरान इन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केबिल नेटवर्क विकसित किया जा रहा है।

विवरण

गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम
1	2
1.	खालीसानी
2.	संतोषपुर
3.	रघुदेवपुर
4.	घोषालचक
5.	बलरामपोटा
6.	जगदीशपुर
7.	कलिंगनगर
8.	महिसाले
9.	गग्गाछा
10.	गंगादासपुर
11.	महेंगपुर
12.	धामसा
13.	साहपुर
14.	सतधारिया
15.	बेलदुवई
16.	रानीहाटी
17.	पांचला
18.	रघुदेवबाटी
19.	चाक श्रीकृष्ण
20.	मोनाहरपुर
21.	नालपुर उत्तर
22.	गोराघाट
23.	संधीपुर
24.	महिसगोट
25.	हॉट गाछा
26.	कामरंगा
27.	आगरे
28.	सतधारा
29.	बसीपोरा
30.	नवापाड़ा
31.	बसई
32.	कोटरंग
33.	पंडित सतधारा
34.	सिमला
35.	दक्षिण राज्य धारपुर
36.	बांगीहाटी
37.	संखानगर
38.	दक्षिण हाजीपुर
39.	छाता खेजरिया
40.	बेरा खेजरिया

1	2
41.	अमोद घाटा
42.	गजाडंटा
43.	अलीखाजा
44.	बेनीपुर
45.	धितोरा
46.	गौरंगापुर
47.	विगराभोखीचखती
48.	डोसंगाबाद
49.	जानपा
50.	ताराविहारी
51.	बराकपुर नवपाड़ा
52.	दुलारा
53.	राजहट
54.	पंचरखी
55.	अमरपुर
56.	जगनाथबट्टी
57.	महेशपुर
58.	आमदाबाद
59.	रातुल
60.	कामदेबपुर
61.	डांगाधियां
62.	परियावंगा
63.	धरमपुर
64.	कुलीडाडा
65.	मानसपुर
66.	काजीवंगा
67.	नलवंगा
68.	रामचंद्रपुर
69.	जावेनपुर
70.	डोगालपुरिया
71.	रघुनाथपुर

1	2
72.	श्रीकृष्णपुर
73.	बामनागाची
74.	जयनगर
75.	मालिकपुर
76.	उत्तर कल्यानपुर
77.	खावर बाजार
78.	दक्षिण कल्यानपुर
79.	घोपागाची
80.	बरूईपुर
81.	सुबुद्धिपुर
82.	बेलियाघाट
83.	गपालनगर
84.	सोनाखाली
85.	संखारीपोटा
86.	सोनमुखी कृष्णानगर
87.	बागपोटा
88.	कालागधिया
89.	गन्यागंगाधरपुर
90.	आशुती
91.	खानबरिया
92.	रामेश्वरपुर
93.	तिभुगली
94.	सनपुकुरिया
95.	बलरामपुर
96.	चिंगरीपोटा
97.	अन्धारमनिक अलमाखाली
98.	रामकृष्ण चौक
99.	राजारामपुर
100.	उत्तर काजिरडाट
101.	दक्षिण काजिरडाट
102.	चामनी

1	2
103.	दक्षिण गौरीपुर
104.	गब्बारिया
105.	चाकदी
106.	गंगारामपुर
107.	भवानीपुर
108.	जय चंडीपुर
109.	चंदुआ
110.	गांवों के नाम
111.	बड़ाटोला
112.	सरिसा
113.	पुजाली
114.	कालीपुर
115.	उत्तर रामचन्द्रपुर
116.	मोखाली
117.	जगत बालवपुर
118.	राजारामपुर
119.	जमालपुर
120.	बेनजानहरिया
121.	पारवती
122.	बुजाली
123.	मायाबाटी
124.	चांदपुर
125.	चकबासबरिया
126.	छोटा गंगागोलिया
127.	पारवतीपुर
128.	खानबरिया
129.	बड़ा गंगौलिया
130.	सैपखाली
131.	उदयरामपुर
132.	इनायतनगर
133.	डंकियोरागंगा
134.	उत्तर गौरीपुर
135.	जडांझरा

यात्रियों की संख्या में वृद्धि

3536. **श्री तरित बरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है कि कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र में यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मौजूदा बुनियादी सुविधाओं जैसे विद्युत आपूर्ति, सिगनलिंग प्रणाली, टर्मिनल सुविधाओं को सुदृढ़ करने और उनका आधुनिकीकरण करने तथा 12 कोच वाले ईएमयू रेक्स चलाने के लिए प्लेटफार्मों की लम्बाई बढ़ाने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कलकत्ता के उपनगरीय यात्रियों की सुविधा के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वडरडाल, राइट्स द्वारा 1989 में यह पूर्वानुमान लगाते हुए कि कलकत्ता के उपनगरीय यात्रियों की संख्या 1994-95 तक बढ़कर 451.69 मिलियन हो जाएगी, कलकत्ता के उपनगरीय खंड में 12 सवारी डिब्बों वाली ई.एम.यू गाड़ियां चलाने के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया गया था जबकि क्षेत्र के उपनगरीय यातायात की वास्तविक मात्रा 1996-97 में केवल 414.322 मिलियन थी। मैट्रो और सुर्कलर रेलवे सहित उपनगरीय प्रणाली को यातायात की वृद्धि के अनुरूप सुदृढ़ बनाने और उसका अपग्रेड करने के लिए कार्य हाथ में लिए गए हैं।

गदग रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊँचा उठाना

3537. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गदग रेलवे स्टेशन में आमान परिवर्तन के बाद प्लेटफार्म को ऊँचा न उठाए जाने के कारण यात्रियों को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्लेटफार्म को ऊँचा उठाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्षा ऋतु के दौरान गदग-बेटगेरी के बीच रेल फाटक खोले जाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या गदग में रेलवे उपरि पुल पर जलभराव की समस्या है; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1997-98 के दौरान 14.75 लाख रुपए की लागत पर मौजूदा मुख्य प्लेटफार्म को ऊँचा करने का कार्य स्वीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) जी हाँ। नगर निगम के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निचले सड़क पुल के निर्माण के लिए पूर्व शर्त के रूप में निचले सड़क पुल को खोल दिए जाने के बाद समपार को बंद कर दिया गया है। संरक्षा के दृष्टिकोण से समपार नहीं खोला जा सकता है।

(ङ) और (च) जी हाँ। सड़क की सतह, नाली आदि की मरम्मत करना नगर परिषद् और सड़क प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।

केरल में राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस

3538. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
प्रो. पी.जे. कुरियन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल से आरंभ होकर अथवा यहीं तक पहुँचने वाली कोई राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपर्युक्त में से कोई रेलगाड़ी केरल में विशेषकर कण्णनोर से एर्णाकुलम तक चलाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हाँ।

(ख) 2431/2432 निजामुद्दीन-तिरूवनंतपुरम् राजधानी एक्सप्रेस (साप्ताहिक)।

(ग) और (घ) जब 2431/2432 राजधानी एक्सप्रेस को कोंकण रेलवे के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा तब ये कालीकट-एर्णाकुलम-तिरूवनंतपुरम खंड को भी सेवित करेंगी।

[हिन्दी]

जड़ी बूटियों की उपलब्धता

3539. **श्री अशोक प्रधान** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के वन और पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की उपलब्धता के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेन्ट्रल फार्मास्यूटिकल्स एंड एरोमेटिक इंस्टीट्यूट ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में जड़ी बूटियों की मांग को पूरा करने और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वानस्पतिक भारतीय सर्वेक्षण (बॉटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने उत्तर प्रदेश में औषधीय जड़ी बूटियों की उपलब्धता हेतु सर्वेक्षण किया है तथा स्टैट्स रिपोर्ट तैयार की हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला केन्द्रीय औषधीय और संगध पौधा संस्थान (सीमैप) ने विविध औषधीय तथा संगधीय पादपों की कृषि तथा प्रक्रमण प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिन्हें किसानों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रयासों से कुछ औषधीय तथा सगंधीय पादपों की खेती तथा प्रक्रमण में वृद्धि हुई है। इनसे आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, इनका निर्यात भी किया जाता है, उदाहरणार्थ : मेथॉल मिन्ट, जिसकी अब उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है जिससे लगभग 500 करोड़ रु. मूल्य के लगभग 9000 टन तेल का उत्पादन होता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी केन्द्र

3540. **श्री अनिल बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों के नाम क्या हैं, प्रत्येक केन्द्र की क्षमता कितनी है और इनका प्रसारण क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या राज्य में नए केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित नए रेडियो केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं :

1. आसनसोल : 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)
2. शान्तिनिकेतन : बहुदेशीय स्टूडियो सहित 3 कि.वा.एफ. एम. ट्रांसमीटर।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में इस समय कार्यरत आकाशवाणी केन्द्र

क्र.सं.		केन्द्र का नाम	ट्रांसमीटर की शक्ति	कवर किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्र (हजार वर्ग कि.मी. में)	कवर किए जाने वाली प्रत्याशित लगभग जनसंख्या (लाख में)
1.	(i)	कलकत्ता "क"	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांस.	124.1	789.3
	(ii)	कलकत्ता "ख"	100 कि.वा.मी.वे. ट्रांस.	80.0	595.6
	(iii)	कलकत्ता "ग"	20 कि.वा.वे.ट्रांस. (विविध भारती)	23.4	284.4
	(iv)	कलकत्ता "घ"	10 कि.वा.मी.वे.ट्रांस. (युववाणी)	17.9	270.8
	(v)	कलकत्ता	10 कि.वा.मी.वे.ट्रांस. (स्टीरियो चैनल)	1.8	110.3
	(vi)	कलकत्ता	50 कि.वा.शार्टवेव	लगभग 800 कि.मी. की परिधि में	
2.		कुर्सियांग	20 कि.वा. शार्टवेव	लगभग 400 कि.मी. की परिधि में	
3.		सिलीगुड़ी	200 कि.वा.मी.वे.	35.5	175.6
4.		मुर्शिदाबाद	6 कि.वा.एफ.एम.ट्रांस.	7.6	62.8

न्यू मैनागुरी-जोगीघोपा रेल लाइन

3541. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यू मैनागुरी से चंगराबंधा, मंथभंगा, न्यू कूच बिहार, तूफानगंज और गोलक गंज (धूबड़ी) होते हुए जोगीघोपा तक रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हाँ।

(ख) धुबरी के रास्ते न्यू मैनागुरी-मंथभंगा-न्यू कूच बिहार से जोगीघोपा तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

(ग) 31.12.97 तक।

भूमि का अधिग्रहण किया जाना

3542. **श्री डाराधन राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सर्किल में जिलेवार और स्थानवार डाकघर खोले जाने हेतु विभाग के पास कितनी भूमि है;

(ख) सरकार द्वारा वहां डाकघर भवनों का निर्माण किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्टर सिटी एक्सप्रेस

3543. **श्री ए.जी.एस. रामबाबू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बटूर और बंगलौर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस के स्थान पर इन्टर सिटी एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाए जाने की लम्बे समय से की जा रही मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हाँ।

(ख) 2677/2678 कोयम्बटूर-बेंगलूर इंटरसिटी एक्सप्रेस 1.8.97 से पहले ही चला दी गई है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

3544. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में दूर संचार विभाग की भूमि पर बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध निर्माण के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाए गये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी; और

(ग) भविष्य में ऐसे अवैध निर्माण रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार के ध्यान में लाए गए अवैध निर्माण और उन पर उत्तरी दूर संचार क्षेत्र (अनुरक्षण) नई दिल्ली और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली में दूर संचार विभाग की खाली पड़ी जमीन पर चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें कंटीले तारों से घेरा जा रहा है।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	नियंत्रक फील्ड यूनिट	प्रत्येक मामले में अवैध निर्माण हटाने हेतु की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
1.	मुखर्जी नगर	एनटीआर (अनुरक्षण) नई दिल्ली	एम सी डी के स्लम विंग और विभाग से, अवैध निर्माणों का सर्वेक्षण करने और उन्हें हटाने के लिए अनुरोध किया गया है।
2.	ईस्टर्न कोर्ट के पीछे	-वही-	अवैध निर्माण 24-4-97 को हटा दिया गया था।
3.	डी आई जेड क्षेत्र	-वही-	दूरसंचार विभाग द्वारा पुनः अवस्थिति प्रभारों के रूप में 4.30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि एम सी डी/डी डी ए की स्लम विंग से मांग प्राप्त होने पर एम सी डी की स्लम विंग में जमा की जानी है।
4.	केशव पुरम लॉरेंस रोड	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को बेदखल करने का मामला संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।
5.	जे.एल. मार्ग	-वही-	

[अनुवाद]

केरल में रेल फाटकों का निर्माण

3545. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यातायात के आवागमन को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कालीकट और कन्नूर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेलवे ऊपरि पुलों पर रेल फाटकों का निर्माण कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हाँ।

(ख) कालीकट और कण्णनोर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर 8 समपार हैं जिन पर लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए विचार किया जा रहा है। केरल राज्य सरकार से इन स्थानों पर ऊपरी/निचले सड़क पुल जो रेलवे निर्माण योजना में शामिल करने हेतु मानदंडों के अंतर्गत हैं, के निर्माण को प्रायोजित करने के लिए कहा गया था। राज्य सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, जब कभी राज्य सरकार से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होंगे, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू बाजार से ऋण

3546. **श्री राम नाईक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम घरेलू बाजार से 16 या 17 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण ले रहा है जो 12 से 15 प्रतिशत लाभांश की दर से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा उच्च ब्याज दर को किस स्रोत से भुगतान किया जाएगा; और

(ग) आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं। चूंकि भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बाजार ऋण के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अल्प भाग पर प्रतिवर्ष 16 एवं 16.5 प्रतिशत की ब्याज दर अंतर्निहित है। अतः किसी वित्त वर्ष के दौरान जुटाई गई धनराशि पर प्रतिफल की दर ऋण की निर्धारित औसत लागत से अधिक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

एम.ई.एम.यू. रेल सेवा का विस्तार

3547. **डॉ. सत्यनारायण जटिया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बड़ौदा और रतलाम के बीच चलने वाली एम.ई.एम.यू. रेल सेवा को उज्जैन तक बढ़ाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उज्जैन तक एमईएमयू सेवा को 26.7.97 से चला दिया गया है।

[अनुवाद]

मेट्रो सेवाओं की मांग

3548. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्दवान, बांकुरा, वीरभूम, पुरुलिया जिलों तक मेट्रो सेवाओं का विस्तार किए जाने हेतु इन क्षेत्रों की जनता की ओर से लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) हालांकि उपग्रह प्रवत्त मैट्रो चैनल (डी.डी.-2) सैटास्थलीय रूप से पश्चिम बंगाल के सभी जिलों सहित सारे देश में उपलब्ध है तथापि संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए प्रारंभिक रूप से देश के प्रमुख शहरों/कस्बों में इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, डी.डी.-2 सेवा को कलकत्ता स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और मुर्शिदाबाद स्थिति एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बर्द्धमान, वीरभूम, बांकुरा और पुरलिया जिलों में कहीं भी डी.डी.-2 ट्रासंमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

रेलगाड़ियों में सीट/बर्थ की संख्या में गिरावट

3549. **श्री विजय गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली से मुम्बई, बंगलौर, जम्मूतवी, कलकत्ता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी तक जाने वाली रेलगाड़ियों की बर्थ/सीटों की संख्या में कमी के बारे में कोई व्यवस्थित आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक दिल्ली/नई दिल्ली से उपरोक्त स्थानों तक जाने वाली रेलगाड़ियों की सीट/बर्थ की संख्या में कितनी कमी आई अर्थात् प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग अनुमानित सीटों की संख्या के साथ निपटायी नहीं गई प्रतीक्षा सूची कितनी हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) गाड़ियों में प्रतीक्षा सूची की स्थिति दिन प्रतिदिन के आधार पर मानीटर की जाती है। गर्मियों के महीनों में अर्थात् मई और जून में अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए रेलवे ने नियमित सेवाओं में बढ़ोत्तरी करने के अलावा रेलवे ने मुम्बई के लिए एक विशेष साप्ताहिक गाड़ी, कलकत्ता के लिए सप्ताह में तीन दिन तथा जम्मूतवी के लिए दैनिक गाड़ी चलाई हैं। इसके अलावा औचित्यपूर्ण तथा व्यवहार्य सीमा तक गुवाहटी, भुवनेश्वर तथा बैंगलूरू के लिए राजधानियों सहित नियमित सेवाओं में वृद्धि की गई है। अत्यधिक भीड़ के मामले में इस अवधि के दौरान इन स्थानों पर विशेष गाड़ियां भी चलाई गई थीं।

भारतीय मानक समय का दर्शाया जाना

3550. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एनपीएल से नई दिल्ली" द्वारा इनसेट उपग्रह के माध्यम से "भारतीय मानक समय" दर्शाने की शुरूआत किए जाने के बाद से रेलवे स्टेशनों पर इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियां अब पुरानी हो गई हैं; और

(ख) भारतीय रेल द्वारा रेलवे स्टेशनों पर समय दर्शाने के लिए इस प्रणाली को आरंभ न किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) स्टेशन में लगी घड़ियों का समय सेक्शन कंट्रोलर के कार्यालय में लगी घड़ियों के पूर्व-निर्धारित समय से प्रतिदिन नियमित रूप से मिलाया तथा ठीक किया जाता है। रेलवे स्टेशनों में लगी घड़ियों की एकुरेसी दिन प्रतिदिन के गाड़ी परिचालन के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझी जाती है। इनसेट उपग्रह जो 5 माइक्रो सेकेंड की एकुरेसी देता है, के माध्यम से भारतीय मानक समय को गाड़ी परिचालन के लिए लागू करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता है।

[हिन्दी]

यात्री रेलगाड़ी को ई.एम.यू. में परिवर्तित करना

3551. **श्री लिंगाराज बल्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी यात्री रेलगाड़ियों को ई.एम.यू में परिवर्तित किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ई.एम.यू गाड़ियों के लिए अपेक्षित अवसंरचना की अनुपलब्धता परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन

3552. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन" के तत्कालीन डिवीजनल प्रसीडेंट के द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्व रेलवे, कलकत्ता को अनियंत्रित भ्रष्टाचार तथा सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कोई शिकायत की गई थी;

(ख) क्या उक्त शिकायत के तथ्यों के संबंध में सतर्कता अनुभाग द्वारा प्राप्त कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा रिफाइनरी क्षमता का विस्तार

3553. **श्री रनजीव बिसवाल**
डॉ. कृपासिन्धु भोई :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की ऋण संबंधी स्थिति क्या थी;

(ग) सरकारी क्षेत्र की उक्त कंपनी कब तक ऋण भार से पूर्णरूप से मुक्त हो जाएगी;

(घ) क्या इस कंपनी ने अपने विस्तार कार्यक्रम का पहला चरण पूर्ण कर लिय है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसके विस्तार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरूआत की प्रत्याशित तारीख क्या है;

(छ) क्या इसका विचार बाक्साइट खनन संबंधी कार्य को भी बढ़ाने का है; और

(ज) यदि हाँ, तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नाल्को का कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट रहा है।

(ख) और (ग) दिनांक 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण की राशि 20 बिलियन जापानी येन थी। इस ऋण की संपूर्ण राशि का भुगतान नाल्को द्वारा 30 सितम्बर, 1988 को किया जाना है।

(घ) से (ज) विस्तार का प्रथम चरण, जिसमें 1664.60 करोड़ रुपये के निवेश पर, बाक्साइट खानों की क्षमता को 2.4 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4.8 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तथा एल्यूमिनियम शोधनशाला की क्षमता को 0.8 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.575 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करना शामिल है, कंपनी के कार्यन्वयनाधीन है। इसे पूरा करने की अवधि सरकार के अनुमोदन की तारीख अर्थात 18 दिसम्बर, 1996 से 51 महीने है। एल्यूमिनियम प्रगालक और गृहीत पावर प्लांट की क्षमता के विस्तार से संबंधित विस्तार के द्वितीय चरण के प्रस्ताव को पी.आई.बी. की पूर्व मंजूरी प्राप्त हो गई है।

बकाया धनराशि

3554. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार एस.टी.डी./आई.एस.डी., पी.सी.ओ. केन्द्रों द्वारा सरकार को कितनी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ख) आंध्र प्रदेश के समूचे हैदराबाद और रंगा रेड्डी जिले के समूचे एस.टी.डी./आई.एस.डी., पी.सी.ओ. केन्द्रों द्वारा इस समय सरकार को कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए क्या उपाए किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना मंगवाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेंशन की पुनः बहाली

3555. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या संचार मंत्री 15 मई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6300 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व दिल्ली टेलीफोन (वर्तमान में एम.टी.एन.एल.) के अधिकारी को पेंशन की पुनः बहाली हेतु आवेदनों की जांच प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक मामले में मंजूर की गयी पेंशन संबंधी सुविधा तथा मंहगाई भत्ता कितना है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान में मामला किस चरण में है तथा मुख्य महाप्रबंधक (एम.टी.एन.एल), दिल्ली टेलिफोन, नई दिल्ली के कार्यालय में इस प्रकार के कितने आवेदन अभी भी लम्बि पड़े हैं; और

(घ) कब तक उनका निपटान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जहां तक संगत नियमों/आदेशों का संबंध है, पेंशन की पुनः बहाली 15 वर्ष बाद की जानी होती है। इस अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी जिस दिन उन्हें संराशीकरण मूल्य का भुगतान किया गया। चूंकि इन दोनों आवेदकों ने संराशीकरण मूल्य की पुनः बहाली की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की हैं, अतः तदनुसार उन्हें सूचित कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्री एम.सी. वासुदेव तथा श्री एन.के. अग्रवाल की पेंशन की पुनः बहाली क्रमशः 26.12.1997 तथा 22.12.1998 से की जाएगी। अधिकारियों की इस श्रेणी में, श्री डी.बी.वाडी का ही आवेदन, नौडल मंत्रालय से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लम्बित है।

(घ) नियमों के अनुसार जैसे ही ये मामले स्वीकृत किए जा सकेंगे।

सेल द्वारा किया गया दान

3556. **श्री आई.डी. स्वामी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च 1997 के "द पायनियर" में सेल द्वारा किये गये दान के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दान प्रचार अथवा सामाजिक परियोजनाओं के लिये सेल के बजट के भाग के रूप में थे; और

(घ) यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से इस प्रकार दान दिये जाने के परिणामस्वरूप "सेल" को वित्तीय नुकसान होने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम होने के कारण सेल से प्रायः दान देने का अनुरोध प्राप्त होता रहता है। तदनुसार सेल का निदेशक मंडल चिकित्सा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल कूद को बढ़ावा देने के कार्यकलापों आदि के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दान हेतु कुछ राशि सेल के बजट में उपलब्ध कराता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान कुल 567.35 लाख रुपये का दान दिया गया था। उपरोक्त अवधि में सेल बोर्ड द्वारा बजट से 57 संगठनों को दान दिया गया था।

[हिन्दी]

गुजरात में पावर स्टेशन

3557. **श्री जय सिंह चौहान** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में कुल कितने पावर स्टेशन हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान पावर स्टेशन-वार कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर विचार किया है अथवा विचार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. त्रिवेदी) : (क) और (ख) गुजरात में केन्द्रीय क्षेत्र में 3 विद्युत केन्द्रों समेत कुल विद्युत केन्द्रों की संख्या 19 है। 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान गुजरात में केन्द्र-वार ऊर्जा उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) गुजरात में निष्पादनाधीन परियोजनाएं जो प्रचालन के पश्चात् इस राज्य में विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी करेंगी, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	परियोजना	क्षमता (मे.वा.)	प्रचालन अनुसूची मूल/संशोधित
निर्माणाधीन परियोजनाएं			
1.	कवाना पीएसएस	68	1985-86/1997-98
2.	सरदार सरोवर (बहुराज्यीय) एचईपी	1450	1994-96/1998-02
3.	गांधी नगर टीपीएस यूनिट-5	210	1997-98/....
4.	हजीरा सीसीजीटी	516	1997-98/....
5.	पगुथन सीसीजीटी	655	9वीं योजना/....

विवरण

गुजरात में मिलियन यूनिट में केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन

केन्द्र का नाम	1995-96	1996-97
ताप विद्युत		
धुवरण	2927	2997
उकई	4390	4348
गांधी नगर	4942	4200
वनाकबोरी	6943	7222
सिक्का	1312	1542
कच्छ लिग्नाइट	595	615
उतरान	103	93
उतरान जीटी	962	880
धुवरण जीटी	141	137
जल विद्युत		
उकई	477	520
कवाना	261	313
ए.ई.कं.		
ए.ई.कं	200	121
साबरमती	2194	2328
वतवा जीटी	555	690
हजीरा	-	824
जीआईपीसीएल	1116	1068
के.ए.पी.एस.(न्यूक्लीय)	2251	3136
एनटीपीसी		
कवास जीटी	1962	1746
गांधार जीटी	2375	2863

[अनुवाद]

टेलीफोन प्रदान करने का अनुपात

3558. **श्री आर० देवदास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शन देते समय ओ.वाई.टी.-नॉन ओ. वाई.टी. (विशेष) और नॉन-ओ. वाई.टी. (सामान्य) टेलीफोन कनेक्शनों में विशेष अनुपात बनाए रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का अनुपात क्या है;

(ग) क्या गुड़गांव में टेलीफोन कनेक्शन देते समय उपरोक्त अनुपात का अनुपालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो गुड़गांव में प्रत्येक श्रेणी में विशेषकर 1.1.96 के पश्चात् सूची में शामिल व्यक्तियों को, दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या जून 1996 के पश्चात् सूची में शामिल किए गए नॉन-ओ.वाई.टी. (सामान्य) श्रेणी के व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गुड़गांव में 31.1.96 तक सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) पंजीकरण की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का मौजूदा अनुपात इस प्रकार है :

ओ.वाई.टी.	40%
गैर ओवाईटी (विशेष)	20%
गैर ओवाईटी (सामान्य)	40%

(ग) जी हां।

(घ) 1.1.96 के बाद गुड़गांव में, प्रत्येक श्रेणी में प्रदान किए गए पंजीकृत टेलीफोन कनेक्शनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

ओ वाई टी	2917
गैर ओ वाई टी (विशेष)	726
गैर-ओ वाई टी (सामान्य)	शून्य

(ङ) जी नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) 1.1.96 तक गैर-ओवाईटी सामान्य श्रेणी में सूचीबद्ध टेलीफोन कनेक्शन पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर प्रस्तावित विस्तार करने के बाद 31.1.96 तक सूचीबद्ध कनेक्शन दो माह के भीतर प्रदान किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु हरियाणा सरकार द्वारा विश्व बैंक के साथ समझौता

3559. **डॉ. अरविन्द शर्मा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समझौता राज्य के हित में है; और

(घ) यदि हां, तो यह कैसे और इसको लागू करने के बाद यह किस प्रकार राज्य के हित में होगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य-मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों को सुधारना

3560. **श्री धर्मलिंगम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान अब तक नलगोंडा जिले के बीबीनगर, नलगोंडा, चित्याल, भिरयाले गुड़ा के रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों को सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : रेलवे स्टेशनों पर सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात में वृद्धि की दृष्टि से अपेक्षित होने पर इसे किया जाता है। सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुरूप बीबीनगर, नलगोंडा, चितयाल, भिरयाल, गुड़ा रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। आगे सुधार के उपाय के रूप में बीबीनगर में प्लेटफार्म पर सायबान की व्यवस्था करने तथा नलगोंडा में प्लेटफार्म को बढ़ाने तथा ऊँचा करने का कार्य शुरू किया गया है।

नौपाडा-गुनुपुर तक आमान परिवर्तन

3561. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नौपाडा-गुनुपुर तक छोटी रेल लाइन से बड़ी रेल लाइन (व.पु.रेल) के आमान परिवर्तन के कार्य के लिए इसके अनुमोदन के समय से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) "मिसिंग लिंक' को जोड़ने के लिए गुनुपुर से रायगढ़ तक बड़ी लाइन के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के लिए अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है और तत्संबंधी कार्य की प्रगति क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) इस कार्य को 1997-98 में 1 लाख रुपए के सांकेतिक परिव्यय से 47 करोड़ रुपए की लागत पर बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाना है।

(ख) चूंकि सर्वेक्षण पूरा हो गया है इसलिए चालू वर्ष में कोई परिव्यय अपेक्षित नहीं है।

बोंगई गांव ताप विद्युत केन्द्र का निजीकरण

3562. **श्री उदय वर्मन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोंगई गांव ताप विद्युत केन्द्र के तीन भागों उत्पादन, पारेषण और वितरण को निजी व्यक्तियों को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते से उपभोक्ता पर संभावित प्रभावों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डीजल लोको व्हील्स

3563. **श्री सुनील खान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने डीजल लोको व्हील हैं और इनकी लागत कितनी है;

(ख) क्या दुर्गापुर और येलहंका "व्हील संयंत्र" डीजल लोको व्हील्स तैयार करते हैं; और

(ग) भारत में डीजल लोको व्हील तैयार करने के लिए भारतीय व्हील संयंत्रों के संबंध में कितना निवेश किए जाने की आवश्यकता है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) (i) बड़ी लाइन रेल इंजन पहियों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 22000 अवव है तथा कुल मूल्य 58 करोड़ रुपए (लगभग) है।

(ii) मीटर लाइन रेल इंजन पहियों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1700 अवव है तथा कुल मूल्य 4 करोड़ रुपए लगभग है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा रेल इंजन के पहिए का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 1996-97 में उन्होंने 597 पहियों की सप्लाई की विशिष्टि के अनुसार, ये पहिए फोजिंग और रोलिंग प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित किए जाने अपेक्षित हैं। येलडंका पहिया संयंत्र में यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है।

(ग) एक वैकल्पिक स्रोत का विकास विचाराधीन है।

दूरदर्शन द्वारा वसूल किया जाने वाला गैर-वापसी प्रभार

3564. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चैनल में प्रसारण हेतु विचारार्थ राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फीचर फिल्मों के निर्माताओं/कॉपीराइट धारकों से दूरदर्शन 5000 रुपये का गैर-वापसी प्रभार वसूल कर रहा है;

(ख) क्या दूरदर्शन विशेषकर अस्वीकार किए जाने के मामले में आवेदन पत्रों के परिणाम के विषय में संबद्ध निर्माताओं, कापीराइट धारकों को सूचित नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दूरदर्शन ने अप्रैल, 1997 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर फीचर फिल्मों के प्रसारण के बारे में विचार करने के लिए फीचर फिल्मों के नए आवेदनों के साथ प्रक्रिया शुल्क के रूप में 5000/- रुपए का प्रभार लेना शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग) नीतिगत मामले के रूप में निर्माताओं/कापीराइट धारकों को विचार स्तर पर प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारण नहीं बताए जाते।

डंगोरी तक रेल लाइन का विस्तार

3565. **डॉ. अरुण कुमार शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तिनसुकिया जिले में माकुम में डंगोरी तक रेलवे लाइन का विस्तार करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और मंत्रालय द्वारा इसकी मई, 1997 के अंतिम सप्ताह के दौरान घोषणा की गई;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की स्थिति क्या है और इसे कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस 30 किलोमीटर लंबाई का सर्वेक्षण कार्य आठवीं योजना के दौरान पूरा कर लिया गया था;

(घ) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे रंगिया-मुर्कोंग-सेलेक हिस्से के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त हिस्से के सर्वेक्षण में विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) तिनसुकिया जिले में माकुम से डंगोरी तक एक मीटर लाइन पहले ही मौजूद है। यह समझा जाता है कि प्रश्न इस खंड को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित है। आमान परिवर्तन कार्य स्वीकृत हो गया है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मरियानी-फरकटिंग और सिमलगुडी-मोरनहाट शाखा लाइन खंडों का कार्य पूरा हो जाने के बाद इस वर्ष के अंत में शुरू किया जाएगा। कार्य वित्त वर्ष 1998-99 में पूरा हो जाएगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) रंगिया-मुरकोंग सेलक के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।

(ङ) कोई विलम्ब नहीं हुआ है। खंड काफी लम्बा (523 कि. मी) है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विकास की नीति के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के पास सर्वेक्षण का कार्यभार काफी अधिक है। कैलेण्डर वर्ष 1998 के दौरान सर्वेक्षण पूरा हो जाने की संभावना है।

पेन्टोग्राफ का मूल्य

3566. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी पेन्टाग्राफ के साथ-साथ आयातित पेन्टोग्राफ का मूल्य क्या है;

(ख) क्या सभी ए.बी.बी. इंजन पेन्टोग्राफ का स्थान स्वदेशी पेन्टोग्राफ ने ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आयातित पेन्टोग्राफों का क्या भविष्य है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) ए.बी.बी. रेल इंजनों में लगे आयातित पेन्टोग्राफ की लागत 40,000 स्विस फ्रेंक है जिसमें आयात शुल्क नहीं है और चि.रे.का. निर्मित रेल इंजन में लगे स्वदेशी पेन्टोग्राफ की लागत शुल्क/करों को छोड़कर 65,000/- रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रारंभ में 10 यात्री और 16 माल गाड़ी के ए.बी.बी. रेल इंजनों में 52 सेचरान मेक वाले आयातित पेन्टोग्राफ लगाए गए थे। आयातित पेन्टोग्राफ में कुछ परेशानी के कारण 15 आयातित पेन्टोग्राफों को स्वदेशी पेन्टोग्राफों से बदल दिया गया था। शेष 37 आयातित पेन्टोग्राफ सेवा में हैं। ए.बी.बी. ने अब 9 आयातित पेन्टोग्राफों में आशोधन किए हैं जिनका सेवा परीक्षण चल रहा है और निष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है।

खराब टेलीफोनों के लिए सरकार के निर्देश

3567. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कोई ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं कि टेलीफोन में खराबी के बारे में शिकायत प्राप्त होने के दो दिन के भीतर ही खराब टेलीफोन ठीक कर दिए जाएंगे और यदि यह खराबी एक सप्ताह के भीतर दूर नहीं की गई तो टेलीफोन उपभोक्ताओं से उक्त अवधि के लिए किराये की वसूली नहीं की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1997 से जून, 97 तक की अवधि के दौरान जम्मू में ऐसे टेलीफोनों का ब्यौरा क्या है जिनकी खराबी एक सप्ताह से भी अधिक अवधि तक दूर नहीं की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार खराब पड़े टेलीफोनों को, शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर ठीक कर दिया जाना होता है।

विभागीय कारणवश लगातार सात अथवा इससे अधिक दिनों तक स्थानीय टेलीफोन सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने/उसके बंद रहने पर किराए में छूट दी जाती है।

(ख) जम्मू में, जनवरी, 97 से जून, 97 के दौरान 7 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए खराब टेलीफोनों का मासिक ब्यौरा नीचे दिया गया है :

माह	7 दिनों से ज्यादा अवधि के लिए खराब पड़े टेलीफोनों की संख्या
जनवरी, 97	201
फरवरी, 97	153
मार्च, 97	492
अप्रैल, 97	369
मई, 97	171
जून, 97	147
कुल	1533

अनधिकृत स्टालों का निर्माण

3568. **डॉ. असीम बाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी रेलवे के हवड़ा और सियालदह डिवीजनों में स्थायी रेलवे स्टेशनों जो किसी भी तरह का निर्माण करने के लिए प्रतिबंधित जोन हैं के लेवल क्रासिंग पर अनधिकृत स्टालों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संरचनाओं से आसपास के क्षेत्र अवरुद्ध हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्यतः पूर्व रेल के सियालदह तथा हवड़ा मंडलों में ऐसे उपनगरीय स्टेशनों के लिए कुछ समपारों पर निर्माण है।

(ग) समपारों पर अनधिकृत निर्माण के अवरोधन के कारण पूर्व रेल के सियालदह तथा हवड़ा मंडलों में कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(घ) अनधिकृत संरचना को हटाने की कार्रवाई सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की जाती है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

नीलाम्बर शोरनूर पुश-पुल ट्रेन को और आगे तक ले जाना

3569. **श्री एन.एम. कृष्णावास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नीलाम्बर-शोरनूर-पुश-पुल ट्रेन को शोरनूर से पालघाट तक बढ़ा देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बढ़रहाल, कतिपय परिचालनिक कठिनाइयों के कारण निलांबूर-शोरनूर डी एम यू गाड़ी को पालघाट तक बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वर्ण जयंती रथयात्रा का कवरेज

3570. **श्री रामचन्द्र चौधरी बैंदा :**
श्री आर.एल.पी. वर्मा

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्री लालकृष्ण आडवाणी की स्वर्ण जयंती रथयात्रा को दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों के संबंध में ऐसी ही नीति अपनाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों ने अपने-अपने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय बुलेटिनों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा को पर्याप्त रूप से कवर किया था।

(ख) ऐसी सूचना संकलित रूप में केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा इनके समाचार बुलेटिनों में विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्य कलापों को समाचारिक महत्व के आधार पर कवर किया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

3571. **श्री वी.वी. राघवन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन परियोजना के सिंगराली क्षेत्र में ग्रामवासियों की पुनर्वास संबंधी प्रक्रिया को शुरू हुए एक दशक के बाद अधूरा पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) केवल राख कुण्ड क्षेत्र, जिनका सोपान रूप वृहद् रूप से परियोजना की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, विकास किया जा रहा है को छोड़कर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की सिंगरौली क्षेत्र अर्थात् सिंगरौली विंध्याचल और रिहन्द सुपर ताप परियोजना, इन ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों के पुर्नवास एवं पुनः स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। ब्यौरा निम्नवत है।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना

प्रभावित लोगों के लिए पुर्नवास एवं पुनः स्थापना का कार्य पूरा कर दिया गया है। विद्यमान राख कुण्ड के भर जाने पर, राख के निपटान के लिए नए स्थल की आवश्यकता होगी इसके लिए भूमि अभिज्ञात कर ली गई है और ग्रामीणों को मुआवजा भी दिया गया है।

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-I

राख कुण्ड क्षेत्र जहां पर 91 लोगों ने भूमि पर अभी भी कब्जा किया हुआ है इनसे अन्य स्थान पर शिफ्ट किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है को छोड़कर प्रभावित ग्रामीणों के पुनःवास स्थापना का कार्य पूरा कर दिया गया है।

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-II

1985-88 में भूमि अधिग्रहण की गई थी और 1985-88 में ही ग्रामीणों को मुआवजा का भुगतान भी कर दिया गया था। राख कुण्ड के स्थल को खाली नहीं कराया गया था, क्योंकि इस स्थल की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय निर्माण कार्य प्रगति पर है और राख कुण्ड के लिए स्थल अपेक्षित है अधिकांश ग्रामीणों को अब शिफ्ट कर दिया गया है। शेष ग्रामीणों से क्षेत्र को खाली करने का अनुरोध किया गया है और कम्पनी की नीति के अनुसार इनका पुर्नवास और पुनःस्थापना कर दी जायेगी।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1

1982-89 में भूमि अधिग्रहण की गई थी और इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक हिस्सा मुख्य संयंत्र और टाऊनशिप के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा राख कुण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया था। मुख्य संयंत्र की स्थापना और टाऊनशिप से प्रभावित ग्रामीणों को पुनःस्थापना और पुनर्वास कर दिया गया था।

राख कुण्ड वाले क्षेत्र में अधिकांश वन भूमि थी, और वन को साफ करने में विलम्ब हुआ, इसलिए एन.टी.पी.सी. द्वारा वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में भिथिवी गांव में भूमि अधिग्रहण कर दी गई थी। प्रायः सभी ग्रामीणों का पुनर्वास कर दिया गया है। राख कुण्ड क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

अन्पारा बिजली घर की सुपुर्दगी

3572. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अन्पारा बिजलीघर की हुंडाई हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सुपुर्द करने के बारे में कोई करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) जी, नहीं। अन्पारा स्थित मुख्य विद्युत उत्पादक यूनिट को, जिसमें 3X210 मे.वा. क्षमता की अन्पारा "ए" तथा 2X500 मे. वा. की अनपारा "बी" शामिल है। उ.प्र.रा.वि. परिषद् द्वारा प्रचालित किया जा रहा है। तथापि 2X500 मे.वा. की अनपारा "सी" ताप विद्युत परियोजना जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले में अनपारा "ए" और "बी" का विस्तार है, को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित मैसर्स हुण्डाई हैवी इंडस्ट्रिज लिमिटेड, दक्षिण कोरिया द्वारा अब इसका निर्माण और प्रचालन किया जाना है तथा स्वामित्व हासिल किया जाना है। दिनांक 10.7.96 को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार तथा मैसर्स हुण्डाई हैवी इंडस्ट्रिज के बीच दिनांक 14.8.86 को समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए गए थे। मैसर्स हुण्डाई हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा

अनपारा "सी" ताप विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कराए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई भारत सरकार की निजी विद्युत नीति के अनुरूप है।

सिंचाई संबंधी व्यय का अध्ययन

3573. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा डीजल तथा विद्युत से चलने वाले पम्पसेटों का इस्तेमाल करके सिंचाई पर होने वाले खर्च का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बिहार में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार की पानी खींचने की दशाओं के संबंध में विभिन्न पम्पिंग प्रणाली का प्रयोग करके किए गए अध्ययन कार्य से पता चला है कि डीजल पम्प के जरिये प्रति 100 घन मीटर पानी खींचने की लागत बिजली के पम्प से पानी खींचने की लागत से अपेक्षाकृत अधिक थी।

(ग) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में विद्युत उत्पादन क्षमता को तेजी से चालू करना, विद्यमान क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन और ऊर्जा संवर्धन उपाय करना, पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत की व्यवस्था करना और विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागेदारी को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना

3574. **श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1997 के "द स्टेट्समैन" में "पासवान्स डेट क्लेन्ड फार डिरेलिंग प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) विश्व बैंक प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर पुनः विचार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) मुम्बई के दैनिक यात्रियों को राहत प्रदान करने हेतु चरण-II परियोजना आरम्भ कर रेलवे द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रेल मंत्रालय परियोजना में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक शहर परिवहन परियोजना के लिए जो विश्व बैंक सहायता से शुरू की जा सकती हो, रेल संवर्धन योजना पर विचार करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ संपर्क किया था। इस संबंध में विश्व बैंक ने उक्त परियोजना के सड़क और रेल घटकों के लिए कतिपय परियोजना प्रारंभिक अध्ययन हेतु परियोजना प्रारंभिक निधि में से अग्रिम दिया है। सड़क घटक अध्ययन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा और रेल घटक अध्ययन पर रेल मंत्रालय द्वारा कार्य किया जा रहा है। रेल घटक अध्ययनों में से दो अध्ययन पूरे हो गए हैं और तीसरे अध्ययन के 30 सितंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विश्व बैंक ऋण लेने का निर्णय केवल परियोजना प्रारंभिक अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा। रेलों ने यह भी विनिश्चय किया है कि विश्व बैंक सहायता से संबद्ध शर्तों को ध्यान में रखते हुए रेल घटक को बिना विश्व बैंक सहायता के भी निष्पादित किया जा सकता है। महानगर शहरी परिवहन परियोजना-II में निधियों की आवश्यकता के आधार पर और ऐसे कार्यों के निष्पादन में वास्तविक सीमितताओं तथा विशेषकर मुम्बई क्षेत्र में व्यय वहन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया जाता है कि नियमित आधार पर 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धन उपलब्धता आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगी।

ऐसी राशि महानगर परिवहन परियोजना योजना-शीर्ष के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की अतिरिक्त बजटीय सहायता और उपनगरीय सेवाओं पर अधिभार लगाकर तथा भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के माध्यम से जुटाई जाएगी। मुम्बई क्षेत्र में इस परियोजना का सफल और समय पर कार्यान्वयन पुनर्वास पहलू के समय रहते निपटाए जाने पर अत्यधिक रूप से निर्भर करता है जिसके लिए राज्य सरकार को कार्यान्वयन योजना सहित आवश्यक कार्रवाई करनी है।

विश्व बैंक परियोजना के वित्त-पोषण से अंतिम रूप से हाथ नहीं खींचा है। विश्व बैंक ने अपने दिनांक 20.3.97 के संदेश में सूचित किया था कि वे अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने और बैंक की सहायता पर विचार करने के इच्छुक हैं बशर्ते कि परियोजनाओं का इस प्रकार से विकास किया जाता है जहां संबंधित पार्टियों द्वारा आगे आकर एक स्पष्ट वचनबद्धता दी जाए और एक स्पष्ट संस्थानगत कार्योन्वयन क्षमता हो। तत्पश्चात् परियोजना प्रारंभिक अध्ययनों द्वारा की गई अच्छी प्रगति को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक ने परियोजना प्रारंभिक निधि अग्रिम की वैधता 30 जून से आगे न बढ़ाने के अपने पूर्ववर्ती निर्णय की समीक्षा की और इसे 30 सितम्बर, 1997 तक बढ़ा दिया है।

(ङ) रेल मंत्रालय के अधीन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच बराबर-बराबर की भागीदारी के आधार पर पूर्णतया सरकार के स्वामित्व वाले मुम्बई रेल विकास निगम की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ मुम्बई रेल विकास निगम के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(1) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II में शामिल किए जाने वाले रेल घटकों के लिए समन्वित योजनाएं और मुम्बई उपनगरीय रेल सेवाओं में किए जाने वाले अन्य योजनाबद्ध निवेशों का विकास करना और परिणामी अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित करना।

(2) रेल क्षमता योजनाओं तथा प्रस्तावित निवेशों सहित मुम्बई महानगर क्षेत्र के लिए शहरी विकास योजनाओं को एकीकृत करना।

(3) रेलपथ से जलनिकासी हेतु समन्वय करना और इसमें सुधार सुनिश्चित करना तथा रेलपथ और स्टेशन के पहुँच मार्गों से अतिक्रमणों और अनधिकृत प्रवेश करने वालों को हटाना।

(4) रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं निष्पादित करना और मुम्बई क्षेत्र, महाराष्ट्र और देश के अन्यत्र स्थानों में रेल परियोजनाओं के लिए शुद्ध आय को क्रमशः 1:1:1 के अनुपात में बांटना। ऐसा क्रमशः रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के जैसा भी मामला हो, परामर्श से किया जाएगा।

युवाओं को प्रेरित करने संबंधी कार्यक्रम

3575. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रादेशिक सेना की छवि सुधारने हेतु दिल्ली दूरदर्शन द्वारा कदम भी उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन ने विंग कमांडर ए.एस. चेची द्वारा निर्मित 13 कड़ियों का आदर्श नामक धारावाहिक आरम्भ किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दूरदर्शन ने इस बारे में निम्नलिखित कार्यक्रमों को भी प्रसारित किया है:

कार्यक्रम	प्रसारण की तारीख
प्रादेशिक सेना पर संदेश	9.10.94
प्रादेशिक सेना के प्रमुख द्वारा संदेश	8.10.95
टेरिटोरियल आर्मी	9.10.96
रक्षा सेवाओं पर विशेष कार्यक्रम (देश की सेवा में सिविल रक्षा और होम गार्डस्)	21.6.97

[हिन्दी]

आरक्षण प्रणाली में सुधार

3576. **कुमारी उमा भारती :**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री येल्लैया नन्दी :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल आरक्षण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार तथा ग्रीष्मकाल में होने वाली भीड़-भाड़ के संबंध में अन्य व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं तथा वर्तमान प्रणाली में कि हद तक संशोधन किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या यह पाया गया है कि रेलवे द्वारा एक महीने के अंतराल पर भी रेल टिकटें जारी नहीं की जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रेलों पर आरक्षण प्रणाली के कार्यकलापों और ग्रीष्मकालीन भीड़भाड़ से संबंधित अन्य व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों और विचारार्थ विषय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। रेलवे बोर्ड द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सदस्य

(I) अपर सदस्य (सी एंड आई एस), रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष।
(II) कार्यपालक निदेशक, यात्री सुविधाएँ, रेलवे बोर्ड।
(III) कार्यपालक निदेशक, सतर्कता (या.), रेलवे बोर्ड।
(IV) मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (सा.), उत्तर रेलवे।
(V) मुख्य सतर्कता अधिकारी (या.), उत्तर रेलवे।
(VI) कार्यपालक निदेशक (कोचिंग), रेलवे बोर्ड।

विचारार्थ विषय

(I) शायिकाएँ हथियाने के संबंध में अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई सुझाने के लिए मई और जून (10 तारीख तक) 1997 के दौरान यात्राओं के लिए दिल्ली क्षेत्र में गाड़ियों के लिए किए गए आरक्षणों का सरसरी तौर पर अध्ययन।

(II) दिल्ली क्षेत्र में अनधिकृत यात्रा एजेंटों तथा दलालों की गतिविधियों की जांच करने के लिए व्यवस्था की समीक्षा करना और दलालों के विरुद्ध अधिक प्रभावी ढंग से अभियान चलाने की आवश्यकता के लिए उपाय सुझाना।

(III) दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न आरक्षण कार्यालयों में मुहैया कराई गई यात्री सुविधाओं की जांच करना और टिकट खरीदने की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए सुझाव देना।

(IV) इस बात की जांच करना कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अधिक मांग को पूरा करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाने और अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने की मौजूदा व्यवस्था क्या संतोषजनक है और सुधारों, यदि कोई हो, के लिए सुझाव देना।

(V) भीड़-भाड़ की अवधि के दौरान, यात्रियों को पेश आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए किए जा सकने वाले अन्य उपायों यथा आरक्षण अवधि के कार्य के घंटों, कतार प्रबंधन आदि की जांच करना।

[अनुवाद]

सिनेमा का सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय में अन्तरण

3577. **श्री के.एच. मुनियप्पा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि विश्व के अधिकांश भागों में सिनेमा संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है;

(ख) क्या कुछ लोकप्रिय फिल्म निर्माताओं ने मांग की है कि सिनेमा को संस्कृति मंत्रालय में अंतरित किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) हालांकि इस संबंध में स्थिति प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न है तथापि, सिनेमा विषय को संस्कृति विभाग को अंतरित करने के बारे में इस मंत्रालय को प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायुसेना को एयर लिफ्ट प्रभार के रूप में अदायगी

3578. **श्री मोहन रावले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को "एयर लिफ्ट" प्रभार के रूप में भारतीय वायु सेना को बकाया धनराशि का भुगतान करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देय राशि का भुगतान न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय (वायु सेना मुख्यालय) ने इस मंत्रालय से संबंधित हवाई आवागमन प्रभार का 10,55,22,373 रुपए की राशि का दावा प्रस्तुत किया है। इसमें से 10,53,97,052 रुपए की राशि दूरदर्शन से संबंधित है। 1,19,344 रुपए की राशि फिल्म प्रभाग तथा 227 रुपये की राशि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय से संबंधित है। 5750 रुपए की राशि के भेजे गए तथाकथित बिल प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) दूरदर्शन द्वारा रक्षा मंत्रालय से इस मामले पर पुनः विचार करने एवं रियायती दरों पर हवाई आवागमन प्रभार वसूल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है चूंकि तैयार किए गए बिल की राशि बहुत ज्यादा प्रतीत हुई थी। फिल्म प्रभाग एवं विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में दावों पर विवाद था क्योंकि जिन व्यक्तियों ने यात्रा की थी उनको ना तो फिल्म प्रभाग द्वारा और ना ही विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा स्पष्टतया नियुक्त किया गया था। तदनुसार मामले को वायु सेना मुख्यालय के साथ उठाया गया है।

(घ) इस मामले के आपस में तय होते ही भुगतान कर दिया जाएगा।

लोगों में पौष्टिकता का स्तर

3579. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लोगों के पौष्टिकता स्तर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है;

(ख) क्या जनजातीय, ग्रामीण और शहरी गंदी बस्तियों में इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे किसी भी कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप

से लोगों के पोषाहार स्तर में सुधार लाना नहीं है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषाहार निगरानी ब्यूरो द्वारा देश के 10 राज्यों में कराए गए नवीनतम आवृत्ति सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि ग्रामीण बच्चों के पोषाहार स्तर में काफी सुधार हुआ है।

शंकर गुरुस्वामी समिति

3580. **श्री नारायण आठवले** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत परीक्षण विषय पर गठित शंकर गुरुस्वामी समिति के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इसकी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा श्री टी. शंकर गुरुस्वामी की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1997 में प्रस्तुत कर दी है। बिजली कानून (संशोधन) विधेयक को संसद की स्वीकृति मिल जाने के बाद ही विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। यह विधेयक अभी ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विचाराधीन है।

इस्पात उद्योग में मुख्य प्रौद्योगिकी समस्या

3581. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग द्वारा सामना की जा रही प्रमुख प्रौद्योगिकीय समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का अनुसंधान और विकास परियोजनाएं ठेका आधार पर बाहरी ठेकेदारों को देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) भारतीय इस्पात उद्योग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का स्तर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम है। तथापि, नई कंपनियों द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने और सेल के संयंत्रों का आधुनिकीकरण किए जाने से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।

(ख) सेल का अनुसंधान और विकास केन्द्र मुख्यतः सेल की सहायक कंपनियों सहित इसके इस्पात संयंत्रों और इकाइयों के लिए कार्य कर रहा है। तथापि, कुछ अनुसंधान और विकास परियोजना कार्य भी बाहरी पार्टियों के लिए उनके साथ पारस्परिक रूप से स्वीकृत निबंधन और शर्तों पर किया जाता है।

(ग) 1996-97 के दौरान सेल के बाहर के सात कार्य बाहरी संगठनों के लिए लिए गए। इनका ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र. सं.	लिए गए कार्य का शीर्षक	संगठन
1.	कोयले के नमूनों की जांच	सेसा केम्बला, गोवा
2.	विदेशी कोयले के नमूनों की पायलट स्केल जांच कार्य	वी.एस.पी. विशाखापट्टनम
3.	कोयले के नमूनों की जांच	फ्रैन्ड्स कोल, धनबाद
4.	जंग रोधी तेल के नमूनों की जांच	एच.पी.सी.एल. मुंबई
5.	4 जंगरोधी तेल के नमूनों की जांच	आई.डी.सी. लिमिटेड, आर. एंड डी. फरीदाबाद
6.	सी. एस. आर. सी. आर. आई. उपस्करों के महत्व हेतु परामर्श	सेसा केम्बला, गोवा
7.	एस.एम.एस. ग्रेड के चूना-पत्थर के नमूनों का डिक्रेपिटेशन परीक्षण	आर.एस.एम.डी., जोधपुर

बाहरी पार्टियों से सीमित संख्या में कार्य लिए जाते हैं क्योंकि सेल में अनुसंधान और विकास से संबंधित आंतरिक आवश्यकताएं अपने आप में पर्याप्त हैं। तथापि, बाहरी पार्टियों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कार्यों को यथासंभव लिया जाता है।

संयुक्त उद्यम रेल सेवा

3582. **श्री अजमीरा चन्दूलाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम रेल सेवा शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना खर्च किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार मंगोलपुरी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ऐसी सेवाएं शुरू करने की संभावना की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। करवाड़-परनम खंड सहित गोवा सरकार और कोंकण रेल निगम के बीच लागत में भागीदारी व्यवस्था से कतिपय गाड़ी सेवाओं को शुरू करने का प्रस्ताव चल रहा है। कोंकण रेल निगम ने भी मुम्बई-गोवा-मडगांव सर्किट के लिए पर्यटन गाड़ी के स्वामित्व, विपणन और प्रबंध के लिए 15 महीने की अवधि हेतु मैसर्स पाटिल टुअर्स एंड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

(ग) से (ङ) मंगोलपुरी और नई दिल्ली के बीच तकनीकी कारणों से कोई संयुक्त उद्यम गाड़ी सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

तरल ईंधन पर राजसहायता

3583. **श्री टी. गोपालकृष्णन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों के लिए अपेक्षित तरल ईंधन आयात पर राजसहायता समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राजसहायता समाप्त कर देने से विद्युत दरें बढ़ जाएंगी जिससे आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) विद्युत संयंत्रों के लिए तरल ईंधन की आयातित कीमत का निर्धारण निर्देशित मूल्य निर्धारण क्रियाविधि से इतर किया जाएगा तथा इसे तेज पूल खाते के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होंगी और इसमें आर्थिक सहायता का कोई भी घटक शामिल नहीं होगा। योजना आयोग के एक अध्ययन से यह दर्शाया गया कि अवस्थिति के आधार पर किए गए अध्ययनों के अनुसार तरल ईंधन पर आधारित विद्युत संयंत्र उपलब्ध विकल्पों में से अत्यधिक खर्चीले साबित होंगे। तथापि, पारम्परिक ईंधनों पर आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में इन संयंत्रों को काफी अल्प अवधि में चालू किया जा सकता है।

रक्षित ताप विद्युत केन्द्र

3584. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के खान क्षेत्रों में 10 से 20 मेगावाट क्षमता रक्षित ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु कौन-कौन से ठेके दिए गए हैं;

(ख) क्या ये विद्युत केन्द्र ईंधन के रूप में धोवनशालाओं के अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करते हैं अथवा सामान्य कोयले का;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में निवेश हेतु कितनी अनुमानित पूंजी की आवश्यकता है;

(घ) विभिन्न खनन क्षेत्रों में रक्षित ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परियोजनाओं को शुरू किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा देश के खनन क्षेत्र में 10 से 20 मे.वा. वाले कैप्टिव ताप विद्युत स्टेशनों की स्थापना किए जाने हेतु प्रदान किए गए ठेकों के नाम नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	स्थल	क्षमता (मे.वा.)	कंपनियों जिनको ठेके प्रदान किए गए हैं
1.	राजरप्पा	1X10	मैसर्स डीएलएफ पावर लिमिटेड
2.	भोजूडीह	1X10	-वही-
3.	गिडी	1X10	-वही-
4.	मधुबंद	2X10	-वही-
5.	गिडी (विस्तार)	1X10	मैसर्स दया टैक्नीकल सर्विस प्र.लि.
6.	सुवारामडीह	2X10	-वही-
7.	दुगड्डा	2X10	-वही-
8.	पिंगरवार	2X10	मैसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स

(ख) ये सभी धुलाई से उत्सर्जित ईंधन सामग्री/कम सकल कैलोरिफिक मूल्य वाले कोयले जैसे ईंधन पर आधारित हैं।

(ग) परियोजनाओं की अनुमानित पूंजीगत आवश्यकता राजरप्पा, भोजूडीह और गिडी प्रत्येक के लिए 35 करोड़ रुपये, गिडी (विस्तार) के लिए 37.5 करोड़ रुपये और मधुबन्द, सुवामडीह, तुगडा और पीपारवार प्रत्येक परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये है।

(घ) राजरप्पा और गिडी परियोजनाओं के लिए निमार्ण कार्य प्रगति पर है और बड़े उपस्करों को आदेश दिए गए हैं। मधुबन्द परियोजना के लिए मृदा परीक्षा और स्थल समतल करने का कार्य आरंभ हो गया है। पिपारवार और गिडी (विस्तार) परियोजनाओं के लिए पार्टियों को भूमि पर अधिकार ग्रहण करने के लिए कहा गया है और भोजूडीह, दुगडा और सुवामडीह परियोजनाओं के संबंध में डी.वी.सी. ग्रिड से विद्युत निकासी करने के लिए दामोदर घाटी निगम से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही इन संयंत्रों को स्थापित किया जा सकता है।

(ङ) डी.वी.सी. अधिनियम की धारा-18 के अनुसार डीवीसी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना करने हेतु डीवीसी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। डीवीसी ने जून, 1996 में राजरप्पा, गिडी, भोजूडीह तथा मधुबन्द में कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी थी परन्तु अधिशेष विद्युत का अंतरण किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। इसके लिए उद्यमियों के साथ और विचार-विमर्श तथा पुनःवार्ता किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अपेक्षित जल उपलब्ध कराने के लिए नलकूपों के प्रचालन हेतु उद्यमियों को जल विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण आरंभ करने पड़ते थे।

[हिन्दी]

अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना

3585. **डॉ. ए.के. पटेल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली अपने अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं बिना कोई पूर्व सूचना दिए समाप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक श्रेणीवार कितने कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं; और

(घ) इस कार्यवाही को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली अपनी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित अवधियों के लिए समय-समय पर ठेके पर अस्थायी आधार पर कुछ व्यक्तियों को रखता है। ठेके की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर, जब तक उनका नवीकरण न किया जाए, वे समाप्त हो जाती हैं।

[अनुवाद]

सामाजिक-शैक्षणिक विकास के केन्द्र के लिए वित्तीय सहायता

3586. **श्री शारदा टाडीपारथी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक-शैक्षणिक विकास केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद् (कापार्ट) ने क्या मानदंड अपनाये हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कापार्ट से आंध्र प्रदेश में किन-किन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या उनके कार्यकरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) कापार्ट द्वारा ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ग्रामीण विकास परियोजनाएं चलाने के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या तदनुरूपी राज्य के एक्ट के अन्तर्गत एक सोसायटी के रूप में अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 या चेरिटेबल एंड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 के अंतर्गत एक पंजीकृत ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा सहायताप्राप्त आंध्र प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों की संख्या तथा इन स्वयंसेवी संगठनों को स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों की संख्या	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या
1195-96	219	255
1996-97	316	365

नोट : अनन्तिम

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त कुछेक स्वयंसेवी संगठनों के बारे में कापार्ट में प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई है। 15.7.1997 तक कापार्ट ने आंध्र प्रदेश के ऐसे 23 स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया है।

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान संबंधी मामलों की जांच

3587. **श्री संतोष मोहन देव** :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान के मामलों की गहन जांच करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया है; और

(ग) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान में किस सीमा तक अनियमितताएं रोकी गई हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआइआर) के घटक राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) में प्रिंटिंग सामग्री के प्रापण, कार्यालय फर्नीचर की खरीद, भर्ती/मूल्यांकन प्रोन्नति के मामलों के बारे में अनियमितताओं संबंधी आरोप लगाए गए थे। इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा की सहायता ली गई थी, जिसने जांच के बाद सीएसआइआर को इस विषय में विभागीय जांच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता लेने की सलाह दी। इन आरोपों की व्यापक जांच करने के लिए भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण प्रबन्धन संस्थाएं

3588. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण प्रबन्धन संस्थाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार की ओर से जुलाई, 1996 में आनंद (गुजरात) की तरह राज्य में ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय अथवा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है। तथापि, अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के अनुसार प्रबन्धन में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान को अपनी स्थापना के लिए परिषद् की अनुमति लेनी होती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सहकारिता, सूचना और जन संपर्क अल्पसंख्यक कल्याण और कला, संस्कृति, युवा मामलों के मंत्री बिहार सरकार का एक पत्र दिनांक 12.7.1996 को प्राप्त हुआ था जो तत्कालीन केन्द्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री को संबोधित था, जिन्होंने इस पत्र को केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री को भेज दिया था। पशु पालन और दुग्ध विभाग, कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है कि विभाग, बिहार सहित देश में कहीं भी ग्रामीण प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

भूमि सुधार

3589. **श्री अनंत गुढ़े** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में हाल ही के सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये अनुमान/की गई रिपोर्ट के अनुसार भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की गई विशेष तथा ताजा कार्यवाही का ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या परिणाम मिले हैं; और

(घ) चालू वर्ष के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए राज्यवार लक्ष्य केवल किसी सम्मेलन के संकल्प द्वारा ही नहीं बल्कि कतिपय सिद्धांतों पर निर्धारित किए जाते हैं। पिछले वर्ष की चौथी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में राज्यों द्वारा बताए अनुसार हाल में वितरण के लिए शुद्ध उपलब्ध क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, राज्यों के राजस्व मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं; आखिरी बैठक 28.1.97 को हुई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण सहित भूमि सुधार के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया।

(ख) विगत 3 वर्षों के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण में हुई प्रगति के साथ राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विगत वर्ष के दौरान न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत दो विशेष कार्यक्रम सहित भूमि सुधार से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों को 26 और 27 नवम्बर, 1996 को हुई राजस्व सचिवों की बैठकों तथा 28 जनवरी, 1997 को हुई राजस्व मंत्रियों की बैठक में प्रभावी विचार-विमर्श और समयबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए उठाया गया था। पूर्वोक्त सम्मेलनों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारें विभिन्न भूमि सुधार उपायों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय कर रही हैं।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए राज्यवार लक्ष्यों को पहले ही निर्धारित कर लिया गया है और संबंधित राज्यों को सूचित कर दिया गया है। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिए 18.80 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भू-कर मानचित्रों के कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के चल रहे कार्यक्रम की सहायता के लिए वित्तीय वर्ष हेतु 20 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राष्ट्रीय संस्थाओं सहित कुछ ख्याति प्राप्त संस्थाओं/संगठनों को मौजूदा काश्तकारी कानूनों, जनजातीय भूमि को वापस दिलाने से संबंधित कानूनों का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए काम में लगाया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कानूनों की कमियों को दूर करने के लिए आदर्श कानून बनाना है जो सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	103180	13002	7578	10773	9000	3427

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	57280	8359	38040	3228	28570	3163
3.	बिहार	94000	4156	4515	5816	3300	1841
4.	गुजरात	40270	4499	1600	1530	1600	1892
5.	हरियाणा	2380	285	4483	189	1460	534
6.	हिमाचल प्रदेश	1970	0	4183	0	एनएफ	–
7.	जम्मू व कश्मीर	6000	0	5575	0	एनएफ	–
8.	कर्नाटक	32000	717	एनएफ	–	8160	937
9.	केरल	9230	239	1992	171	2620	185
10.	मध्य प्रदेश	50000	200	922	85	9260	280
11.	महाराष्ट्र	14250	739	238	471	520	421
12.	मणिपुर	50	0	3	0	एनएफ	–
13.	उड़ीसा	5680	1069	696	833	870	958
14.	पंजाब	15180	96	80	50	50	277
15.	राजस्थान	35750	6579	8190	8898	5050	3444
16.	तमिलनाडु	5330	5346	102	3354	1320	3173
17.	त्रिपुरा	60	0	एनएफ	–	10	0
18.	उत्तर प्रदेश	56970	11249	947	5624	5000	4870
19.	पश्चिम बंगाल	32990	5267	98	10788	एनएफ	–
20.	दादर व नगर हवेली	690	125	343	76	340	0
21.	दिल्ली	460	0	एनएफ	-	एनएफ	-
22.	पांडिचेरी	140	0	31	0	100	0
	कुल	563860	61927	79616	51886	77230	25402

नोट : लक्ष्य मुख्यतया इस आधार पर निर्धारित नहीं किए गए कि राज्य सरकारों की रिपोर्ट के अनुसार सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त वितरण हेतु वहां अधिकतम सीमा से फालतू निवल भूमि उपलब्ध नहीं थी।

इस्पात ग्रुप

3590. **श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 19 जुलाई, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "इस्पात ग्रुप जगल्स इट्स फंडस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

गरीबी उन्मूलन तथा रोजगारोन्मुखी योजनाओं का विलय

3591. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का विलय करने तथा इसके लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक संशोधित कार्यक्रम को लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में त्रुटियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उपशमन और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने और फिर से बनाने का सरकार का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी तंत्र के माध्यम से समीक्षा की जाती है, जिसमें समितियों द्वारा तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गहन क्षेत्र निरीक्षण, समीक्षा और निगरानी करना सावधिक प्रगति रिपोर्ट/विवरणी, वित्तीय विवरणी/लेख-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार नियमित रूप से केन्द्र स्तरीय समन्वय समितियों, राज्य स्तरीय समन्वय समितियों तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय के माध्यम से विभिन्न राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है।

आमान परिवर्तन

3592. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली जंक्शन तथा इज्जत नगर सिटी वर्कशाप के बीच आमान परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आमान परिवर्तन कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण

3593. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समय बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर भवनों का निर्माण

3594. **श्री डी.पी. यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार डाकघर भवनों के निर्माण के लिए कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या अधिगृहीत भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघर भवन बनाने के लिए ली गई भूमि का क्षेत्रफल, जिलावार, निम्नानुसार है। :

क्र.सं.	स्थान	जिला	क्षेत्रफल	वर्ष
1.	वाड्डा	पिथौरागढ़	1200 मी²	1994
2.	सुहागनगर	फिरोजाबाद	850 मी²	1994
3.	बागेश्वर	अल्मोड़ा	586.43 मी²	1995
4.	तेतारी बाजार	सिद्धार्थनगर	7967.84 मी²	1996
5.	सिरौली गौसपुर	बाराबंकी	1554.72 मी²	1996
6.	रामनगर	बाराबंकी	1554.72 मी²	1996

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश में खानों से लौह अयस्क निकाला जाना

3595. **श्री शिवराज सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की लौह अयस्क खानों से प्रतिमाह कितना लौह अयस्क निकाला जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश को लौह अयस्क के लिए कितनी रायल्टी प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को दी जाने वाली लौह अयस्क संबंधी रायल्टी में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.), नागपुर के अनुसार मध्य प्रदेश की लौह अयस्क की खानों से 1996-97 के दौरान प्रत्येक माह निकाले गए लौह अयस्क की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) लौह अयस्क पर रायल्टी की दरें हाल में संशोधित की गई हैं और वह भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3 उपखण्ड (I) में दिनांक 11.4.97 की अधिसूचना संख्या-156 के तहत अधिसूचित की गई है। 11.4.97 के भारत के राजपत्र के अनुसार लौह अयस्क के संबंध में रायल्टी की दरें संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में अप्रैल, 96 से मार्च, 97 के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन (महीना-वार)

(मात्रा : हजार टन)

माह	उत्पादन		
	योग	डले	चूरा
अप्रैल,1996	1489	807	682
मई	1395	764	631
जून	1393	789	604
जुलाई	1220	658	562
अगस्त	1364	690	674
सितम्बर	1299	664	635
अक्टूबर	1571	796	775
नवंबर	1398	769	624
दिसंबर	1452	824	628
जनवरी, 1997	1382	818	564
फरवरी	1305	712	593
मार्च	1545	773	772
योग 1996-97	16808	9064	7744

विवरण-II

दिनांक 11.4.97 के भारत के राजपत्र के अनुसार लौह अयस्क पर रायल्टी की दर

लौह अयस्क	दर (रुपए/टन)
1. डले	
(क) 65 प्रतिशत अथवा इससे अधिक लोहांश	21.50
(ख) 62 प्रतिश अथवा इससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहांश	12.00
(ग) 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से कम लोहांश	08.50
(घ) 60 प्रतिशत से कम लोहांश	06.00
2. चूरा (अन्य के साथ-साथ इसमें खनन और डले अयस्क की साइजिंग के संयोग से उत्पादित प्राकृतिक चूरा भी शामिल है)	
(क) 65 प्रतिशत अथवा इससे अधिक लोहांश	15.50
(ख) 62 प्रतिश अथवा इससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहांश	08.50
(ग) 62 प्रतिशत से कम लोहांश	06.00
3. 40 प्रतिशत अथवा इससे कम लोहांश के न्यून ग्रेड से सज्जीकृत और/अथवा सान्द्रण द्वारा तैयार किया गया सान्द्रण।	02.50

[अनुवाद]

रंगानदी डाइहो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट

3596. **श्री ईश्वर प्रसन्ना डजारिका :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.ई.ई.पी.सी.ओ. की रंगानदी जल विद्युत परियोजना एक बार चालू हो जाने के बाद जल डिकरांग नदी छोड़ दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बाढ़ और भूमि कटाव से बुरी तरह प्रभावित हो रहे लखीमपुर तथा सोनितपुर जिलों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए खतरे की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मानव जनित आपदा जो डिरांग नदी में उक्त दिन परिवर्तित जल प्रवाह के कारण अवश्यंभारी हो गयी है, को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) रंगानदी जल विद्युत परियोजना को 405 मे.वा. की उत्पादन क्षमता सहित अरूणाचल प्रदेश में उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड (नीपको) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना में विद्युत गृह को पूरी शक्ति पर प्रचालित करने पर 160 क्यूसेक टैल-रेस पानी के निःसरण के कारण रंगानदी से डिकरांग नदी में जल के अंतःनदी घाटी अंतरण की परिकल्पना की गई है। नीपको के अनुरोध पर केन्द्रीय जल एवं विद्युत शोध केन्द्र, पुणे द्वारा किए गए प्रारूप अध्ययनों से यह पता चला है कि जब विद्युत गृह पूरी क्षमता पर प्रचालन करेगा तो इस समय जल के स्तर में 7-12 से.मी. की वृद्धि होगी। विद्युत केन्द्र से अतिरिक्त जल निःसरण के कारण जल के स्तर में वृद्धि डिकरांग नदी में लक्षित 2500 क्यूसेक के शिखर प्रवाह की तुलना में अत्यंत कम होगी। अतः 160 क्यूसेक के बढ़े हुए निःसरण से न तो डिकरांग नदी के निचले क्षेत्र में कोई क्षति होगी और न ही इससे क्षेत्र की जनता को कोई खतरा होगा। नीपको ने असम सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा सिंचाई विभाग के साथ बांडेरदेवा शुरू के निचले प्रवाह से लेकर डिकरांग नदी तथा सुवानसिरी नदी के संगम तक डिकरांग नदी की बाढ़ से बचाव के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण कार्य किया है। वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर रंगानदी घाटी से डिकरोंग घाटी में 160 क्यूसेक पानी का निःसरण किए बगैर विद्यमान बाढ़ बचाव कार्य, बाढ़ के मौसम के दौरान डिकरांग नदी के 2500 क्यूसेक के निःसरण को देखते हुए उसे रोकने हेतु पर्याप्त नहीं है। तथापि, नीपको ने असम सरकार को सूचित किया है कि यदि विद्युत गृह से 160 क्यूसेक जल के अतिरिक्त निःसरण के कारण अन्य बचाव उपाय की आवश्यकता हुई तो उनके द्वारा उन्हें पूरी तरह से परियोजना लागत की अपेक्षा में वित्त पोषित किया जाएगा।

[हिन्दी]

पत्रों की सुपुर्दगी न किया जाना

3597. **श्रीमती शुभावती देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा, बिहार में डाक वितरण व्यवस्था इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि पंजीकृत पत्र भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, साधारण पत्रों की तो बात ही क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या दरभंगा में डाक-वितरण व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत पत्रों और साधारण पत्रों के अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। दरभंगा में डाक-वितरण सामान्यतया संतोषजनक है। तथापि, डाक लाने-ले-जाने वाली बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों के रद्द होने/विलम्ब से चलने, प्राकृतिक आपदाओं, कारपोरेट और ग्रीटिंग्स मेल जैसी डाक की मात्रा में आचानक और आपवादिक वृद्धि, वितरण स्टाफ की कमी आदि जैस विभिन्न कारणों की वजह से यदा-कदा डाक विलम्ब होने की घटनाएं हो जाती हैं।

(ख) रजिस्टर्ड और साधारण डाक का वितरण न होने/विलम्ब से वितरण होने के बारे में भी शिकायतें हैं लेकिन ऐसी शिकायतें निपटाई गई डाक की मात्रा की तुलना में नगण्य हैं।

(ग) प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

गांधीधाम से नई दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी

3598. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांधीधाम से नई दिल्ली बरास्ता अहमदाबाद-नडियाद-गोधरा सीधी रेलगाड़ी चलाने का है ताकि अंतरकालीन व्यवस्था के रूप में इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलायी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधन की तंगी।

[हिन्दी]

डाकियों की कमी

3599. **डॉ. राम विलास वेदान्ती**
श्री सोडनवीर सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकियों की कमी के कारण गाजियाबाद जिले के विकासकुंज और लोनी क्षेत्रों में डाक वितरण की स्थिति असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में डाक वितरण सुचारू बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के विकास कुंज और लोनी क्षेत्र में डाकियों की कमी के बावजूद डाक-वितरण सामान्यतया संतोषजनक है। हालांकि, डाकियों के अतिरिक्त पदों का औचित्य तो बनता है, लेकिन पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण डाकियों के नए पद नहीं बनाए जा सकते।

(ख) इस कार्य को मौजूदा कर्मचारियों के सहयोग से संभाला जा रहा है।

एफ.एम. बैंड पर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का प्रसारण

3600. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बेतुल स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम केवल एफ.एम. बैंड पर ही सुने जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बेतुल जिले में उस प्रकार के रेडियो सेट उपलब्ध हैं जिनमें एफ.एम. बैंड नहीं लगे हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पंचायतों तथा विद्यालयों में एफ.एम. बैंड युक्त रेडियो सेट उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) उक्त स्टेशन से कितने घंटों का रेडियो प्रसारण किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बेतुल जिले में निवास करने वाले कोरकु व्यक्तियों के लिए कोरकु भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ करने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक उक्त प्रसारण आरंभ कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) ए.एम./एफ.एम. बैंड वाले दोनों रेडियो रिसीवर देश में ही बनाए जाते हैं और अब ये सारे देश में खुले बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं।

(ग) स्कूलों और पंचायतों को एफ.एम. बैंड रिसीवरों की आपूर्ति करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(घ) बेतुल केंन्द्र सायं 3.00 बजे से साय 5.00 बजे के बीच में विविध भारती सेवा को रिले करता है और सायं 5.00 से सायं 9.15 बजे तक मूल रूप में स्थानीय रूप से निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। भोपाल से प्रसारित क्षेत्रीय समाचारों तथा दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय समाचारों को भी इन घंटों के दौरान रिले किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास हेतु उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

3601. **लेफ्ट. जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के जुलाई, 1996 में ग्रामीण आवास स्थलों के विकास तथा आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवासहीन परिवारों को उनके आवंटन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उक्त योजना को लागू करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जबलपुर और गोंदिया के बीच आमान परिवर्तन

3602. **श्री सुख लाल कुशवाहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बदला जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य के लगभग 5 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण

3603. **श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के बछवाड़ा, तेघड़ा, बरौनी, तिलख, बेगुसराय, लाखो, लक्ष्मीनियान साहेबपुर, कमल और खगड़िया रेलवे स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रेलें इस प्रकार के सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं करती है तथापि जब कभी आवश्यकता महसूस की जाती है यात्रियों को पर्याप्त सुविधाओं तथा स्टेशनों की समुचित मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए

कार्य शुरू किए जाते हैं। डाल डी में खगडियां में स्टेशन भवन के ढांचे में सुधार और परिवर्तन, बरौनी स्टेशन के प्लेटफार्म सायवान के विस्तार तथा आरक्षण कार्यालय के विस्तार तथा बेगूसराय में उपरी पैदल पुल की व्यवस्था का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तारंगा हिल-मेहसाना रेल लाइन को खोलना

3604. **श्री पी.के. गड्वी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के कारण तारंगा हिल-मेहसाना रेल लाइन को बंद कर दिया गया था;

(ख) क्या दिल्ली-अहमदाबाद लाइन को बदलने के कार्य को पूरा होने के बाद भी इस लाइन को खोला नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) तारंगा हिल-मेहसाना रेल लाइन को कब तक पुनः खोल दिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) डाल डी की बाढ़ में रेलपथ को हुई भारी क्षति के कारण सेवाएं बहाल नहीं की जा सकी।

(घ) लाइन को बहाल करने में लगभग दो मास का समय लगेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

3605. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर वर्ष 1996-97 में स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने गए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या नए टेलीफ़ोन एक्सचेंज स्थापित कि जाने से संबंधित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित की गई एक्सचेंजों की संख्या	
		1996-97 के दौरान	31.3.97 तक
1.	अल्मोड़ा	6	37
2.	पिथौड़ागढ़	2	25
3.	देहरादून	3	26
4.	नैनीताल	3	24
5.	यू.एस. नगर	1	36
6.	चमोली	3	39
7.	पौड़ी	2	32
8.	टिहरी	–	32
9.	उत्तरकाशी	1	12
		21	264

(ख) 35

(ग) नए एक्सचेंज स्थापित करने का निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोट्टूर डरिडर के बीच रेलवे लाइन

3606. **श्री के.सी. कोंडय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोट्टूर-डरिडर लाइन पर निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था;

(ख) उपर्युक्त रेल लाइन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) अपर्युक्त रेल लाइन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ङ) क्या उपर्युक्त रेल लाइन पर कार्य धीमा चल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण अभी पूरा हुआ है।

(ख) 66 करोड़ रुपये।

(ग) 24.9 करोड़ रुपये।

(घ) 5 करोड़ रुपये।

(ङ) जी, हां।

(च) परियोजनाओं की समीक्षा के लिए नियुक्त समिति ने इस परियोजना को स्थगित करने की सिफारिश की है। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति से इस निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है। कार्य को पुनः शुरू करने के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

(छ) कार्य शुरू होने के बाद तय किया जाएगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पंजाब में उपरि पुलों का निर्माण

3607. **श्री सुखबीर सिंह बादल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में स्थान-वार कितने रेल उपरि पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ग) इस निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) लागत में भागीदारी के आधार पर पंजाब में ऊपरी सड़क पुल के निम्नलिखित निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं :

(1) *लुधियाना* - लुधियाना-फिरोजपुर खंड पर समपार सं. 2 ए/2 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(2) *लुधियाना* - लुधियाना-धुरी लाइन पर समपार सं. ए-1 के बदले आरी सड़क पुल।

(3) *कोटकपुरा* - भटिंडा-फिरोजपुर लाइन पर समपार सं. 25/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(4) *जालंधर* - लुधियाना-अमृतसर लाइन पर समपार सं. 68/ए के बदले रामा मंडी चौक पर ऊपरी सड़क पुल।

(ख) 1997-98 के दौरान निर्माणाधीन पुलों के लिए मुहैया कराया गया कुल परिव्यय इस प्रकार है :

(1) लुधियाना-लुधियाना-फिरोजपुर खंड पर —21.00 लाख

(2) लुधियाना-लुधियाना-धुरी खंड पर — 24.00 लाख

(3) कोटकपुरा — 25.00 लाख

(4) जालंधर कैंट — 25.00 लाख

(ग) कार्य प्रगति पर है तथा इसका समापन राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा प्रोत्साहन योजना शुरू करना

3608. **श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने बिक्री और वसूली बढ़ाने हेतु अपने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ में होने वाली कमी को रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) बिक्री और प्राप्ति में वृद्धि करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करने हेतु सेल के केन्द्रीय विपणन संगठन (सी. एम.ओ.) ने जून 1997 से कर्मचारियों के लिए एक पुनर्अभिविन्यासी पारितोषिक योजना लागू की है। यह योजना कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों, दोनों के लिए है। यह योजना मासिक निष्पादन पर आधारित है तथा पारितोषिक भुगतान भी मासिक आधार पर किया जाता है।

"सेल" अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए सतत् आधार पर कदम उठा रहा है। इन कदमों में अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात् कोक दर, ऊर्जा खपत एवं धात्विक आदान में कमी करना, उत्पादन में सुधार करना, सघन ग्राहक संपर्क, बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र, गुणता में सुधार, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध, सेवा एवं ग्राहक सन्तुष्टि में नेतृत्व, प्रचालन लागतों का कड़ा नियंत्रण और प्रबोधन, उच्च उत्पादकता और फील्ड अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता देना आदि शामिल हैं।

अनुरक्षण संबंधी खर्च

3609. **डॉ. बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघर और टी.आर.सी. बिल्डिंग के अनुरक्षण और सौन्दर्यीकरण पर आये खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आई.आर. बिल्डिंग के टेलीग्राफ मैन रूम की छत के टपकने के कारण कर्मचारियों को वहां बैठने में भी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) (i) 1996-97 के दौरान सीटीओ के मुख्य भवन तथा इससे सटे भवन के वाटर प्रूफिंग पर 2,93,215 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

(ii) 1995-96 के दौरान पब्लिक काउंटर के नवनीकरण पर 1,30,545 करोड़ रुपए खर्च हुए।

(iii) सजावट पर कोई व्यय नहीं हुआ।

(iv) टीआरसी नाम का कोई भवन नहीं है। दूरसंचार इंजीनियरिंग केन्द्र (न कि टीआरसी) खुर्शीद लाल भवन के एक हिस्से में स्थित है। वाटर प्रूफिंग पर 60,000 तथा सजावट पर 6,600 रुपए का व्यय हुआ। 1996-97 के दौरान खुर्शीद लाल भवन के हिस्से में स्थित टीईसी के अनुरक्षण पर कुल व्यय 3,59,600 रुपए है।

(ख) आई. आर. भवन में पानी का रिसाव नहीं है। टेलीग्राफ से जुड़े कर्मचारियों के कक्ष में पानी थोड़ा बहुत टपकता है। उनको बैठने में कोई असुविधा नहीं है क्योंकि उन्हें एक अन्य कमरा उपलब्ध करा दिया गया है।

(ग) चूंकि यह रिसाव पहली बार पाया गया है, अतः ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) जी, नहीं। धन का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

3610. **श्री सौदान सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन डाकघरों की जिलेवार संख्या कितनी है जिनके अपने भवन नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु नए भवनों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इन भवनों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957

3611. **श्री गोरधन भाई जावीया**
श्री काशीराम राणा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची एक के अंतर्गत किसी खनिज को अनुसूचित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति मांगी जाती है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची दो से चूना पत्थर और बाक्साइट को हटाने के लिए केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) लाइमस्टोन और बाक्साइट को खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची-I में से निकालने के प्रस्ताव पर सदस्य के तौर पर उद्योग, भारतीय खान ब्यूरो, राज्य सरकारों इत्यादि के सचिवों के साथ सचित (खान) की अध्यक्षता में खनन नियमों के प्रक्रियाओं इत्यादि की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठकों में चर्चा हुई। समिति के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और इनको नीति परिवर्तनों के अनुसार ढालने के उपाय की सिफारिश करना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंसों/खनन पट्टों की मंजूरी/नवीकरण में विलम्ब को कम करने के उपाय सुझाना शामिल हैं। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंसों/खनन पट्टे प्रदान करने/नवीकरण और अवैध खनन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के बारे में भी विचार करना और सुझाव देना है।

पनकी ताप विद्युत स्टेशन की इकाइयों को बन्द किया जाना

3612. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किए गए प्रशासनिक निर्णय के कारण पनकी ताप विद्युत स्टेशन की अपनी कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों को बन्द कर देना पड़ा है;

(ख) क्या पनकी ताप विद्युत स्टेशन द्वारा उस क्षेत्र में विद्युत के कम उत्पादन के कारण पड़ने वाले प्रभावों पर विचार नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश, राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विद्युत उत्पादन को पुनः बहाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी उपायों को शीघ्र किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यूपीएसईबी) ने जिला प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए एक नोटिस की अनुपालना करते हुए पनकी विद्युत केन्द्र की एक विद्युत उत्पादन इकाई को बन्द कर दिया था।

(ग) और (घ) राख पाईप लाइन में होने वाले रिसाव की मरम्मत करने हेतु उ.प्र.रा.वि.बो. ने उपचारात्मक कार्यवाही आरंभ कर दी है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अपेक्षित इलेक्ट्रास्टेरिक प्रेसिपिटेटरों की अधिष्ठापना करने हेतु उ.प्र.रा.वि.बो. द्वारा निधियों की व्यवस्था करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

कापार्ट द्वारा इंदिरा आवास योजना निधियों का वितरण

3613. **श्री के.एस.आर. मूर्ति** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यवार आवास कार्यक्रम शुरू करने के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) कितने गैर सरकारी संगठनों ने इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कपार्ट को आवेदन किया है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंगारप्पू वेंकटनारायण): (क) ग्रामीण आवास कार्यक्रम के लिए इस मंत्रालय ने कापार्ट को वर्ष 1996-97 के दौरान 10.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1997-98 के दौरान अब तक 6.52 करोड़ रुपए जारी किए है। कापार्ट को निधियां जारी करते समय यह मंत्रालय राज्यवार आवंटन नहीं करता है।

(ख) जिन गैर-सरकारी संगठनों ने वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (जुलाई, 97 तक) के दौरान ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत कापार्ट को आवेदन किया है, उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिन गैर-सरकारी संगठनों ने वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 (जुलाई, 97 तक) के दौरान ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत कापार्ट को आवेदन किया है, की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या	
		1996-97	1997-98 (जुलाई 97 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	466	61
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3.	असम	71	1
4.	बिहार	103	9
5.	चंडीगढ़	-	-
6.	दिल्ली	4	-
7.	गुजरात	17	-
8.	हरियाणा	20	2
9.	हिमाचल प्रदेश	11	3
10.	जम्मू व कश्मीर	5	1
11.	कर्नाटक	59	17
12.	केरल	53	3
13.	मध्य प्रदेश	23	1
14.	महाराष्ट्र	25	14
15.	मणिपुर	71	97
16.	मेघालय	-	-
17.	मिजोरम	13	-
18	नागालैंड	6	-
19.	उड़ीसा	151	5
20.	पांडिचेरी	-	-
21.	पंजाब	1	-
22.	राजस्थान	25	7
23.	तमिलनाडु	203	11
24.	त्रिपुरा	6	1
25.	उत्तर प्रदेश	135	12
26.	पश्चिम बंगाल	466	43
27.	अंडमान व निकोबार	-	-
28.	गोआ	-	-
	कुल	1934	288

नोट : अनंतिम।

रेलवे द्वारा डेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, रांची को दिए गए कार्य के आदेश

3614. **श्री थामस हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 के बाद रेलवे द्वारा डेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को कार्य के कितने आदेश भेजे गए और इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) इस कार्य के लिए निजी पार्टियां कितना शुल्क लगाती हैं;

(ग) क्या निजी पार्टियां इन वस्तुओं का उत्पादन रेलवे के विनिर्दिष्टियों के अनुसार हैं;

(घ) यदि हो, तो इसे किस तरह से प्रमाणित किया जाता है;

(ङ) इस संबंध में प्रमाणन न होने पर भी निजी पार्टियों को कार्य के आदेश दिए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति हुई;

(छ) इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार इस मामले की सी.बी.आई. से जांच कराने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1994 से डेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन को कोई कार्य आर्डर नहीं दिए गए हैं। रेलवे द्वारा केवल अपने कारखानों को कार्य आदेश दिये जाते हैं न कि बाहरी फर्म को चाहे वह निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का क्यों न हो।

(ख) से (झ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

यात्री रेलगाड़ी को ई. एम. यू रेलगाड़ी में परिवर्तित करना

3615. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया-डेहरी-आन सोन यात्री रेलगाड़ी को ई.एम.यू. रेलगाड़ी में परिवर्तित करने तथा पूर्वी रेल के अंतर्गत उसे गढ़वा तक बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो गया-गढ़वा मार्ग पर यात्री सेवा कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

उपग्रह टर्मिनल

3616. **श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला** :
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री आर. सम्बासिवा राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए 100 गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या पायलट परियोजनाएं शुरू की जायेंगी;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के सफल होने पर देश के 10,000 गांवों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है;

(घ) भारत में उन "आई.एन.एम.ए.आर.एस.ए.टी." टर्मिनलों की संख्या कितनी है जो ग्रामीण टेलीफोन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं;

(ङ) क्या आई.एन.एम.ए.आर.एस.ए.टी. मिनी-एम, टर्मिनल का ग्रामीण टेलीफोन परियोजना के लिए इस्तेमाल किया जाता है;

(च) यदि हां, तो क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में उपग्रह टर्मिनल के उपयोग से सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने फ्रेंजाइज आधार पर 100 दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने हेतु प्रारंभिक परियोजना की परिकल्पना की है।

(ग) से (छ) सरकार 9वीं योजना अवधि के दौरान स्थलीय माध्यम से ऐसे ग्रामों में उपग्रह आधारित सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बना रही है जहां तकनीकी दृष्टि से सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। अभी तक ग्रामीण टेलीफोन परियोजना के लिए कोई भी इनमरसेट मिनी-एम टर्मिनल नहीं लगाया गया है। तथापि, ऐसे लगभग 100 इनमरसैट-पी-1 टर्मिनल हैं जिन्हें कई संगठनों/व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर संचार प्रयोजनों से इस्तेमाल किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नई रेलगाड़ी चलाना

3617. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान पूर्व रेलवे के अंतर्गत एक भी नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद श्रावण माह के दौरान सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन (बिहार) से पवित्र गंगाजल ले जाने वाले व्यक्तियों के लिए रेलगाड़ियों, ठहरने और खाने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जसीडीह रेलवे स्टेशन पर यात्री किसी भी तरह रेलगाड़ी में चढ़ने का प्रयास करते हैं क्योंकि वहां से कोई विशेष रेलगाड़ी, उपयुक्त यात्री डिब्बे तथा रेलगाड़ियों में कोटे की व्यवस्था नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्व रेलवे में 9 एक्सप्रेस गाड़ियां (इकहरी) चलाई गई थीं।

(ग) और (घ) मानदंडों के अनुसार स्टेशन पर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बहरहाल, मेला की अवधि के दौरान सुविधाओं में उपयुक्त वृद्धि की जाती है। इसके अलावा रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थल पर ही तीर्थयात्रियों की समस्याओं को हल करने के लिए तैनात किया जाता है। ऐसी अवधि के दौरान अतिरिक्त बुकिंग काउंटर खोले जाते हैं तथा अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भी की जाती है।

(ङ) और (च) वैद्यनाथधाम में श्रावण मेला में भाग लेने के लिए तीर्थयात्रियों की रेल यात्रा के लिए रेलवे ने 5 जेके/6 जेके क्यूल-जमालपुर पैसेंजर गाड़ी को सुल्तानगंज तक बढ़ा दिया है तथा 21.7.1997 से 20.8.1997 के दौरान जसीडीह और पटना के बीच एक और जसीडीह बरौनी के बीच दूसरी अर्थात् दो दैनिक विशेष गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। जसीडीह स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ियों में आरक्षण कोटा भी उपलब्ध कराया गया है।

खनन क्षेत्र में किया गया व्यय

3618. **श्री दत्ता मेघे :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, राज्यवार खनन क्षेत्र में मंत्रालय/विभाग द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) इस क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियों, पता लगाई गई खानों तथा उक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार इससे निकाले गए बहुमूल्य खनिजों की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) खान मंत्रालय के दो अधीनस्थ संगठनों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा, पिछले दो वर्षों के दौरान खनन क्षेत्र में किया गया योजना व्यय निम्न प्रकार था :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	भारतीय खान ब्यूरो
1995-96	56.50	7.47
1996-97	82.00	8.20

खान मंत्रालय ने वेधन तथा खनम क्षेत्र में संवर्धनात्मक कार्य करने के लिए खनिज गवेषण निगम लि. को वर्ष 1995-96 के दौरान 8.00 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1996-97 के दौरान 7.00 करोड़ रुपए भी दिए थे।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1995-96 के दौरान विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 4732 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में भू-सर्वेक्षण, 46878 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में समुद्री सर्वेक्षण किया तथा खनिज गवेषण के लिए 86518.06 मी. क्षेत्र पर वेधन कार्य किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वर्ष 1995-96 के दौरान 945 मि. टन कोयले, 250 मिलियम टन लिग्नाइट तथा 3.93% तांबा-सीसा-जस्ता वाले 0.43 मिलियन टन के भंडार हसायु बेलवाधगम क्षेत्र, बिहार में, उड़ीसा की बोसाई क्योंझर क्षेत्र में 8.7 मि. टन मैग्नीज अयस्क तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2. 04 मि.टन स्वर्ण अयस्क के अतिरिक्त निक्षेपों की पुष्टि की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में 23600 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में समुद्री सर्वेक्षण, 4383 लाइन कि.मी. क्षेत्र में (जिसमें 4005 वर्ग कि.मी. क्षेत्र शामिल है; हवाई मल्टी सेंसर सर्वेक्षण, 1070.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानचित्रण, 10.695 वर्ग किमी. क्षेत्र में विस्तृत मानचित्रण तथा 41,896.06 मी. क्षेत्र में वेधन कार्य किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के अमीलयारगढ खंड में 381 मि. टन कोयले, 6.63% सीसा-जस्ता वाले 1.45 मि. टन, महाराष्ट्र के भंडारा जिले के गरारा खंड में 1.2% तांबे वाले 0.7 मि. टन अयस्क तथा तमिलनाडु के डालर उत्तांगराई क्षेत्र के वेलामपाटी दक्षिण खंड में 0.116% मोलिब्डेनम वाले 2.6 मि. टन अयस्क के अतिरिक्त निक्षेपों की पुष्टि की है।

भारतीय खान ब्यूरो ने वर्ष 1995-96 के दौराम 2665 खानों का निरीक्षण किया। 641 खनन योजनाएं तथा 82 खनन स्कीम मंजूर की तथा 41,674 रासायनिक विश्लेषणों और 2358 खनिज विज्ञान संबंधी परीक्षणों सहित 71 अयस्क संसाधन अन्वेषण किये। वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय खान ब्यूरो ने 2668 खानों का निरीक्षण किया। 610 खनन योजनाएं तथा 147 स्कीम मंजूर की तथा 35,472 रासापनिक विश्लेषणों तथा 2435 खनिज विज्ञान संबंधी परीक्षणों सहित 71 अयस्क संसाधन अन्वेषण किये।

पिछले दो वर्षों के दौरान खनिज गवेषण निगम लि. ने मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तथा राजस्थान में 11 परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें 69.99 मि. टन तांबा अयस्क तथा 5.61 मि. टन स्वर्ण अयस्क की पुष्टि की।

(ग) गवेषण तथा खनन एक निरंतर प्रक्रिया है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की देश में 3600 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्रण, 53 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण तथा कोयला, लिग्नाइट तथा अन्य खनिजों के लिए 1,47,000 मी. क्षेत्र में वेधन कार्य के अलावा, 5800 वर्ग कि. मी. क्षेत्र का क्रमबद्ध भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा 7200 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का विशिष्ट विषयक मानचित्रण की योजना है। भारतीय खान ब्यूरो ने वर्ष 1997-98 के दौरान 2650 खानों के निरीक्षण तथा निम्न ग्रेड अयस्कों का सज्जीकरण के लिए 50,000 रेडिकल निर्धारण तथा 2300 खनिज विज्ञान संबंधी परीक्षणों सहित 70 अयस्क संसाधन अन्वेषण करने की योजना बनाई है। खनिज गवेषण निगम लि. का भी वर्ष 1997-98 के दौरान कोयला, लिग्नाइट, सोना, तांबा, जस्ता, सीसा तथा मोलिब्डेनम इत्यादि के अपने वेधन तथा खनन कार्यक्रम जारी रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में विद्युत निर्माण केन्द्र स्थापित करना

3619. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की कम्पनी "एनरान" से उत्तर प्रदेश में विद्युत निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के तत्संबंधी स्थान, लागत, क्षमता, शेयर इक्विटी आदि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल में एस.टी.डी./आई.एस.डी. के बूथ

3620. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिलेवार कार्य कर रहे पी.सी.ओ./एस.टी.डी./आई.एस.डी. टेलीफोन बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन बूथों के आवंटन हेतु कोई मानदंड निर्धारित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बूथों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गौण-स्विचन क्षेत्र वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) एस.टी.डी./पी.सी.ओ. का आवंटन प्रत्येक एस.एस.ए. के लिए गठित एसटीडी/पीसीओ समिति द्वारा किया जाता है। यह समिति प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में गठित की जाती है, इस समिति में दो सरकारी सदस्य तथा एक गैर-सरकारी सदस्य होता है, जिनको, गौण-स्विचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य द्वारा नामित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पी.सी.ओ धारक की शैक्षिक योग्यता 8वीं पास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए मैट्रिक/हाईस्कूल निर्धारित है। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है।

1. विकलांग व्यक्ति जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं।
2. अ.जा./अ.ज.जा के आवेदक।
3. भूतपूर्व सैनिक और युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवा निवृत कर्मचारी अथवा उनके आश्रित।
5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।
6. धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल।

(ग) और (घ) नए एस.टी.डी./पी.सी.ओ. आवंटित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि फ्रैंचाइजी की मासिक औसत 2000/- रुपए से कम न होने पाए।

विवरण

30.6.97 की स्थिति के अनुसार केरल में कार्यरत एसटीडी/पीसीओ की संख्या

क्र.सं.	गौण-स्विचन क्षेत्र का नाम	एस.टी.डी./पी.सी.ओ की संख्या
1.	त्रिवेन्द्रम्	971
2.	क्विलॉन	646
3.	पथनमथिट्टा	699
4.	अलाप्पुझा	504
5.	कोट्टायम	780
6.	एर्नाकुलम्	2512
7.	त्रिचूर	1092
8.	पलक्काड	675
9.	कालीकट	1700
10.	कन्नूर	857
	जोड़	10436

विद्युत क्षेत्र में भारतीय लोक वित्त संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण की सीमा

3621. **श्री विजय पटेल :**
श्री डरिन पाठक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी उपस्करों पर आधारित विद्युत क्षेत्र के लिए भारतीय लोक वित्त संस्थाओं द्वारा 40 प्रतिशत तक ऋण दिए जाने की सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस निर्धारण सीमा में छूट दिए जाने तथा अनुमत्य सीमा के अंतर्गत आई.पी.एफ.आई. के कुल योगदान में भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए धन को नहीं जोड़े जाने के संबंध में किसी राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) निजी विद्युत नीति अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट करती है कि कुल परिव्यय के अधिकतम 40% तक की राशि भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ली जा सकती है परन्तु शेष राशि की पूर्ति अन्य स्रोतों से करनी होगी। गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से उपस्करों की प्राप्ति करने वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को इस सीमा से छूट प्रदान की जानी चाहिए। इस अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति संबंधी प्रावधान

3622. **श्री एन. डेनिस** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय, जनजातीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) विद्युतीकरण कार्यों के लिए गावों को अभिज्ञात करने का कार्य संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा किया गया है। दूर-दराज के पहाड़ी जनजातीय तथा दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण का कार्य आरईसी वित्तपोषित तथा राज्य योजना कार्यक्रमों दोनों के अंतर्गत किया जाता है। 1997-98 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत 500 जनजातीय बहुल गावों को विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य पर्वतीय तथा दूरस्थ गावों के विद्युतीकरण को आम कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

गुजरात में कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अंतर्गत समितियों का पुनरुद्धार

3623. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल :**
श्री सनत मेहता :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम 1963 के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को पुनः चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थापित लगभग 171 विपणन समितियों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता हेतु भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरनायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्वर्ण जयन्ती पर कार्यक्रम

3624. **श्री ब्रज भूषण तिवारी :**
श्री जयसिंह चौहान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती समारोह से संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण के लिये कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) दूरदर्शन के कमीशंड कार्यक्रमों की प्रत्येक कड़ी पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) कमीशंड कार्यक्रमों की कड़ियों को दूरदर्शन में विशिष्ट पदों पर आसीन कुछ अधिकारियों द्वारा बेचे जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) 1857 से 1947 के बीच घटी उन घटनाओं की जानकारी जिन्हें लोग कम जानते हैं, प्रदान करवाने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय के किसी एक व्यक्ति को कितने लाख रुपये दिये गये; और

(च) इस शीर्ष के अंतर्गत इतनी बड़ी धनराशि प्रदान करने के क्या कारण और औचित्य हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती समारोह से संबंधित विषयों तथा कार्यक्रमों को अनुमोदित करने के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता में दूरदर्शन के सभी उप महानिदेशकों तथा कार्यक्रम नियंत्रकों को शामिल करके एक समिति गठित की गई है।

(ग) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

राष्ट्रीय नेटवर्क : प्रति प्रकरण	2.50 लाख रुपए।
क्षेत्रीय केन्द्र : प्रति प्रकरण	2.00 लाख रुपए।

(घ) किसी भी व्यक्ति द्वारा कमीशंड कार्यक्रमों के प्रकरणों के विक्रय से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए विवेकाधीन कोटा

3625. **डॉ. जी. आर. सरोदे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी संसद सदस्यों का टेलीफोन कनेक्शन का विवेकाधीन कोटा समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सुविधा को कब तक बहाल करने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई.आर.एफ.सी. के लिए वित्त जुटाना

3626. **श्री सनत मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में स्वदेशी तथा विदेशी बाजार से आई.आर. एफ.सी. के लिए कितना वित्त जुटाने का लक्ष्य है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में 1996-97 के दौरान क्या लक्ष्य तथा उपलब्धियां रही हैं; और

(घ) क्या ऐसे वित्त जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा सभी आवश्यक मंजूरियां दे दी गई हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान, भारतीय रेल वित्त निगम का 2150 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है जिसमें लगभग 1610 करोड़ रुपयें स्वदेशी ऋण से और 540 करोड़ रुपये बाहरी ऋण से जुटाना शामिल है।

(ख) भारतीय रेल वित्त निगम ने स्वदेशी बाजार में कर योग्य और कर मुक्त ब्रांड जारी किए हैं। भारतीय रेल वित्त निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्लोटिंग रेट नोट जारी करके 150 मिलियन अमरीकी डालर भी जुटाए हैं।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान 1850 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया था।

(घ) जी, हां।

फैजाबाद और नई दिल्ली के बीच रेलगाड़ी शुरू करना

3627. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के मार्ग से फैजाबाद और नई दिल्ली के बीच एक नई रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार फैजाबाद और इलाहाबाद के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को हरेक रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए स्टाप उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) बरेली-लखनऊ-प्रतापगढ़ इलाहाबाद-मुगल सराय के बीच आने वाले धीरगंज रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां रुकवाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) क्या धीरगंज रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारों द्वारा यात्री सुविधाओं और टिकटों का आरक्षण करने के लिए सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) ठेकेदारों के खराब कार्यनिष्पादन को देखते हुए सरकार द्वारा भविष्य में उन्हें ठेके न देने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल 6.8.1997 से फैजाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद के रास्ते मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच एक साप्ताहिक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) धीरगंज रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव देने की जांच की गई लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

(च) और (छ) धीरगंज एक हाल्ट स्टेशन है जहां पर रेलवे द्वारा टिकटों की बुकिंग तथा प्लेटफार्मों की साफ-सफाई को छोड़कर सभी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। टिकटों की बुकिंग तथा प्लेटफार्मों पर साफ-सफाई ठेकेदार द्वारा की जा रही है।

(ज) ठेका केवल उन ठेकेदारों को दिया जाता है जिनका विगत में कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है।

धार्मिक धारावाहिक

3628. **श्री श्याम लाल बंशीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रसारण के लिए दूरदर्शन द्वारा किन धार्मिक धारावाहिकों को मंजूरी दी गयी है; और

(ख) इन नये धार्मिक धारावाहिकों को कब से प्रसारित किये जाने की संभावना है; और उन्हें सप्ताह में कितने दिन प्रसारित किया जायेगा और इनकी प्रसारण अवधि कितनी होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान किसी धार्मिक धारावाहिक को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

धनराशि का दुरुपयोग

3629. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार दूरसंचार सर्किल के अंतर्गत रांची, धनबाद, मुजफ्फरपुर तथा जमशेदपुर दूरसंचार जिले में भवनों तथा अन्य विभागीय कार्यों जैसे स्टाफ क्वार्टर के निर्माण में धनराशि का दुरुपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश से ग्रामीण लोगों का उत्प्रवास

3630. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकांश बेरोजगार और भूमिहीन व्यक्तियों को राज्य में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के कारण अन्य राज्यों में उत्प्रवास करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू): (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहित सारे देश में केन्द्र द्वारा जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित लोगों को तरजीह दी जाती है।

विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों में से, सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत गैर कृषि मौसम के दौरान ऐसे ग्रामीण गरीबों को अकुशल शारीरिक श्रम वाला कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जो कि काम करने के इच्छुक हैं और जिन्हें काम की जरूरत है।

[अनुवाद]

कुट्टीपुरम-गुरुवायुर रेल लाइन

3631. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या रेल मंत्री रेल लाइन का सर्वेक्षण के बारे में 19 दिसम्बर 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4099 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में कुट्टीपुरम-गुरुवायुर रेल लाइन के संरेखण संबंधी निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत और प्रस्तावित रेल लाइन की कुल दूरी कितनी है;

(घ) उक्त रेल लाइन कब तक पूरी कर ली जाएगी; और

(ङ) संरेखण/परिणाम के मामले को अब तक अंतिम रूप न दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैकल्पिक संरेखण की लंबाई 30 कि.मी. से 50 कि.मी. तथा इसकी लागत 68 करोड़ रुपये से 112 करोड़ रुपये के बीच है।

(घ) 10वीं योजना के दौरान।

(ङ) चार विभिन्न संरेखण हैं जिनकी इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा सिफारिश की गई है। बेहतर संरेखण के निर्धारण हेतु इन संरेखणों के सापेक्ष गुणदोषों एवं मितव्ययिता की रेलवे के सहयोग से जांच की जा रही है। अगले 2-3 महीनों के अंदर संरेखण का चयन हो जाने की संभावना है।

गुंटूर-विजयवाड़ा रेल लाइन का दोहरीकरण

3632. **श्री के. एस. रायडु**
श्री एम. जगन्नाथ

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मछलीपट्टनम से नई रेलगाड़ी चलाने का है जैसाकि रेल मजदूर यूनियनों द्वारा अनुरोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विजयवाड़ा में रेल मजदूर यूनियनों ने मद्रास में माल ढुलाई को कम करने के लिए मद्रास से मछलीपट्टनम तक लौह अयस्क दूसरे मार्ग से ले जाने हेतु रेल प्राधिकारियों से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) इस समय विजयवाड़ा और कृष्णा केनाल के बीच तीसरी लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है। अभी कृष्णा केनाल गुंटूर खंड पर यातायात उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे दोहरीकरण का औचित्य बनता हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां। 5.7.97 को माननीय रेल मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन में विजयवाड़ा मंडल की दक्षिण मध्य रेलवे मजदूर यूनियन ने मछिलीपटनम पोर्ट की ओर लौह अयस्क यातायात को डायवर्ट करने का सुझाव दिया था।

(च) जब कभी पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा इस यातायात को सम्भालने के लिए मछिलीपटनम में अपेक्षित अवसंरचना का विकास किया जाएगा तब रेलवे यातायात का संचलन कर सकती है।

[हिन्दी]

कार्य बल

3633. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया**
श्री पंकज चौधरी

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. का विचार लंबित "ओ बी" के निपटान और "फाल्ट रिपेयरिंग सर्विस" में सुधार करने के लिए कोई बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उपर्युक्त कार्य बल के स्थापित किए जाने की संभावना है तथा यह कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। लंबित "ओबी" के निपटान तथा दोष मरम्मत सेवाओं में सुधार हेतु एमटीएनएल, दिल्ली में पहले ही एक कार्य बल गठित किया जा चुका है।

(ख) यह कार्य बल महाप्रबंधक एमटीएनएल की अध्यक्षता में गठित किया गया है और इसमें उप महाप्रबंधक स्तर के पांच सदस्य हैं।

कार्य बल के उद्देश्य हैं :

(I) इस प्रकार योजनाएं बनाना जिससे आसानी से अधिकाधिक "ओबी" को क्रियान्वित किया जा सके।

(II) दोष मरम्मत सेवा में सुधार के तरीकों के बारे में सुझाव देना।

(ग) कार्य बल ने 4.7.1997 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

नए भवनों का निर्माण

3634. **श्री केशव महन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1997-98 के दौरान असम में रेलवे स्टेशनों के नए भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रंगिया में स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन शुरू कर दिया गया है। गुवाहाटी जोगीघोपा के बीच नई लाइन पर स्टेशन इमारत का कार्य शुरू कर दिया गया है।

विश्व दूरसंचार संधि

3635. **श्री संदीपान थोरात :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन से विश्व दूरसंचार संधि तथा सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (आई.टी.ए.) के संबंध में सड़क मानचित्र तैयार किए जाने का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के अनुसार दिए गए वचन का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एफआईसीसी ने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर की गई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिए कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल लाइन की मरम्मत

3636. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैनपुरी और फर्रुखाबाद तथा शिकोहाबाद और फर्रुखाबाद के बीच रेल लाइनें खस्ता हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइनों की मरम्मत/नवीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी;

(ङ) क्या फर्रुखाबाद से दिल्ली के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रेलपथ संबंधी कार्य करने के बाद शिकोहाबाद-मैनपुरी पर गति 60 कि.मी. प्र.घं. बढ़ा दी गई है। शेष लम्बाई के लिए भावी निर्माण कार्यक्रम में नवीकरण का प्रस्ताव किया जा रहा है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राइवेट कूरिअर सर्विस

3637. **श्री बाबा बाबूराव परांजपे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग की लापरवाही की वजह से प्राइवेट कूरिअर सर्विस ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली है लेकिन विश्वसनीय कूरिअर सर्विस का डाक शुल्क अधिक है और उनमें से कुछेक कूरिअरों का शुल्क स्पीड पोस्ट की तुलना में कई गुणा अधिक है जिसकी वजह से लोगों को सस्ती कूरिअर सर्विस का उपयोग करना पड़ता है लेकिन वे विश्वसनीय नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग की स्पीड सेवा को कारगर रूप से चलाने के लिए कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। समूचे विश्व में एक प्रेस कम्युनिकेशन की जो जरूरत उभर कर सामने आई है इसका कारण डाक विभाग की लापरवाही नहीं है। स्पीड पोस्ट सेवा काफी विश्वसनीय है तथा अन्य कूरियरों की तुलना में इसकी दरें सस्ती भी हैं। डाक विभाग एक्सप्रेस कम्युनिकेशन तथा ग्राहकों की वितरण जरूरतों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए स्पीड पोस्ट नेटवर्क के विकास, टैक्नालॉजी इन-पुट और उसके कारोबार का विस्तार करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इस सेवा का नेटवर्क और राजस्व निरंतर बढ़ रहा है।

(ख) और (ग) स्पीड पोस्ट में सुधार, विस्तार और उसकी सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। स्पीड पोस्ट को कारोबारी लाइन पर चलाने के लिए एक विभाग में एक अलग व्यापार विकास निदेशालय की स्थापना की गई है।

[अनुवाद]

धुलिया और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण

3638. **डॉ. साहेबराम सुकराम वागुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में नरोना और शिरपुर के मार्ग से धूलिया और इंदौर के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) धुले से नारदाना तक नई बड़ी लाइन तथा शिरपुर तक इसके विस्तार के लिए इस समय सर्वेक्षण चल रहा है। शिरपुर से इंदौर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रांची और लोहरदगा के बीच आमान परिवर्तन

3639. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 की अनुपूरक मांगों में रांची से लोहर दगा के बीच आमान परिवर्तन और इस लाइन को टोरी तक बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जुलाई, 1997 तक शुरू किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए 1997-98 के बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस कार्य के लगभग 10 वर्ष में पूरा होने की संभावना है बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

कागज उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी वित्तपोषण

3640. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने (टी.डी.बी.) कागज उद्योग के लिए पर्यावरण अनुरूप पल्पिंग प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण को वित्तपोषित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(ग) उन अन्य अनुषंगी उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस प्रौद्योगिकी से सहायता मिलेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को पुणे के निजी क्षेत्र की एक कंपनी से कागज उद्योग के लिए पर्यावरण-मित्र पल्पिंग प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण के वित्त पोषण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव मूल्यांकन के विभिन्न चरणों से गुजरा है तथा अंतिम निर्णय बोर्ड द्वारा आवेदक से पूछे गये विशिष्ट प्रश्नों के प्रत्युत्तर पर निर्भर है।

(ग) इस प्रस्ताव में संयंत्र द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट से पिथ के अलावा सह-उत्पाद लिग्निन तथा हेमीसेल्पुलोज की पुनप्राप्ति परिकल्पित है। अतः कच्चे माल के तौर पर लिग्निन आधारित अनुषंगिकों के विकास की संभावना है।

[हिन्दी]

अजमेर से अहमदाबाद तक बड़ी लाइन का निर्माण

3641. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर से अहमदाबाद बरास्ता चित्तोड़गढ़-उदयपुर (राजस्थान) के बीच बड़ी लाइन बिछाये जाने का कार्य आरंभ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन का निर्माण कार्य कब से शुरू किया गया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 262 करोड़ रुपए की लागत पर अजमेर-चित्तोड़गढ़-उदयपुर के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया गया है। उदयपुर-अहमदाबाद का आमान परिवर्तन अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और वास्तविक कार्य के अक्टूबर 97 तक शुरू होने की संभावना है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ तकनीशियनों की पदोन्नति

3642. **श्री भैरू लाल मीणा :**
श्री परसराम मेघवाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ इंजीनियरिंग सहायक और इंजीनियरिंग सहायक के संवर्ग में पदों में कटौती की गई है जिसके कारण वरिष्ठ तकनीशियनों की पदोन्नति के अवसर कम हो गये हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त कटौती के बावजूद अभी भी लोग डी.डी. के. दिल्ली आदि के प्रमुख शहरों में कार्य कर रहे हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वरिष्ठ तकनीशियनों को पदोन्नति नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) सरकार के सामान्य नीति-निर्देशों के एक भाग के रूप में मंत्रालय और प्रत्येक संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायकों और अभियांत्रिकी सहायकों सहित 10% पदों को समाप्त कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अभियांत्रिकी सहायकों आदि की श्रेणी में रिक्तियां न होने के कारण वरिष्ठ तकनीशियनों की पदोन्नति प्रभावित नहीं हुई है।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन की मांग

3643. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के अहमदाबाद, भावनगर, ढोलका और धांधुका जिलों में टेलीफोन कनेक्शन की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त जिलों में 1994 के दौरान आज तक जिलेवार कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किए गए तथा लगाए गए हैं;

(घ) शेष टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) 1 अगस्त, 1997 से 31 दिसंबर, 1998 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त जिलों में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। 31.7.97 तक की स्थिति के अनुसार अहमदाबाद दूरसंचार जिले (ढोलका तथा धांधुका तालुका सहित) तथा भावनगर दूरसंचार जिले में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) समय पर सामग्री एवं संसाधन उपलब्ध होने पर 31.7.97 तक की शेष प्रतीक्षा सूची का मार्च, 1999 के अंतिम चरण तक उत्तरोत्तर रूप से निपटान हो जाने की संभावना है।

(ङ) 1.8.97 से 31.3.98 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :

अहमदाबाद दूरसंचार जिला (ढोलका तथा धांधुका तालुका सहित)	46575
भावनगर दूरसंचार जिला	15110

1998-99 की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, आशा की जाती है कि दोनों जिलों में 31.7.97 तक की शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च, 1999 तक हो जाएगा।

विवरण-I

जिले का नाम	31.7.97 की स्थिति के अनुसार कार्यरत कनेक्शन	31.7.97 को प्रतीक्षा सूची (ख)	31.7.97 को मांग (क + ख)
1. अहमदाबाद दूरसंचार जिला (ढोलका और धांधुका तालुकों सहित)	303186	54522	357708
2. भावनगर दूरसंचार जिला	34229	22044	56273

विवरण-II

जिले का नाम	इन वर्षों के दौरान स्वीकृत और संस्थापित टेलीफोन कनेक्शन				31.7.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
	1994-95	1995-96	1996-97	1.4.97 से 31.7.97	
1. अहमदाबाद दूर संचार जिला (ढोलका और धांधुका तालुकों सहित)	23660	36170	32216	3425	54522
2. भावनगर दूरसंचार जिला	4615	3549	3674	890	22044

[अनुवाद]

नालन्दा में टेलीफोन एक्सचेंज

3644. **श्री रमेन्द्र कुमार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बहुत सीमित

है और यह उपभोक्ताओं को डायनेमिक लॉक फेसिलीटी प्रदान नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी क्षमता में वृध्दि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विस्तार कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। इस समय नालन्दा में सी-डॉट 128 पोर्ट एक्सचेंज काम कर रहा है। ऐसे छोटे आकार के एक्सचेंजों में तकनीकी कारण से डायनेमिक लॉक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) जी, हां। मार्च 1998 तक नालन्दा के मौजूदा एक्सचेंज का 256 पोर्ट तक विस्तार करने की योजना है। तब इस एक्सचेंज में डायनेमिक लॉक सुविधा उपलब्ध होगी।

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

3645. **श्री मदेन्द्र सिंह भाटी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय संयंत्र वार विद्युत का कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) राज्य में कुल कितनी विद्युत की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान नयी विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) अप्रैल से जुलाई, 1997 की अवधि के दौरान राजस्थान में विद्युत का संयंत्र-वार उत्पादन निम्नवत है :

विद्युत संयंत्र	अप्रैल, 97 से जुलाई, 97 के दौरान विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1	2
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	
ताप विद्युत/गैस	
कोटा	1953
रामगढ़ जी टी	81
रा.रा.वि.बो. (ताप-विद्युत)	2034
जल विद्युत	
आर.पी. सागर	153
जवाहर सागर	101
माही बचाव	83
लघु मल विद्युत	2
रा.रा.वि.बो. (जल विद्युत)	339
रा.रा.वि.बो. (योग)	2373
अन्टा गैस (एन.टी.पी.सी.)	884
आर.ए.पी.एस.-न्यूक्लीय (एन.पी.सी.)	238
कुल (राजस्थान)	3495

(ख) 6 जुलाई, 1997 के दौरान राजस्थान में विद्युत की कुल आवश्यकता नीचे दी गई है :

ऊर्जा आवश्यकता	1815 मि.यू.
शिखर मांग	2600 मि.यू.

(ग) से (ङ) राजस्थान में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना विस्तार यूनिट 3 तथा 4 (440 मे.वा.) न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के द्वारा निष्पादन की जा रही है। राजस्थान में सूरतगढ़ ता.वि.के. (250 मे.वा.) को राज्य क्षेत्र के तहत 1997-98 के दौरान प्रचलित किए जाने का कार्यक्रम है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम वर्ष प्रति वर्ष आधार पर तैयार किए जाते हैं। वर्ष 1997-98 के लिए वार्षिक योजना को अभी योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, आर.ई.सी. ने अपनी वित्त पोषित स्कीमों के तहत 480 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों की विवादग्रस्त बकाया धनराशि

3646. **श्री परसराम मेघवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय योजना सहायता से केन्द्रीय क्षेत्र के उपक्रमों के विवादग्रस्त बकाया धनराशि में कमी करने पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विवादग्रस्त बकाया राशि की योजना सहायता से वसूली कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की 7 फरवरी, 1997 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कोयला/रेल/परमाणु ऊर्जा आदि मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया धनराशि के अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की 8006.18 करोड़ रुपये (4345.53 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में और 3660.65 करोड़ रुपये अधिभार/ब्याज के रूप में) की धनराशि को राज्यों को देय केन्द्रीय योजना सहायता से घटाया जाएगा। बकाया देय राशियों की वसूली में लगने वाले वर्षों की संख्या पर ध्यान दिए बिना यह कटौती राज्यों को वार्षिक देय अधिकतम 15% केन्द्रीय योजना सहायता तक सीमित होगी।

काश्तकारों को जमीन

3647. **श्री सुधीर गिरि :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के पास राज्य-वार कुल कितनी फालतू भूमि है;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य-वार लोगों में कुल कितनी भूमि वितरित की गई;

(ग) काश्तकारों की जमीन की मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में फालतू भूमि प्रदान करने के लिए सरकार का क्या लक्ष्य है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) इसके आरम्भ से लेकर मार्च, 1997 तक राज्य के पास फालतू भूमि के राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार क्षेत्रफल और 1995-96 और 1996-97 के दौरान ग्रामीण गरीबों को वितरित भूमि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भूमि और उसका प्रबंधन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार सलाहकार और समन्वयक की भूमिका अदा करती है। तथापि, भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को भूमि प्रदान करने में सुधार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निहित क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	
			1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	636237	10773	3427
2.	असम	575837	3228	3163
3.	बिहार	416529	5816	1841
4.	गुजरात	158046	1530	1892
5.	हरियाणा	85348	189	534
6.	हिमाचल प्रदेश	281652	-	-
7.	जम्मू व कश्मीर	450000	-	-
8.	कर्नाटक	155026	-	937
9.	केरल	94800	171	185
10.	मध्य प्रदेश	299718	85	280
11.	महाराष्ट्र	664352	471	421
12.	मणिपुर	1685	-	-
13.	उड़ीसा	165726	833	958
14.	पंजाब	105151	50	277
15.	राजस्थान	557879	8898	3444
16.	तमिलनाडु	171114	3354	3173
17.	त्रिपुरा	1944	-	-
18.	उत्तर प्रदेश	527036	5624	4870
19.	पश्चिम बंगाल	1224771	10788	-
20.	दादरा व नगर हवेली	9305	76	-
21.	दिल्ली	394	-	-
22.	पांडिचेरी	1160	-	-
	कुल	6583710	51886	25402

[हिन्दी]

बिलों की सुपुर्दगी

3648. **श्री पंकज चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1997 के "दैनिक जागरण" में "250 बिजली बिल घरों की बजाय सड़कों पर पड़े मिले" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दोषी डाकिए को वसुंधरा एनक्लेव डाकघर से स्थानांतरित कर दिया गया है और उसे आरोप-पत्र दिया गया है।

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वितरण कर्मचारियों पर दिल्ली सर्किल कड़ी निगरानी रख रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रोजगार योजनाएं

3649. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों हेतु रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य हेतु राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इसमें योजनावार तथा वर्षवार क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना उड़ीसा राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख रोजगार योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आय सृजक परिसम्पत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर पैदा करना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण गरीबों की तकनीकी दक्षता का विकास करना और जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना है ताकि वे गरीबी रेखा को पार कर सकें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को आवंटित निधियों तथा इन योजनाओं अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

	कुल आवंटित निधियां (करोड़ रु. में)			प्राप्त उपलब्धियां		
	1994-95	1995-96	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
(I) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	67.69	67.64	67.64	1.40 (लाख परिवार लाभान्वित)	1.21	0.91
(II) जवाहर रोजगार योजना	291.28	306.43	140.93	604.51 (सृजित लाख श्रमदिन)	678.31	314.19
(III) सुनिश्चित रोजगार योजना*	98.55*	143.25*	205.34*	281.24 (सृजित लाख श्रमदिन)	311.06	439.36

* चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना मांग आधारित योजना है अतः इसके लिए कोई आवंटन नहीं होता है। ये आंकड़े कुल जारी निधियों को दर्शाते हैं।

गुजरात की ग्रामीण विकास परियोजनाएं

3650. **कर्नल सोनाराम चौधरी**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और पश्चिम राजस्थान की कुछेक परियोजनाएं, विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों की स्वच्छता, पेय जल आपूर्ति परियोजनाएं और ग्रामीण और मरुस्थलों की विकास संबंधी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से लंबित पड़ी हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य शुरू करने के लिए इन राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और किन परियोजनाओं व क्षेत्रों के लिए यह धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उक्त राज्य की लंबित परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित करने की संभावना है और इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लखनऊ रेल डिवीजन में विडाड़ी मजदूरों की बहाली

3651. **श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक (लोक शिकायत) को उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में भूतपूर्व विडाड़ी मजदूरों के जाली दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होने और बहाली के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विडाड़ी मजदूरों को कब तक बहाल किए जाने की संभावना है जिनकी लखनऊ डिवीजन में वर्ष 1984 से 1992 तक लगातार काम करते रहने के बाद छंटनी कर दी गई थी;

(ग) क्या सरकार का विचार जाली दस्तावेजों के आधार पर हुई भर्ती के संबंध में की गई जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में डाक तथा तार का विकास कार्य

3652. **श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चालू वर्ष के दौरान डाक तथा दूरसंचार के क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों के क्रियान्वयन का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान शुरू किए गए कार्य अभी तक अधूरे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान बिहार के लिए निम्नलिखित विकास कार्यों की योजना बनाई गई है :

1. पांच विभागीय उपडाकघर तथा 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना तथा 350 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में इन्फ्रास्ट्रक्चरल इक्विपमेंट का उन्नयन। अब तक मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का जिलावार ब्यौरा विवरण-क के रूप में संलग्न है।

2. 13 डाकघरों में 30 कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की स्थापना। इन डाकघरों की जिलावार सूची विवरण-ख के रूप में दी गई है।

3. बचत बैंक कार्य के लिए पांच डाकघरों में लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना।

4. चार प्रधान डाकघरों के बचत बैंक नियंत्रण संगठन का कम्प्यूटरीकरण।

5. वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स (वीएसएटी) के अंतर्गत रांची, मुजफ्फरपुर व पटना में चुनिंदा डाकघरों में 10 एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनीआर्डर केन्द्रों की स्थापना।

6. बिहार में 1997-98 के दौरान 60,000 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनों तथा 12,000 सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन प्रदान करने सहित 75,000 लाइनों की नेट क्षमता बढ़ाना। सूची संलग्न विवरण-ग में दी गई है।

(ख) और (ग) बरडासा, धनबाद, जमालपुर और बार में भवन परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं।

(घ) अंतर्विभागीय समन्वय में प्रक्रियापरक विलंब निहित था।

विवरण-क

अब तक मंजूर किए गए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों का ब्यौरा

(1) समस्तीपुर जिले में परोरिया

(2) सिंहभूम जिले में झाबरी

(3) गोपालगंज जिले में महुआ

(4) गोपालगंज जिले में सोनगढ़वा

(5) मधुबनी जिले में जास्सो

विवरण-ख

डाकघर का नाम	लगाई गई बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की सं.	जिला
1	2	3
बिहार यूनिवर्सिटी एस ओ	2	मुजफ्फरपुर
रामने एस ओ	2	-वही-
एम.आई.टी	2	-वही-
दरभंगा मेडिकल कालेज	2	दरभंगा
लोहारिया सराय एच ओ	3	-वही-
मुंगेर एच ओ	3	मुंगर
लक्खी सराय एच ओ	2	लक्खी सराय
जामुई एस ओ	2	जामुई

1	2	3
सीवान एच ओ	3	सीवान
सीतामढ़ी बाजार एस ओ	2	सीतामढ़ी
सिंहोर एस ओ	2	सिंहोर
पूर्णिया एच ओ	3	पूर्णिया
पूसा एस ओ	2	समस्तीपुर

विवरण-ग

(क) दूरसंचार आयोग ने 1997-98 के लिए बिहार सर्किल हेतु 75,000 लाइनों, डी.ई.एल. 60,000 तथा वी.पी.टी. 12,000 के नेट कैपेसिटी परिवर्धन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राजस्व जिलेवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

क्रं.	एस एस ए	राजस्व जिला	1997-98 के लिए विकास योजना					
			एमआई एलटी 64 तथा सी 128 पी से सी 256 पी में उन्नयन	सी 256 पी किस्म के नए एक्सचेंज	अन्य एक्स-चेंजों की क्षमता में वृद्धि	निवल स्विचन क्षमता	निवल डीई एल	डीपीटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आरा	भोजपुर	8	1	-	750	600	300
		बक्सर	7	1	-	750	600	240
2.	भागलपुर	भागलपुर	12	1	3000	1500	1200	300
		बांका	8	1	-	100	500	300
3.	छपरा	सारन	13	1	2000	1500	1200	300
		गोपालगंज	7	1	1000	700	500	210
		सीवान	11	-	5000	2500	1200	270
4.	दरभंगा	दरभंगा	19	-	10000	3350	2700	330
		बेगूसराय	12	1	1000	500	400	210
		खगड़िया	13	1	-	875	700	180
		मधुबनी	16	-	6000	1000	800	180
		समस्तीपुर	11	1	1000	750	800	180
5.	डालटनगंज	पलामू	9	1	-	700	500	210
		गढ़वा	6	1	-	385	300	120
6.	दुमका	दुमका	6	1	-	250	200	240
		देवघर	4	1	-	440	350	150
		साहिबगंज	7	1	-	250	200	150
		पाकुर	5	1	1000	300	250	150
		गोड्डा	9	1	1000	250	200	150
7.	धनबाद	धनबाद	10	-	1000	2500	2000	300
		बोकारो	5	-	1000	2725	2300	410
8.	गया	गया	8	1	4000	1125	900	180
		औरंगाबाद	7	1	-	250	200	160
		जहानाबाद	4	1	-	250	200	180
		नवादा	4	1	-	250	200	100
9.	हजारीबाग	हजारीबाग	14	1	5000	740	550	240
		गिरीडीह	16	1	2000	700	500	180
		चतरा	1	1	700	700	500	180
		कोडरमा	8	1	-	200	150	180
10.	जमशेदपुर	पूर्वी सिंहभूम	7	-	20000	8000	6600	360
		पश्चिमी सिंहभूम	7	1	2000	3375	2900	360
11.	कटिहार	कटिहार	7	1	-	750	600	150
		अररिया	6	1	-	500	400	150
		पूर्णिया	11	1	4000	1000	800	150
		किशनगंज	6	1	-	675	700	150
12.	मुंगेर	मुंगेर	6	1	-	1125	900	180
		लखीसराय	5	1	-	3000	4200	180
		शेखपुरा	2	1	-	500	400	180
		जामुई	7	1	1200	500	400	180
13.	मोतीहारी	पूर्व चम्पारन	14	1	3000	2300	1900	360
		प. चम्पारन	13	1	-	875	700	300
14.	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	14	-	2500	3350	2700	300
		सीतामढ़ी	9	1	1000	750	600	190
		वैशाली	14	-	-	750	600	210
		सिंहोर	5	1	-	700	500	210
15.	पटना	पटना	12	-	25000	12500	10000	300
		नालंदा	17	1	-	500	400	300
16.	रांची	रांची	15	1	-	2660	2000	240
		गुमला	6	1	-	500	400	180
		लोहारदगा	5	1	-	375	300	180
17.	सहरसा	सहरसा	17	1	2000	625	400	300
		सुपौल	10	1	-	250	200	150
		मधेपुरा	8	1	-	250	200	150
18.	सासाराम	रोहतास	8	1	-	500	400	300
		भागुंआ	9	-	-	200	300	120
		कुल :	500	46	103400	175000	60000	12000

(ख), (ग) और (घ) के लिए 31.3.1997 की स्थिति।

(ख) जी, डां। 1997-98 के लिए लक्षित सभी कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं। अगस्त, 1997 से मार्च, 1998 की अवधि के दौरान ये कार्य पूरे हो जाएंगे जब अधिकांश सामग्री की सप्लाई प्राप्त होने की आशा है।

(ग) अप्रैल, 1997 से जुलाई, 1997 तक की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(i) 30 सी-128 पी एक्सचेंज तथा 4 एम.आई.एल.टी.पी. का सी 256 पी तक उन्नयन।

(ii) निवल स्विचन क्षमता परिवर्तन 2156 एल

(iii) प्रदान किए गए निवल डी.ई.एल 7301 एल

(iv) प्रदान किए गए वी.पी.टी 180

(ग्राम सार्वजनिक फोन)

(घ) वर्ष के प्रथम 6 माह के दौरान प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है क्योंकि लॉजिस्टिक्स की सप्लाई धीमी है तथा समूचे बिहार में मौसम की स्थिति अत्यंत खराब है।

[अनुवाद]

रेलवे को हुआ नुकसान और लाभ

3653. **डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण-मध्य रेलवे तथा अन्य रेलवे जोनों को जोन-वार कितना नुकसान अथवा लाभ हुआ है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान रेल पटरियों के नवीकरण तथा अन्य विकास कार्यों के संबंध में दक्षिण-मध्य जोन की क्या उपलब्धि रही है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान दक्षिण-मध्य रेलवे द्वारा किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण मध्य तथा अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा उठाया गया घाटा/अर्जित लाभ निम्नानुसार हैं :

अधिशेष (+) कम (-)
(करोड़ रुपये में)

रेलवे	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
दक्षिण मध्य	+175	+310	+331
मध्य	+593	+546	+455
पूर्व	+100	+9	(-)34
उत्तर	+396	+552	+509
पूर्वोत्तर	(-)420	(-)389	(-)459
पूर्वोत्तर सीमा	(-)213	(-)159	(-)376
दक्षिण	(-)209	(-)178	(-)214
दक्षिण पूर्व	+1282	+1398	+1305
पश्चिम	+1079	+1155	+1022

(ख) 1996-97 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे में 213 किलोमीटर (सीटीआर यूनिट) का रेलपथ नवीकरण किया।

1996-97 के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे पर आमान परिवर्तन संबंधी निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

(I) नांदयाल गुंतकल खंड (136 कि.मी.) गुंटूर से गुंतकल तक समूचे मार्ग का आमान परिवर्तन पूरा कर दिया गया।

(II) कैसलरॉक वास्को खंड (85 कि.मी.) हॉसपेट हुबली गोआ से समूचे मार्ग का आमान परिवर्तन पूरा कर दिया गया।

(ग) और (घ) ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	कि.मी.	लागत	परिव्यय 1997-98	मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
नई लाइनें				
1. पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	177	193.12	5.00	पेद्दापल्ली और करीमनगर के बीच परियोजना के चरण-1 पर कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर 1999 है। करीमनगर और निजामाबाद के बीच दूसरे चरण का कार्य, पहले चरण का कार्य पूरा होने और भूमि उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।
2. नांदयाल-येरागुंटला	126	155.77	5.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी योजनाओं और दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
3. काकीनाडा-कोटीपल्ली-लाइन की बहाली	45	44	0.01	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने और राज्य सरकार द्वारा उखाड़ी गई लाइन से विनिर्मुक्त भूमि, जिस पर अब बड़ी संख्या में निर्माण हो चुका है, के बदले भूमि (निःशुल्क) सौंप देने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
4. हुबली-अंकोला	164	480	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी योजनाओं और दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। भूमि उपलब्ध हो जाने पर कार्य शुरू किया जाएगा।
5. मुनीराबाद-महबूबनगर	222	380	0.01	नई लाइन परियोजना, जिसे हाल ही में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण के लिए योजनाओं और दस्तावेजों को तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
6. रायचूर-मचरेला-नलगोंडा नई लाइन के पहले चरण के रूप में चमरेला-नलगोंडा	34	48	0.01	1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित के स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
7. गुलबर्गा-बिदर	116	242	0.01	1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
आमान परिवर्तन				
1. बोलारम-सिकंदराबाद-द्रोणाचलम	331	283.43	53.00	बोलारम-महबूबनगर खंड पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। महबूबनगर से द्रोणाचलम तक शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. गुंटूर-गुंतकल-कल्लुरु	458	452.32	35.00	गुंटूर-गुंतकल खंड पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। गुंतकल-कुल्लूरु खंड को 31.12.98 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. काटपाड़ि-पक्काला-तिरुपति	104	72	15.00	कार्य प्रगति पर है और इसे 31.10.98 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
4. मुदखेड़-आदिलाबाद	162	110.95	36.83	कार्य, निर्माण-स्वामित्व-पट्टा हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत निष्पादित किया जा रहा है और इसे दिसंबर 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
5. सोलापुर (होटगी)-गदंग	300	208	31.10	कार्य प्रगति पर है और होटगी-बीजापुर खंड को दिसंबर 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष खंड को मार्च 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
6. सिकंदराबाद-मुदखेड़-जनकमपेट-बोधन	269	283.52	0.01	अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य कार्य शुरू किया जाना है।
7. धर्मावरम-पक्काला	227	200	0.01	1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5
दोहरीकरण				
1. विजयवाड़ा-कृष्णा कैनल (तीसरी लाइन)	5	23.52	1.00	विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। कार्य को दिसं. 1999 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2. विकाराबाद-तांदूर	41.41	71.83	2.0	तांदूर-रुक्मापुर खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है। रुक्मापुर-विकाराबाद खंड पर कार्य प्रगति पर है। समूचे कार्य को 1998-99 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
3. हासपेट-गुंतकल	115	105.77	42.00 (बोल्ट योजना के अंतर्गत) 0.01 (पूंजी निधि के अंतर्गत)	कार्य को निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण (बोल्ट) योजना के अंतर्गत निष्पादित किया जाना है। बोल्ट बोली प्रलेख तैयार किए जा रहे हैं।
4. गुडूर-रेणिगुंटा	83	139.69	0.01	परियोजना के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति हाल ही में प्राप्त हुई है। विस्तृत अनुमान और निविदा दस्तावेज तैयार करने जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

मूलभूत टेलीफोन सेवाओं का निजीकरण

3654. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर में टेलीफोन सेवाओं संबंधी ठेका भारती टेलीफोन कंपनी को दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन्दौर टेलीफोन को इस निजीकरण से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन्दौर जिला दूरसंचार ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इंदौर दूरसंचार जिला सहित मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स भारती टेलीनेट लि. को लाइसेंस दिया गया है।

(ख) इंदौर टेलीफोन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इंदौर टेलीफोन्स ने, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को बदलने, टेलीफोन एक्सचेंजों और अभिगम्य नेटवर्क के लिए पर्याप्त उपस्करों की व्यवस्था करने, पारेषण माध्यम का विस्तार करने, पर्याप्त संख्या में छोटे सी-डॉट एक्सचेंज और डिजिटल एमएआरआर प्रणालियां प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं का कम्प्यूटीकरण करने वायरलेस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी की शुरूआत तथा मानव संसाधन विकास नीति में सुधार लाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

[अनुवाद]

राजस्थान में रेलवे फाटक लगाना

3655. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1995-96 के दौरान कितने नए रेलवे फाटक लगाए गए;

(ख) क्या पहले श्रीगंगानगर से मुम्बई तक सीधी रेल सेवा थी जो अब बंद कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त सेवा को पुनः शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनूपगढ़ और सूरतगढ़ से दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त सेवा को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कोई नहीं।

(ख) मुम्बई-फिरोजपुर पंजाब मेल को एयर ब्रेक में परिवर्तित किए जाने पर श्रीगंगानगर और मुम्बई के बीच तीन थ्री कोच बंद किए गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इटावा से मैनपुरी के बीच नई रेल लाइन बिछाना

3656. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटावा से मैनपुरी के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने तथा उसका विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त लाइन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) उपरोक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। बहरहाल, इस लाइन को विद्युतीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) इस 60 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण कार्य को 1997-98 के पूरक बजट में 120.00 करोड़ रुपये की लागत पर शामिल कर लिया गया है। जिसके लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 10 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात् इस कार्य को शुरू किया जाएगा।

(घ) पूरा होने की तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

"सेल" के मुनाफे में अनियमितताएं

3657. **श्री चलाई चन्द्र राय :**
श्री सुनील खान :
डॉ. असीम बाला :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेल" के अनुमानित मुनाफे में अनियमितताएं बरती गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (ग) सेल द्वारा लेखे कम्पनी अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार और कम्पनी की लेखा नीतियों के अनुसार रखे जाते हैं और कम्पनी के लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा इनकी विधिवत् रूप से लेखा परीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

3658. **श्री कचरू भाऊ राउत :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में उनके मंत्रालय/विभागों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों का राज्यवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या गैर-अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति इन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्तियों का ब्यौरा निम्नवत् है :

	वर्ग "क"	वर्ग "ख"	वर्ग "ग"	वर्ग "घ"
I खान मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)	-	3	2	-
II भारतीय खान ब्यूरो	3	-	3	-
III भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	49	23	137	7

(ख) इन पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के अलावा कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक द्वारा खनन कार्य

3659. **श्री हरिन पाठक :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन खानों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार खनन कार्य आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से किए जा रहे हैं;

(ख) प्रत्येक खनन कार्य पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य पर कितना व्यय

होने की संभावना है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के जिलों में स्थित खानों के आधुनिकीकरण कार्य पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए खनिज रियात नियम, 1960 और खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रमुख खनिजों के लिए कोई खनन पट्टा नहीं दिया जाता जब तक कि खानों का वैज्ञानिक विकास और खनिजों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो खान हेतु खनन योजनाओं को विधिवत रूप से अनुमोदन न दे दे। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः लगभग 348 और 347 कार्यरत "क" वर्ग यंत्रीकृत खानें थीं जिनमें अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों द्वारा कार्य किये गए। वर्ष 1996-97 के लिए इस प्रकार की खानों के आंकड़े और इस प्रकार की खानों की सूची एकत्र की जा रही है।

(ख) से (घ) खान मालिकों द्वारा किया गया व्यय और किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र नहीं की जाती।

[हिन्दी]

एम ए आर आर टेलीफोन टावर

3660. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर जिलों में एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन स्थापित किए जाने के लिए व्यवस्था की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन के लिए प्रत्येक विकास ब्लॉक में से कितने गांवों को चुना गया है;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक जिले में कुल कितने गांवों और विकास ब्लॉकों में एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन कार्य कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार गांवों में एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन जनपदों के टावर टेलीफोन सुविधायुक्त ब्लॉक एवं ग्रामों की संख्या का विवरण 31.7.97 को इस प्रकार है :

जनपद	ब्लॉक (संख्या)	एम.ए.आर.आर टावर टेलीफोन (संख्या)
देवरिया पड़रौना	29	360
मऊ	09	169
गोरखपुर	19	276
आजमगढ़	21	367
बलिया	17	261

(घ) इनमें से अधिकांश चालू हालत में हैं। खराब उपस्करों को ठीक करने हेतु नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है।

(ङ) इन प्रणालियों के प्रचालन के कारण मूल केन्द्रों, उपभोक्ता दूरस्थ उपस्कर, सोलर पैनल/बैटरी इत्यादि में खराबियों के बढ़ने के कारण इनके प्रचालन में बाधा आती है।

(च) और (छ) सरकार की नीति है कि इस प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोन ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं जोकि आम जनता के लिए सुगम हों। विभाग के दिशा-निर्देशों की सीमा के अंतर्गत सांसदों के दृष्टिकोणों पर भी समुचित रूप से विचार किया जाता है।

विवरण

प्रत्येक ब्लॉक में चुने हुए गांवों की संख्या

ब्लॉक का नाम	ग्रामों की सं०
1	2
जनपद : देवरिया	
गौरी बाजार	28
रुद्रपुर	40
पथेरदेवा	15
रामपुरकारखाना	15
बेसाई देवरिया	25
देवरिया सदन	7
सलेमपुर	22
भागलपुर	25
भालुवाड़ी	7
लार	25

1	2
बरहज	5
भटनी	20
भटपर रानी	12
बंकटा	18
जिला-मऊ	
मऊ	5
मोहम्मदाबाद	41
रानीपुर	35
कोपागंज	10
घोसी	20
फतेहपुर मांडव	10
परदहा	13
रतनपुरा	10
दोहरीघाट	10
जिला-बलिया	
नवा नगर	5
रेवती	5
सियार	9
बेलहरी	8
पन्दहा	11
मनियार	8
नागरा	11
गड़वार	10
बैरिया	8
रसड़ा	12
जिला-आजमगढ़	
पलूहनी	10
मिर्जापुर	3
रानी की सराय	7
जहानागंज	9
छठियांव	8
मोहम्मदपुर	7
तहवारपुर	33
बिलरियागंज	5
आजमगढ़	23
हरैया	11
महाराजागंज	1
कोयलसा	5
अहरौला	4
मार्टिनगंज	28
पोवाई	9
फूलपुर	20
ठेकमा	25

1	2
तरवा	20
लालगंज	20
मेहनगर	25
जिला-गोरखपुर	
बांसगांव	10
खाजनी	10
उरूवा	10
बरहलगंज	10
गोला	10
गगुहा	10
कौड़ीराम	5
बेलघाट	10
पिपरैच	10
भारहट	5
सरदार नगर	5
ब्रह्मपुर	10
शहजदां	10
पोलो	5
खोराबार	10
पिपरौली	5
चूरगवां	5
कैम्पियरगंज	5
जंगला कौडिया	5

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

3661. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए रेल बजट में घोषित नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं को तकनीकी मंजूरी दी गई है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को तकनीकी मंजूरी दी जानी है; और

(घ) चालू बजट के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) उड़ीसा में नई परियोजनाओं की लागत के बारे में 1997-98 के बजट में घोषणा की गई थी तथा 1997-98 का पूरक बजट 501.86 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए विस्तृत अनुमान अभी स्वीकृत किए जाने हैं :

1.	अंगुल-सुकिंदा रोड	- नई लाइन
2.	नरगुंडी-कटक पारादीप-रघुनाथपुर	- दोहरीकरण
3.	लांजीगढ़-टिंटलागढ़	- दोहरीकरण
4.	रहमा-पारादीप	- दोहरीकरण
5.	नौपदा-गुनूपुर	- आमान परिवर्तन

(घ) इन परियोजनाओं के लिए 1997-98 के बजट और पूरक बजट में उपलब्ध कराई गई धनराशि 23 रुपए है।

बाल्को

3662. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मांडला जिले में खुरखुरी वादर स्थित जो खान भारत अल्यूमिनियम कंपनी को पट्टे पर दी गयी थी उसे 1998-99 के दौरान वापस लिये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां कार्य कर रहे श्रमिकों और मजदूरों को नियमित किये जाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाल्को ने सरकार से इजारी वादर में बाक्साइट के खनन के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त कंपनी को अभी तक अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) मध्य प्रदेश के मांडला जिले के खुरखुरी वादर में बाल्को का एक आवासीय/कार्यालय संस्थापन है जो रक्तीवादर और नानहुवादर स्थित बाक्साइट के खनन पट्टों के कार्य की देख-रेख करता है। बाल्को को ये खनन पट्टे 12 सितम्बर, 1999 तक के लिए दिए गए हैं।

(ख) और (ग) रक्तीवादर और नानहुवादर खानों में बाक्साइट भंडारों के समाप्त हो जाने से कामगारों और श्रमिकों की आवश्यकता भी कम हो गई है। तथापि, इन खानों को बंद करते समय बाल्को की सरगुजा जिले के मैनपत आदि जैसी अन्य नई खानों में कंपनी के कामगारों को पुनः तैनात करने की योजनाएं हैं।

(घ) और (ङ) बाल्को को अप्रैल, 1977 में मांडला जिले के इजारीवादर क्षेत्र में बाक्साइट के लिए खनन पट्टा दिया गया था जो 10 वर्ष तक वैध था। तथापि, नवम्बर, 1986 में, जब बाल्को ने खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन दिया तो उसे राज्य सरकार ने इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि खनन पट्टे वाला क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है। बाल्को ने दिसम्बर, 1989 में राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की और केन्द्र सरकार के न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने अपने दिनांक 10 जनवरी, 1990 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को गुण-दोष के आधार पर पट्टे के नवीकरण का निर्णय लेने का परामर्श दिया।

विजयवाड़ा यार्ड में मार्गान्तरण रेल लाइन बिछाना

3663. **श्री पी. उपेन्द्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा यार्ड में मार्गान्तरण रेल लाइन बिछाने और सत्यनारायणपुरम रेल लाइन को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) 1997-98 में 10 लाख रुपये।

(ग) मार्च, 1999 तक।

[हिन्दी]

पंचायती राज व्यवस्था

3664. **श्री नरेन्द्र चुडानिया** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंचायतों को और अधिक शक्तियां देने के संबंध में कोई निर्णय लिया है तथा इसके लिए कानूनों में उचित संशोधन किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री बिंगारप्पू वेंकटनारायण) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पंचायतों को समुचित अधिकार एवं कार्य सौंपने का अनुरोध किया गया है जैसा कि संविधान के भाग-9 में कहा गया है। चूंकि मौजूदा कानून इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैं इसलिए इस कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3665. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास तथा भविष्य में इनकी संभावनाओं के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय ने देश में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता का आकलन करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्नत चूल्हों और बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार आंकलित संभाव्यताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की संभाव्यता के विस्तृत अनुमान जिन्हें देशव्यापी आधार पर तैयार किया गया है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत 31.3.97 तक की राज्यवार संचयी उपलब्धियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण-I

देश में बायोगैस और उन्नत चूल्हों की राज्यवार संभाव्यता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस (लाख सं. में)	उन्नत चूल्हा (लाख सं. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.65	97.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.075	1.50
3.	असम	3.77	36.00
4.	बिहार	9.39	123.83
5.	गोवा	0.08	1.17
6.	गुजरात	5.54	50.72
7.	हरियाणा	3.00	20.61
8.	हिमाचल प्रदेश	1.25	8.53
9.	जम्मू व कश्मीर	1.28	11.75
10.	कर्नाटक	6.80	60.76
11.	केरल	1.50	40.73
12.	मध्य प्रदेश	14.91	101.58
13.	महाराष्ट्र	8.97	96.50
14.	मणिपुर	0.38	2.64
15.	मेघालय	0.24	2.54
16.	मिजोरम	0.022	0.73
17	नागालैंड	0.067	2.01
18.	उड़ीसा	6.05	54.55
19.	पंजाब	4.11	25.38
20.	राजस्थान	9.15	55.54
21.	सिक्किम	0.073	0.73
22.	तमिलनाडु	6.15	80.16
23.	त्रिपुरा	0.28	4.65
24.	उत्तर प्रदेश	20.21	187.45
25.	पश्चिम बंगाल	6.95	98.72
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.022	0.40
27.	चंडीगढ़	0.014	0.66
28.	दादरा व नगर हवेली	0.02	0.25
29.	दमन व दीव	–	0.10
30.	दिल्ली	0.12	9.06
31.	लक्षद्वीप	–	0.1
32.	पांडिचेरी	0.043	0.59

विवरण-II

विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की देश-व्यापी संभाव्यता

स्रोत/प्रौद्योगिकी	आकलित संभाव्यता
बायोगैस संयंत्र	12 मिलियन सं.
उन्नत चूल्हा	120 मिलियन सं.
बायोमास/बायोऊर्जा	17,000 मेगावाट
लघु जल विद्युत	10,000 मेगावाट
पवन ऊर्जा	20,000 मेगावाट
सौर ऊर्जा	20 मेगावाट/वर्ग किलोमीटर
महासागरीय ऊर्जा	78,000 मेगावाट
शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट	1700 मेगावाट

विवरण-III (i)

बायोगैस, उन्नत चूल्हा और बायोमास गैसीफायर कार्यक्रमों के अंतर्गत मार्च, 1997 तक राज्यवार संचयी उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोगैस संयंत्र सं०	उन्नत चूल्हा (लाख सं. में)	बायोमास गैसीफायर (किवा.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	216314	20.85	6004
2.	अरुणाचल प्रदेश	306	0.31	180
3.	असम	23425	2.59	23
4.	बिहार	97189	8.96	20
5.	गोवा	2600	1.05	22
6.	गुजरात	301282	9.65	3596
7.	हरियाणा	32765	8.46	964
8.	हिमाचल प्रदेश	39326	5.97	7
9.	जम्मू व कश्मीर	1493	3.19	120
10.	कर्नाटक	214679	11.27	2329
11.	केरल	49869	6.23	615
12.	मध्य प्रदेश	133043	22.70	4689
13.	महाराष्ट्र	594014	17.47	2312
14.	मणिपुर	1220	0.57	-
15.	मेघालय	449	0.12	-
16.	मिजोरम	1329	0.26	-
17	नागालैंड	658	0.13	-
18.	उड़ीसा	132318	12.79	62
19.	पंजाब	37016	9.12	660
20.	राजस्थान	61376	22.48	218
21.	सिक्किम	1807	0.46	-
22.	तमिलनाडु	189452	19.60	433
23.	त्रिपुरा	675	0.20	-
24.	उत्तर प्रदेश	291689	30.22	511
25.	पश्चिम बंगाल	113101	10.25	500
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	125	0.28	167
27.	चंडीगढ़	97	0.19	-
28.	दादरा व नगर हवेली	165	0.11	-
29.	दमन व दीव	-	0.01	-
30.	दिल्ली	671	2.42	74
31.	लक्षद्वीप	-	0.05	-
32.	पांडिचेरी	539	0.27	-
	कुल :	25,38,992	228.43	23,506

विवरण III (ii)

क्र.सं.	राज्य	लघु पन बिजली (मे.वा.)	पवन ऊर्जा (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7.01	54.290
2	अरुणाचल प्रदेश	20.15	-
3.	असम	2.20	-
4.	बिहार	0.04	-
5.	गोवा	-	-
6.	गुजरात	2.00	146.810
7.	हरियाणा	0.20	-
8.	हिमाचल प्रदेश	9.49	-
9.	जम्मू व कश्मीर	4.37	-
10.	कर्नाटक	10.10	5.845
11.	केरल	3.52	2.025
12.	मध्य प्रदेश	3.25	9.590
13.	महाराष्ट्र	4.32	5.370
14.	मणिपुर	4.10	-
15.	मेघालय	1.51	-
16.	मिजोरम	5.36	-
17	नागालैंड	3.17	-
18.	उड़ीसा	1.26	1.100

1	2	3	4
19.	पंजाब	3.90	-
20.	राजस्थान	4.30	-
21.	सिक्किम	9.25	-
22.	तमिलनाडु	4.75	676.155
23.	त्रिपुरा	1.01	-
24.	उत्तर प्रदेश	31.04	-
25.	पश्चिम बंगाल	7.98	-
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-
27.	अन्य	-	0.465
	कुल :	144.28	901.650

विवरण III (iii)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआरईपी ब्लॉक(सं.)	ऊर्जा पार्क परियोजनाएं (संख्या)	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	32	1	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	-	-
3.	असम	19	-	1
4.	बिहार	16	-	9
5.	गोवा	5	-	-
6.	गुजरात	25	-	22
7.	हरियाणा	29	-	5
8.	हिमाचल प्रदेश	41	-	1
9.	जम्मू व कश्मीर	16	-	2
10.	कर्नाटक	31	-	3
11.	केरल	44	-	-
12.	मध्य प्रदेश	61	1	22
13.	महाराष्ट्र	37	-	61
14.	मणिपुर	12	-	-
15.	मेघालय	15	-	-
16.	मिजोरम	9	-	-
17	नागालैंड	6	-	-
18.	उड़ीसा	16	-	17
19.	पंजाब	35	-	6
20.	राजस्थान	32	-	8
21.	सिक्किम	4	-	-
22.	तमिलनाडु	21	-	34
23.	त्रिपुरा	6	-	2
24.	उत्तर प्रदेश	88	1	51
25.	पश्चिम बंगाल	30	-	6
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5	-	-
27.	चंडीगढ़	1	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	1	-	-
29.	दमन एवं दीव	1	-	-
30.	दिल्ली	5	1	-
31.	लक्षद्वीप	1	-	-
32.	पांडिचेरी	6	-	-
	कुल :	660	4	256

विवरण III (iv)

सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियों की 31.3.1997 तक संचयी राज्यवार संस्थापना

क्र.सं.	राज्य/एजेंसी	एसएलएस (संख्या)	एचएलएस (संख्या)	एसएल (संख्या)	सीएल/टीवीएस (संख्या)	पीवी (सं. केडब्लपूपी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2932	780	6114	4	4/17.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	720	52	1518	14	3/7.90

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	98	764	175	43	2/2
4.	बिहार	619	6	20414	33	-
5.	गोवा	30	31	-	4	2/1.70
6.	गुजरात	1564	370	4100	51	3/14
7.	हरियाणा	689	69	7940	68	5/24.30
8.	हिमाचल प्रदेश	504	2934	8500	11	-
9.	जम्मू व कश्मीर	919	3761	2725	1	-
10.	कर्नाटक	441	-	300	14	-
11.	केरल	598	1056	21715	43	4/4.74
12.	मध्य प्रदेश	5427	100	6348	46	2/9
13.	महाराष्ट्र	2941	72	3792	64	3/6.44
14.	मणिपुर	351	-	767	-	5/5
15.	मेघालय	588	230	2155	-	13/30.52
16.	मिजोरम	233	1901	560	4	-
17	नागालैंड	271	8	-	3	1/6
18.	उड़ीसा	2068	256	1967	58	5/33.91
19.	पंजाब	60	-	682	4	2/2
20.	राजस्थान	5545	1778	4500	115	24/162.15
21.	सिक्किम	93	31	196	6	-
22.	तमिलनाडु	1940	50	2086	38	3/26
23.	त्रिपुरा	248	798	238	194	9/25
24.	उत्तर प्रदेश	470	35,585	28,250	50	63/419
25.	पश्चिम बंगाल	926	1308	2120	5	4/42.1
26.	अंड. व निको. द्वीप समूह	315	390	260	2	25/129.12
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-
29.	दमन व दीव	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	371	-	4508	-	1/5
31.	लक्षद्वीप	564	-	460	-	1/25
32.	पांडिचेरी	2	-	215	-	-
	कुल :	31,527	52330	1,31,190	875	184/999

एसएलएस : सड़े रोशनी प्रणालियां
एसएल : सौर लालटेन
पीपी : विद्युत संयंत्र
एचएलएस : घरेलू रोशनी प्रणालियां
सीएल/टीवीएस : सामुदायिक रोशनी/टीवी प्रणालियां
केडब्लयूपी : किलोवाट पीक

विवरण III (v)

31.3.1997 तक स्थापित की गई सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) जल पंपन प्रणालियों की संचयी राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंपों की संख्या
आंध्र प्रदेश	380
असम	45
अंडमान एवं निकोबार	05
बिहार	92
चंडीगढ़	07
दादर नागर हवेली	01
दिल्ली	42
गुजरात	19
गोवा	14
हरियाणा	17
हिमाचल प्रदेश	01
जम्मू एवं कश्मीर	15
कर्नाटक	103
केरल	241
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	114
मणिपुर	01
मिजोरम	28
उड़ीसा	01
पंजाब	89
पांडिचेरी	14
राजस्थान	146
तमिलनाडु	453
उत्तर प्रदेश	66
पश्चिम बंगाल	44
कुल :	1953

वर्धा रेलवे स्टेशन में गीतांजलि एक्सप्रेस का ठहराव (स्टाप)

3666. **श्री विजय अन्नाजी मुडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीतांजलि एक्सप्रेस का वर्धा रेलवे स्टेशन में ठहराव (स्टाप) देने के संबंध में वर्धा के लोगों को कोई आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) वर्धा रेलवे स्टेशन में इस ठहराव (स्टाप) को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) 2859/2860 गीतांजलि एक्सप्रेस के वर्धा जंक्शन में ठहराव की जांच की गई है लेकिन परिचालनिक रूप से न तो इसे व्यावहारिक पाया गया है और न ही वांछनीय। क्योंकि इस स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यातायात के वर्तमान स्तर को संभालने के लिए मौजूदा गाड़ियों को प्रर्याप्त समझा जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के संबंध में श्वेत पत्र

3667. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारी दल (एन.डब्ल्यू. जी.पी.) ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी. ई. आर.सी.) नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किए जाने सहित विद्युत क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों के संबंध में श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विद्युत संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारी दल (एन.डब्ल्यू.जी. पी.) ने यह उल्लेख किया है कि समुचित योजना के अभाव में विद्युत क्षेत्र में आठवीं योजना में धीमी प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए वजटीय सहायता में वृद्धि करने हेतु तथा उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निर्धारित दर को बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) विद्युत संबंधी राष्ट्रीय कार्यकारी दल सहित विद्युत क्षेत्र से संबद्ध

विभिन्न एजेंसियां, बिजली बोर्डों सहित विद्युत क्षेत्र का सुधार एवं पुनर्गठन किए जाने संबंधी आवश्यकता पर द्रुतगति से विचार करने के लिए अनुरोध कर रही है। सरकार ने विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन किए जाने संबंधी आवश्यकताओं की विस्तारपूर्वक जांच की है और केन्द्र में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग तथा राज्यों में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन किए जाने का प्रस्ताव किया है। विद्युत के क्षेत्र में बदलते परिदृश्य तथा राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय हालत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात् विद्युत संबंधी समान न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया है। यह कार्य योजना विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए आधार तैयार करती है।

(ङ) नौवीं योजना के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तथापि, विद्युत उत्पादन को गति प्रदान करने तथा विद्यमान क्षमता को ईष्टतम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सार्वजनिक क्षेत्र को वर्ष 1997-98 में अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

पेपर बेस्ट फ्लोरिंग शुरू किया जाना

3668. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.डी.एस.ओ. को लकड़ी/प्लाईवुड के विकल्प के रूप में पेपर बेस्ड फ्लोरिंग लेमिनेट्स शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) इस प्रस्ताव का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) रेलवे द्वारा लकड़ी/प्लाईवुड के अन्य कौन-कौन से विकल्प उपयोग करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मैसर्स ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज कलकत्ता पर आधारित उत्पादों के प्रतिस्थापन के रूप में कागज पर आधारित लेमिनेट का प्रस्ताव किया था। मई, 97 में फर्म द्वारा जांच के लिए नमूने सप्लाई किए गए थे। परीक्षण के परिणाम हाल ही में प्राप्त हुए हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। उत्पादन को शुरू करना, निर्धारित मानदंडों के अनुपालन करने पर निर्भर करेगा।

(घ) प्राकृतिक फाइबर पर आधारित लेमिनेट तथा सीमेंट पर आधारित बोर्ड जैसी सामग्री का अध्ययन किया जा रहा है।

टेलीग्राफिस्टों को मजदूरी

3669. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तार घर और विभागीय तार घरों में अल्पकालिक आधार पर कार्य करने वाले टेलीग्राफिस्टों को बढ़ी हुई दर से प्रतिघंटा मजदूरी का भुगतान रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसे पुनः शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख जाएगी।

कर्नाटक में टेलीफोन एक्सचेंज

3670. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है और उनकी क्षमता कितनी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) खोले गए एक्सचेंज इस प्रकार हैं :

वर्ष	नए	बदले गए	कुल
1994-95	61	224	285
1995-96	94	9	103
1996-97	85	107	192

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1997-98 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज

क्र.सं.	एसएसए का नाम	एक्सचेंजो की किस्म	क्षमता	कुल
1	2	3	4	5
1.	बेंगलुर	ओबीसी	10000	60,000
		ए एक्स आई	47000	
		सी-डॉट एसबीएम	3000	
2.	बेलगांव	ओ सी बी	12000	15,080
		सी-डॉट एसबीएम	3080	
3.	बेल्लारी	सी-डॉट एमबीएम	7500	8668
		सी-डॉट एसबीएम	1168	

1	2	3	4	5
4.	बिंदरी	सी-डॉट एमबीएम	500	500
5.	गुलबर्गा	ई-10बी	4000	5296
		सी-डॉट एसबीएम	1296	
6.	रायचूर	सी-डॉट एमबीएम	500	2076
		सी-डॉट एसबीएम	1576	
7.	उत्तर कन्नड	सी-डॉट एमबीएम	3000	4576
		सी-डॉट एसबीएम	1576	
8.	दक्षिण कन्नड	एमबीएम	3000	
		ई-10 बी	5000	16,294
		सी-डॉट एसबीएम	8296	
9.	धारवाड़	ओ सी बी	7000	
		ई- 10 बी	2000	12,296
		सी-डॉट एमबीएम	2000	
		सी-डॉट एसबीएम	1296	
10.	मैसूर	ओ सी बी	10000	
		सी-डॉट एमबीएम	2500	
		ई-10 बी	2000	15,796
11.	तुमुकर	सी-डॉट एमबीएम	2500	
		सी-डॉट एसबीएम	2272	4772
12.	हसन	ई-10 बी	3000	3000
13.	कोलार	सी-डॉट एसबीएम	2080	
		सी-डॉट एमबीएम	6000	8080
14.	माण्डवा	सी-डॉट एसबीएम	576	576
15.	मेरकारा	सी-डॉट एसबीएम	848	848
16.	शिमोगा	ओ सी बी	8000	2216
		ई-10 बी	1000	
		सी-डॉट एसबीएम	3000	
		सी-डॉट एमबीएम	216	
17.	बीजापुर	ई-10बी	500	3856
		सी-डॉट एमबीएम	3000	
		सी-डॉट एसबीएम	356	
18.	चिकमगलूर	सी-डॉट एसबीएम	1400	1400
19.	देवगिरी	ओ सी बी	8000	8576
		सी-डॉट एसबीएम	576	
		कुल जोड़ :		183908
II.	छोटे एक्सचेंजों की स्थापना लाइनें जोड़ कर, उन्नयन करके, नई व्यवस्था तथा रिसाइक्लिंग करके दी गई है।			48532
		सकल जोड़		232440

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन अदालत

3671. **श्री पवन दीवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान और 30 जून, 1997 तक मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रत्येक जिले में किस-किस तारीख को टेलीफोन अदालतें लगाई गई थीं;

(ख) इन अदालतों में जिला-वार कितने मामले प्राप्त हुए और कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) टेलफोन उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) टेलीफोन अदालतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1.	दोषपूर्ण टेलीफोन उपकरण	62
2.	की गई कालों से मीटर में अधिक बिल की शिकायतें	29
3.	दोषपूर्ण केबल/लाइन	22
4.	नए टेलीफोन कनेक्शन की शिकायतें	35
5.	शिफ्टिंग	04
6.	विविध	40
7.	रद्द की गई/अस्वीकृत	21
	कुल	213

विवरण

मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विभिन्न जिलों में वर्ष 1996 के दौरान 30.6.97 तक आयोजित की गई अदालतों के ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों की संख्या, तारीख सहित	अदालत में दर्ज मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1.	बिलासपुर	26.2.96 को 1	11	11
2.	दुर्ग	शून्य	-	-
3.	जगदलपुर	शून्य	-	-
4.	रायगढ़	17.4.96 को 1	56	56
5.	रायपुर	28.3.96 21.6.96 29.11.96 16.5.96 को 4	152	146
7.	राजनंदगांव	शून्य	-	-
		कुल	219	213

ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाना

3672. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिरिक्त विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने के बावजूद अधिकांश यात्रियों को इन रेलगाड़ियों में सीटें नहीं मिल पातीं;

(ख) क्या सरकार ने भविष्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी रेल यात्रियों को बर्थ की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह गए थे।

(ख) और (ग) रेलें, अतिरिक्त भीड़भाड़ विशेषकर ग्रीष्मकाल के दौरान भीड़भाड़ को कम करने के लिए प्रतिवर्ष विशेष गाड़ियां चलाती हैं, अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाती हैं तथा और अधिक गाड़ियां शुरू करती हैं।

[अनुवाद]

मारुति में सवार लोगों द्वारा रेल कर्मचारी को फेंका जाना

3673. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मारुति में सवार कुछ लोगों ने रेलवे फाटक पर तैनात एक रेल कर्मचारी को दिल्ली के नजदीक चलती हुई रेलगाड़ी के सामने धक्का दे दिया जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई;

(ख) यदि हां, तो क्या दोषियों को अब तक पकड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) रेलवे के खर्च पर रेल कर्मचारियों की जीवन का बीमा करने सहित ऐसे खतरों के विरुद्ध उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार का क्या प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) जी, हां। 22.6.97 को मारुति कार में यात्रा कर रहे कुछ अपरिचित व्यक्ति मथुरा-दिल्ली खंड (हरियाणा) पर असावटी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे समपार गेट सं. 569 पर आए और श्री मुंशी नामक गेटमैन पर हमला किया तथा उसे चलती गाड़ी के सामने रेलपथ पर फेंक दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।

राजकीय रेल पुलिस/फरीदाबाद ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दिनांक 22.6.97 को अपराध सं. 250 पर एक मामला दर्ज किया है। अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। मामले की रा.रे.पु./फरीदाबाद द्वारा अभी तक छानबीन की जा रही है।

(घ) रेल कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करना तथा रेल परिसरों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कार्यालय

3674. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कार्यालय में सुचारु कार्यकरण के लिए कितने कर्मचारी अपेक्षित हैं;

(ख) क्या इस कार्यालय में "फैक्स" के संचालन के लिए तीन पालियों में कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके सुचारु कार्यकरण के लिए अध्ययन कराने और अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने का है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) अंतर्राष्ट्रीय तार घर, नई दिल्ली को सुचारु रूप से चलाने के लिए 56 कर्मचारियों की आवश्यकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। अपेक्षित कर्मचारियों की पहले से ही तैनाती की जा चुकी है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन गुजरात

3675. **श्री काशीराम राणा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात स्थित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के संयंत्र, गैस की कम आपूर्ति होने की वजह से अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा गैस की पर्याप्त आपूर्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) गैस आपूर्ति में कमी के कारण गुजरात में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की कवास (645 मे.वा.) तथा गांधार (648 मे.वा.) संयुक्त साइकल गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं अपने

ईष्टतम स्तर पर प्रचालन नहीं कर रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 62% पीएलएफ पर गैस लिंकेज प्रदान किया गया है जबकि ये परियोजना इससे उच्च भार अनुपातों पर विद्युत उत्पादन करने में सक्षम है।

(ग) अत्यधिक गैस उपलब्धता के लिए आवंटित प्राधिकारियों के साथ सतत् प्रयास करते समय कवास परियोजना की गैस टरबाईनों में भी आशोधन किया गया ताकि वे दो ईंधनों पर प्रचालन कर सके। गांधार स्थित गैस टरबाईनों में भी इसी प्रकार के आशोधन करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विद्युत दरों को युक्तिसंगत बनाना

3676. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :**
श्री पी. कोदंडारमैय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता के लिए व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य बिजली बोर्डों और उपक्रमों से अपने विद्युत शुल्क युक्तिसंगत बनाने और उसमें वृद्धि करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछ बिजली बोर्डों और प्राधिकारियों ने हाल ही में शुल्क में काफी वृद्धि की है जबकि अन्य समाज के विभिन्न वर्गों को निःशुल्क बिजली के वितरण सहित लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा और कार्यान्वयन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो समानता और एकरूपता के उपाय करने के लिए शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) 16 अक्टूबर और 3 दिसम्बर, 1996 को आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठकों में अन्तिम रूप प्रदान किये गये विद्युत संबंधी न्यूनतम साझा राष्ट्रीय कार्य योजना (सी.एम.एन.पी.पी.) में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि व्हीलिंग प्रभार समेत फुटकर टैरिफों के निर्धारण के संबंध में निर्णय राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा लिया जाएगा जो तत्काल प्रभाव से प्रत्येक यूटिलिटी के लिए समग्र रूप से न्यूनतम 3% प्रतिफल सुनिश्चित करेगा। नौवीं योजना को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार सी.एम.एन.पी.पी. के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु राज्यों के साथ सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मेघालय के राज्य विद्युत बोर्डों और गोवा के बिजली विभाग ने टैरिफ में ऊर्ध्वगामी संशोधन किया है। तमिलनाडु के कृषि क्षेत्र को निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, कुछ राज्य सरकारें भी 5 एच पी पंप सेट उपयोग करने वाले छोटे किसानों के लिए समय-समय पर निःशुल्क रियायती कृषि टैरिफ की घोषणा करती हैं।

(घ) विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1945 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को विद्युत टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति प्रदत्त है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान यह भी सहमति व्यक्त की गई थी। कृषि क्षेत्र के लिए टैरिफ 50 पैसे कि.वा. से कम नहीं होगी जिसे 3 वर्ष की अवधि के भीतर 50% औसत लागत तक लाया जाना है।

रेल दुर्घटनाएं

3677. **श्री पी. कोदंडारमैय्या :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1996 से जुलाई 1997 तक के बीच हुई गंभीर रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें लोगों की जाने गई हैं;

(ख) मृतकों के निकट संबंधियों तथा घायल व्यक्तियों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही शुरू की गई है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) मई 1996 से जुलाई 1997 की अवधि के दौरान 84 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थी जिनमें व्यक्ति हताहत हुए थे। इनमें 11 टक्करें, 15 गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाएं, 18 चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं और 40 दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई थीं।

(ख) इस अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये तथा अनुग्रह राशि के रूप में 19.75 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

(ग) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाये गये कार्मिकों को उचित दंड दिया जाता है, जिसके लिए डिग्री चूक की गंभीरता और उत्तरदायित्व के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। दंड की समुचितता सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबंधक के स्तर पर बाद में इनकी समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

मडेश्वर जल विद्युत परियोजना

3678. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन मडेश्वर जल विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी निजी पार्टी के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पार्टी का नाम क्या है तथा समझौते की शर्त क्या है;

(ग) मडेश्वर जल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या केन्द्र सरकार ने इसे पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) उक्त परियोजना की लागत कितनी है और क्या निजी पार्टी इस लागत को वहन करने की स्थिति में है; और

(ङ) इस परियोजना का कार्य कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) मडेश्वर जल विद्युत परियोजना (10x40 मेगावाट) को कार्यान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एवं मैसर्स श्री मडेश्वर जल विद्युत निगम लि. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। परियोजना प्रवर्तकों द्वारा कुल अल्पीकरण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के अधीन पर्यावरण दृष्टि की स्वीकृति सहित विभिन्न असांविधिक व सांविधिक स्वीकृतियां पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं। विद्युत गृह की खुदाई का कार्य प्रगति पर है।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 213.29 मिलियन अमरीकी डालर + 812.09 करोड़ रुपए की अनुमानित सम्पूर्ण लागत के साथ परियोजना को तकनीकी-आर्थिक प्रदान की गई है। परियोजना प्रवर्तकों द्वारा निधियों के स्रोत को दर्शाने वाला वित्तीय पैकेज सुनिश्चित नहीं किया गया है।

(ङ) परियोजना को चालू करने का कार्यक्रम मार्च से अगस्त, 2002 दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा में ठोस कचरा परिवर्तन संयंत्र

3679. **श्री जी.ए. चरण रेड्डी** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों के कचरे से आस्थगित ऊर्जा के उपयोग के लिए ठोस कचरा परिवर्तन संयंत्र जो कि देश में इस प्रकार का पहला संयंत्र है विजयवाड़ा में स्थापित होने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संयंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा;

(घ) इस पर कुल कितना खर्च होगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार अन्य जिलों में भी ऐसे संयंत्र लगाने का है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रकार के संयंत्र किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयंत्र से 60 टन प्रतिदिन फ्यूल पैलेट का उत्पादन करने के लिए 200 मीट्रिक टन म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट को प्रोसस किए जाने की उम्मीद है।

(ग) इस संयंत्र के वित्त वर्ष 1997-98 के अंत तक स्थापना कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) इस संयंत्र की अनुमानित लागत 6.0 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से फ्यूल पैलेट उत्पादन करने वाले संयंत्रों सहित शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा का उत्पादन करने वाले परियोजना प्रस्तावों पर, ऐसे प्रस्तावों के परियोजना विकासकर्त्ताओं/प्रमोटरों से प्राप्त होने पर, शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्रतिप्राप्ति के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पात्र राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहनों को देने का विचार किया जाता है। तथापि, आंध्र प्रदेश के किसी भी अन्य जिले से ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

रेल के पुराने डिब्बे

3680. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई उपनगर की तुलना में कलकत्ता उपनगर के हावड़ा-सियालदह तथा खड़गपुर डिवीजनों में पुराने ईएमयू डिब्बे अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुराने रेल डिब्बों के कारण कलकत्ता उपनगर सेक्शन में आये दिन "ब्रेक डाउन" होते रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता उपनगर सेक्शन के पुराने रेल डिब्बों को बदलने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कलकत्ता उपनगर को कितने नये रेल डिब्बों की आपूर्ति की गयी ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गतायु ईएमयू स्टॉक को चरणबद्ध आधार पर बदलने का कार्यक्रम बनाया गया है जो निर्माताओं से नए सवारी डिब्बों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व एवं दक्षिण पूर्व रेलों को आपूर्ति किए गए नए सवारी डिब्बों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	पूर्व रेल	दक्षिण पूर्व रेल	जोड़
1994-95	33	20	53
1995-96	26	18	44
1996-97	119	42	161

हैदराबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

3681. **डॉ. टी. सुब्बरामी रेड्डी :**
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 15 जून, 1997 को मध्य रेलवे के कलढार और मांडी बामोरा स्टेशनों के बीच हैदराबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) इस दुर्घटना में कुल कितनी क्षति हुई और मृतकों के निकट संबंधियों/घायलों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) 2723 डाउन सिकंदराबाद-नई दिल्ली ए.पी. एक्सप्रेस के इंजन और इसके पीछे के 12 सवारी डिब्बे मध्य रेल के भोपाल मंडल के भोपाल-बीना खंड पर कलढार और मांडी बामोरा के बीच 16.6.97 को पटरी से उतर गए थे। इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों को गंभीर चोटें और 6 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं।

(ग) और (घ) रेल संरक्षा आयुक्त/मध्य सर्किल द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई थी। उन्होंने उन अज्ञात व्यक्तियों को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है जिन्होंने जानबूझकर रेलपथ से छेड़छाड़ की तथा फिश प्लेट को हटाया और स्विच विस्तार ज्वाइंट तथा सतत् झलाई युक्त रेलपथ के अग्रिम में सन्निकट शार्ट पटरी को विस्थापित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप रेलपथ संरेखण में अनिरंतरता आ गई।

(ङ) रेल संपत्ति को क्षति का अनुमान 44.75 लाख रुपये लगाया गया है। रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों की डिगरी करने के पश्चात् क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। दावेदारों द्वारा संबंधित रेल दावा अधिकरणों में अभी तक कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है। बहरहाल इस दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में 36,500/- रुपये का भुगतान किया गया है।

गरीफा रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरिपुल का निर्माण

3682. **श्री तरित बरण तोपदार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेल के गरीफा रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफार्म, शेल्टर, पैदल उपरिपुल, बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों को पूरा न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) समयबद्ध अवधि के भीतर उक्त कार्यों को पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये जाएंगे ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) गरीफा में एक प्लेटफार्म सायबान और एक ऊपरी पैदल पुल क्रमशः 4.23 लाख रुपये और 7.32 लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किए गए हैं। ये कार्य लक्ष्य के अनुसार 31.3.98 तक पूरा करने के लिए प्रगति पर हैं। प्लेटफार्मों और प्रतीक्षालयों में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी दूरसंचार घोटाला

3683. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "करोर्स साइफंड ऑफ इन वाराणसी टेलीकाम स्कैण्डल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करा ली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) घोटाले में कितने अधिकारी संलिप्त हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में, गलत टेलीफोन बिलों के संग्रह और भुगतान, बेईमान पीसीओ प्रचालकों के लिए टेलीफोन लाइनों के गैरकानूनी अंतरण, आवासीय सर्विस फोन का दुरुपयोग इत्यादि जैसे विभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया है। ऐसे सभी मामलों की जांच की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) विभागीय जांच कार्रवाई की गई है। जांच के आधार पर, तीन कर्मचारी टेलीफोन बिलों के संग्रह तथा भुगतान संबंधी धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए। उनमें से दो के विरुद्ध विभागीय नियमों के अंतर्गत, कठोर दंड देने के लिए आरोप-पत्र जारी किए गए हैं और तीसरे कर्मचारी को आरोप-पत्र जारी करने की दिशा में कार्रवाई चल रही है। लाइनों के गैर-कानूनी अंतरण/बेईमान पीसीओ प्रचालकों द्वारा दुरुपयोग के मामलों को जांच हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है। जांच के दौरान एक दूरसंचार अधिकारी द्वारा आवासीय सेवा टेलीफोन का दुरुपयोग करके, 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला पकड़ा गया था और इस रकम की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

घटिया आवश्यक सेवाएं

3684. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री काशीराम राणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सर्किल के डाक-तार दूरसंचार के क्षेत्रों में घटिया आवश्यक सेवाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो अनिवार्य सेवाओं में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात में डाक, तार और दूरसंचार सेवाओं की आवश्यक सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं, डाक हुलाई की बाधाओं, डाक के अचानक और आपवादिक रूप से भारी मात्रा में प्राप्त होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से डाक में विलम्ब की यदा-कदा घटनाएं हो जाती हैं।

(ख) निरीक्षण स्टाफ को अचानक विजिट करने तथा एक प्रभावी निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से मेल, वितरण व्यवस्था में सुधार करने व उसकी मॉनीटरिंग करने तथा डाकघरों में पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर हिदायतें दी जाती हैं। डाक, मनीआर्डरों के प्रेषण तथा वितरण, तार सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा जन शिकायतों की ओर पर्याप्त ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण डाकघरों में काउंटर कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा फैसिलिटेशन काउंटर व ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं।

[अनुवाद]

पुराने और क्षतिग्रस्त सवारी डिब्बे

3685. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में रेलगाड़ियों के लिए पुराने और क्षतिग्रस्त सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पुराने सवारी डिब्बों को बदलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या केरल राज्य को नए कम्पार्टमेंट/बोगी भेजने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कितने सवारी डिब्बे भेजे जाने का प्रस्ताव है और इन डिब्बों के केरल कब तक पहुंच जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) केरल में रेलगाड़ियों में उपयोग में लाए गए सवारी डिब्बे युवा आयु के हैं तथा इनमें से कोई भी सवारी डिब्बा गतायु नहीं है। आयु की सीमा से पता चलता है कि केरल में गाड़ियों में चल रहे सवारी डिब्बे अपनी मध्य आयु से बहुत कम के हैं।

(ख) से (घ) 1996-97 के पहली तिमाही के दौरान केरल क्षेत्र में लगभग 160 नए सवारी डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। केरल एक्सप्रेस, नेत्रवती एक्सप्रेस आदि जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियों में नए सवारी डिब्बे मुहैया कराए गए हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन केरल में चल रहे सवारी डिब्बों का चरणबद्ध आधार पर बदलाव जारी रहेगा।

जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव

3686. **श्री डाराधन राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जोधपुर एक्सप्रेस और बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रानीगंज तथा डिमगिरि एक्सप्रेस के दुर्गापुर में ठहराव की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त ठहरावों की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यात्री पैटर्न और यातायात की मात्रा को संभालने के लिए वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता।

आमान परिवर्तन

3687. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या रेल मंत्री आमान परिवर्तन के बारे में 13 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3062 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जानकारी कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

गुजरात सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है

क्रम सं.	परियोजना	1997-98 में परिव्यय (करोड़ रु. में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	दिल्ली-अहमदाबाद (ब.ला) से गांधीनगर को जोड़ना	-	एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
2.	राजकोट-वेरावल का आमान परिवर्तन तथा इसका कोडिनार/ सोमनाथ तक विस्तार	13.00	राजकोट वेरावल भाग के लिए कार्य प्रगति पर है। कोडिनार/ सोमनाथ तक लाइन के विस्तार हेतु एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
3.	पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर, धोला-जसा-महुआ का आमान परिवर्तन	.01	निजी पार्टियों के साथ परियोजना के वित्त-पोषण के लिए तौर-तरीके त ' करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
4.	वीरमगांव-मेहसाणा रेल लाइन का आमान परिवर्तन (भिलडी-वीरमगांव परियोजना का एक हिस्सा)	2.00	कार्य बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। बोल्ट योजना के असफल होने के कारण अब रेलवे की धनराशि द्वारा आमान परिवर्तन शुरू किए जाने की योजना है।
5.	मेहसाणा-पाटन मी.ला. का आमान परिवर्तन (भिलडी-वीरमगांव परियोजना का हिस्सा)	-	फिलहाल, मेहसाणा-पाटन खंड पर कार्य रोक दिया गया है।
6.	नवलखी-दहींसरा, मोरबी-बांकनेर तथा दीनरा मलिया मियाणा रेल लाइन का आमान परिवर्तन	1.00	कार्य को बोल्ट योजना के अंतर्गत करने की योजना बनाई गई थी। बहुत अधिक पट्टी प्रभार तथा स्वीकार न की जाने योग्य शर्तों के कारण इसे रेलवे की धनराशि के द्वारा शुरू करने का विनिश्चय किया गया है।
7.	गांधीधाम-भुज-नलिया रेल लाइन का आमान परिवर्तन	2.12	गांधीधाम-भुज खंड पर कार्य प्रगति पर है, भुज-नलिया खंड के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
8.	गांधीधाम-सामाखियाली-सन्तालपुर-पालनपुर मी.ला. का आमान परिवर्तन	-	1997-98 के बजट में एक सर्वेक्षण शामिल किया गया है।
9.	ब्रांगधरा-कुछ साल्ट साइडिंग का आमान परिवर्तन	.10	इस कार्य को 1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। इस कार्य को गुजरात सरकार तथा नमक विभाग (भारत सरकार) के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जाना है।
10.	भरूच-दहेज तथा अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइन का ब.ला. में आमान परिवर्तन	-	भरूच-दहेज तथा अंकलेश्वर-राजपिपला के आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं। सर्वेक्षण निष्कर्षों के प्राप्त हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

जेल्ली फिल्ड केबल

3688. **श्री राम नाईक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग निविदाएं खोलने के बाद साढ़े तीन माह की अवधि बीत जाने पर भी 250 लाख किलोमीटर लंबी "जेल्ली फिल्ड केबल" खरीदने हेतु निविदा को अंतिम रूप नहीं दे पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) करों के साथ और कर के बिना निविदा मूल्य आमंत्रित करने हेतु सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 230 लाख कन्डक्टर कि.मी. नकद भुगतान के आधार पर प्राप्त करने तथा 120 लाख कि.मी. आस्थगित भुगतान के आधार पर प्राप्त करने सहित 350 लाख कन्डक्टर कि.मी. को प्राप्त करने की निविदा को दिनांक 25.3.97 को खोला गया था। इस निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है तथा नकद-योजना के तहत सफल बोलीदाताओं को दिनांक 17.7.97 को अग्रिम क्रयादेश दिये जा चुके हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निविदा कर सहित कोटेशंस मांगने के लिए आमंत्रित की जाती है जिनमें भुगतान योग्य करों को दर्शाने वाली कीमतों का ब्यौरा अलग से देना होता है।

जामतारा रेलवे स्टेशन से कार्य आरंभ किया जाना

3689. **श्री आर.एल.पी. वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामतारा रेलवे स्टेशन के साथ लगी चित्रा कोयला खान साइडिंग 9 जनवरी, 1997 से चालू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीतारामपुर में धर्मकांटे (वे ब्रिज) की उपलब्धता को देखते हुए कोयले के रेक बिना वजन किए भेज दिए जाने के कारण रेलवे को लगभग एक करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां। चित्रा कोलियरी साइडिंग ने अपना परिचालन 8.1.1997 से शुरू कर दिया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम.ए.आर.आर प्रणाली का कार्यकरण

3690. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कितने 2/15 और 4/30 मल्टी एक्सस रूरल रेडियो स्टिम प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेदक जिलों में कितने 2/15 और 4/30 एम.ए.आर.आर. प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं और ये प्रणाली कहां-कहां स्थापित की गई है एवं इससे कौन-कौन से गांव लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या देश के अधिकाधिक गांवो में एम.ए.आर.आर. प्रणाली के विस्तार की नियमित निगरानी की दिशा में अनुवर्ती कार्यवाही के साथ कोई कार्यक्रम चलाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही 2/15 तथा 4/30 मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो (एमएआरआर) प्रणालियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) हैदराबाद, रंगारेड्डी तथा मेडक में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही 2/15 तथा 4/30 एमएआरआर प्रणालियों की जिलावार संख्या इस प्रकार हैं :

जिला	2/15	4/30
हैदराबाद	शून्य	शून्य
रंगारेड्डी	25	4
मेडक	37	8

इन प्रणालियों से लाभान्वित ग्रामों के नाम तथा उनकी अवस्थिति के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ग) (i) सभी ग्रामों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिए जाने की योजना है।

(ii) प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा अधिकाधिक ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, उपस्करों तथा आवश्यक सामग्री समय पर आपूर्ति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। लक्ष्यों की उपलब्धि पर निगरानी रखी जाती है।

(घ) देश में कुल 5,04,374 ग्राम हैं जिनमें से 31.7.97 की स्थिति के अनुसार 2,71,417 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	दूरसंचार सर्किल का नाम	2/15	4/30
1	2	3	4
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	5
2.	आंध्र प्रदेश	681	94
3.	असम	39	11
4.	बिहार	368	33
5.	गुजरात	468	81
6.	हरियाणा	143	30
7.	हिमाचल प्रदेश	112	10
8.	जम्मू एवं कश्मीर	30	6
9.	कर्नाटक	272	33
10.	केरल	-	30
11.	महाराष्ट्र	781	57

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	945	292
13.	उत्तर पूर्व	23	73
14.	उड़ीसा	39	34
15.	पंजाब	197	34
16.	राजस्थान	364	100
17.	तमिलनाडु	264	47
18.	उत्तर प्रदेश	806	137
19.	पश्चिम बंगाल	92	40

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

3691. **श्री धर्म भिक्षम :**
श्री अनंत गुढ़े :
डॉ. कृपासिंधु भोई :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करने तथा राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए एक योजना शुरू की है;

(ख) क्या भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का कार्य विभिन्न राज्यों में भी किया जा रहा है;

(ग) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति की है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई है तथा 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने तथा भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे सहित राज्यवार प्रगति विवरण के रूप में संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1997-98 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत निधियां जारी नहीं की गई हैं।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97 के दौरान जारी निधियां	
		राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाना और भू अभिलेखों को अद्यतन बनाना	भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.300	15.00
2.	असम	-	80.00
3.	गोवा	6.250	20.00
4.	हिमाचल प्रदेश	148.925	60.00
5.	जम्मू व कश्मीर	193.000	-
6.	कर्नाटक	166.620	95.00
7.	केरल	123.680	30.00
8.	मध्य प्रदेश	332.275	45.00
9.	महाराष्ट्र	234.000	241.00
10.	मणिपुर	-	125.00
11.	मिजोरम	26.500	60.00
12.	उड़ीसा	-	270.00
13.	पंजाब	53.900	75.00
14.	राजस्थान	63.785	210.00
15.	सिक्किम	33.600	-
16.	तमिलनाडु	-	210.00
17.	त्रिपुरा	25.500	15.00
18.	उत्तर प्रदेश	232.120	270.00
19.	पं. बंगाल	200.000	180.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
20.	चंडीगढ़	-	15.00
21.	दिल्ली	10.000	-
22.	लक्षद्वीप	12.210	-
23.	पांडिचेरी	14.910	-
	अखिल भारत	1914.575	2016.00

गुवाहाटी स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र का उन्नयन

3692. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुवाहटी स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे सभी प्रशासनिक तथा अन्य सुविधाओं से युक्त एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय केन्द्र एक छोटा केन्द्र बनने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) 1.4.1997 से सभी प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी शक्तियों के साथ गुवाहाटी के मौसम विज्ञान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र पहले ही किया जा चुका है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में रखा गया है। इसका नेतृत्व मौसम विज्ञान के एक उप महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, बंबई तथा मद्रास अवस्थित अन्य पांच क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्रों की तरह यह एक पूर्णतया क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र है।

क्षतिग्रस्त माइक्रोवेव टावर

3693. **श्री गिरिधर गमांग** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिले के गुनुपुर मुख्य एक्सचेंज और अन्य एक्सचेंजों के साथ दूरसंचार संपर्क गुमा-लक्ष्मीपुरम के निकट माइक्रोवेव टावर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अस्त-व्यस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आज तक अस्थायी वैकल्पिक चैनलों से कार्य चलाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गुनुपुर टेलीफोन एक्सचेंज में केबल संबंधी कार्य पूरा हो जाने के पश्चात "आप्टिकल फाइबर" सम्पर्क प्रदान किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूरसंचार विभाग कोरापुट, उड़ीसा को दूरसंचार प्रणाली का निरीक्षण समय पर किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) गुम्मा में कतिपय उग्रवादियों द्वारा माइक्रोवेव रिपीटर को विस्फोट से ध्वस्त किए जाने के कारण गुनुपुर के दूरसंचार संपर्कों में व्यवधान पैदा हो गया था। वैसे, 8 चैनल वाली ओपेन वायर कैरियर प्रणाली संस्थापित करके, गुनुपुर की ट्रंक सेवाओं को तुरंत बहाल कर दिया गया था। जून, 1996 में, एसटीडी सेवा प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को एमसीपीसी-बी सेट में बदल दिया गया था। स्थायी व्यवस्था के रूप में गुनुपुर को जोड़ते हुए, एक आप्टिकल फाइबर लिंक 30.7.97 को चालू किया गया है जो संतोषप्रद ढंग से काम कर रहा है।

(ग) ऑप्टिकल फाइबर संबद्धता को विलंब से चालू करने के कारण इस प्रकार हैं :

(i) अप्रैल, 1997 में गुनुपुर ओएफसी में 3 फेज पावर फीडिंग ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई थी जिसे जून, 1997 में बदल दिया गया था।

(ii) सर्किट बढ़ाने के लिए गुनुपुर स्थित ऑप्टिकल फाइबर स्टेशन को बेरहामपुर टैक्स से जोड़ने वाला एक एंडलिंक को जुलाई, 1997 में चालू किया था।

(iii) पलाखेमुंडी, गुनुपुर तथा रमनगुडा में भवन के निर्माण में विलम्ब हुआ था।

(घ) और (ङ) जी, हां। एक्सचेंजों के कार्यकरण एवं पारेषण प्रणालियों की दूरसंचार जिला अभियंता, कोरापुट द्वारा स्वयं मॉनीटरिंग करने के साथ-साथ मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार उड़ीसा के प्रचालन योजना प्रकोष्ठ द्वारा तकनीकी जांच रिपोर्ट के माध्यम से इनकी गंभीरता से मॉनीटरिंग की जाती है।

रेल यात्रा के लिए प्रथम/द्वितीय श्रेणी के पास

3694. **श्री एस. अजय कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को प्रथम/द्वितीय श्रेणी के रेल यात्री पास प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितना वेतनमान अपेक्षित है;

(ख) अन्य विभागों के मामले में न्यूनतम कितना वेतनमान अपेक्षित है;

(ग) इस संबंध में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को अन्य विभागों के मामले की तरह द्वितीय श्रेणी के चाहे जितने बार यात्रा कर सकने वाले टिकट या उच्च श्रेणी के एक बार आने-जाने के टिकट या पास के विकल्प की अनुमति देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों सहित भारतीय रेलों में सुविधा पास लेखे में प्रथम श्रेणी का पास प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नानुसार है:

1. 1.8.69 से पहले नियुक्त कर्मचारी

(1) 1530 रुपये या इससे ऊपर का वेतन पाने वाले कर्मचारी बशर्ते कि कर्मचारी उस वेतनमान में हो जिसका अधिकतम 2040 रुपये या अधिक हो।

(2) 1400 रुपये या अधिक वेतन पाने वाली नर्सें तथा लेडी हैल्थ विजिटर जिनका वेतन 1230 रुपये या अधिक हो।

2. 1.8.69 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी लेकिन 31.3.87 के बाद नहीं

(1) 1680 रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी बशर्ते वे उस वेतनमान में हो जिसका अधिकतम 2200 रुपये या उससे अधिक हो।

(2) 1480 या उससे अधिक वेतन पानी वाली नर्स/लेडी हैल्थ विजिटर

3. 1.4.87 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी

3201 रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी यदि वे उस वेतनमान में हैं जिसका न्यूनतम 2000 रुपये है।

4. रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों सहित भारतीय रेलों पर सुविधा लेखे में द्वितीय श्रेणी का पास प्राप्त करने हेतु पात्रता

उपर्युक्त उल्लिखित के अलावा सभी ग्रुप "ग" और "घ" के कर्मचारी

(ख) अन्य विभागों में पासों की प्रणाली नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में खनन कार्य

3695. श्री चनवारी लाल पुरोहित : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी क्षेत्र की उन कंपनियों का ब्यौरा क्या जिन्हें महाराष्ट्र में खनन कार्य कराने की अनुमति दी गई है;

(ख) निजी क्षेत्री की कंपनियों को खनन कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से खनन कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनन अधिकार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देश में, खनन गतिविधि परंपरागत तौर पर, सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों द्वारा की जाती रही है। गैर-आणविक, गैर-ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के लिए महाराष्ट्र में खनन गतिविधि हेतु निजी क्षेत्र की कुल 60 कंपनियों को मंजूरी प्रदान की गई है। खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अनुसार खनन अधिकार कंपनी अधिनिमय, 1956 की धारा (3) की उप-धारा (1) में यथा-परिभाषित कंपनी अथवा भारतीय नागरिक को ही दिए जा सकते हैं। बशर्ते प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी खनिज के संबंध में, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय खान ब्यूरो, नियमित निरीक्षण के माध्यम से, खनिज रियायत एवं विकास नियम, 1988 लागू करता है और खनन के व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के हित में इन नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार के उल्लघंन होने पर उसे ठीक करने हेतु पट्टेदार को कहा जाता है। खनिज रियायत एवं विकास नियम, 1988 का दीर्घकालिक उल्लघंन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध स्थानीय न्यायालयों में मुकदमें दायर किए जाते हैं, यदि वे निर्धारित समय अवधि के अंदर ऐसे उल्लंघनों को ठीक नहीं करती हैं।

असम में अमगुड़ी विद्युत परियोजना

3696. डॉ. अरुण कुमार शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गैस आधारित अमगुड़ी विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा जिनको यह कार्य सौंपा गया है उन ऐजेन्सियों का वितरण क्या है;

(ख) उक्त परियोजना के कार्यों को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) प्रथम समझौता ज्ञापन में से उद्योग द्वारा कितनी गैस का वायदा किया गया है तथा गैस रिसाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) परियोजना चालू करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या वैकल्पिक ईंधन के साथ परियोजना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) असम में अमगुड़ी गैस आधारित विद्युत परियोजना के संबंध में कार्य को अभी हाथ में नहीं लिया गया है। असम सरकार ने इस परियोजना को एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दिया है जिसे अभी इस परियोजना के लिए आवश्यक गैस का आवंटन नहीं किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए एक सुनिश्चित गैस आवंटन के किए जाने पर निर्भर करेगा।

(ङ) और (च) अभी इस परियोजना के लिए किसी वैकल्पिक ईंधन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पटसन उत्पादों का विपणन

3697. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने कपड़ा मंत्रालय के परामर्श से पटसन उत्पादों का विविधीकरण और उनका विपणन करने हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास परियोजना

3698. **श्री अशोक प्रधान** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मेरठ मंडल की कुछ ग्रामीण विकास परियाजनाएं केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) से (ङ) जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का संबंध है, मंत्रालय के पास कोई ग्रामीण विकास परियोजना अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली में पट्टे पर विद्युत परियोजनाओं को पी.एफ.सी. द्वारा वित्त पोषण का प्रावधान

3699. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत परियोजनाओं के लिए पट्टे पर वित्त पोषण करने की संभावना का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार दिल्ली में विद्युत परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) पीएफसी को दिल्ली सरकार/डीवीबी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी परियोजना के लिए पट्टे पर वित्त पोषण करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पश्चिम बंगाल में आकाशवाणी ट्रांसमीशन की क्षमता

3700. **श्री मकबूल जडेजी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों की ट्रांसमीशन क्षमता क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) कुछ केन्द्रों को प्रसारण स्टेशन के रूप में रखने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए अपेक्षित सभी ढांचागत सुविधाएं और उपस्कर इन केन्द्रों पर उपलब्ध हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इनके कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(छ) शेष स्टेशनों को कब तक नियमित आकाशवाणी केन्द्र बना दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) सभी चारों आकाशवाणी केन्द्र पूर्ण रूप से सुसज्जित केन्द्र हैं। इसके अलावा, विदेश सेवाओं के लिए चिनसुराह (मोगरा) में ट्रांसमीटर परिसर है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सभी चारों केन्द्रों के पास कार्यक्रम निर्माण, प्लेबैक एवं अभिग्रहण सुविधाओं वाले स्टूडियो हैं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में चार रेडियो केन्द्र कार्य कर रहे हैं

1. कलकत्ता (i) 100 कि.वा.मी.वे. चैनल "ए"
   (ii) 100 कि.वा.मी.वे. चैनल "बी"
   (iii) 20 कि.वा.मी.वे. चैनल "सी" (विविध भारती)
   (iv) 10 कि.वा.मी.वे. युववाणी
   (v) 50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
   (vi) 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर (स्टीरियो)
2. कुर्सियांग : 20 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
3. सिलीगुड़ी : 200 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
4. मुर्शिदाबाद : 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर

विवरण-II

पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण, विकास और प्रचालन एवं अनुरक्षण पर भी किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	विकास (पूंजीगत)	प्रचालन एवं अनुरक्षण (राजस्व)
1	2	3
कलकत्ता		
1994-95	181.97	516.54
1995-96	125.51	584.33
1996-97	82.45	650.37
कुर्सियांग		
1994-95	55.08	87.40
1995-96	12.37	103.07
1996-97	-	102.93
सिलीगुड़ी		
1994-95	15.58	70.03
1995-96	1.95	83.52
1996-97	40.20	138.57
मुर्शिदाबाद		
1994-95	-	22.03
1995-96	-	21.90
1996-97	-	28.56

लिफ्टिंग बैरियर लगाया जाना

3701. **श्री ए. सम्पत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जोनवार संपूर्ण देश में "लेवल क्रासिंग" पर कितने "लिफ्टिंग बैरियर" लगाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पर कितनी धनराशि का व्यय किया गया है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक "लिफ्टिंग बैरियर" कार्य नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन बैरियर को चालू करने हेतु क्या उपाए किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में समपारों पर लगाए गए लिफ्टिंग बैरियरों की संख्या तथा उन पर खर्च की गई जोनवार राशि नीचे दी गई है :

(लाख रुपये में)

	संख्या	खर्च की गई राशि
1	2	3
म.रे.	81	105.09
पू.रे.	9	33.89
उ.रे.	82	139.95
पूर्वो. रे.	235	263.25
पू.सी.रे	10	23.27
द.रे	123	183.10

1	2	3
द.म.रे	98	136,95
द.पू.रे	0	0
प.रे.	45	71.00
जोड़	683	956.50

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में डाकघर

3702. श्री चमन लाल गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्यों में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान मंजूर किये गये और खोले गये डाकघरों की शाखाओं की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) जम्मू-कश्मीर की जिन ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं खोले गये हैं उनकी जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) राज्य में ग्राम पंचायतों में डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1995-96 में हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या शून्य है तथा वर्ष 1996-97 में जिलावार संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	जिले का नाम	मंजूर किए गए शाखा डाकघरों की संख्या	खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या
हिमाचल प्रदेश			
1.	हमीरपुर	2	2
2.	कुल्लू	1	1
3.	कांगड़ा	7	7
4.	लाहुल एवं स्पीति	2	2
5.	मण्डी	7	7
6.	शिमला	2	2
7.	सोलन	1	1
8.	सिरमौर	1	1
जम्मू एवं कश्मीर		शून्य	

(ख) बिना डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अनन्तनाग	9
2.	बडगांव	14
3.	बारामूला	13
4.	डोडा	2
5.	जम्मू	106
6.	कारगिल	13
7.	कथुआ	5
8.	लेह	13
9.	कुपवाड़ा	21
10.	पुंछ	15
11.	पुलवामा	4
12.	राजौरी	12
13.	श्रीनगर	12
14.	उधमपुर	7
	कुल :	246

(ग) डाकघर मानदंड आधारित औचित्य होने पर खोले जाते हैं बशर्ते कि संसाधन और लक्ष्य उपलब्ध रहें।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए उड़ीसा को धन आवंटन

3703. श्री भक्त चरण दास : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 1996-97 तथा 1997-98 में आज की तारीख तक उड़ीसा को कितना धन आवंटित किया गया है या राज्य सरकार द्वारा इसमें से अब तक कितने धन का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उड़ीसा को निधियों का आवंटन और खर्च निम्नानुसार है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	खर्च
1996-97	241.00	302.60
1997-98	451.17	शून्य

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हुबली में पुल के नीचे सड़क का निर्माण

3704. **श्री विजय संकेश्वर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार कर्नाटक के हुबली स्थित अशोक नगर रेल फाटक पर भूमिगत पुल (रोड़ अंडर ब्रिज) का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त परियोजना में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त पुल के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कार्य पहले से ही स्वीकृत है तथा विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं। नगर निगम, हुबली-धारवाड़ से पहुंच मार्गों के लिए अनुमान की प्रतीक्षा है।

(घ) जब नगर निगम, हुबली-धारवाड़ द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी तब कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बारे में रेडियो से प्रसारण

3705. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण द्वारा अधिक लाभ कमाने तथा इससे बेरोजगारी दूर करने के विचार से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर अधिकतम उपयोग करने के संबंध में रेडियो पर सूचना के प्रसारण हेतु कोई व्यापक योजना बनाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सभी आकाशवाणी केन्द्रों के पास कृषि संबंधी आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों तथा उनसे होने वाले लाभों के संबंध में सूचना प्रसारित करने हेतु प्रतिदिन का निर्धारित समय स्लॉट पहले से ही है। ये कार्यक्रम स्थानीय भाषा/बोलियों में प्रसारित किए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में, आकाशवाणी पर "फार्म स्कूल्स" नामक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इन कार्यक्रमों को श्रोताओं की सक्रिय भागीदारी सहित कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण

3706. **श्री रामजीवन सिंघल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान उन पर कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) क्या भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई दीर्घावधिक कार्यक्रम बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रेलवे प्रणाली का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं जो निम्नलिखित हैं :

(I) कंप्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली

1. इन्टरएक्टिव वॉयस रेसपोंस प्रणाली के माध्यम से स्वचल आरक्षण स्थिति पूछताछ
2. आरक्षण उपलब्धता स्थिति सूचना प्रदर्शन (रैपिड)
3. पांच मुख्य कंप्यूटर प्रणालियों का नेटवर्किंग
4. पांच मुख्य प्रणालियों के बीच उच्च गति दूरसंचार संपर्क की स्थापना

(II) सिगनल

1. रूट रिले अंतर्पाशन
2. रंगीन रोशनी वाली सिगनल प्रणाली
3. सालिड स्टेट अंतर्पाशन
4. श्रव्य फ्रीक्वेंसी रेलपथ परिपथन
5. धुरा काउंटर द्वारा ब्लाक निर्बाध व्यवस्था

(III) दक्षता और अनुसंधान

1. विद्युतीकरण की 2x25 के.पी. प्रणाली का विकास
2. माल गाड़ी परिचालन के लिए 3100 अश्व शक्ति वाले डीजल रेल इंजन

3. 2300 अश्व शक्ति वाले उच्च गति वाले सवारी गाड़ी रेल इंजन

4. डीजल मल्टीपल यूनिटें

5. रेल बसें

6. 3-टियर वातानुकूल वाले शयनयान सवारी डिब्बा

7. सवारी और माल गाड़ी परिचालन के लिए 5000 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजन

8. छत पर लगी ~~वाली यूनिटें~~

9. ईंधन-कुशल डीजल रेल इंजन

10. माइक्रोप्रोसेसर आधारित संरक्षा सिगनल उपस्कर आदि

(IV) चल स्टाक

1. भारतीय रेलों ने 17.15 मिलियन अमरीकी डालर की लागत पर डी.रे. का, वाराणसी में उच्च अश्व शक्ति डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए मैसर्स जनरल मोटर्स यू.एस.ए. के साथ और रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला में आधुनिक हल्के वजन वाले सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मैसर्स लिंक-हॉफमैन-बुश, जर्मनी के साथ समझौता किया है

2. वात-ब्रेक सवारी डिब्बा स्टॉक शुरू करना

3. सवारी डिब्बा स्टॉक पर यूआईसी वेस्टीबुल मार्ग शुरू करना

4. रेल बसें और डीजल मल्टीपल यूनिटें शुरू करना

5. सवारी डिब्बा स्टॉक के लिए बोगियों पर लगी वात प्रणाली शुरू करना

6. अनुरक्षण पद्धति का मानकीकरण

7. उच्च गति फ्रेट स्टॉक शुरू करना

8. कंटेनरों की ढुलाई के लिए नवीन अभिकल्प वाले सपाट माल डिब्बों की शुरूआत

9. सवारी डिब्बा स्टॉक की छत पर लगे वातानुकूल पैकेज की शुरूआत

10. कारखानों का आधुनिकीकरण

(V) बिजली इंजीनियरी

मैसर्स एबीबी से 33 अदद 3-फेज एसी बिजली रेल इंजनों का आयात किया गया है जिनका सेवा परीक्षण किया जा रहा है।

(VI) सिविल इंजीनियरी

पुरानी पटरियों का 52 कि.ग्रा./60 कि.ग्रा. की लंबी ढली हुई रेल पटरियों से तथा लकड़ी और धातु के स्लीपरों का कंक्रीट के स्लीपरों से बदलाव किया जा रहा है। रेलपथ की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और गाड़ियों के संचलन में बखलअंदाजी कम करने के लिए रेलपथों का अनुरक्षण परिष्कृत रेलपथ मशीनों द्वारा किया जा रहा है। बोडनलेखी कारों और अभिलेखी कारों के चालन द्वारा रेलपथ की हालत पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

(VII) दूरसंचार

एनालॉग प्रणाली का डिजिटल प्रणाली से उत्तरोत्तर बदलाव जिसमें डिजिटल माइक्रोवेव, डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज और ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिगनल, कम्प्यूटरीकरण, कारखाना तथा शेडों रेलपथ और दूरसंचार की विभिन्न परियोजनाओं पर किया गया जोनवार खर्च निम्नानुसार है :

रेल	राशि (करोड़ रुपये में)
मध्य	656.00
पूर्व	55.47
उत्तर	575.86
पूर्वोत्तर	192.90
पूर्वोत्तर सीमा	132.89
दक्षिण	285.12
दक्षिण-मध्य	487.65
दक्षिण-पूर्व	834.05
पश्चिम	438.68

(ग) और (घ) भारतीय रेलों को आधुनिक करने के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

(i) कंटेनर की ढुलाई हेतु घर से घर तक सेवा के लिए रोड रेलर प्रणाली की शुरूआत

(ii) दोमंजिले कार वाहक माल डिब्बों का अभिकल्पन करना

(iii) चल स्टॉक के लिए कंपोजिट ब्रेक ब्लॉकों की शुरूआत

(iv) फ्रेट स्टॉक के लिए सेल्फ स्टीयरिंग ट्रैक फ्रेंडली बोगी का विकास और अभिकल्प

(v) डीजल रेल इंजनों के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली का विकास

(vi) 3 फेज ड्राइव एसी इलैक्ट्रिक रेल इंजनों का चि.रे.का. में स्वदेशी रूप से निर्माण करने के लिए मै. ए.बी.बी. से, इन रेल इंजनों की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कर लिया गया है। स्वदेशी प्रोटोटाइप रेल इंजन का निर्माण 1997-98 में किया जाएगा।

(vii) प्रत्याशित यातायात और गाड़ियों की गति को देखते हुए रेलपथ का आधुनिकीकरण और नवीकरण चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। तदनुसार, नौवीं योजना के लिए रेलपथ नवीकरण और आधुनिकीकरण के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। रेलपथ योजना के लिए नौवीं योजना का मुख्य लक्ष्य, 'क', 'ख' और 'ग' मार्गों पर रेलपथ नवीकरण के बकाया को समाप्त करना, 'क', 'ख' और 'ग' मार्गों पर रेलपथ के चालू बकाया को पूरा करना, 'घ' और 'ङ' मार्गों पर बकाया को कम करना, प्रतिवर्ष होने वाले 3250 कि.मी. रेलपथ नवीकरण को पूरा करना, ''क'', ''ख'' और ''ग'' मार्गों पर धातु के स्लीपरों को कंक्रीट स्लीपरों से बदलना, ''क'', ''ख'' और ''ग'' मार्गों पर रनिंग लाइनों पर मौजूदा 90 आर टर्नआउटों का बदलाव करना, प्रतिवर्ष 4 लाख ज्वाइंटों का फ्लैशबट वैल्डिंग प्रक्रिया से झलाई और नौवीं योजना के अंत तक, 1.4.97 को 30 हजार कि.मी. की तुलना में 50,000 कि.मी. को कवर करने के लिए यांत्रिकीकृत रेलपथ अनुरक्षण का विस्तार करने का है। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 13,200 करोड़ रुपये की धनराशि अपेक्षित होगी। बहरहाल, वास्तविक प्रगति रेलपथ नवीकरण के लिए धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(viii) दीर्घकालीन योजना के रूप में, रेलों ने संचार नियंत्रण के लिए रेल विद्युतीकृत क्षेत्र में आप्टिक फाइबर संचार उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया है। इसी तरह, रेल विद्युतीकृत क्षेत्र में मौजूदा भूमिगत दूरसंचार कॉपर केबुलों का बदलाव अपेक्षित होने पर इन्हें आप्टिक फाइबर केबुल से बदला जाएगा।

(ix) मौजूदा इलैक्ट्रो यांत्रिक एक्सचेंजों को चरणबद्ध आधार पर डिजीटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला जा रहा है।

(x) रेलें लम्बी दूरी के प्रशासनिक दूरसंचार परिपथन और भूमिगत दूरसंचार केबुल की विफलता के मामले में नियंत्रण दूरसंचार की बैक-अप प्रदान करने के लिए अपनी पुरानी और घिसी-पिटी एनालॉग माइक्रोवेव दूरसंचार प्रणाली को डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली से बदल रही हैं।

(xi) रेलें आपात्काल/दुर्घटनाओं के मामले में तत्काल संपर्क हेतु गाड़ी, गार्ड और निकटतम स्टेशन के बीच सार्वभौम आपात्कालीन गाड़ी रेडियो दूरसंचार शुरूआत कर रही हैं। इस कार्य को पायलट योजना के रूप में शुरू किया गया है और इसका अन्य खंडों पर विस्तार किया जाएगा।

(xii) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ी चालन की स्थिति के बारे में प्लेटफार्मों पर यात्रियों को सूचित करने के लिए उत्तरोत्तर माइक्रो प्रोसेसर आधारित जनउद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा, प्रवेश द्वारों और प्लेटफार्मों पर गाड़ी सूचना के विजुअल प्रदर्शन की व्यवस्था करने के लिए चरणबद्ध आधार पर महत्वपूर्ण स्टेशनों में इलैक्ट्रानिक गाड़ी प्रदर्शक बोर्ड संस्थापित किए जा रहे हैं।

(xiii) महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ी के बारे में पूछताछ करने के लिए आसानी से याद रखे जा सकने वाले 131 पूछताछ टेलीफोन भी उत्तरोत्तर लगाए जा रहे हैं।

रामगढ़ जी.टी.पी.पी. की क्षमता

3707. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगढ़ जी.टी.पी.पी. की आयोजित क्षमता 160 मेगावाट थी;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस के कम आवंटन के कारण रामगढ़ जी.टी.पी.पी. में 35.5 मे.वा. की मात्र एक इकाई स्वीकृत की गयी;

(ग) यदि हां, तो देश में ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निम्न ताप विद्युत क्षमता के कारण जी.टी. की एक मात्र इकाई खर्चीली पड़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए प्रतिदिन 5 से 10 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड (आरएसईबी) ने रामगढ़ (जैसलमेर जिला) में 160 मेगावाट संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। तथापि 0.55 एम.सी.एम.डी. के सीमित आवंटन के आधार पर रा.रा.बि. बोर्ड द्वारा इस स्टेशन पर केवल एक 35.5 मेगावाट जी.टी. यूनिट स्थापित किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि 2000-2001 तक 0.5 एम.सी.एम.डी. अतिरिक्त गैस उपलब्ध हो सकती है जिससे रा.रा.बि. बोर्ड को दूसरी 35.5 मे.वा., जी.टी. यूनिट स्थापित करने और अन्य 35.5 मे.वा. भाप टरबाईन यूनिट (या उच्च श्रेणी) की अधिष्ठापना के साथ विद्युत संयंत्र के संयुक्त साइकिल प्रचालन हेतु कार्रवाई करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकेगी जिससे दोनों गैस टरबाइनों की निकास नली का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार संबंधी मामले

3708. **डॉ. मुरली मनोहर जोशी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा वर्ष 1995-96 में सिविल कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, बेईमानी और आय से अधिक सम्पत्ति होने के कितने मामले की जांच की गई है;

(ख) इन मामलों में लिप्त अधिकारियों (ग्रेड-वार) की संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन पर बेईमान और भ्रष्ट होने का संदेह है; कोई कार्रवाई की है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने अपने नियंत्रणाधीन सतर्कता अनुभाग द्वारा शक्तियों का प्रयोग किए जाने के बारे में कोई पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) मंत्रालय में इस प्रकार के मामलों जिनमें आरंभिक जांच का आदेश दिया गया था, की संख्या 27 है।

(ख) समूह "क"	- 29
समूह "ख"	- 14
समूह "ग"	- 08

(ग) मंत्रालय में प्राप्त हुई इस प्रकार की शिकायतों की संख्या 59 थी जिनमें से 27 मामलों में आरंभिक जांच के आदेश दिए गए थे। 28 शिकायतों को सतर्कता नियमावली के प्रावधानों के अनुसार फाइल कर दिया गया था और 4 शिकायतों पर कार्रवाई प्रगति पर है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) सतर्कता अनुभाग की शक्तियों के उपयोग के बारे में समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और यह सतर्कता नियमावली के प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य वर्तमान नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है।

[हिन्दी]

चंडीगढ़ में गांवों का विकास

3709. **श्री सत्य पाल जैन :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 1996-97 के दौरान गांवों का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) विभिन्न विकास संबंधी कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और किन निर्माण कार्यों को अभी शुरू किया जाना है; और

(ग) इस संबंध में वर्ष 1997-98 के लिए क्या योजना तैयार की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडु) : (क) जी, हां। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 1996-97 के दौरान किया गया योजनावार आवंटन निम्नानुसार है :

	निधियों का आवंटन
1. फसल उगाना	6.85 लाख रुपए
2. मृदा और जल संरक्षण	3.30 लाख रुपए
3. गांवों का विकास	50.00 लाख रुपए
4. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना	14.00 लाख रुपए
5. गांवों में स्वच्छता और सफाई में सुधार करना	26.10 लाख रुपए
6. संबद्ध महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना	0.35 लाख रुपए
7. विकास कार्यों के लिए पंचायतों को मैचिंग अनुदान	1.50 लाख रुपए

(ख) फसल उगाने, मृदा और जलसंरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने, गांवों में स्वच्छता और सफाई सुधार करने, संबद्ध महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और विकास कार्यों के लिए पंचायतों को मैचिंग अनुदान देने जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर खर्च की गई राशि 52.09 लाख रुपए है। जहां तक गांवों के विकास के लिए निधियों का संबंध है, परियोजनाओं की सम्पूर्ण राशि स्वीकृत की गई है और निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को खर्च करने के लिए दिया गया था। इसे चालू वर्ष के दौरान पूरा किया जाएगा। स्वीकृत परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त के अलावा सांसदों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 27.32 लाख रुपए की राशि खर्च की गई और निम्नलिखित चार परियोजनाओं को पूरा किया गया है :

1. गांव डाडूमाजरा में ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण	8,91,000.00 रुपए
2. गांव मलोया में ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण	7,07,200.00 रुपए
3. गांव खुदा अलीशेर में ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण	6,05,200.00 रुपए
4. गांव बुटैला में ग्रामीण खेलकूद मैदान का निर्माण	5,29,000.00 रुपए
	27,32,400.00 रुपए

(ग) वार्षिक योजना 1997-98 में निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 84.00 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

1.	फसल उगाना	5.00 लाख रुपए
2.	मृदा और जल संरक्षण	4.00 लाख रुपए
3.	पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना	73.50 लाख रुपए
4.	संबद्ध महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना	0.30 लाख रुपए
5.	महिला मंडल को बढ़ावा देना	0.80 लाख रुपए
6.	सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण-अध्ययन दौरे कराना	0.40 लाख रुपए
		84.00 लाख रुपए

विवरण

गांवों के विकास की योजना के अंतर्गत 1996-97 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	कार्यों का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	जमा कराई गई निधियां
1	2	3	4
1.	गांव बड़ुमाजरा में 16 स्ट्रीट लाइट प्वाइंटों की व्यवस्था करना	कार्यकारी अभियंता विद्युत निर्माण प्रभाग संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	93,450 रुपए
2.	9,54,200 रुपए के मूल आकलन की बकाया राशि से सर्कुलर रोड़ कजेड़ी के साथ आर.सी.सी. स्टर्म वाटर पाइप बिछाना	प्रशासक पंचायत समिति, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	43,700 रुपए
3.	खेलकूद मैदान बी बड़ुमाजरा के चारों ओर आर.सी.सी. स्टर्म वाटर पाइप हटाना और पाइप बिछाना	-वही-	9,39,500 रुपए
	(II) दरिया गांव में सर्कुलर रोड़ के साथ-साथ आर.सी.सी. स्टर्म वाटर पाइप लाइन बिछाना	-वही-	8,83,180 रुपए
4.	गांव बड़ुमाजरा में पानी का स्तर पार करने वाली नालियों के मुहानों को तोड़ना और उनका निर्माण करना तथा गलियों में ईंटें बिछाना	-वही-	9,20,700 रुपए
5.	गांव सारंगपुर में सर्कुलर रोड़ के चारों ओर आर.सी.सी. स्टर्म वाटर पाइप लाइन बिछाना (2,83, 500 रुपए)	-वही-	4,61,400 रुपए
	(II) खुड्डा अलीशर में पानी की उचित निकासी के लिए खेलकूद मैदान के पास फिरनी के साथ-साथ आर.सी.सी. स्टर्म वाटर पाइप बिछाना (1,77,900 रुपए)	प्रशासन पंचायत समिति संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	
6.	गांव पलसोरा चंडीगढ़ में नालियों के मुहानों, पानी का स्तर पार करने वाली नालियों को तोड़ना/निर्माण करना तथा सड़कों पर ईंटें बिछाना	-वही-	5,69,850 रुपए
7.	गांव रामपुर खुर्द में सर्कुलर रोड के साथ-साथ आर.सी.सी. मल व्ययन वाटर पाइप लाइन बिछाना	-वही-	5,55,500 रुपए
8.	गांव कलोमाजरा में पानी का स्तर पार करने वाली नालियों को तोड़ना और उनका निर्माण करना भाग-I (1,78,700 रुपए) भाग-II (30,54,000 रुपए)	-वही-	5,32,700 रुपए
		कुल :	49,99,980 रुपए

[अनुवाद]

फ्लाई प्लाई ऐश

3710. **श्री चिंतामन वानगा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के थाणे जिले में डहाणू में मुम्बई इलैक्ट्रिक सप्लाई लिमिटेड कंपनी से फ्लाई प्लाई ऐश का उपयोग करने हेतु अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को फ्लाई प्लाई ऐश से प्रदूषण होने की शिकायतों के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) मुम्बई सब-अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एमएसईएस) की डहानू ताप विद्युत स्टेशन (2x250 मे.वा.) (टीपीएस) से उत्पन्न

उड़न राख का वर्तमान में धोल के रूप में निपटान किया जा रहा है। तथापि, वडानू टीपीएस के समीप एक स्थान पर ईंट और अन्य निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए उड़न राख का प्रयोग करने वाली एक परियोजना स्थापित करने के वास्ते एमएसईबी ने दूसरे फर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केन्द्रीय पर्यावरण और वन (एमओईएफ) मंत्रालय, जिसे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ने इसे इस मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर गठित वडानू तालुका पर्यावरणीय सुरक्षा प्राधिकरण को उसके विचारार्थ और उपयुक्त निर्णय हेतु भेजा है।

उड़न राख के निस्सरण को रोकने के लिए वडानू टीपीएस की दो यूनिटों में इलेक्ट्रोस्टेरिक प्रेसीपिटेटरों (ईएसपी) अधिष्ठापित किए गए हैं। निस्सरण स्तर की मानीटरिंग की जा रही है और यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

[हिन्दी]

वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

3711. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक पेंशनभोगी को कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने वृद्ध लोगों को ऐसी पेंशन दी गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत किए गए आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) और (ग) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त, 1995 से शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 1995-96 और 1996-97 के दौरान जारी की गई धनराशि तथा लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) प्रत्येक पेंशनधारी को केन्द्र तथा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) और (ङ) निधियों की कमी के कारण, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवंटन को बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि और लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2593.74	466000
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.68	0
3.	असम	195.83	35503
4.	बिहार	2109.72	463783
5.	गोवा	6.09	447
6.	गुजरात	441.19	52651
7.	हरियाणा	209.75	37700
8.	हिमाचल प्रदेश	64.56	5315
9.	जम्मू व कश्मीर	147.86	14765
10.	कर्नाटक	870.28	असूचित
11.	केरल	354.55	45037
12.	मध्य प्रदेश	2736.86	136486
13.	महाराष्ट्र	1380.46	11684
14.	मणिपुर	9.65	3103
15.	मेघालय	9.06	641
16.	मिजोरम	3.86	1400
17	नागालैंड	13.31	652
18.	उड़ीसा	784.08	182914
19.	पंजाब	202.23	36500
20.	राजस्थान	552.07	4059
21.	सिक्किम	3.85	असूचित
22.	तमिलनाडु	2179.81	306968
23.	त्रिपुरा	29.47	4746

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	5727.83	954437
25.	पश्चिम बंगाल	976.31	353900
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.68	असूचित
27.	चंडीगढ़	3.59	असूचित
28.	दादरा व नगर हवेली	0.85	300
29.	दमन व दीव	0.52	86
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	52.4	असूचित
31.	लक्षद्वीप	0.30	0
32.	पांडिचेरी	4.16	0
	कुल :	21670.61	3119077

विवरण II

वर्ष 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि और लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4315.02	514946
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.02	278
3.	असम	340.17	44393
4.	बिहार	4275.06	652872
5.	गोवा	9.94	1006
6.	गुजरात	828.57	102575
7.	हरियाणा	349.48	37700
8.	हिमाचल प्रदेश	85.55	10657
9.	जम्मू व कश्मीर	225.45	22719
10.	कर्नाटक	3873.75	692263
11.	केरल	1045.08	77169
12.	मध्य प्रदेश	3650.81	507931
13.	महाराष्ट्र	128.27	40983
14.	मणिपुर	48.98	1971
15.	मेघालय	63.27	4435
16.	मिजोरम	18.85	1204
17	नागालैंड	42.88	2074
18.	उड़ीसा	2578.35	280760
19.	पंजाब	338.35	35429
20.	राजस्थान	976.28	53176
21.	सिक्किम	11.30	800
22.	तमिलनाडु	2573.19	297636
23.	त्रिपुरा	73.49	5987
24.	उत्तर प्रदेश	9019.54	697828
25.	पश्चिम बंगाल	2404.54	282639
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.05	6
27.	चंडीगढ़	9.79	असूचित
28.	दादर व नगर हवेली	1.43	286
29.	दमन व दीव	0.95	138
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	90.63	10253
31.	लक्षद्वीप	0.48	98
32.	पांडिचेरी	0.13	1500
	कुल :	37381.65	4381712

विवरण-III

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पेंशनधारी को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75	शून्य	75
2.	अरुणाचल प्रदेश	75	75	150
3.	असम	75	25	100

1	2	3	4	5
4.	बिहार	75	25	100
5.	गोवा	75	असूचित	75
6.	गुजरात	75	125	200
7.	हरियाणा	75	25	100
8.	हिमाचल प्रदेश	75	25	100
9.	जम्मू व कश्मीर	75	150	225
10.	कर्नाटक	75	शून्य	75
11.	केरल	75	25	100
12.	मध्य प्रदेश	75	शून्य	75
13.	महाराष्ट्र	75	25	100
14.	मणिपुर	75	असूचित	75
15.	मेघालय	75	125	200
16.	मिजोरम	75	25	100
17	नागालैंड	75	25	100
18.	उड़ीसा	75	25	100
19.	पंजाब	75	25	200
20.	राजस्थान	75	25	100
21.	सिक्किम	75	25	100
22.	तमिलनाडु	75	25	100
23.	त्रिपुरा	75	25	100
24.	उत्तर प्रदेश	75	25(शहरी)	100
		75	50(ग्रामीण)	125
25.	पश्चिम बंगाल	75	25	100
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	75	25	100
27.	चंडीगढ़	75	25	100
28.	दादर व नगर हवेली	75	असूचित	75
29.	दमन व दीव	75	शून्य	75
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	75	शून्य	75
31.	लक्षद्वीप	75	25	100
32.	पांडिचेरी	75	25	100

एन.आर. : असूचित

[अनुवाद]

महिला एवं बाल विकास

3712. **डॉ. ए.के. पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अब तक महिला एवं बाल विकास योजनाओं की प्रगति दर में कोई कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडु) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऊपर दर्शाए गए वर्षों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है :

वर्ष	समूह निर्माण का लक्ष्य	वास्तव में बनाए गए समूहों की सं.	खर्च (लाख रु. में)
1994-95	247	315	62.02
1995-96	1033	1092	263.79
1996-97	1033	1033	266.68
1997-98 (जून, 1997 तक)	1033	53	2.26

विश्व ऊर्जा संसाधनों के संबंध में भारत-जापान के बीच समझौता

3713. **श्री आर. साम्बासिवा राव :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान विश्व के ऊर्जा संसाधनों के दोहन को सुनिश्चित करने के लिए साथ-साथ कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और जापान ने समुद्री सहयोग हेतु प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऊर्जा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत और जापान के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एन.एच.पी.सी. में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति

3714. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दुमाजरा :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में लगभग 5000 लोगों के आवश्यकता से अधिक हो जाने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे निगम पर कुल कितनी धनराशि का वार्षिक बोझ पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) में 5000 कर्मचारियों को अधिशेष के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(ख) अधिशेष जनशक्ति का श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत है:

कार्यपालक	शून्य
पर्यवेक्षक	466
कामगार	4530

(ग) वर्तमान में अधिशेष जन शक्ति की प्रत्यक्ष लागत (मूल वेतन व महंगाई भत्ता) लगभग 33.50 करोड़ रुपए वार्षिक बैठता है।

विद्युत की बढ़ती मांग

3715. **श्री नवल किशोर राय :**
जस्टिस गुमान मल लोढा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, घरेलू उपयोग क्षेत्र तथा सरकारी संस्थाओं में हुई विद्युत खपत का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो वार्षिक खपत में इन क्षेत्रों का प्रतिशत कितना रहा और इन क्षेत्रों की मांग से संबंधित क्या मूल्यांकन है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा समुपयोजित की गई विद्युत की मात्रा तथा कुल खपत की प्रतिशतता का विस्तृत वर्ष वार ब्यौरा निम्नवत है :

(बिलियन यूनिट में)

क्षेत्र	1992-93 %	1993-94 %	1994-95 %	1995-96 % (अनंतिम)
कृषि	163.33	70.70	79.30	85.74
	28.70	29.64	30.54	30.80
औद्योगिक	90.17	94.50	100.13	105.29
	40.86	39.61	38.56	37.83
वाणिज्यिक	12.70	14.14	15.97	16.99
	5.73	5.93	6.15	6.11
घरेलू	39.71	43.34	47.92	52.54
	18.00	18.17	18.46	18.87
सरकारी	18.07	18.97	20.15	23.54
	8.19	7.95	7.76	8.46

वर्ष 1996-97 के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं।

वर्ष 2001-02 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में 15वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण द्वारा बनाए गए ऊर्जा मांग के प्रक्षेपण निम्नवत् हैं:

क्षेत्र	(मिलियन यूनिट)
घरेलू	105585.52
वाणिज्यिक	31558.72
सरकारी संस्थान	24426.35
कृषि	1082249.19
औद्योगिक	175092.96
अन्य	4083.04

निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे डाकघर

3716. **श्री डी.पी. यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे डाकघरों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उन्हें प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे डाकघरों को अपने अधिकार में लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला कोई डाकघर नहीं है। डाकघर या तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा अथवा विभाग द्वारा नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाए जाते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेल दुर्घटनाएं

3717. **श्री शिवराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बीना और होशंगाबाद के बीच हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए लोगों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उस क्षेत्र में ऐसी दुर्घटनाएं न हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सूचना इस प्रकार है :

1994-95		7 (टक्कर - 1, पटरी से उतरना - 6)
1995-96	:	1 (समपार)
1996-97	:	8 (पटरी से उतरना - 6, समपार - 1 और गाड़ी में आग लगना - 1)

(ख) मानवीय विफलता और उपस्कर की खराबी।

(ग) रेल दावा अधिकरण द्वारा दावों पर डिगरी दे देने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल, इन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को 56,000 रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) ट्रेक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण लाइनों पर रेलपथ परिपथन कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटनाओं में मानवीय चूक को न्यूनतम करने के लिए सिगनलिंग सर्किटरों में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई टम्पिंग और बलास्ट क्लीनिंग मशीनों का उत्तरोत्तर उपयोग किया गया है।

(iv) रेल पथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यानों, आसिलोग्राफ यानों और पोर्टेबल एक्सिलिरोमीटरों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(v) सवारी और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और बहुत से डिपुओं में इनका प्रेडोम्नयन किया गया है।

(vi) धुरों की कोल्ड ब्रेकेज को रोकने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में धुरों में कमी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासॉनिक जांच उपस्कर लगाए गए हैं।

(vii) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोधक और सड़क संकेत लगाए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(viii) सड़क उपयोगकर्ताओं को इस बात के लिए शिक्षित करने के लिए कि समपार सुरक्षित रूप से कैसे पार करें, श्रव्य-दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(ix) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने से रोकने के लिए उपाय किए गए हैं।

(x) ड्राइवर, गार्ड और गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग करना शामिल है।

(xi) निर्धारित समय अन्तराल पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

(xii) गाड़ी परिचालन से जुड़े कर्मचारियों के निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पायी जाती है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xiii) कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पिपावाव परियोजना के लिए गैस आवंटन

3718. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :**
श्री दिलीप संघाणी :
श्री काशी राम राणा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में ताप्ती गैसी फील्ड से पिपावाव परियोजना तक गैस आवंटन का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस का आवंटन अब तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे अन्य स्रोत से पिपावाव विद्युत परियोजना को गैस आवंटित करने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने 1989 में गुजरात की पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए ताप्ती गैस आवंटित करने का निश्चय किया था। उस समय, यह निर्णय लिया गया था कि गांधार गैस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली गैस को हजीरा तथा एच.वी.जे. पाईपलाइन में लिया जाएगा। बाद में, गुजरात सरकार के अनुरोध पर गांधार गैस को गांधार स्थित दो विद्युत परियोजनाओं को आवंटित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया था कि विद्यमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए ताप्ती गैस को हजीरा तथा एच.वी.जे. में ले लिया जाए। गुजरात सरकार को सलाह दी गई है कि वह वैकल्पिक ईंधन के लिए पीपावाव परियोजना का आधार तैयार करें।

[हिन्दी]

"डायरेक्ट टू होम" टी.वी. सेवा पर प्रतिबंध

3719. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्री उत्तर सिंह दरबार :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "डायरेक्ट टू होम" टी.वी. सेवा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिबंध कब से लगाया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सरकार ने प्रसारण विधेयक, 1997 दिनांक 16.5.97 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीधे घर पर पहुंच टेलीविजन सेवाओं के विनियमन और इनके लिए लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। यह विधेयक फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है। संसद द्वारा यथापारित प्रस्तावित प्रसारण कानून के लागू होने से विदेशी हस्तियों द्वारा पहले पूर्व क्रय अधिकार प्राप्त करने को रोकने की दृष्टि से संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 16.7.97 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 4800 मीटर हर्ट्ज के आवर्तिता बैण्ड से अधिक सिग्नल प्राप्त करने की क्षमता वाले उपस्करों की स्थापना, उनके अनुरक्षण, प्रचालन तथा स्वामित्व पर रोक लगा दी गयी है।

पटना में गंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण

3720. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी के ऊपर पटना में पुल निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 के रेल बजट में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1997 तक इस दिशा में किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स राइट्स द्वारा इस पुल के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और विस्तृत जांच शुरू की गयी है।

(ग) 10वीं योजना अवधि के दौरान बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

तरल ईंधन का आवंटन

3721. **श्री वी.के. गड़वी :**
श्री गोरधनभाई जावीया :
श्री आर. सांबासिवा राव :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री रमेश चेन्निथला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों की विशेषकर केरल और गुजरात की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन के आवंटन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी आवश्यकता कितनी है तथा परियोजनावार कितना वास्तविक आवंटन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तरल ईंधन आवंटित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल और गुजरात सहित विभिन्न राज्य समय-समय पर संबंधित राज्यों में स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित

विभिन्न तरल ईंधन आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए तरल ईंधन के आवंटन हेतु अनुरोध करते रहे हैं। प्रस्तावों की संख्या नापथा/तरल ईंधनों की उपलब्धता से कहीं अधिक होने को मद्देनजर रखते हुए सभी तरल ईंधन प्रस्तावों की भारत सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा क्रमिक राज्यों की आवंटित क्षमता (मे.वा.) के भीतर तरल ईंधन लिंकेज के लिए परियोजनाओं की सिफारिश करने हेतु संबंधित राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर अनन्तिम ईंधन लिंकेज जारी किए गए हैं। गुजरात और केरल सरकार द्वारा क्रमशः अपने दिनांक 25.3.97 तथा 3.4.97 के पत्रों के द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इन राज्यों हेतु अभी तक जिन परियोजनाओं को अनन्तिम ईंधन लिंकेज जारी किए गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात और केरल सरकार द्वारा क्रमशः अपने दिनांक 25.3.97 और 3.4.97 के पत्र के द्वारा सिफारिश की गई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा जिन परियोजनाओं को अनन्तिम ईंधन लिंकेज जारी किया गया है उनका ब्यौरा

क्र.सं	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
	गुजरात	
1.	पीपावाव प्राजेक्ट	615
2.	एईसी (परिवर्तन) 30 मे.वा.*	30
3.	एईसी (विस्तार) 150 मे.वा.*	150
4.	जीएसीएल कैप्टिव/वडेज में सह-उत्पावन*	90
5.	जीएनएफसी कैप्टिव/भडूच में सह-उत्पावन*	31
6.	एल एंड टी कोवाया*	60
7.	सांधी, कच्छ*	52.5
8.	सर्च वेस, इंड., झगाडिया*	41
9.	अरविन्द मिल्स, सतराज*	35
10.	अरविन्द मिल्स, नरौडा*	23
11.	कोर वैरंशव हेल्थकेयर*	19.2
12.	डीसीएम श्रीराम, झगाडिया*	18
13.	एलेम्बिक कैमिकल्स, बडौवरा*	8
14.	ट्रिवूट्रोन झगाडिया*	4

*जीपीसीएल परियोजनाएं (इन परियोजनाओं हेतु अनन्तिम ईंधन लिंकेज डीपीसीएल द्वारा चुने गए आईपीपी के पक्ष में जारी किए जायेंगे। गुजरात सरकार ने पहले ही 510 मे.वा. हेतु सिफारिशें भेज दी हैं जो जांचाधीन हैं।)

1	2	3
15.	चतराल में लघु ताप विद्युत	100
16.	खेरालू में लघु ताप विद्युत	100
17.	झगडिया में लघु ताप विद्युत	50
18.	बीकानेर में लघु ताप विद्युत	50
19.	देवधर में लघु ताप विद्युत	60
20.	शपेर में लघु ताप विद्युत	50
21.	सावली में लघु ताप विद्युत	50
22.	इदर में लघु ताप विद्युत	40
23.	वडेज में लघु ताप विद्युत	50
24.	वगरा में लघु ताप विद्युत	50
25.	सिद्धपुर में लघु ताप विद्युत	50
26.	वसना में लघु ताप विद्युत	50
	बार्ज माउंटेड संयंत्र (इन परियोजनाओं का अनन्तिम ईंधन लिंकेज को जारी करने पर विचार राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तकों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के बाद किया जाएगा)	
27.	पीपावाव बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	100
28.	मल द्वारका बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	100
29.	वडेज बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	30
30.	सीमर बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	30
31.	माण्डवी बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	30
32.	सिक्का-1 बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	100
33.	सिक्का-2 बार्ज माउंटेड पावर प्रोजेक्ट	100
	केरल	
1.	बी.एस.ई.एस.*	107
2.	लोक-ईडीएल*	107
3.	कन्नूर पावर प्रोजेक्ट*	513
4.	बी.पी.एल.	338
5.	कांजीकोड में बाइस	100
6.	मांजेशवरम में फिनोलेक्स	500
7.	पालघाट में इनसर्च	330
8.	विजिंजम में कुमार	330

1	2	3
9.	वियप्पीन द्वीप में सियासिन	650
10.	कुट्टुपरम्बा में किंग्स इंटरनेशनल	53
11.	ए.जी.वी.एल.	105
12.	यूरोकैपिटल	130

* वे परियोजनाएं जिनके लिए अनन्तिम ईंधन लिंकेज जारी कर दिए गए हैं।

राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना

3722. **श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-बंगलोर मार्ग पर चलने वाली रेलगाड़ियों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्रियों के पास प्रतीक्षा सूची की टिकटें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजामुद्दीन तथा बंगलौर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को प्रति दिन चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) कर्नाटक की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए आरक्षण चार्ट तैयार करने के बाद प्रतीक्षा सूची में शेष यात्रियों की संख्या प्रतिदिन औसतन सौ से कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी।

एयरटेल द्वारा निःशुल्क काल का प्रस्ताव

3723. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो सेल्युलर ऑपरेटरों द्वारा एयर टाइम के लिए किसी निःशुल्क कॉल की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निःशुल्क एयर टाइम देने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में दिए गए एयर टेल के विज्ञापन तथा होर्डिंग्स की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो एयरटेल (भारती सेल्युलर) द्वारा अपने ग्राहकों को गुमराह करने के लिए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग ने सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लाइसेंस धारकों द्वारा उनके उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क पर सीलिंग निर्धारित की है। सीलिंग लगाये शुल्कों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रचालक शुल्क की सीलिंग के भीतर न्यूनतम शुल्क वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। कम्पनियां अपने-अपने उपभोक्ताओं के समक्ष भिन्न-भिन्न पैकेज पेश करती हैं। तथापि, ये टैरिफ पैकेज सरकार द्वारा तब तक विनियमित नहीं होते जब तक वे निर्धारित सीलिंग के भीतर रहते हैं।

विवरण

सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए शुल्क की सीमा

शुल्क

1. सेवा के लिए मासिक किराया – 156/- रु. प्रतिमाह
2. प्रतिभूति जमा – 3000/- रु.
3. संस्थापन प्रभार – 1200/- रु.
4. कॉल के लिए प्रभार :

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा किये जाने वाली कालों के लिए : प्रति यूनिट कॉल 10 सैकंड की दर से एयर टाइम प्रभार तथा स्थानीय, एसटीडी तथा आईएसडी कॉलों के लिए स्थिर नेटवर्क के संबंध में लागू प्रभार लिया जाता है। समान सेल्युलर सेवा क्षेत्र में मोबाइल से मोबाइल कॉलों के लिए केवल एयर टाइम प्रभार लिए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ताओं को किये गये कॉलों के लिए : 10 सैकंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार लिये जायेंगे। अगर मोबाइल उपभोक्ता आवक कालों को 5 सैकंड के अंदर काट देता है, तो मोबाइल उपभोक्ता से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. शुल्क पर टिप्पणी :

5.1 मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए काल की अवधि एयर टाइम पर आधारित होगी।

5.2 दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क के उच्चतम स्लैब (फिलहाल प्रति यूनिट 1.40 रु.) के संबंध में लागू यूनिट दर से एयर टाइम यूनिट कॉल प्रभारित किये जाएंगे। सभी कॉलों के लिए उपरोक्त के अनुसार यूनिट दर लागू किये जाएंगे तथा कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.3 व्यस्ततम घंटों के दौरान एयर टाइम के लिए कॉल, प्रभार निश्चित किये जाएंगे जो उपरोक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से दुगुनी से ज्यादा नहीं होंगी। व्यस्ततम घंटों को प्रति दिन अधिकतम 4 घंटे तक सीमित रखा जाएगा। व्यस्ततम घंटे तथा व्यस्ततम घंटे के दौरान एयर टाइम कॉल प्रभारों को, लाइसेंसधारी द्वारा दूर-संचार अधिकारी की सलाह से तय किया जाएगा।

5.4 रविवार तथा तीन राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्तूबर) के दौरान एयर टाइम हेतु कॉल प्रभार की दर उपरोक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से आधी होगी।

5.5 मोबाइल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क के उपभोक्ताओं को किये गये कॉलों के लिए लाइसेंसधारी दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों से कॉलों के समय तथा दिन के अनुसार मोबाइल उपभोक्ता से प्रभार लेगा। इस तरह कॉलों के लिए यूनिट दर, दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क के लिए उच्चतम स्लैब दर होंगी (फिलहाल यह 1.40 रू. है)। सभी कॉलों के लिए उपरोक्त के अनुसार यूनिट दर लागू किये जाएंगे तथा इसके लिए कोई टेलीस्कोपिक दर नहीं है।

5.6 एयर टाइम में कोई भी मुफ्त कॉल नहीं दिये गये हैं।

5.7 स्थिर नेटवर्क से मोबाइल को किये गये कॉलों के लिए मोबाइल उपभोक्ता से एयर टाइम के लिए प्रभार लिये जाएंगे तथा दूरसंचार विभाग को एक्सेस शुल्क के रूप में सेल्पुलर प्रचालक को कोई भुगतान नहीं करना होगा। एयर टाइम प्रभार सेल्पुलर प्रचालक द्वारा वसूल किये जाएंगे।

5.8 मोबाइल से मोबाइल के लिए कॉल करने वाले तथा जिनको कॉल किया गया है दोनों पक्षों से प्रभार लिए जाएंगे।

6. सभी शुल्क के संबंध में की जाने वाली वृद्धि के लिए दूरसंचार प्राधिकारियों तथा/या इससे परवर्ती का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

7. मासिक प्रभार में उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर (मोबाइल हैंड सेट) का मूल्य शामिल नहीं है। उपभोक्ता टर्मिनल उपस्कर को किसी भी स्रोत से खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों का निर्माण

3724. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में दूरदर्शन केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है;

(ख) क्या डीडीहाट, जोरासी, रानीखेत, धारचूला आदि में नए बनाए गए कम शक्ति के ट्रांसमीटर से कार्यक्रमों का प्रसारण रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) यद्यपि पिथौरागढ़ में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा) तथा अल्मोड़ा में एक अति अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.अ.श.ट्रा.) पहले से ही प्रचालन में है तथापि, अल्मोड़ा में मौजूदा अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने संबंधी एक स्कीम वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) हालांकि डीडीहाट में स्थित अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर को छोड़कर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में सभी टी.वी. ट्रांसमीटर सामान्यरूप से कार्य कर रहे हैं तथापि विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के कारण अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर डीडीहाट से नियमित प्रसारण अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है।

[अनुवाद]

टेलीविजन प्रसारण हेतु विदेशी तथा निजी स्वदेशी चैनल

3725. **श्री मधुकर सरपोतदार :**
श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीविजन प्रसारण हेतु निजी विदेशी तथा स्वदेशी चैनलों के लिए कोई विनियमन प्राधिकरण स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन चैनलों से कितना शुल्क/कमीशन वसूल किया जाता है; और

(घ) इस शुल्क/कमीशन के निर्धारण का आधार क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने प्रसारण विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें विदेशी तथा घरेलू निजी टी.वी. चैनलों सहित भारत में प्रसारण सेवाओं की सुविधा और विनियमन के प्रयोजनार्थ भारतीय प्रसारण प्राधिकरण के रूप में जाने-जाने वाले एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में, उक्त विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के विचाराधीन है।

(ग) भारतीय प्रसारण प्राधिकरण की स्थापना होने पर उसके द्वारा इनका निर्धारण किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का निर्यात

3726. **श्री के.सी. कोंडय्या :**
डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 तक 1997-98 के दौरान और जून 1997 तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कितने इस्पात का निर्यात किया गया;

(ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा अपने लाभ में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ग्राहक प्रबोधन और गुणवत्ता में सुधार लाने, परिसम्पत्ति-उपयोग बढ़ाने और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या बोकारों में हॉट स्ट्रिप मिल के आरम्भ होने में विलम्ब के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) 1996-97 के दौरान सेल ने 4.79 लाख टन इस्पात का निर्यात किया जबकि 1997-98 में जून, 1997 तक 2 लाख टन इस्पात और लगभग 60,000 टन कच्चे लोहे का निर्यात किया गया था।

(ख) और (ग) इसके अतिरिक्त "सेल" अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए सतत् आधार पर कदम उठा रहा है। इन कदमों में अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन, तकनीकी-आर्थिक घटकों में सुधार अर्थात् कोकदर, ऊर्जा खपत एवं धात्विक आदान में कम करना, उत्पादन में सुधार करना, निजी विद्युत सृजित करना, सघन ग्राहक सम्पर्क, बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र, गुणता में सुधार, ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन संबंध, सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि में नेतृत्व, प्रचालन लागतों का कड़ा नियंत्रण और प्रबोधन, उच्च उत्पादकता और फील्ड अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता देना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात में वृद्धि करने के लिए सेल द्वारा किए गए उपायों में संगत निर्यात, अभिज्ञात बाजार खंडों में अपनी उपस्थिति बनाए रखना, मूल्य-वर्धित निर्यात, उन्नत बाजार आसूचना, विदेशों में प्रेषण अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, भंडारण और संभाल सुविधाओं का विकास करना इत्यादि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) बोकारो में तप्त पत्ती मिल (एचएसएम) के आधुनिकीकरण का कार्य करने में विलम्ब होने से उत्पादन निष्पादन प्रभावित हुआ है। तथापि सेल एचएसएम, का कार्य पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है जिसमें नियमित प्रबोधन और संविदा एजेन्सियों के साथ समन्वय, कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्य बंद करना, उपस्करों की सप्लाई शीघ्र करवाने में सहायता करना तथा संविदा एजेन्सियों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना आदि, शामिल हैं।

शुल्क दर नीतियां

3727. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :**
श्री आर. साम्बासिबा राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार की शुल्क दर नीतियों में संशोधन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति लाइन राजस्व में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो 31 जनवरी, तक प्रति लाइन प्रति माह समग्र राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मई, 1993 से शुल्क दर में कोई वृद्धि नहीं हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो शुल्क दर नीति को फिर से लागू करने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पी. एंड टी. हाउसिंग वेलफेयर सोसायटी

3728. **डॉ. बलिराम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अन्तर्गत वानिकी विभाग ने पी. एंड टी. हाउसिंग वेलफेयर सोसायटी, काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली के टाईप I, II, और III क्वार्टरों के निकट पार्क में घास और पौधे नहीं लगाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) टाईप I, II, तथा III क्वार्टरों के समीपवर्ती पार्कों में घास लगाने का कार्य पूरा हो गया है। उनमें पेड़ लगाने का कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में जन्मभूमि कार्यक्रम के साथ रोजगार आश्वासन योजना का विलयन

3729. **श्री के.एस.आर. मूर्ति :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जन्मभूमि कार्यक्रम के साथ रोजगार आश्वासन योजना का विलय कर दिया है;

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान जे.आर.वाई, आई.ए.वाई., डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. जैसी योजनाओं में राज्य

सरकार का शेयर के रूप में किए गए अंशदान का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि आई.ए.वाई., जे.आर.वाई., डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. के लिए लाभभोगियों का चयन इस संबंध में केन्द्रीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके राजनीतिक आधार पर किया जाता है; और

(घ) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने को रोकने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना और ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिशत अंशदान निम्नानुसार हैं :

कार्यक्रम	कुल आवंटन में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रतिशत अंशदान	
	1995-96	1996-97
जवाहर रोजगार योजना	20.00	20.00
इंदिरा आवास योजना	20.00	20.00
ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना	28.85	57.51

(ग) और (घ) राजनीतिक आधार पर लाभार्थियों का चयन करने के लिए उपर्युक्त कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु जब भी और जैसे ही केन्द्रीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आता है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए तत्काल संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में डाक सुविधाएं

3730. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक देश के कितने गांवों में डाक तथा टेलीग्राफ सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार कितने डाक तथा टेलीग्राफ कार्यालय खोले गये;

(ग) क्या प्रत्येक गांव में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 109331 है जहां अभी तक डाकघर नहीं खोले गए हैं। तथापि, सभी गांवों को नजदीकी डाकघर से डाक काउंटर सुविधाएं तथा डाक वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

देश में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या से संबंधित जानकारी, जिनमें अभी तक तार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, एकत्र की जा रही हैं तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या से संबंधित डाक सर्किलवार जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए तारघरों तथा संयुक्त डाक-तारघरों की संख्या से संबंधित राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) डाकघर मानदंडों पर आधारित औचित्य होने व संसाधन और लक्ष्य उपलब्ध होने पर खोले जाते हैं।

सभी ग्राम पंचायतों में तार सुविधा उपलब्ध कराने की दूरसंचार विभाग की कोई नीति नहीं है क्योंकि यह सुविधा मांग होने तथा ट्रैफिक की मात्रा पर आधारित औचित्य होने पर प्रदान की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या का ब्यौरा (डाक सर्किलवार)

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	असम	14
3.	बिहार	36
4.	दिल्ली	4
5.	गुजरात	34
6.	हरियाणा	3
7.	हिमाचल प्रदेश	26
8.	जम्मू व कश्मीर	–
9.	कर्नाटक	27

1	2	3
10.	केरल	6
11.	मध्य प्रदेश	26
12.	महाराष्ट्र	31
13.	उत्तर-पूर्व	6
14.	उड़ीसा	12
15.	पंजाब	11
16.	राजस्थान	18
17.	तमिलनाडु	10
18.	उत्तर प्रदेश	47
19.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	328

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान खोले गए डाक व तार घरों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	तारघरों की संख्या	संयुक्त डाक व तारघरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	–
2.	असम	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	बिहार	–	–
5.	दिल्ली	1	–
6.	गुजरात	–	1
7.	गोआ	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	15
9.	हरियाणा	–	–
10.	जम्मू व कश्मीर	–	20
11.	केरल	–	–
12.	कर्नाटक	–	5
13.	मध्य प्रदेश	–	139 (जीपीटीडी)
14.	महाराष्ट्र	1	1
15.	मणिपुर	–	–
16.	मेघालय	–	–
17.	मिजोरम	–	–
18.	नागालैंड	–	–
19.	उड़ीसा	1	238
20.	पंजाब	–	–
21.	राजस्थान	–	8
22.	सिक्किम	1	–
23.	तमिलनाडु	–	6
24.	उत्तर प्रदेश	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	–	–

[अनुवाद]

इन्टेन्ट टेलीफोनी सिस्टम

3731. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इन्टेन्ट टेलीफोनी सिस्टम की शुरूआत कब से की गई है;

(ख) क्या इस सिस्टम के शुरू होने से करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस नुकसान के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसकी खामियों का पता लगा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खामियों को दूर करने तथा राजस्व का नुकसान न होने देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार में कोई इन्टेन्ट टेलीफोनी सिस्टम नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

डॉक्टरों के लिए टेलीफोन सुविधाएं

3732. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉक्टरों को टेलीफोन सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डॉक्टरों के कितने आवेदन-पत्र महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास एक साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) इन आवेदन-पत्रों को कब तक मंजूर किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) डॉक्टरों को ओ.वाई.टी. तथा गैर ओ.वाई.टी. विशेष श्रेणी पंजीकरण के अंतर्गत टेलीफोन प्रदान किये जा रहे हैं। ओ.वी. जारी किये जाने के 15 दिनों के अंदर नया कनैक्शन प्रदान कर दिया जाता है बशर्ते कि वह क्षेत्र तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(ग) एम.टी.एन.एल. दिल्ली में केवल दस (10) मामलें (ओवी) एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। ये पॉकेट्स/क्षेत्र, भूमिगत केबल पेयरों की अनुपलब्धता के कारण तकनीकी रूप से अव्यवहार्य हैं।

(घ) इन मामलों को उत्तरोत्तर रूप से दिसम्बर 1997 तक निपटाने के लिए प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत

3733. **श्री वत्ता मेघे** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों से कितने विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या राज्य में ऐसे कुछ और संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों से विद्युत का कितना और उत्पादन होने की संभावना है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आधारित करीब 23 मेगावाट की कुल क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसमें पवन से 5.37 मेगावाट; बायोगेस, बायोमास और खोई सह-उत्पादन से 13.76 मेगावाट की; लघु जल विद्युत से 3.58 मेगावाट की; तथा सौर ऊर्जा से 116 किवा. की क्षमता शामिल है। इन परियोजनाओं के स्थानों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) 8.7 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाएं संस्थापनाधीन हैं। उनके स्थानों की सूचना भी संलग्न विवरण में दी गई है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में अथवा वाणिज्यिक परियोजनाओं के तौर पर शुरू की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, और परियोजनाएं, ऊर्जा संसाधन की उपलब्धता; तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता; तथा वित्तीय संसाधनों के मुहैया होने पर निर्भर करेंगी।

विवरण

महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं का स्थल-विवरण

क. वर्तमान परियोजनाएं

I. खोई सह-उत्पादन, बायोमास एवं बायोगैस आधारित विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	नाम तथा स्थल	जिला	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4
1.	श्री वत्ता शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि., तालुका : शिरोल	कोल्हापुर	1.5
2.	जवाहर शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि., हापुरी तालुका : हतकनागले	कोल्हापुर	1.5
3.	देवगिरी शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि., तालुका : फुलांबरी	औरंगाबाद	1.5
4.	माजलगांव शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि., तालुका : माजलगांव	बीड़	1.5
5.	श्री आदिनाथ शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि. जेऊर तालुका : करमाला	सोलापुर	1.5
6.	चोपवा शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि. तालुका : चोपवा	जलगांव	1.5
7.	वारना शेतकारी सहकारी सखर कारखान लि., वारनानगर	कोल्हापुर	1.86

1	2	3	4
8.	संगमनेर शेतकारी सहकारी सखर कारखाना लि., संगमनेर	अहमदनगर	2.26
9.	पारसरामपुरिया प्लांटेशन्स शाहपुर	थाने	0.5
10.	आरमाइन एक्सपोर्टस, नागपुर	नागपुर	0.1
11.	गोल्डन स्टार टेक्सटाइल मिल, जयसिंहपुर	कोल्हापुर	0.04

II. लघु जल विद्युत आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (कि.वा.)
1.	वैतरना डैम-टी	नासिक	1500
2.	येओटेश्वर	सतारा	75
3.	धोम	सतारा	2000

III. पवन विद्युत आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	स्थल	जिला	क्षमता (मेवा.)
1.	देवगढ़	सिंधुदुर्ग	1.10
2.	विजयदुर्ग	सिंधुदुर्ग	1.50
3.	चालकेवाड़ी	सतारा	2.00
4.	चालकेवाड़ी	सतारा	0.77

IV. सौर विद्युत आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	स्थल	जिला	क्षमता (किवा.)
1.	वालवान डैम	पुणे	110
2.	मोराबंदर	एलिफैंटा द्वीप	3.36
3.	डेरावादर	रायगढ़	1.54
4.	केरास्वादी	रायगढ़	1.54

ख. संस्थापनाधीन परियोजनाएं

लघु जल विद्युत आधारित परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	क्षमता (किवा.)
1.	तेरावानमेढ़	सिंधुदुर्ग	200
2.	सूर्या राइट बैंक केनाल	थाने	750
3.	माजलगांव	बीड	2250
4.	कारंजवन	नासिक	3000
5.	भिवपुरी तैल रेस	रायगढ़	2500

[अनुवाद]

रेलवे क्वार्टरों का निर्माण

3734. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान लखनऊ और आगरा डिवीजन में कितने रेलवे क्वार्टरों का निर्माण किया गया;

(ख) रेलवे के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने इन डिवीजनों के क्वार्टरों के लिए आवेदन किया था और वे पिछले दस से भी अधिक वर्षों से क्वार्टरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ग) लम्बे समय से प्रतीक्षारत कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर प्रदान किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर रेल के लखनऊ मंडल में 16 तथा उत्तर रेल के लखनऊ मंडल में 20 कर्मचारी आवासों का निर्माण किया है। जहां तक आगरा का संबंध है, पिछले दो साल में अतिरिक्त आवास का निर्माण नहीं हुआ है।

(ख) पूर्वोत्तर रेल के लखनऊ मंडल तथा मध्य रेल के आगरा क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से आवास के लिए प्रतीक्षारत नहीं है। उत्तर रेल के लखनऊ मंडल में 635 कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि से आवास के लिए प्रतीक्षारत हैं।

(ग) रेलवे कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में तथा परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए अपने कर्मचारियों को आवास मुहैया कराती है। रेलवे में आवासों की कमी को ध्यान में रखते हुए विगत तीन वर्षों में क्वार्टरों के निर्माण की राशि बढ़ा दी गई है। बढ़ाए गए आवंटन से आशा है कि आवासों की स्थिति में सुधार होगा।

भारतीय जनसंचार संस्थान पर व्यय

3735. **श्री रमेश चिन्नितला** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम, केरल में आई.आई.एम.सी., (भारतीय जनसंचार संस्थान) की कोई शाखा कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस शाखा पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) योजना आयोग ने इस शाखा के लिए कुल कितना वार्षिक आवंटन अनुमोदित किया है; और

(घ) इस शाखा की अद्यतन स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस शाखा पर 18.82 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए अनुमोदित निधियां क्रमशः 100.00 लाख रुपये 40.00 लाख रुपये और 100.00 लाख रुपये हैं। इस शाखा ने वर्ष 1995-96 से कार्य करना आरंभ कर दिया है और अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 1997 के दौरान, संस्थान द्वारा निम्नलिखित अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे: (1) राज्यों के सूचना अधिकारियों तथा जन-सम्पर्क अधिकारियों के लिए प्रभावी जन-सम्पर्क और प्रचार (2) दूरदर्शन के समाचारवाचकों एवं सम्पादकों, संवाददाताओं के लिए टेलीविजन समाचार रिपोर्टिंग और (3) भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों, संवाददाताओं तथा निर्माताओं के लिए आर्थिक रिपोर्टिंग।

कोट्टायम में भारतीय जन संचार संस्थान भवन परियोजना के निर्माण के लिए उद्दिष्ट की गई लगभग 10 एकड़ की कुल भूमि में से केवल 4.2 एकड़ क्षेत्र ही राज्य सरकार द्वारा संस्थान को सौंपा गया है। शेष भूमि अभी भी भारतीय जन संचार संस्थान को सौंपी जानी है।

दुल्लभचेरा से रानपुर तक रेल लाइन का विस्तार

3736. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में करीमगंज-दुल्लभचेरा ब्रांच सेक्शन में दुल्लभचेरा से रानपुर तक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सर्वेक्षण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई से कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा

3737. **श्री एन. डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोंकण रेल मार्ग पर बम्बई और कन्याकुमारी के बीच रेल सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ी का पटरी से उतरना

3738. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जुलाई, 1197 को अंबाला से 20 किलोमीटर दूर डोलोमैरा में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मालगाड़ी के पटरी से उतरने से रेलवे को कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या आशंका व्यक्त की गई है कि इस मालगाड़ी के पटरी से उतरने का कारण तोड़फोड़ की घटनाएं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के धौला माजरा स्टेशन पर 11.7.1997 को 00.18 बजे डाउन ट्रेक सं. 14 मालगाड़ी के 22 मालडिब्बे पटरी से उतर गए।

(ग) इस दुर्घटना के कारण रेलवे को लगभग 6.20 लाख रुपये की हानि हुई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

पावरग्रिड कारपोरेशन को ऋण

3739. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन सिंडिकेटिड ऋण प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से ऋण के लिए सम्पर्क किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पहला मौका है जब केन्द्र सरकार के उपक्रम विदेशी वाणिज्यिक ऋण की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो अब तक कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया है; और

(ङ) यह ऋण किन शर्तों पर प्राप्त किया गया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) जी, हां। पावरग्रिड ने सिंडिकेट ऋण जुटाने हेतु 31 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ सम्पर्क किया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भुसावल डिवीजन में प्लेटफार्मों की ऊँचाई

3740. **डॉ. जी.आर. सरोदे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन में उन प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है जो निर्धारित ऊंचाई के नहीं हैं; और

(ख) इन प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) भिन्न-भिन्न स्टेशनों पर प्लेटफार्मों की ऊंचाई यात्री यातायात के घनत्व और ठहरने वाली गाड़ियों की संख्या पर आधारित मानदंडों के अनुसार निर्धारित की जाती है। भुसावल मंडल में जलम्ब और यवतमाल रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करना अपेक्षित है। रेलवे के आगामी निर्माण कार्यक्रम में इस कार्य को शामिल किया जाएगा बशर्ते कि समग्र संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

माल भाड़े से अर्जित राजस्व

3741. **श्री एन.एम. कुण्णावास**
श्री सुधीर गिरि

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के लिए माल की ढुलाई द्वारा रेलवे राजस्व आय में वृद्धि हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या गत तीन माह (जून 1997 तक) के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निजी व्यापारियों को माल भाड़े में रियायत देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) 1997-98 के बजट अनुमान में राजस्व उपार्जक माल यातायात का लक्ष्य 19322 करोड़ रुपये रखा गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। रेलवे ने जून 1997 को समाप्त तिमाही के लिए निर्धारित 4541.58 करोड़ रुपये से 167.31 करोड़ रुपये का लक्ष्य बढ़ाया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे को अधिक यातायात पेश करने के लिए निजी व्यापारियों को प्रोत्साहन के रूप में मालभाड़ा प्रभारों में रियायत दी गई है जिससे रेल आमदनी में वृद्धि होती है।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति

3742. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए क्या नियम निर्धारित किये गये हैं;

(ख) सतर्कता विभाग में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अधिकतम समयावधि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सतर्कता विभाग में लम्बे अर्से से काम करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) सतर्कता संगठन में अधिकारी अथवा निरीक्षक नियुक्त करने का मुख्य मानदण्ड इस प्रकार है।

व्यक्ति के पास होना चाहिए :

1. पर्याप्त फील्ड अनुभव

2. अच्छा ट्रेक रिकार्ड

3. संदेह से परे सिद्ध सत्यनिष्ठा

4. कोई सतर्कता मामला न हो

5. अच्छी प्रतिष्ठा

सतर्कता संगठन में लगाए गए सभी अधिकारी वे कार्मिक हैं जिनका चयन क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के मुख्य सतर्कता अधिकारी और महाप्रबंधक की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय रेलों पर सतर्कता निरीक्षकों के लिए आवेदन पत्रों की संवीक्षा यथा उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सतर्कता अधिकारी के स्तर पर की जाती है और उसमें से एक पैनल तैयार किया जाता है। बोर्ड में जांच निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए, क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न विभागों के उपयुक्त व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा संस्तुत व्यक्ति चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अध्यधीन होते हैं।

(ख) कार्यकाल :

(1) क्षेत्रीय रेलों पर सतर्कता अधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष है। 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्यकाल बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है। हालांकि, रेलवे बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों का सामान्यतः सेवाकाल 5 वर्ष है।

(2) सतर्कता निरीक्षकों के मामलें में साधारणतः सेवाकाल 4 वर्ष है जिसे रेलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों द्वारा 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कतिपय विशिष्ट शर्तों के अंतर्गत 6 वर्ष से अधिक कार्यकाल बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

(घ) समीक्षा के परिणामस्वरूप पिछले एक वर्ष के दौरान सतर्कता संगठन के 38 अधिकारियों और 44 निरीक्षकों को बदला गया है। सामान्य सेवाकाल से सेवाकाल बढ़ाने की अनुमति 64 निरीक्षकों और एक अधिकारी को दी गई है।

(ङ) निरीक्षकों को उनकी पदावधि पूर्ण होने पर चयन की व्यवस्था करके, उन्हें बदलने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, 37 चयन आयोजित किए गए जिनमें 86 निरीक्षकों का पैनल तैयार किया गया था। 10 चयनों की प्रक्रिया जारी है।

[अनुवाद]

कोचीन शोधनशाला परियोजना को मंजूरी

3743. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार तथा केरल राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरोध पर कोचीन शोधनशाला लि. परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) अम्बाला मुगल केरल में 300 मे.वा. की विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित किए जाने हेतु 250 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर विस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कोचीन रिफायनरी लि. के चरण-1 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

3744. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्री दत्ता मेघे :
श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री एन.जे. राठवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न विभागों/उपक्रमों में पद-वार और श्रेणी-वार कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) देश भर में मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रिक्त पदों को कब तक भरने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असम में नये टेलीफोन एक्सचेंज

3745. **श्री केशव महंत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कतिपय एक्सचेंजों का भी विस्तार/आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1997-98 के दौरान अनुमानित लागत कितनी आयेगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। विस्तार करने/आधुनिकीकरण करने की अनुमानित लागत लगभग 43.78 करोड़ रुपये है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	जिला	स्थान	क्षमता	प्रकार
1	2	3	4	5
1.	बरपेटा	बरबारी	256-पी	सी-डॉट
2.	बरपेटा	बेलसौर	256-पी	-वही-
3.	बरपेटा	मोरावा	256-पी	-वही-
4.	बोंगई	बोंगई गांव	2000	-वही-
5.	कच्चर	सिलचर	1000	आरएलयू-10बी
6.	कच्चर	श्रीकोंणा	256-पी	सी-डॉट
7.	दारंग	दलगांव	256-पी	-वही-
8.	धेमजी	धौलपुरशा	256-पी	-वही-
9.	धेमजी	नाऊबाशा	256-पी	-वही-
10.	धुबरी	बन्सबरी	256-पी	-वही-
11.	गोयलपाड़ा	अगिया	256-पी	-वही-
12.	गोयलपाड़ा	मोरोनई	256-पी	सी-डॉट
13.	गोयलपाड़ा	रंगओली	256-पी	-वही-
14.	गोलाघाट	चिन्नातोली	256-पी	-वही-
15.	गोलाघाट	धेकियाल	256-पी	-वही-
16.	गोलाघाट	मौजां	256-पी	-वही-
17.	गोलाघाट	नाहरजन	256-पी	-वही-
18.	जोरहाट	चिन्नामारा	256-पी	-वही-
19.	जोरहाट	चुंगी	256-पी	सी-डॉट
20.	कामरूप	वशिष्ट चरियाल	2000	ओसीबी-आरएक्सयू
21.	कामरूप	दिसपुर	2000	-वही-
22.	कामरूप	कल्याहार(जीएच)	5000	ई-10बी
23.	कामरूप	पनबाजार(जीएच)	4000	ओसीबी-आरएसयू
24.	कामरूप	उल्लुबारी(जीएच)	3000	-वही-
25.	करबी	अंगलबैथालंगशू	256-पी	सी-डॉट
26.	करबी	अंगलखेरौनी	256-पी	-वही-
27.	करीम गंज	करीम गंज	3000	-वही-
28.	कोकराझार	कच्चुगांव	256-पी	-वही-
29.	मोरीगांव	भोरागांग	256-पी	-वही-
30.	मोरीगांव	मुरबोंधा	256-पी	-वही-
31.	मोरीगांव	चराईभाई	256-पी	-वही-
32.	नागांव	अम्बागन	256-पी	-वही-
33.	नागांव	चौधुरीबाजार	256-पी	-वही-
34.	नागांव	डुमडुमैया	256-पी	-वही-
35.	नागांव	झकलाबंडा	256-पी	-वही-
36.	नागांव	कुचेरी	256-पी	-वही-
37.	नागांव	पागांव	3000	-वही-
38.	नागांव	पालसोनी	256-पी	-वही-
39.	नागांव	पथौरी	256-पी	-वही-
40.	नागांव	उढाली	256-पी	-वही-
41.	नागांव	झारीगांव	256-पी	-वही-
42.	नलबारी	मुसालपुर	256-पी	-वही-
43.	सिबसागर	बिहुबार	256-पी	-वही-
44.	सिबसागर	गेलेकी	256-पी	-वही-
45.	सिबसागर	जजुली	256-पी	-वही-
46.	सिबसागर	झांगी जमगुरी	256-पी	-वही-
47.	सिबसागर	खोनामुख	256-पी	-वही-
48.	सिबसागर	सिबसागर	3000	-वही-
49.	सोनितपुर	कालाबाड़ी	256-पी	-वही-

1	2	3	4	5
50.	सोनितपुर	नप्यमं	256-पी	-वही-
51.	सोनितपुर	तेजपुर	4000	ई-10बी
52.	तिनसुकिया	तिनसुकिया	1000	आरएलयू, ई-10बी

विवरण-II

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान असम में टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रस्तावित विस्तार

1.	बरपेता	डॉली	256-पी	सी-डॉट
2.	बरपेता	पथशाला	4000	-वही-
3.	बोंडाई	गोवामायापुरी	256-पी	-वही-
4.	कच्चर	-	256-पी	-वही-
5.	सच्चर	बोरखोली	256-पी	-वही-
6.	दारंग	उदालगुरी	296	-वही-
7.	धुबरी	अगौमनी	256-पी	-वही-
8.	धुबरी	बिलासीपाड़ा	256-पी	-वही-
9.	धुबरी	बोगरीबड़ी	256-पी	-वही-
10.	धुबरी	गानपुर	256-पी	-वही-
11.	डिबरूगढ़	खरूयेतिया	328	-वही-
12.	डिबरूगढ़	मोरनघाट	400	-वही-
13.	डिबरूगढ़	नहरकेतिया	112	-वही-
14.	गोलाघाट	बरयायर	256-पी	-वही-
15.	गोलाघाट	सरूयायर	256-पी	-वही-
16.	हलकन्दी	अलगपुर	256-पी	-वही-
17.	हलकन्दी	लाला	400	-वही-
18.	जोरहाट	कमलाबाड़ी	256-पी	-वही-
19.	कामरूप	पनबाजार(जीएच)	2000	ई-10बी
20	कामरूप	रंगिया	608	सी-डॉट
21.	कामरूप	उल्लुबाड़ी	3000	आरएलयू-ई-10बी
22.	करीमगंज	बाजारघाट	256-पी	सी-डॉट
23.	करीमगंज	बाजारीचेरा	256-पी	-वही-
24.	करीमगंज	ब्राइग्राम	256-पी	-वही-
25.	करीमगंज	लीलमबाजार	256-पी	-वही-
26.	मोरीगांव	मोयराबाड़ी	256-पी	सी-डॉट
27.	नागांव	धींग	256-पी	-वही-
28.	नागांव	लंका	568	-वही-
29.	नागांव	लुमडिंग	568	-वही-
30.	नागांव	पुरानीगोदाम	256-पी	-वही-
31.	नालबड़ी	बारम्मा	256-पी	-वही-
32.	नाथलिख	बिहुपुरिया	256-पी	-वही-
33.	सिबसागर	सोनारी	312	-वही-
34.	सोनितपुर	धेकिया जुली	448	-वही-
35.	सोनितपुर	गोरईमारो	256-पी	-वही-
36.	तिनसुखिया	चम्पखोआ	256-पी	-वही-
37.	तिनसुखिया	लीडो	256-पी	-वही-

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान असम में विद्युत-यांत्रिक एक्सचेंजों के बदलाव के प्रस्ताव

क्र. सं.	जिला	स्थान	वर्तमान क्षमता	एक्स. का प्रस्ताव	प्रस्तावित क्षमता	एक्स. का प्रकार
1.	कामरूप	रंगिया	200	मैक्स-II	100	सी-डॉट
2.	कामरूप	पनबाजार (जीएच)	4800	मैक्स-I	10000	ई-10बी विस्तार तथा आरएलयू

उपर्युक्त बदलाव के बाद सारे टेलीफोन एक्सचेंज इलैक्ट्रोनिक हो जाएंगे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर परिचालन और पर्यवेक्षी कर्मचारी

3746. **श्री विजय गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पर्यवेक्षी और परिचालन संबंधी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और स्वच्छता तथा सफाई संबंधी कार्य के लिए कितने कर्मचारी उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लगभग सभी प्लेटफार्मों और रेल लाइनों पर स्वच्छता तथा सफाई की खराब और वर्णनीय स्थिति की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) स्थिति नीचे दी गई है :

पद	स्वीकृत संख्या	रजिस्टर में वर्ज
वरिष्ठ मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1
वरिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक	2	2
स्वास्थ्य निरीक्षक	2	2
सफाई वाले	307	295

(ख) और (ग) नई दिल्ली स्टेशन की उचित साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक पर्यवेक्षकों को नामित किया गया है तथा उन्हें प्लेटफार्मों और रेलवे लाइन की समुचित सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र दिए गए हैं। स्टेशन का दौरा करने और प्लेटफार्मों और रेलवे लाइनों की सफाई पर निगरानी रखने के लिए मंडल अधिकारियों को नामित किया गया है। 1.8.97 से एक विशेष सफाई अभियान भी शुरू किया गया है।

उत्तर प्रदेश की भागीदारी में कमी

3747. **श्री चन्द्र भूषण सिंह**
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की ऊंचाहार ताप विद्युत तथा नरौरा परमाणु विद्युत परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश के हिस्से में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त परियोजनाओं से प्राप्त हिस्से को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय परियोजनाओं से और अधिक विद्युत दिए जाने का भी अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र-उपक्रमों (सीपीएसयू) में राज्य बिजली बोर्डों की बिजली की आपूर्ति अग्रिम भुगतान अथवा प्रतिसंहार्य साख पत्र (एल.सी.) के बदले में की जानी चाहिए। के.वि.प्रा. तथा सी.पी.एस.यूज. द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी उ.प्र.रा.वि.बो. द्वारा सी.पी.एस.यूज से आहरित की गई ऊर्जा के मूल्य के बराबर साख-पत्र जारी करने में असमर्थ रहने के कारण उ.प्र. में ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र तथा नरौरा परमाणु विद्युत केन्द्र का आवंटन साख-पत्र की तारीख के अनुरूप कम कर दिया गया था।

(ङ) और (च) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों की अनावंटित विद्युत में से उत्तर प्रदेश को 15% विद्युत आवंटित की गई है। तब से इस अनावंटित कोटे में से हिस्सा बढ़ाए जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में बंद पड़ी खानें

3748. **कुमारी उमा भारती** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कितनी खानें बंद पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन खानों में खनन कार्य पुनः शुरू करने के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन खानों में खनन कार्य कब तक पुनः शुरू किया जायेगा ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) से (घ) पट्टाधारी को प्रौद्योगिक-आर्थिक दृष्टि से खानें बंद करनी पड़ सकती हैं। तथापि, खानों को बंद करने का मामला हाल ही में 1995 की रिट-याचिका (सिविल) सं. 202 और रिट याचिका (सिविल) सं. 171/96 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप उठा। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार पूरे देश में किसी राज्य में किसी वन क्षेत्र में जारी सभी कार्य केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तत्काल बन्द कर दिए जाएं। उपलब्ध सूचना के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में मध्य प्रदेश में एक खान को बंद करने का आदेश दिया गया।

केन्द्र सरकार ने भारत के महान्यायवादी की राय प्राप्त करने के बाद सभी राज्य सरकारों को समुचित निर्देश जारी किये। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4.3.97 के आदेशों द्वारा खनन संबंधी वन स्वीकृति के बारे में इस मुद्दे को सुलझा लिया है जिसके अनुसार राज्य सरकारें सभी लंबित पूरे आवेदन दो सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्णयों के लिए केन्द्र सरकार को भेजेंगी तथा इसके बाद प्राप्त किए गए (या पूरे) आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर-भीतर अग्रेषित किये जाएंगे। इसके अलावा, केन्द्र सरकार ऐसे सभी मामले प्राप्त होने के छः सप्ताह के भीतर निपटा देगी। अंतिम वन स्वीकृति में विलम्ब की स्थिति में केन्द्र सरकार मौजूदा प्रथा के अनुसार कार्य अनुमति देने पर विचार कर सकती है।

[हिन्दी]

भूकम्प के कारण मदन महल आरक्षण केन्द्र को क्षति

3749. **श्री दादा साहूराव परांजपे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 मई, 1997 को आये भूकम्प के कारण सेन्ट्रल रेलवे का मदन महल आरक्षण केन्द्र क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसकी अब तक मरम्मत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के आरक्षण केन्द्र पर भारी भीड़-भाड़ के कारण यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है;

(घ) यदि हां, तो क्या आरक्षण हेतु दलाल भी सक्रिय रहते हैं तथा आरक्षण केन्द्र पर यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु जी.आर.पी. का कोई कार्मिक उपलब्ध नहीं होता और इन आरक्षण केन्द्रों के अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में कोई रुचि नहीं ली जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) मदन महल स्टेशन इमारत भूकम्प से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इमारत का पुनः निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) यात्रियों से दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उचित कतार सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण कार्यालयों में रा.रे.पु./रे.सु.ब. कार्मिक नियमित रूप से तैनात किए जाते हैं। आरक्षण कार्यालय में कोई दलाल न हो और कोई दुष्टतापूर्ण गतिविधि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए रे.सु.ब. और रा.रे.पु. की सहायता से रेल अधिकारियों द्वारा नियमित जांचें भी की जा रही हैं।

प्राइवेट सुरक्षा कर्मी

3750. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल दूरसंचार प्रबंधक प्राइवेट सुरक्षाकर्मी नियुक्त करने के पात्र है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या जिला प्रबंध द्वारा बरेली दूरसंचार कार्यालय में 1, जुलाई, 1996 से आज तक कितने सुरक्षा कर्मी नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन नियुक्तियों के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरसंचार जिला प्रबन्धक, बरेली ने 1, जुलाई 1996 से आज तक कोई प्राइवेट सुरक्षा कर्मी नियुक्त नहीं किया है। तथापि, गौण स्विचन क्षेत्र बरेली में सभी महत्वपूर्ण दूरसंचार संस्थापनाओं और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अभिकरण, सैनिक कल्याण बोर्ड को सुरक्षा संबंधी कार्य सौंप दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त ''ख'' के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

हरियाणा में टेलीफोन पाने वालों की प्रतीक्षा सूची

3751. **डॉ. अरविन्द शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) आवेदन देने तथा प्रतिभूति राशि जमा करने के कितने समय पश्चात् आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिया जाता है;

(ग) इस समय राज्य में कुल कितने टेलीफोन हैं और इनमें से कितने सुचारू ढंग से काम कर रहे हैं और कितने प्रतिशत टेलीफोन खराब हैं तथा खराब टेलीफोनों को कितने समय में ठीक किया जाता है कृपया जिला-वार ब्यौरा दें; और

(घ) वर्ष 1996 के दौरान जिला-वार कितने टेलीफोन दिये गये तथा वर्ष 1997 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.7.1997 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में वर्ग आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की श्रेणीवार औसत अवधि निम्नानुसार है :

श्रेणी	अवधि
तत्काल	15 दिन
ओवाईटी	1-6 महीने
गैर ओवाईटी (जी)	1-2 वर्ष

तथापि, हरियाणा के लिए योजना के विस्तार की रूप रेखा तैयार कर ली गई है और शीघ्र टेलीफोन प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल कार्य आर्डर जारी करने के बाद तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य होने पर टेलीफोन सामान्यतया 15 दिन के भीतर दे दिये जाते हैं।

(ग) फील्ड यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) 1996-97 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या तथा 1997-98 का निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	जिलों के नाम	31.7.97 को प्रतीक्षा सूची
1.	सोनीपत	5,477
2.	जींद	2,086
3.	रिवाड़ी	3,379
4.	महेन्द्रगढ़	1,642
5.	अम्बाला	5,106
6.	यमुनानगर	4,131
7.	पंचकुला	1,844
8.	करनाल	9,271
9.	पानीपत	7,954
10.	कैथल	4,074
11.	कुरुक्षेत्र	7,156
12.	रोहतक	3,119
13.	भिवानी	3,902
14.	फरीदाबाद	17,110
15.	गुड़गांव	13,163
16.	हिसार	6,010
17.	सिरसा	4,807

विवरण-II

क्र.सं.	जिलों का नाम	1997 के दौरान उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की संख्या	1997-98 के लिए टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य
1	2	3	4
1.	सोनीपत	4,310	4,700
2.	जींद	1,788	1,900
3.	रिवाड़ी	411	1,500
4.	महेन्द्रगढ़	201	1,000
5.	अम्बाला	7,100	5,000
6.	यमुनानगर	4,050	3,000
7.	पंचकुला	185	1,900
8.	करनाल	3,247	4,500
9.	पानीपत	3,808	4,500
10.	कैथल	1,600	3,300
11.	कुरुक्षेत्र	3,845	4,000
12.	रोहतक	4,594	4,000
13.	भिवानी	3,913	2,800
14.	फरीदाबाद	5,359	13,000
15.	गुड़गांव	7,589	6,000
16.	हिसार	4,618	7,000
17.	सिरसा	4,182	4,900

[अनुवाद]

ट्रांजिट सुविधा

3752. **श्री अनन्त गुडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों की ट्रांजिट सुविधाओं के लिए विश्राम कक्ष/अतिथि गृहों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का उन्नयन करने और इनके कारगर संचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार यात्रियों/पर्यटकों की सुविधाओं के लिए रेलवे आवास की दरों में संशोधन करके वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) विश्रामालयों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेलों पर अतिथिगृह उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) स्टेशनों पर विश्रामालयों के कार्यनिष्पादन की गहन निगरानी की जाती है। उचित रख-रखाव चरणबद्ध आधार पर पुराने फर्नीचर को नए फर्नीचर से बदलाव, साफ लिनन और अच्छी गुणवत्ता की सप्लाई सुनिश्चित करके विश्रामालयों में उपलब्ध सुविधाओं में समय-समय पर सुधार किया जाता है।

(ग) और (घ) विश्रामालयों के प्रभारों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

केरल में विद्युत की भारी कमी

3753. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :**
श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहा है और यह पूरी तरह से जल विद्युत परियोजना पर आश्रित है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि केरल को आंवटित "नेप्था" ताप विद्युत परियोजनाओं की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार नेप्था आवंटन को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ब्रह्मपुरम विद्युत परियोजना के लिए डीजल आवंटन को बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) अप्रैल से जुलाई, 1997 के दौरान केरल में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है :

ऊर्जा	अप्रैल, 97 - जुलाई, 97
आवश्यकता	3775 मि.यू.
उपलब्धता	2749 मि.यू.
कमी	1026 मि.यू.
%कमी	27.2%

केरल का विद्युत उत्पादन जल विद्युत आधारित है और इस वर्ष मानसून देर से आने के कारण राज्य के जल विद्युत उत्पादन में अत्यधिक गिरावट आई है। राज्य में विद्युत की अत्यधिक कमी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अनावंटित केन्द्रीय हिस्से से आवंटन को दिनांक 12.6.97 से 30% से बढ़ाकर 50% किया है और दिनांक 1.7.97 से 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में विद्यमान केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन स्टेशनों में 414.5 मे.वा. विद्युत की हिस्सेदारी है।

(ख) से (घ) नाप्था का आवंटन बढ़ाने संबंधी केरल सरकार के अनुरोध की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) केरल के ब्रह्मपुत्र डीजल संयंत्र के लिए ईंधन लिंकेज 17.7.97 को जारी की जा रही है।

संयुक्त उद्यम

3754. **श्री एस. रमना :**
डॉ. कृपा सिन्धु भोई :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विस्तार फरीदाबाद में तो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के संवर्धन हेतु हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राज्य के सहयोग से विकसित की जाने वाली यह पहली परियोजना है;

(घ) यदि हां, तो वर्तमान परियोजना की क्षमता कितनी है तथा भविष्य में और कौन-कौन सी परियोजनाओं को शुरू किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अन्य राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश के सहयोग से अधिक परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) विद्युत परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने से इन संयुक्त उद्यमों से किस हद तक सहायता मिलने की आशा है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा हरियाणा में 1163.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 330 से 430 मेगावाट क्षमता की सीमा के अंतर्गत फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने हेतु भारत सरकार ने निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एनटीपीसी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी अंतिम जिम्मेदारी एक सहायक कंपनी को सौंप दी जाएगी जिसमें हरियाणा/हरियाणा रा.वि. बोर्ड को एक शेयर धारक के रूप में रखे जाने की प्रत्याशा है।

(ङ) और (च) एनटीपीसी द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) की स्थापना करने हेतु निवेश संबंधी अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है। यह परियोजना भी एनटीपीसी की एक सहायक कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी जिसमें आंध्र प्रदेश/आंध्र प्रदेश रा.वि. बोर्ड शेयर धारक होंगे। ऐसी प्रत्याशा की गई है कि एनटीपीसी तथा राज्य सरकारों/उनके रा.वि.बो. के बीच इस प्रकार के सहायोगपूर्ण प्रयासों से देश में अधिकाधिक नई विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़े जाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

बर्थ और सीटों का आरक्षण कोटा

3755. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर के घोराद औरूर धोला जंक्शन से मुम्बई और दिल्ली के लिए बर्थ और सीटों के लिए कोई आरक्षण कोटा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्टेशनों से बर्थ और सीटों के आरक्षण का कोटा कितना है;

(ग) क्या बर्थ और सीटों के आरक्षण का कोटा बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो बर्थ और सीटों का कोटा कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) बोटाद और धोला में मुम्बई और दिल्ली के लिए विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षण कोटा निम्नलिखित है :

गाड़ी नं.	वर्जा	बोटाद	धोला
2902	स्लीपर	1	-
9006	स्लीपर	6	2
9108	स्लीपर	3	-
9102	द्वितीय सीट	-	4
2934	द्वितीय सीट	2	-
9105	स्लीपर	2	-
2916	स्लीपर	2	-

मौजूदा कोटा की उपयोगिता के विश्लेषण से पता चला है कि यातायात के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए यह कोटा पर्याप्त है। इसलिए इस कोटा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धोला में दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में कोई कोटा नहीं है और टिकटों की कम बिक्री के कारण दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ियों में इस स्टेशन पर आउट स्टेशन कोटा आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रज्जुमार्ग के कार्य को बंद करना

3756. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चरखवाला कॉलोनी और भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी लिमिटेड के इस्पात संयंत्रों के बीच रज्जुमार्ग का कार्य पिछले छः महीनों से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्य पुनः आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य कब तक पुनः आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) चासनाला और बर्नपुर के बीच रोपवे का प्रचालन 16.1.1997 से बन्द कर दिया गया था क्योंकि यह काफी असुरक्षित हो गया था।

(ग) और (घ) इस मामले की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड में जांच की जा रही है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे तथा सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): श्री एस.आर. बोम्मई की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद म्यूजियम सोसायटी, इलाहाबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2346/97]

(3) (एक) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2347/97]

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा इस प्राधिकरण के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2348/97]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 132 (अ) जो 6 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 24 नवम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 891 (अ) का शुद्धिपत्र अन्तर्विष्ट है।

(दो) सा.का.नि. 159 (अ) जो 19 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (छुट्टी) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 222 (अ) जो 15 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनमें 23 अगस्त, 1993 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) का शुद्धिपत्र अन्तर्विष्ट है।

(चार) सा.का.नि. 274 (अ) जो 23 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 279 (अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (कल्याण कोष) विनियम, 1997 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 319 (अ) जो 12 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (निवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा प्रसुविधा सेवा) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा.का.नि. 313 (अ) जो 5 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया डाक काम्प्लैक्स) (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा.का.नि. 320 (अ) जो 12 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाओ पत्तन कर्मचारी (वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम की स्वीकृति) (संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2349/97]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 और 1980 आदि के अधीन अधिसूचनाएं

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(एक) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 219 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1997 जो 24 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एन.बी./डी.ए.सी./पी./2/97 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आन्ध्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1997 जो 25 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 663/3ए01/1318 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 17 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए.एक्स.आई./एस.टी./ओ.एस.सी./14046/96 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 7 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.ए.डी./177 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 7 दिसम्बर, 1996

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी. ए.डी./177 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन और गारंटी निधि (संशोधन) नियम, 1997 जो 5 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.डी.ओ./ए.डी.एम./एस.पी. एल./7596 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 1997 जो 5 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.डी.ओ/ ए.डी.एम./एस.पी.एल./7597 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 जो 1 मार्च 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3 (एफ)/20-12-96 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 2 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2367/0089/ एस/पी.डी./आई.आर.डी. (ओ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1986 जो 25 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./ विधि/0938 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1996 जो 5 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच.ओ./ विधि/1236 में प्रकशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2350/97]

बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके वर्ष 1995-96 के कार्य कारण की सरकार द्वारा समीक्षा

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : श्री आर.एल. जालप्पा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनिमय, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2351/97]

(ख) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2352/97]

निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरण के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० चोजा चुल्ली रमैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरण (खंड एक और दो) के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद् और निर्यात निरीक्षण अभिकरण (खंड एक और दो) के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2353/97]

इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा

(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2354/97]

(3) (एक) सर्वश्री सुरेश प्रभु. टी. सुब्बारामी रेड्डी, जी.ए. चरण रेड्डी, आर. साम्बासिवा राव और येल्लैया नंदी, संसद सदस्यों द्वारा जर्मन सहायता से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 380 के 24 जुलाई, 1997 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथायल में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2355/97]

एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1996-97 के लिये समझौता ज्ञापन आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुडी राम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय के बीच वर्ष, 1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल.टी. 2356/97]

(दो) एजूकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड और शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2357/97]

(2) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2358/97]

(4) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2359/97]

वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं श्री सतपाल महाराज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 6 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवाकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 26 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 346 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 347 (अ) जो 26 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मंडपकीपर द्वारा ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं, जहां मंडीपकीपर खान-पान सेवाएं भी प्रदान करता है और ग्राहक को जारी किए गए बिल में

ऐसी सेवा के प्रभार में शामिल करता है, के मामले में ग्राहक से ली गई सकल राशि के 40 प्रतिशत के बराबर राशि पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 348 (अ) जो 26 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एअर ट्रेवल एजेंट द्वारा वायुयान से यात्रा के लिए जगह बुक कराने के लिए एअरलाइन्स से प्राप्त कमीशन की अतिरिक्त राशि को सेवा कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 1997 जो 2 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 359 (अ) जो 2 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसका आशय परामर्शी इंजीनियर द्वारा विदेश में आधारित किसी योजना के संबंध में ग्राहक को की गई कराधेय सेवा के लिए ली गई रकम परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने पर उसके मूल्य को कर से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 1997 जो 11 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2360/97]

2. वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 की अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 315 (अ) जो 6 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के उपबंधों को कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन 15 जून, 1997 से प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 345 (अ) जो 26 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी विमान यात्रा एजेंट और किसी मंडपकीपर द्वारा उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवा पर 1 जुलाई, 1997 से सेवा कर प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 357 (अ) जो 2 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय परामर्शी इंजीनियर और जन शक्ति भर्ती एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई कर योग्य सेवाओं पर 7 जुलाई, 1997 से सेवा कर प्रवृत्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 385 (अ) जो 11 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 16 जुलाई, 1997 को कर योग्य सेवा पर सेवा कर प्रवृत्त करने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2361/97]

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1992 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 249 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सी. शु. में संशोधन करना है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विभिन्न माल पर सीमा-शुल्क की रियायती दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 250 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 13/97-सी. शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 276 (अ) जो 26 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम क्रूड पर 23 जुलाई, 1996 से 25 मई, 1997 की अवधि के दौरान स्वदेश में उत्पादित पेट्रोलियम क्रूड पर उद्ग्रहणीय उपकर के बराबर अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 322 (अ) जो 13 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 373 (अ) जो 9 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97 सी.शु. में कपितय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा.का.नि. 272 (अ) जो 23 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

निर्यात नीति के अन्तर्गत गोल्ड, गोल्ड फांइडिंग्स माउंटिंग्स या सोल्डर्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना है। तथा 6 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या को 182/92 सी.शु को विखंडित करना भी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 302 (अ) जो 3 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना की तालिका में उल्लिखित माल के भारत में आयात किए जाने पर उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 360 (अ) जो 3 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 261 (अ) जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बादाम को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण विशेष सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 262 (अ) जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 20/97-सी. शु. को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 333 (अ) जो 20 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डेनमार्क में उद्भुत या से निर्यातित विनिर्दिष्ट कैटालिस्टों पर उनमें विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति-पाटन शुल्क लगाना है जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या माल को परियोजना आयातों के अंतर्गत आयात किया गया है अथवा नहीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 369 (अ) जो 7 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 402 (अ) जो 22 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 11/97-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 260 (अ) जो 14 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 42/96-सी.शु. में संशोधन करना है ताकि आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की तिरूपति एवं हैदराबाद नगरों की शहरी वितरण विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं अधिसूथित की जा सकें और ताकि इन परियोजनाओं के लिए उपस्करों, मशीनों आदि के आयात के लिए रियायती परियोजना मूल्यांकन दर प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2362/97]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 1 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 239 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 314 (अ) जो 6 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के. उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 329 (अ) जो 19 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 जुलाई, 1997 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4-क के उपबंधों का विस्तार सौन्दर्य एवं प्रसाधन सामग्रियों पर करना है।

(चार) सा.का.नि. 330 (अ) जो 19 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सौन्दर्य एवं प्रसाधन सामग्रियों के संबंध में निर्धाय मूल्य निर्धारित करने का उद्देश्य से कमी के रूप में छूटकर बिक्री मूल्य को 50 प्रतिशत करने की व्यवस्था करना है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 334 (अ) जो 20 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 5 मई, 1983 की अधिसूचना संख्या 140/83-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 356 (अ) जो 2 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुपरो-निकल और एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स को भी छूट देना है जब उनका विनिर्माण उजरती कार्य आधार पर भारत सरकार टकसाल से निकासी किये गये अपशिष्ट और स्क्रैप से किया जाता हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 244 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट विभिन्न माल पर रियायती सीमा शुल्क दर निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 245 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय लघु उद्योग छूट योजना की प्रसुविधा का विस्तार बिना कटे हुए सूती ग्रे (अप्रसंस्कृत) ब्यूलित वेफ्ट पाइल फैब्रिक, जो कि अप्रसंस्कृत सूती धागे से बनाये गये हैं पर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 246 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय विनिर्दिष्ट माल को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त माल के फुटकर पैकेज पर अंकित अधिकतम फुटकर कीमत के 50 प्रतिशत के बराबर मूल्य पर संगणित रकम से अधिक है, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 247 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय खाने वाली तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 248 (अ) जो 7 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनका आशय फलों के रस पर आधारित पेयों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क में कमी करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 263 (अ) जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 4/97-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 264 (अ) जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा उसमें वर्णित दो अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 389 (अ) जो 15 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें 12 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145 (अ) का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(पन्द्रह) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवा संशोधन) नियम, 1997 जो 9 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 376 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 349 (अ) जो 16 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1997 का 16 जुलाई, 1997 से प्रवृत्त होना अधिसूचित किया गया था।

(सत्रह) सा.का.नि. 437 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 25 जुलाई, 1997 की चार अधिसूचनाओं को विखंडित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 438 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट अमिश्रधातु इस्पात के पिंड तथा बिलेट पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के रूप में वार्षिक उत्पादन क्षमता को 750 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 1 अगस्त, 1997 से नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 439 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट अमिश्रित इस्पात के डाट रि-रोल्ड उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को वार्षिक उत्पादन क्षमता के रूप में दर 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 1 अगस्त, 1997 से नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 440 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इन्डेक्शन फरनेस यूनिट में पिनों

और बिलेटों के हाट रि-रोलिंग मिल में रि-रॉल्ड उत्पादों के निर्माण के दौरान उद्भुत अपशिष्ट और स्क्रैप को यदि ऐसी इकाइयां उत्पाद शुल्क के भुगतान करती हैं तो उसे उससे छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 440 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एक इनडेक्शन फरनेस में पिंडों और बिलेटों के निर्माण और रि-रोलिंग मिल में हाट रि-रोल्ड उत्पादों के निर्माण पर शुल्क की कतिपय विशिष्ट दरें निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 442 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 जून, 1997 की अधिसूचना संख्या 38/97-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 443 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या 16/97-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 444 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 25 जुलाई, 1997 की पांच अधिसूचनाओं को विखंडित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 445 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1997 से अमिश्र धातु इस्पात के पिंड तथा बिलेट को अधिसूचित किया गया है ताकि फैक्ट्री विनिर्माण की वार्षिक क्षमता के आधार पर इन पिंडों तथा बिलेटों पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 446 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिनके द्वारा 1 अगस्त, 1997 से अमिश्र इस्पात के हाट रि-रोल्ड उत्पादों को विनिर्दिष्ट किया गया है ताकि फैक्ट्री विनिर्माण के उत्पादों की वार्षिक क्षमता के आधार पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण किया गया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 449 (अ) जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या 5/94-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) वि हाट रि-रोलिंग स्टील मिल वार्षिक क्षमता नियतन नियम, 1997 जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 447 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1997 जो 1 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 448 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2363/97]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनिमय, 1975 की धारा 8ख की उपधारा (7) के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षा ड्युटी की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2364/97]

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड) संशोधन विनियम, 1996 और 15 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 हो 10 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 495 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2365/97]

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उप धारा 3 के अन्तर्गत ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1997 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र में दिनांक 19 जून, 1997 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि पत्र जो 25 जुलाई, 1997 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 2366/97]

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 13 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत अपने चौथे प्रतिवदेन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :

(1) श्री एस.डी.एन. वाडियार- 30.4.97 से 16.5.97 तक

(2) श्री जी. मल्लिकार्जुनय्या- 21.4.97 तथा 22.4.97 और 30.4.97 से 16.5.97 तक

(3) श्री अनन्त कुमार हेगड़े - 23.7.97 से 14.8.97 तक

क्या सभा की यह राय है कि समिति द्वारा सिफारिश किए गए लोगों को अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हाँ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.03¼ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

कार्यवाही-सारांश

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं चालू सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति की दसवीं और ग्यारहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर सीमाशुल्क निकासी के संबंध में प्राक्कलन समिति के उनचासवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधित समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.03¾ बजे

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जी.आई. वायर के स्थानीय विद्युत रोधक पर अनियमित व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति

प्रतिवेदन

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार) : मैं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.04¼ बजे

[अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति.

साक्ष्य

श्री अमर रायप्रधान (कूचबिहार) : मैं संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का रिकार्ड सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री पी.सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम) : मैं इंडियन एयरलाइन्स और एलाइन्स एयर के कार्यकरण के संबंध में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04½ बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा 13 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 13 अगस्त, 1997 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सोलहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि हम शून्यकाल रखें अथवा नहीं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्नम) : हमें आज शून्यकाल रखना ही चाहिए। *.....(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : गृह मंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य के संबंध में क्या स्थिति है? *.....(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, पहले हम मद संख्या 18 को लें और उसके बाद मैं मद संख्या 21 पर बोलूंगा। *.....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय गृह मंत्री जी इसे पढ़ेंगे? अथवा इसे सभा पटल पर रखेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, इसे पढ़ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। जी हाँ, गृह मंत्री जी।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाऊ करूंगा।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर की स्टेटमैंट के बाद होगा।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह असम के एक सामाजिक कार्यकर्ता संजय घोष के अपहरण के बारे में है।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैं एलाऊ करूंगा।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आपको आज अनुमति देंगे। पहले माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए।

.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। क्योंकि हम यहां 6 बजे तक बैठे हैं।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

असम के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय घोष के अपहरण के बारे में

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से असम के एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय घोष के अपहरण के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहूंगा।

4 जुलाई को, श्री संजय घोष, महासचिव, ए.वी.ए.आर.डी-एन.ई. चन्दन डोले (ए.वी.ए.आर.डी. के सदस्य) के साथ असम में जोरहाट जिले के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र नदी के नदी-तटीय द्वीप, माजूली में माखीगांव के जुबक संघ के निमंत्रण पर 10.00 बजे पूर्वाह्न को माखीगांव गए। उस दिन उन दोनों को वहां से सशस्त्र बदमाशों ने अपहरण कर लिया। यह सूचना प्राप्त होने पर, अपहृत व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत हरकत में आयी। तथापि, चन्दन डोले, जो अपहरणकर्त्ताओं के चंगुल से बच कर भाग निकलने में कामयाब हो गए, 6.7.97 को नेमातीघाट पुलिस चौकी में आए और मामले की रिपोर्ट की।

अपहृत संजय घोष का पता लगाने के प्रयास जारी ही थे कि परेश बरूआ, उल्फा के स्वयंभू कमान्डर-इन-चीफ ने 9.7.97 को एक बयान जारी किया जो 10.7.97 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, कि उल्फा ने संजय घोष को रा का सदस्य होने के कारण गिरफ्तार किया और वह उनकी हिरासत में हैं। इसके अलावा यह कहा गया है कि वे उस पर विचार करेंगें और तदनुसार ही उसे

सजा देंगे। 22.7.97 की रात को उल्फा ने एक बयान जारी किया, जो 23.7.97 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ, जिसमें उनका दावा था कि संजय घोष और उल्फा के दो सदस्य नामतः (1) रूप सिंह तिमंग उर्फ खागेन कोंवर (2) कल्याण देवोरी जो घोष को ले जा रहे थे, उस समय ब्रह्मपुत्र नदी में डूब गये जब उनकी डोंगियाँ, 8 जुलाई, 1997 को नदी के प्रवाह के कारण उलट गयी। तथापि, 23.7.97 को एक दूसरी प्रेस विज्ञप्ति, जिसे उल्फा के स्वयंभू पब्लिसिटी सेक्रेटरी द्वारा जारी की गयी बताया गया था और जो 24.7.97 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, में उन्होंने यह कहा कि संजय घोष जिन्दा हैं और उनकी हिरासत में है। इससे जनता में गम्भीर गलतफहमी पैदा हो गई और इस बात की वास्तविक आंशका थी कि उल्फा द्वारा संजय घोष की हत्या और उसके अपहरण के कुछेक दिनों के भीतर ही कर दी गयी है और उल्फा इस घटना को कवर करने के लिए जनता को बहलाने के लिए अलग-अलग कहानियां गढ़ रही है। लोगों में गलतफहमी और संभ्रम उस समय और भी बढ़ गया जब मिथिंगा देमरी स्वयंभू पब्लिसिटी सेक्रेट्री द्वारा हस्ताक्षरित और असमिया भाषा में जारी दूसरी प्रेस विज्ञप्ति 24.7.97 को स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई जिसमें यह बताया गया था कि संजय घोष सुरक्षित हैं और उल्फा की हिरासत में जीवित हैं। इसके बाद परेश बरूआ स्वयंभू कमांडर इन चीफ द्वारा अन्य वक्तव्य भी जारी किया गया और वह वक्तव्य स्थानीय दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ कि संजय घोष को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के बाद रिहा कर दिया जाएगाः

(क) कि ए.वी.ए.आर.डी. - एन.ई. माजुली में और असम राज्य में गतिविधियां बन्द कर देगा और हमेशा के लिए अमस छोड़ देगा।

(ख) कि असम के लोगों की भावनाओं को आहत करने के कारण उसे उनसे सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए।

(ग) कि सुरक्षा बलों को सभी अभियान रोक देने होंगे और यदि उसकी मौत मुठभेड़ में होती है तो उल्फा इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

(घ) यदि ये शर्तें पूरी कर दी जाती हैं जो संजय घोष को रिहा कर दिया जाएगा और उसे एक विदेशी संगठन के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इसके अनुपालन में ए.वी.ए.आर.डी. - एन.ई. ने अपनी गतिविधियां बन्द कर दी और असम के लोगों से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने असम छोड़ दिया। श्री संजय घोष के परिजनोंके विशिष्ट अनुरोध पर सरकार ने निर्णय लिया कि सुरक्षा बल या जनता को श्री संजय घोष की रिहाई के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसी किसी कार्रवाई से उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई कि दिल्ली स्थिति इंटरनेशनल कमीशन फार रैड क्रॉस के कुछ प्रतिनिधि, उसके परिवार की इच्छानुसार संजय घोष की रिहाई के लिए अपेक्षताओं के साथ सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। चूंकि कुछ समाचार पत्रों में ऐसी रिपोर्टें भी थीं कि संजय घोष की रिहाई हेतु सरकार ने उल्फा के सामने कुछ शर्तें रखी थीं, इसलिए दिनांक 5.8.97 को यह स्पष्ट करते हुए एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया कि इन प्रैस रिपोर्टों में कोई सच्चाई नहीं है तथा श्री संजय घोष के परिवार द्वारा की गई अपील के उत्तर में सरकार ने श्री घोष की रिहाई के संबंध में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है क्योंकि इस संबंध में उनके परिवार द्वारा सीधी बातचीत की जा रही है। तथापि, सभी शर्तों को पूरा कर दिए जाने के बाद उसकी निश्चित रिहाई की आशाओं के बीच उल्फा के स्वंयभू पब्लिसिटी सैक्रेटरी द्वारा दिनांक 6.8.97 की रात्रि को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई जो दिनांक 7.8.97 को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया कि उनकी गिरफ्त से मुक्त होकर बचकर भागते हुए श्री संजय घोष अरूणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। प्रैस विज्ञप्ति में उनके शव अथवा उस शव का क्या किया गया इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। उल्फा कार्यकर्ता तुलेन बरूआ पुत्र नित्यानंद बरूआ निवासी गारमूर खरजान, ना-सतरा, थाना - माजूली, जिला - जोरहाट, जिसे इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है, ने इस अपहरण में अपनी संलिप्तता को स्वीकारा है तथा बताया है कि उल्फा कार्यकर्ता फाटिक हातिमोता और सिराज बोरा ने संजय घोष और चन्दन डोले का अपहरण किया था। तदोपरान्त, उल्फा के कार्यकर्ता (i) भास्कर बरूआ (ii) अरूप बरूआ (iii) प्रदीप बरूआ (iv) फाटिक हातिमोता और (v) सिराज बोरा, संजय घोष को सिकारीघाट नामक स्थान पर ले गए ताकि उन्हें एक नाव में ले जाया जा सके। पूछताछ के दौरान तुलेन बरूआ ने आगे बताया कि उपर्युक्त प्रैस विज्ञप्तियों में किए गए दावों के विपरीत घोष की हत्या उल्फा द्वारा मजूली में ही उस समय ही कर दी गई थी जब वे उनकी हिरासत में थे।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि अपहरण के मामले में, यह अत्यावश्यक होता है कि इसका अनावश्यक प्रचार न किया जाए तथा यह कि मामले को अति सावधानीपूर्वक निपटाया जाए क्योंकि सरकार या सुरक्षा बलों की तरफ से किसी गलत कार्रवाई से अपहृत व्यक्ति की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे सभी मामलों में, मार्गदर्शक सिद्धान्त यही है कि अपहृत व्यक्ति की जान की सुरक्षा को सर्वोपरि समझा जाए। सरकार ने इस सिद्धान्त का ही अनुसरण किया है तथा सरकार के अनेक पदाधिकारीगण इस परिवार से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा उन्होंने इस मामले में परिवार की भावनाओं का सम्मान किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व के अनेक स्वयंसेवी संगठनों तथा मानवाधिकार संगठनों तथा मदर टेरेसा जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की अपीलों के बावजूद, उल्फा ने अपने वादे के अनुसार संजय घोष को न केवल मुक्त नहीं किया, बल्कि उनके जीवन और मृत्यु के बारे में जानबूझकर अत्यधिक भ्रम पैदा किया। संजय घोष ने निःसन्देह माजूली द्वीप में कुछ उत्कृष्ट विकास कार्य किया है जैसा कि उन्हें स्थानीय समुदाय से मिले भारी समर्थन से जाहिर है। उल्फा की कार्रवाइयां, प्रजातंत्र, सभ्य समाज तथा अपने उत्थान के लिए संगठित होने के लोगों के अधिकारों पर खुल्लमखुल्ला हमला है। भारत सरकार उल्फा की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना करती है। राज्य सरकार को, पहले से दर्ज इस मामले में परिश्रमपूर्वक की गई जांच का अनुसरण करने की सलाह दी गई है।

जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है, उसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री संजय घोष का शव चूंकि अभी तक बरामद नहीं हुआ है इसलिए कानूनी दृष्टि से हम श्री संजय घोष को मृत घोषित नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। गुजरात के सभी संसद सदस्य .....*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : सभापति यह बिहार काल है या शून्य काल है।

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि यह शून्य काल है।

श्री ए.सी. जोस : अब बिहार पर कोई चर्चा नहीं होगी। हम लोग बिहार पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : हम शून्यकाल चाहते हैं। प्रतिदिन, हम केवल बिहार की बातें करते हैं। हम बिहार की बातें कब तक करेंगे।

[हिन्दी]

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वे राज्य सरकार को निर्देश दें कि फूलन देवी के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, वह न हो। वह लोक सभा की सदस्य हैं। जो पिछली बातें थी, पिछले मुकदमें थे, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब सारी बातें खत्म हो गई थीं। केस विदड्रा हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद आज उनके साथ हैरासमेंट की जा रही है। जिस क्षेत्र से वे लोक सभा की सदस्य चुनकर आई हैं, वहां के लोगों ने क्लियर फतवा दे दिया है कि वे उनको पसंद करते हैं। इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वे बाहर गेट पर बैठी हुई हैं। इस वक्त होम मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, आप उनसे ऐसे निर्देश करवा दें जिससे उनके साथ नाइंसाफी न हो।

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : दुःख की घड़ी में कोई सुनने वाला नहीं है। फूलन देवी अपनी गुहार के लिए बाहर दरवाजे पर बैठी हुई हैं यह हम सबका दायित्व है क्योंकि एक तरफ हम महिला आरक्षण की बातें करते हैं और आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जब 1962 और 1972 में दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया था, तब सरकार ने कहा था कि आठ साल में निर्णय ले लिया जाएगा। 1962 और 1972 में जिन-जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया था, उनमें से कइयों का निर्णय हो गया, लेकिन इनका निर्णय नहीं हो पाया। इन्होंने उस वक्त जो किया था, उन सारे जुल्मों को मायावती जी फिर से उठाना चाहती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास : मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी बात सुनी जाए। अगर कोई अच्छा नागरिक बनना चाहे उसे उसे स्वीकार करना चाहिए। .....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्वी) : अध्यक्ष जी, फूलन देवी इस सदन की सम्मानित सदस्य हैं। वह बाहर बैठी हुई हैं। वह जरूर अंदर आएं। मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फूलन देवी के खिलाफ पहले के केस वापस ले लिए थे। जहां तक मेरी जानकारी है कानून के हिसाब से केवल मुख्यमंत्री या गृह मंत्री द्वारा केस वापस लेने के बाद, अगर न्यायालय उसे वापस लेने से इन्कार कर देता है, तो कोई भी सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती।

न्यायालय ने इस वापसी का विरोध किया है। बी.एस.पी. और बी.जे.पी. सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्ट कर दिया है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : फूलन देवी जी के बारे में प्रमोद महाजन जी ने हमारा नाम लिया। हमने सारा केस वापस लिया था और एक महिला होने के कारण एक मानवीय दृष्टि से और .....*(व्यवधान)* अब ज्यादा मत करिए। हम भी कमजोर नहीं हैं। ....*(व्यवधान)* यह क्या बात हो गई? .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी की बात सुनिये।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : .....*(व्यवधान)* अगर यह करेंगे तो .....*(व्यवधान)* आप क्या करेंगे? ...*(व्यवधान)* आप क्या समझते हैं? हम वे लोग नहीं जो. ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सुन सकते हैं?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी की सुनिये।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं सुन सकते हैं?

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मानवीय दृष्टि के कारण हमने फूलन देवी जी को छोड़ा। इससे पहले हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े कुख्यात डकैतों को छोड़ा गया। उनको तीन-चार और पांच साल में बिल्कुल बरी कर दिया गया। फूलन देवी लगातार ग्यारह वर्ष तक जेल में रही लेकिन यह गरीब, पिछड़ी और कमजोर महिला हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका वर्णन हम यहां नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन ये घटनाएँ हुई, हम मौके पर गए थे। मेरे मन में था कि उनकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। यह सच्चाई है कि छोड़ने के बाद हमने, गृह मंत्रालय से पूरी लॉ ओपिनियन लेने के बाद, इस मामले को कोर्ट में भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, यह सच है। लेकिन उसके बाद पैरवी करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार ने पैरवी नहीं की और पैरवी नहीं करने के बाद उल्टा यह कोशिश अदालत ने की है कि हम फूलन देवी को फंसाएंगे और फूलन देवी के साथ हमारा कोई रहम नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सरकारी वकील खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को पैरवी करनी चाहिए। यह परम्परा थी कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार जब कोई फैसला लेती है और फूलन देवी जो एक मल्लाह की बेटी हैं जिनके साथ क्या-क्या कुकर्म हुए हैं, उनके साथ बी.जे.पी. के लोगों को भी सहानुभूति है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार में बैठी मुख्यमंत्री कुछ भी करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम मानवीय दृष्टि से उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। भाजपा के 175 विधायक हैं और बीएसपी के 66 है। अगर यह बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है जो फूलन देवी के साथ अत्याचार और अन्याय करा रही है। यह हमारी सीधी बात है, इसलिए उनको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी चाहिए।

जहां तक हमारा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से तो हम पैरवी करेंगे ही, बड़े वकील को खड़ा करेंगे लेकिन सरकार पूरी तरह से फूलन देवी को परेशान कर रही है और आज वह कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपने अपनी बात कह दी है। यह पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार भी पैरवी करे और अगर पैरवी करती तो उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं हो सकता था।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बिल्कुल सही है। पहले मैं यह साफ कर दूं कि हम लोगों को फूलन देवी से पूरी-पूरी हमदर्दी है और 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुकदमें वापस लेने का फैसला किया था, हम उससे सहमत हैं।

लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लेम देना सही नहीं है। अगर यह सदन एक कानून बनाकर फूलन देवी को सारे मुकद्मात खत्म कर दे, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस मामले में न्यायालय का रोल है। सन् 1994 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे मुकद्मात *...(व्यवधान)* सुनिए *....(व्यवधान)* सन् 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमात वापस लिए, लेकिन कानपुर के न्यायालय ने उसको मानने से इन्कार किया*...(व्यवधान)* उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील रिजैक्ट कर दी। इसलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार को दोष देना गलत है। फूलन देवी से हमें पूरी हमदर्दी है। फूलन देवी के बारे में सदन जो फैसला करे, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है *....(व्यवधान)* इल्जाम लगाना गलत है। *...(व्यवधान)* राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक लाभ के लिए फूलन देवी का *....(व्यवधान)* फूलन देवी के हमराह बन रहे हैं।*.....(व्यवधान)* फूलन देवी से हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन न्यायालय के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लेम देना गलत होगा। *....(व्यवधान)* राजनीतिक कारणों से यह हो रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए यह हो रहा है। एक वर्ग के जजबात को भड़काने के लिए हो रहा है, ताकि वह वर्ग उत्तर प्रदेश सरकार *.....(व्यवधान)* उत्तर सरकार को पार्टी बना रहे हैं। मैं इस भावना के खिलाफ हूँ और फूलन देवी के खिलाफ नहीं हूँ।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी यहीं हैं - उन्होंने विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान दिया है। अब हमें इस मामले को बन्द कर देना चाहिए।

अब अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दें। हम सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। कृपया धैर्य रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सभी लोग बोलेंगे लेकिन कृपया प्रत्येक सदस्य दो मिनट से ज्यादा न बोले।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह संघाणी (अमरेली) : महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में *.....(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, भारत सरकार ने तय किया है कि स्वर्ण जयंती अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, इनके सम्मान के लिए नाम लिया गया है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन तीन महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, उसी प्रकार से सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान हो, लेकिन इनका नाम जानबूझकर निकाल दिया गया है। इससे गुजरात में भारी असंतोष है। न केवल गुजरात में .....*(व्यवधान)* सरदार वल्लभभाई पटेल ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री राणा, मैं आपको अनुमति दूंगा।

......*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको आपकी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दूंगा।

......*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : जब देश आजाद हुआ है, तो सरदार वल्लभभाई पटेल में प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता थी। ज्यादातर कांग्रेस के उस समय के लोगों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कहा था। इसके लिए बहुमत लोगों ने मांग की थी, लेकिन समय की बलिहारी, नहीं हो सके। इस देश की एकता, इस देश की अखण्डता के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो योगदान दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी, जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और जिस प्रकार से सुभाषचन्द्र बोस का सम्मान करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से सरदार वल्लभभाई पटेल .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप चिंतित क्यों हैं? वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम इन तीनों नेताओं के साथ जोड़ा जाए। सारे देश में हम स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं, तो उनका नाम लेकर सारे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के आजादी के योगदान और आजादी के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें, स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान करे। मेरी आपसे यही विनती है और यह देश के हित में भी है। ....*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : [illegible] बोल [illegible] वल्लभभाई पटेल के मामले में पूरा हाउस एक है। यह मामला पूरे सदन का है।....*(व्यवधान)* इसका जो विरोध करने वाले हों वे खड़े हो जाएं।....*(व्यवधान)*

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : *महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल* का मामला पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय है।....*(व्यवधान)* सरदार पटेल जी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सब लोगों की उपेक्षा हो रही है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राणा जी, मेरे विचार से आप अपनी बात कह चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया है। यह देश बहुत विशाल है और हम इस देश की भाषा और वेशभूषा को भी जानते हैं जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था उस हुकूमत को उखाड़ने का काम हिन्दुस्तान के संग्राम सेनानियों ने किया। इसमें मैं मानता हूं कि तीन बड़े लोगों का नाम आया, यह खुशी की बात है। उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। वे शिखर पुरुष थे, मैं मानता हूं। महात्मा जी को देश की आजादी की लड़ाई में जो ताकत और शक्ति एक आदमी के पीछे से मिलती थी और हिन्दुस्तान के किसानों का, हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता का और हिन्दुस्तान किस तरह चलाया जा सकता है, इसकी जो मिसाल है, उसका जो प्रतीक है ....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, हर बार ऐसा क्यों होता है?....*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आप पहले मेरी बात तो सुन लें। ....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : देश में कोई उत्सव होता है तो सरदार पटेल जी को क्यों भुलाया जाता है? ....*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मैं वही तो बोल रहा हूं।....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता : अब क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले? ....*(व्यवधान)* आपकी सरकार है।

श्री शरद यादव : आप हमें बोलने तो दीजिए।

श्री सनत मेहता : हम नहीं बोलने देंगे, हमें सरकार से जवाब चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मानवीय दृष्टि के कारण हमने फूलन देवी जी को छोड़ा। इससे पहले हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े कुख्यात डकैतों को छोड़ा गया। उनको तीन-चार और पांच साल में बिल्कुल बरी कर दिया गया। फूलन देवी लगातार ग्यारह वर्ष तक जेल में रही लेकिन यह गरीब, पिछड़ी और कमजोर महिला हैं और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसका वर्णन हम यहां नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन ये घटनाएँ हुई, हम मौके पर गए थे। मेरे मन में था कि उनकी कोई सिफारिश करने वाला नहीं है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया। यह सच्चाई है कि छोड़ने के बाद हमने, गृह मंत्रालय से पूरी लॉ ओपिनियन लेने के बाद, इस मामले को कोर्ट में भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं, यह सच है। लेकिन उसके बाद पैरवी करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार ने पैरवी नहीं की और पैरवी नहीं करने के बाद उल्टा यह कोशिश अदालत ने की है कि हम फूलन देवी को फंसाएंगे और फूलन देवी के साथ हमारा कोई रहम नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सरकारी वकील खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को पैरवी करनी चाहिए। यह परम्परा थी कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार जब कोई फैसला लेती है और फूलन देवी जो एक मल्लाह की बेटी हैं जिनके साथ क्या-क्या कुकर्म हुए हैं, उनके साथ बी.जे.पी. के लोगों को भी सहानुभूति है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार में बैठी मुख्यमंत्री कुछ भी करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम मानवीय दृष्टि से उसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा है। भाजपा के 175 विधायक हैं और बीएसपी के 66 है। अगर यह बात होगी तो उसकी जिम्मेदारी भाजपा की है जो फूलन देवी के साथ अत्याचार और अन्याय करा रही है। यह हमारी सीधी बात है, इसलिए उनको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी चाहिए।

जहां तक हमारा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से तो हम पैरवी करेंगे ही, बड़े वकील को खड़ा करेंगे लेकिन सरकार पूरी तरह से फूलन देवी को परेशान कर रही है और आज वह कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपने अपनी बात कह दी है। यह पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अपने क्षेत्र में भी नहीं जा सकती। अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार भी पैरवी करे और अगर पैरवी करती तो उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार या अत्याचार नहीं हो सकता था।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह बिल्कुल सही है। पहले मैं यह साफ कर दूं कि हम लोगों को फूलन देवी से पूरी-पूरी हमदर्दी है और 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मुकदमें वापस लेने का फैसला किया था, हम उससे सहमत हैं।

लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लेम देना सही नहीं है। अगर यह सदन एक कानून बनाकर फूलन देवी को सारे मुकद्मात खत्म कर दे, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन इस मामले में न्यायालय का रोल है। सन् 1994 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारे मुकद्मात *...(व्यवधान)* सुनिए *....(व्यवधान)* सन् 1994 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमात वापस लिए, लेकिन कानपुर के न्यायालय ने उसको मानने से इन्कार किया*...(व्यवधान)* उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील रिजैक्ट कर दी। इसलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार को दोष देना गलत है। फूलन देवी से हमें पूरी हमदर्दी है। फूलन देवी के बारे में सदन जो फैसला करे, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है *....(व्यवधान)* इल्जाम लगाना गलत है। *...(व्यवधान)* राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर, राजनीतिक लाभ के लिए फूलन देवी का *....(व्यवधान)* फूलन देवी के हमराह बन रहे हैं।*.....(व्यवधान)* फूलन देवी से हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन न्यायालय के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को ब्लेम देना गलत होगा। *....(व्यवधान)* राजनीतिक कारणों से यह हो रहा है। राजनीतिक लाभ के लिए यह हो रहा है। एक वर्ग के जजबात को भड़काने के लिए हो रहा है, ताकि वह वर्ग उत्तर प्रदेश सरकार *.....(व्यवधान)* उत्तर सरकार को पार्टी बना रहे हैं। मैं इस भावना के खिलाफ हूँ और फूलन देवी के खिलाफ नहीं हूँ।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी यहीं हैं - उन्होंने विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान दिया है। अब हमें इस मामले को बन्द कर देना चाहिए।

अब अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दें। हम सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। कृपया धैर्य रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे आपको बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सभी लोग बोलेंगे लेकिन कृपया प्रत्येक सदस्य दो मिनट से ज्यादा न बोले।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह संघानी (अमरेली) : महोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में *.....(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मडोदय, भारत सरकार ने तय किया है कि स्वर्ण जयंती अवसर पर हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं, महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, इनके सम्मान के लिए नाम लिया गया है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन तीन महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, उसी प्रकार से सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान हो, लेकिन इनका नाम जानबूझकर निकाल दिया गया है। इससे गुजरात में भारी असंतोष है। न केवल गुजरात में .....*(व्यवधान)* सरदार वल्लभभाई पटेल ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष मडोदय : कृपया बैठ जाएं। श्री राणा, मैं आपको अनुमति दूँगा।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष मडोदय : मैं आपको आपकी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दूँगा।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : जब देश आजाद हुआ है, तो सरदार वल्लभभाई पटेल में प्राइम मिनिस्टर बनने की क्षमता थी। ज्यादातर कांग्रेस के उस समय के लोगों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए कहा था। इसके लिए बहुमत लोगों ने मांग की थी, लेकिन समय की बलिहारी, नहीं हो सके। इस देश की एकता, इस देश की अखण्डता के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो योगदान दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी, जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और जिस प्रकार से सुभाषचन्द्र बोस का सम्मान करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से सरदार वल्लभभाई पटेल .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष मडोदय : आप चिंतित क्यों हैं ? वे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा अधिकार है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम इन तीनों नेताओं के साथ जोड़ा जाए। सारे देश में हम स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं, तो उनका नाम लेकर सारे देश में सरदार वल्लभभाई पटेल के आजादी के योगदान और आजादी के बाद जो कुछ हुआ है, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सरकार को आदेश दें, स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सरकार सरदार वल्लभभाई पटेल का सम्मान करे। मेरी आपसे यही विनती है और यह देश के हित में भी है। .. ..*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष मडोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल के मामले में पूरा हाउस एक है। यह मामला पूरे सदन का है।....*(व्यवधान)* इसका जो विरोध करने वाले हों वे खड़े हो जाएं।....*(व्यवधान)*

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : मडोदय, सरदार वल्लभभाई पटेल का मामला पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय है।....*(व्यवधान)* सरदार पटेल जी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सब लोगों की उपेक्षा हो रही है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष मडोदय : श्री राणा जी, मेरे विचार से आप अपनी बात कह चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष मडोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है। यह देश बहुत विशाल है और हम इस देश की भाषा और वेशभूषा को भी जानते हैं जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूरज नहीं डूबता था उस हुकूमत को उखाड़ने का काम हिन्दुस्तान के संग्राम सेनानियों ने किया। इसमें मैं मानता हूँ कि तीन बड़े लोगों का नाम आया, यह खुशी की बात है। उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है। वे शिखर पुरुष थे, मैं मानता हूँ। महात्मा जी को देश की आजादी की लड़ाई में जो ताकत और शक्ति एक आदमी के पीछे से मिलती थी और हिन्दुस्तान के किसानों का, हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता का और हिन्दुस्तान किस तरह चलाया जा सकता है, इसकी जो मिसाल है, उसका जो प्रतीक है ....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेडता (सुरेन्द्र नगर) : मडोदय, हर बार ऐसा क्यों होता है ?....*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : आप पहले मेरी बात तो सुन लें। ....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेडता : देश में कोई उत्सव होता है तो सरदार पटेल जी को क्यों भुलाया जाता है ? ....*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : मैं वही तो बोल रहा हूँ।....*(व्यवधान)*

श्री सनत मेडता : अब क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले ? ....*(व्यवधान)* आपकी सरकार है।

श्री शरद यादव : आप हमें बोलने तो दीजिए।

श्री सनत मेडता : हम नहीं बोलने देंगे, हमें सरकार से जवाब चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए। श्री शरद यादव, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सरदार पटेल जी हिन्दुस्तान के संग्राम सेनानियों की अग्रिम पंक्ति में हैं। मैं इनसे सहमत हूँ। *....(व्यवधान)*

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सरकार आपकी है। *....(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : क्या मैं मेम्बर के नाते कोई बात नहीं कह सकता। *....(व्यवधान)* मैं सरकार से भी कह रहा हूँ। मेरी विनती सरकार से भी है। *....(व्यवधान)* देश में बड़ी लड़ाई हुई। *....(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : आज यह सरदार पटेल जी को भूल गए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, इस देश को बनाने में सरदार वल्लभभाई पटेल का बड़ा योगदान रहा है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है। आपको इस पर एक लम्बा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सन् 1942 के आंदोलन को अंतिम पड़ाव कहा जा सकता है। कुछ लोग राज और सरकार में नहीं गये। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, आचार्य नरेन्द्र देव जी के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। सरदार पटेल के साथ-साथ ये जो तीन शिखर के नेता हैं। सन् 1942 के आंदोलन के ये तीनों अगुवा थे। आजादी का अंतिम संग्राम इन तीन महापुरुषों ने लड़ा था। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, अब तक आपने सभा की भावनाएं सुनी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि चूंकि हम नाम ले रहे हैं, मेरे विचार से, सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम को जो राज्यों के एकीकरण, रजवाड़ों के स्वतंत्र भारत में विलय और हैदराबाद को भारत में शामिल करने के प्रयासों को एक दिशा देने हेतु उत्तरदायी थे - अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथ ही, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय राष्ट्र के पथ प्रदर्शक थे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह पर्याप्त है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : कृपया, एक एक मिनट और।

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है, पर्याप्त है।

....(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : गाँधी जी को 'महात्मा' नाम दिया गया। सुभाष चन्द्र बोस को 'नेताजी' नाम दिया गया। *....(व्यवधान)* महात्मा नाम किसने दिया ? नेता जी नाम किसने दिया ? राष्ट्रगीत किसने दिया ?....*(व्यवधान)* मुझे आश्चर्य है कि गुरुदेव रविन्द्र नाथ टैगोर का नाम नहीं है। यह विचित्र बात है। उन्होंने 'नाइटहुड' की उपाधि को छोड़ दिया।....*(व्यवधान)* आप सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नामों की अनदेखी नहीं कर सकते *....(व्यवधान)* कई नाम हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन नामों पर सावर विचार करें....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह सरकार स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों को भूल रही है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। *....(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अफसोस इस बात का है कि भारत सरकार ने आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो आयोजन किया है उसमें सरदार पटेल को जो स्थान मिलना चाहिए, उसे देने में सरकार से चूक रही है। इस बात को भारत सरकार को स्वीकार करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। भविष्य में जो भी आयोजन हों उसमें सरदार पटेल को महात्मा गांधी के तुरंत बाद स्थान मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रविन्द्र नाथ टैगोर, लोकमान्य जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरूणा आसफ अली आदि तमाम लोगों को स्थान मिलना चाहिए।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क : सर, मुझे भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : काफी हो गया है।

श्री काशी राम राणा : सर, सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : श्री राजागोपालाचारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और श्री जयप्रकाश नारायण का भी योगदान रहा है।....*(व्यवधान)* इनका नाम भी उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में सदन की राय लेकर कुछ निर्णय लें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. कृपया बैठ जाइए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, आप कैसी बेशर्मी से हँस रहे हैं, जबकि मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। इसकी भी एक सीमा है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में व्यक्त की गई भावनाओं का पूर्णतः सम्मान करता हूँ। वास्तविक स्थिति यह है।

हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समारोह समिति है। मेरे विचार से इस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और समारोह कैसे मनाया जाये, इस बारे में पूरे मामले पर राष्ट्रीय समिति में चर्चा की गई थी। मेरे पास समिति के सभी सदस्यों की सूची नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि सभी नहीं तो कुछ मुख्यमंत्री तो इस समिति के सदस्य भी हैं। समिति में इस मामले के प्रत्येक पहलू पर चर्चा की गई थी।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई जाये और लॉबी में बैठे लोगों से कहे कि वे इतनी जोर से न हंसें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं बैठक में उपस्थित नहीं था। मुझे केवल यह बताया गया कि राष्ट्रीय समारोह समिति में काफी चर्चा के पश्चात् यह निर्णय लिया गया था कि हम स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। हमारे पास सरदार पटेल, डॉ० अम्बेडकर, मौलाना आजाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद और जिनके नाम लिये गये हैं, जैसे बहुत से राष्ट्रभक्त महापुरुष हैं। जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था।

....(व्यवधान)

श्री टी. नागरत्नम (श्रीपेरूम्बुदुर) : महोदय, सी. राजागोपालाचारी, सुब्रह्मण्यम भारती....*(व्यवधान)* कामराज और अन्य दिवंगत नेताओं के नामों का उल्लेख नहीं किया गया *....(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात नही सुन सकते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आप स्पष्टीकरण नहीं चाहते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि इस संसद में अध्यक्ष ही नहीं बोल सकता तो और कौन बोलेगा।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कहाँ बैठे हैं ? अध्यक्ष को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आप जैसा चाहते हैं वैसा करें।

....(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज वा. चव्हाण (कराड़) : कृपया अध्यक्ष महोदय की बातें सुनिएं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : हम जानते हैं कि संसद में कैसा व्यवहार करना है।....*(व्यवधान)* कृपया हमें नैतिकता न सिखायें....*(व्यवधान)*

श्री पी.एन. शिवा (पुडुमकोट्टई) : महोदय, हम कुछ नहीं चाहते हैं, मात्र उनके नामों का स्मरण किया जाना चाहिए *....(व्यवधान)* किसी ने भी सुब्रमन्यन शिवा, वी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रह्मण्यम भारती....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सभी नेताओं का आदर करते हैं। मेरे लिए सभी का नाम लेना संभव नहीं है। मैं तो केवल उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था और इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनका आदर नहीं करता, या देश उनका आदर नहीं करता। उदाहरणस्वरूप मैं उन बातों का उल्लेख कर रहा था जिसकी राष्ट्रीय समारोह समिति में चर्चा की गई थी।

काफी चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय समिति ने महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के भाषणों का अंश चार मिनट या कुछ ऐसे ही क्षणों के लिए बजाने का निर्णय लिया था। यही अंतिम निर्णय था।

फिर इसी सभा में यह मुद्दा उठाया गया था कि मात्र दो ही नेताओं के भाषण का अंश क्यों बजाया गया, नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के भाषण का अंश इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ? यदि आपको स्मरण है तो सम्पूर्ण सभा में इस बात का स्वागत किया गया था। उस समय किसी ने कोई अन्य नाम नहीं सुझाये थे।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। अतः सम्पूर्ण सभा की भावनाओं का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय समिति के निर्णय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलायी गयी उसमें मैंने यह कहा था कि यह राष्ट्रीय समिति का निर्णय है और उस पर सम्पूर्ण सभा ने अपने विचार व्यक्त किए थे। पहली बैठक में - यह राष्ट्रीय समिति की औपचारिक बैठक नहीं थी, मैंने कुछेक संबद्ध लोगों को बुलाया था - उन्होंने कहा था कि चूंकि अब काफी विलम्ब हो चुका है इसलिए उनके नामों को शामिल करना संभव नही होगा। मैंने श्रीमती कृष्णा बोस की यह बात बतायी थी और वह इससे

परेशान थी। फिर एक अन्य बैठक में जो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों के साथ इस सत्र में पहली बैठक थी, यह प्रश्न फिर से उठाया गया था। उस बैठक में प्रधानमंत्री स्वतः मौजूद थे। उस वक्त मैंने यह कहा था कि राष्ट्रीय समिति यह मानती है कि इस वक्त किसी तीसरे भाषण को शामिल करना संभव नहीं होगा क्योंकि सब कुछ निश्चित किया जा चुका था और कार्यक्रम छप चुका था। उस बैठक में प्रधानमंत्री सहित, सभी ने कहा था कि सभा की भावनाओं का ध्यान रखा जाए और यदि संभव हो तो ऐसा किया जाना चाहिए। मैंने उस बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री को बुलाया था और इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि हमें कोई अन्य कार्य पर चर्चा करनी चाहिए जब तक कि मानव संसाधन विकास मंत्री न आ जायें। वह बैठक में आये और फिर सभी राजनीतिक दलों द्वारा निर्णय लिया गया था।

मामले की वास्तविक स्थिति यही है। यद्यपि मैं सभी लोगों की भावनाओं का आदर करता हूं फिर मुझे डर है कि इस अंतिम क्षणों में वह कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने वही बयान किया जो हुआ था।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिन कमेटियों का उल्लेख किया, जिन बैठकों का हवाला दिया, हम में से बहुत से उनमें शामिल हुये थे और जो निर्णय हुए हैं, हम उनसे सहमत हैं। यह बात सच है कि हमारे देश में, हमारी भारत माता ने इतने महापुरुष जन्मे हैं कि किसी कालखंड के भीतर उन सबका समावेश करना संभव नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनकी उपेक्षा करते हैं या इसका अर्थ यह भी नहीं कि देश के किसी भी भाग की ओर हमारा ध्यान नहीं है। महापुरुष किसी प्रदेश के नहीं है। यदि हम प्रदेश तक सीमित रखेंगे तो महापुरुष का कद छोटा करेंगे। वे राष्ट्र के महापुरुष हैं। मतभेद होते हुए भी हम महापुरुषों को एक राष्ट्रीय पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया, बलिदान दिया और आज स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। एक दिन पहले इस तरह का विवाद खड़ा हो, यह हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं और न ही हमारी स्वतंत्रता को अधिक सार्थक बनाने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरदार पटेल का संबंध है, हम पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के भीतर सरदार पटेल को मान्यता देने के बारे में मतभेद थे, तब हम दिल्ली में लाल किले पर सरदार पटेल की जयन्ती का आयोजन करके उनका सम्मान किया करते थे....*(व्यवधान)* इसलिये गुजरात तक सरदार पटेल को सीमित मत करिये। अध्यक्ष महोदय, आपने सारी स्थिति बता दी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूं। मैं अपने दल के सदस्यों से कहूंगा। सरदार पटेल के लिये हमारे हृदय में बड़ा आदर है और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर नेहरू जी के स्थान पर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद इस देश का नक्शा कुछ और होता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रीय अवसर पर नेहरू जी का महत्व कम किया जाये। कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, इसका महत्व नहीं है।....*(व्यवधान)*

श्री बी.के. गढ़वी (बनसकांठा) : हम काम करने की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने देश को एक धागे में पिरोया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, कि हम में सुनने का धैर्य होना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि वे बोलना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सनत मेहता आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सनत मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा मांग रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से चर्चा को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि यदि आप इसे बढ़ायेंगे भी तो हम उसी स्थिति में पहुंचेंगे जिसकी मैंने चर्चा की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने और विपक्ष के नेता ने जो भी कहा उससे सहमत हूँ। मैं सभा के सभी पक्षों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी राज्य विशेष के महान् नेताओं का नाम उठाना ही अच्छा नहीं है। ऐसा करके हमें उनके महत्व को कम नहीं करना चाहिए।....*(व्यवधान)* हम उनका काफी आदर करते हैं। अतः इसलिए....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह फाइनल है।

....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सरदार पटेल एक राष्ट्रीय नेता थे ....*(व्यवधान)*

श्री समत मेहता : सरदार पटेल एक विशेष राज्य राष्ट्रीय नेता थे....*(व्यवधान)* इससे प्रतीक होता है कि आप समझ नहीं पाये हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ

....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : आप हमारी भावना को समझते हैं ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ० सुब्बारामी रेड्डी वस्त्र पर बोलेंगे।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : कृपया चिल्लाएं नहीं।

[हिन्दी]

हेल्थ खराब होता है।

अपराह्न 12.51 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको मौका दूँगा।

[अनुवाद]

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, अब मैं वस्त्र उद्योग की बदतर स्थिति से सम्पूर्ण सभा, सम्पूर्ण देश और भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। देश की कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का हिस्सा 20 प्रतिशत है। हमारे यहां 15,000 मिलें हैं; 14 लाख हथकरघे और 17 लाख बिजली चालित करघे हैं। सकल घरेलू उत्पादन में इसका अंशदान 7.5 प्रतिशत है। आज, कुल निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में इसका अंशदान 30 प्रतिशत है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : आज वस्त्र उद्योग की रुग्णता के फलस्वरूप हजारों गरीब मजदूरों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। मिलें बंद हो चुकी हैं तथा वस्त्र उद्योग में हड़ताल होती है। मैं इन लोगों की परेशानियों से वस्त्र मंत्री, श्री जालप्पा को अवगत कराना चाहता हूँ। इस खराब स्थिति के क्या कारण हैं? इसका समाधान क्या है? इसका एक भाग समाधान धन है। कार्यकारी पूंजी उपलब्ध नहीं है अतः आधुनिकीकरण संभव नहीं है। उन्हें सस्ते दामों पर कपास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इससे उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। इस समस्या का समाधान करना संभव है। सरकार को इस दिशा में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

डॉ० टी. सुब्बारामी रेड्डी : आज सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास अतिरिक्त धन उपलब्ध है लेकिन वे वस्त्र उद्योग को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इंकार कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि वस्त्र उद्योग के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है। यदि वे अपनी अतिरिक्त भूमि को बेच देते हैं और यदि उस धन का उपयोग आधुनिकीकरण करने के लिए कार्यकारी पूंजी का उपयोग किया जाता है तो वह लाभदायक होगा। लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि अतिरिक्त भूमि का अपने उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार इस अतिरिक्त भूमि को अपने कब्जे में करके इस प्रवृत्ति को रोक सकती है और उस भूमि का नीलामी कर उससे प्राप्त होने वाले धन को कार्यकारी पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वस्त्र उपयोग के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा सके।

तीसरी बात यह है कि सरकार को एक समन्वय समिति का गठन करना चाहिए। बैंक और वित्तीय संस्थाओं को इसका अंश बनाना चाहिए जिससे कि इन रुग्ण उद्योगों को उचित कार्यकारी पूंजी प्राप्त हो सके तथा वस्त्र उद्योग को नया जीवन मिल सके।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विशेषकर होम मिनिस्टर की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिफेन्स कमेटियों बनी हुई हैं।

डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिफेंस कमेटियों बनी हुई हैं। ये विलेज डिफेंस कमेटियां उस वक्त बनायी गयी थी जब दूर-दूर तक गांवों में मिलिटेंट्स पहुंच गये थे और हमारी सेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। आज भी स्थिति वैसी है। आज भी कुछ सूडानी, अफगानी और पाकिस्तानी ट्रेंड लोग बिल्कुल मॉडर्न वैपन लेकर डोडा के पहाड़ों के ऊपर बैठे हुएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन डिफेंस कमेटियों के बारे में यह जानकर आप हैरान हो जायेंगे कि कुल मिलाकर आज जब भी कोई व्यक्ति इन डिफेंस कमेटियों में आ जाता है तो उसको 303 रायफल दी जाती है। यह बिल्कुल पुरानी ऑब्सोलीट रायफल है। लेकिन एक बार जब वह अपने आपको एक्सपोज कर देता है तो फिर वह किसी दूसरे काम का नहीं रहता, वह अपना कोई दूसरा निजी काम नहीं कर सकता है, यहां तक कि वह खेती-बाड़ी भी नहीं कर सकता है। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात मत करिये।

श्री चमन लाल गुप्त : आठ मैम्बरों की कमेटी को कुल मिलाकर सरकार 1500 रुपये देती है। आप अंदाजा करिये कि इन कमेटियों में जो लोग फुल टाइम वर्क करते हैं और उन्हीं की वजह से डोडा जिला एक तरह से बचा है, तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1500 रुपये में आठ लोग क्या करेंगे। आप स्वयं देखें। होम मिनिस्टर साहब ने कई बार यह वादा किया है कि इनका ऑनरेरियम एनहान्स किया जायेगा। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। आप स्वंय अंदाजा करिये कि अगर चार सिपाही भी हमें वहां पर भेजने पड़ें तो उनका कितना खर्च हो जाता है। परंतु जो खुद अपने आपको मौत के मुंह में डालने वाले लोग हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दें। मैं इस बारे में तीन चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। एक तो यह कि इन्होंने जो डिफेंस कमेटियों पर रोक लगाई है, ये कमेटियां नहीं बन रही हैं, डिफेंस कमेटियां और बननी चाहिए और सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन डिफेंस कमेटियों के प्रत्येक मैम्बर को कम से कम दो हजार रुपये महीना ऑनरेरियम देना चाहिए और तीसरी बात यह है कि उनको वैपन्स बिलकुल मॉडर्न देने चाहिए। पुरानी 303 रायफल से वे आज के उग्रवादियों का मुकाबला किसी तरह से भी नहीं कर सकते हैं। यही तीनों चीजें मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबको चांस दूंगा।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : महोदय, पूरी सभा और पूरे देश को इस बात की जानकारी है कि असम और उत्तर-पूर्वी राज्य हिंसक गतिविधियों से प्रभावित हैं।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलेंगें तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनेगा।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन : इस प्रकार की गतिविधियां पिछले एक दशक से जारी हैं और इसके कारण इस क्षेत्र की समस्त विकास संबंधी गतिविधियां ठप्प हो गई हैं। इसका इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे उन नवयुवकों और नवयुवतियों को भी घोर निराशा हुई है जो संघ लोक सेवा आयोग जैसी अखिल भारतीय सेवाओं की प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं।

उन युवकों और युवतियों और छात्रों जो अखिल भारतीय सेवाओं में बैठना चाहते हैं, का यह पुरजोर आग्रह है कि आयु-सीमा में कुछ छूट दी जानी चाहिए। जम्मू और कश्मीर जो आतंकवादी गतिविधियों के कारण प्रभावित रहा है में आयु सीमा में छूट दिये जाने का उदाहरण पहले ही मौजूद है। अतः असम तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के विद्यार्थियों को भी अखिल भारतीय सेवा की परीक्षाओं में बैठने के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जानी चाहिए जिससे वे अखिल भारतीय सेवाओं में बैठ सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं ने बैठने वाले असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों से आने वाले उन छात्रों को आयु-सीमा में छूट देने हेतु आदेश जारी करें। मेरा विचार है कि इससे कुछ हद तक अखिल भारतीय सेवाओं में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन भी दूर किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

अपराह्न 1.00 बजे

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दुःख और परेशानी के साथ, आपकी इजाजत से, एक सवाल उठाना चाहता हूं। कल जो कुछ भी हुआ वह उचित नहीं हुआ। चेयर की तरफ से मुझको बुलाया गया था। मैंने ध्यानपूर्वक उस पक्ष की बात सुनी थी। श्री राम कृपाल यादव जी बोल चुके थे। प्रियरंजन दासमुंशी भी बोल चुके थे, तब मुझको बुलाया गया था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, सब्जैक्ट तो कुछ और लिखा हुआ है तथा आप बोल कुछ और रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी सब्जैक्ट पर आ रहा हूं। राम कृपाल जी ने उसी सब्जैक्ट पर कल अपनी बात कही थी। मैं कल अपनी बात रखने से वंचित रह गया। मैंने कल भी नोटिस दिया था और आज भी नोटिस दिया है। मैं उसी सब्जैक्ट पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी चारा-घोटाले के सिलसिले में सी.बी.आई. की जांच टीम जांच कर रही है, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए उच्चस्तरीय साजिश हो रही है। मैं इसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फौज को बुलाने के सवाल पर इस सदन में जो मामला उठा था और माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस संबंध में सदन में अपना स्टेटमेंट दिया था, उस पर इस सदन में तीन सवाल उठाए गए थे। नंबर एक-क्या

बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की गिरफ्तारी में राज्य के प्रशासन ने असहयोग किया, नंबर दो-फौज के पास जाने की नौबत क्यों आई; और नंबर तीन-क्या कोल इंडिया के प्लेन का दुरुपयोग किया गया ? ये तीन बिन्दु उठाए गए थे और माननीय गृह मंत्री जी ने मात्र एक बिन्दु पर अपने बयान में जवाब दिया और वह उल्टे तरीके से दिया। उससे ऐसा लगा कि कोर्ट के मार्गदर्शन में सी.बी.आई. की जो टीम इस मामले की जांच ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ कर रही है उसे दंडित करने की कोई योजना बन रही है। ....*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह नैक्सस है।....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आप कल भी बोल लिये थे और आज भी जब आपकी बारी आए तो बोल लीजिएगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे बीच में इंटरप्ट न करिए।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव जी, आप कृपया बैठिए। जब आपकी बारी आए, तब आप बोलिए। बीच में इनको इंटरप्ट न कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने इस सदन में और दूसरे सदन में भी बयान दिया था। उसमें यह बात आई है कि फौज के पास सी.बी.आई. के लोग गए। यह बात भी आई कि सी.बी.आई. पटना ब्रांच के एस.पी. सीधे हाइकोर्ट के जज के यहां चले गए। जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक, सी.बी.आई. पटना ब्रांच के कोई अधिकारी जज के पास नहीं गए। सी.बी.आई. के वकील जज के पास गए थे। उसके आधार पर खबरें बाहर आई हैं, उनके निर्देशानुसार लोग आर्मी के पास गए थे कि राज्य सरकार का असहयोग है, इसलिए आप सहयोग दीजिए। यह बात अलग है कि कोई आर्मी के पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है या उसका क्या क्षेत्राधिकार है। जब राज्य सरकार के प्रशासन ने असयोग किया, तभी यह बात आई।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ जो यहां पर उच्चस्तरीय अधिकारी बैठे हैं, एक्सटेशंन के बावजूद उनको यहां डायरेक्टर बनाया गया है, उन्होंने गिरफ्तारी को और नामुमकिन बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल की प्ली को रिजेक्ट कर दिया, तो यहां से सी.बी.आई. की पटना ब्रांच को फैक्स मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए। उस फैक्स मैसेज को इलैक्ट्रोनिक मीडिया को लीक किया गया। इसके कारण प्राइवेट चैनल्स पर ये खबरें आने लगी कि उनको गिरफ्तार करने का आज डायरेक्टर ने आदेश दिया है। क्या ऐसा करके डायरेक्टर ने लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रेक नहीं किया। डायरेक्टर का पटना ब्रांच को यह आदेश सीधे भेजने की क्या आवश्यकता थी ? क्या डायरेक्टर का यह फर्ज नहीं था कि वे यह मैसेज पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक को भेजते और मिल कर उन लोगों को यह निर्णय लेना चाहिए था कि इस मामले में क्या किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जानबूझकर इस मामले को एक ऐसा मोड़ देने का उच्चस्तरीय प्रयास हुआ है जिससे जो आदमी जांच के काम में लगे हुए हैं, जिनकी प्रशंसा हो रही है उनके ऊपर उलट-वार किया जा सके और उनको जांच करने से हटाया जा सके तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में, जहां तक हम लोगों को जानकारी है, समाचारपत्रों में भी ये खबरें छपी हैं कि डायरेक्टर के लैवल पर यह सूचना आ गई थी कि वहां के सी.बी.आई. के अधिकारी उनकी गिरफ्तारी में राज्य प्रशासन के असहयोग के कारण फौज के पास गए हैं। यह सारी सूचना यहां पर थी। फिर भी इस सारी कार्रवाई पर यहां से जो रोक लगानी चाहिए थी, इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए था, वह क्यों नहीं लिया गया ? इन सभी बिन्दुओं को सामने रखा जाना चाहिए था। यह सब जानकारी न रख कर और जांच कार्य में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर के उनके मनोबल को तोड़ने का उच्चस्तरीय प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति जो कलकत्ता में बैठा है और जो उस क्षेत्र का इंचार्ज अधिकारी है, उसको मैसेज न भेजकर सीधे पटना ब्रांच के सी.बी.आई. के अधिकारियों को फैक्स मैसेज भेजकर कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इस मैसेज को इलैक्ट्रानिक मीडिया को जानबूझकर लीक करने का काम किया गया ताकि भीड़ जुटने लगे और गिरफ्तारी में बाधा उत्पन्न की जा सके ताकि गिरफ्तारियों में बाधाएं उत्पन्न हो जाये। इस प्रकार की जो साजिश हुई है, इस प्रकार से जो जांच टीम है, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए और जांच कार्य से येनकेन प्रकार से हटा कर चारा घोटाले के पूरे मामले को रफा-दफा करने के लिए या उसको गलत मोड़ देने की नीयत से यह सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कल धारा 356 को लेकर एक बात कही गयी थी। ....*(व्यवधान)*

श्री रामकृपाल यादव : जब वह अपनी बात रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। आज हालात ऐसे आ गये हैं कि आज यहां पर ज्यूडिशियरी एक्टिविज्म की बात की जा रही है। ....*(व्यवधान)* यह कोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि धारा 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और वही कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि बिहार में डी.एस.पी. की रिपोर्ट के आधार पर चाहे कानून और व्यवस्था का सवाल हो।....*(व्यवधान)* इस नतीजे पर पहुंची है कि वहां जंगल राज है।....*(व्यवधान)* टोटल कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन है और उसमें कोई आब्जर्वेशन नहीं, एक रिमार्क पास किया है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतिश कुमार, कृपया बैठ जाएं। अब श्री पी.आर. दासमुंशी बोलेंगे।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसी सब्जैक्ट पर इनका नोटिस है।

....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी है लेकिन पहले इनका है।

....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इस सब्जैक्ट पर यह कल उठा चुके हैं। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

....(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : इस विषय पर यह कल भी बोल चुके हैं।*....(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझको कन्क्लूड करने दीजिए। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, अब आप बैठ जाइये। मैंने प्रियरंजन दास मुंशी को बुला लिया है।

....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मुझे कन्क्लूड करने दीजिए। *....(व्यवधान)* जहां तक पटना हाई कोर्ट के आब्जर्वेशन का सवाल है, वह वहां की वर्तमान स्थिति को साफ-साफ चित्रण करता है और जहां तक धारा 356 का सवाल है, कल प्रियरंजन दास मुंशी जी ने इस सवाल को उठाया था। यहां पर चन्द्रशेखर जी बैठे हुए हैं। धारा 356 के इस्तेमाल के लिए*....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।

....(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : धारा 356 के इस्तेमाल के लिए गवर्नर की रिपोर्ट के अलावा अगर केन्द्र सरकार कहीं से भी संतुष्ट होगी तो धारा 356 को लगा सकती है।*....(व्यवधान)* कोर्ट इस बात को कह सकती है। यह बात अपनी जगह पर है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : लेकिन कल यह ज्यूडिशियरी एक्टिविज्म की बात कहकर कोर्ट को प्रताड़ित करने की कोशिश हुई है। *....(व्यवधान)* यह प्रस्ताव निंदनीय है। मैं उसकी निन्दा करता हूं। *....(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका उसमें नाम है। आप बैठिये।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कोर्ट के द्वारा जो निर्णय पास किया गया था वह वस्तुस्थिति पर आधारित है और इस स्थिति को देखते हुए बिहार की स्थिति पर केन्द्र को नजर रखते हुऐ कार्यवाही करनी चाहिए।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री दासमुंशी को बोलने के लिए कह चुका हूं। अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।*....(व्यवधान)* बिहार के अलावा और भी दूसरी बातों को सुना जाना चाहिए।*....(व्यवधान)* आप बिहार के इश्यू को उठाते हैं तो सारा दिन उसी में निकल जाता है। *....(व्यवधान)* हरियाणा प्रदेश का भी मामला है।*....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*....(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूड़ी (छपरा) : यह कल भी इसी विषय पर बोल चुके हैं।*....(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : आप क्या कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे इस लिए बोलने का अवसर दिया है क्योंकि मैंने इस विषय पर एक नोटिस दिया है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या रोज-रोज एक ही आदमी बोलेगा।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब यह है कि आप लोग जीरो ऑवर चलाना नहीं चाहते।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हर आदमी को चांस दूंगा।

....*(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कल बोल चुके हैं।. ...*(व्यवधान)* क्या यह एक ही बात रोज बोलेंगे? ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : आप क्या कह रहे हैं? यह ठीक नहीं है।....*(व्यवधान)* महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी दल अथवा व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिद्धान्त की बात कह रहा हूं जो कुछ भी पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने इस सभा में कही था....*(व्यवधान)* महोदय, देश में बहुत ही गम्भीर स्थिति बनी हुई थी। यदि दलगत बातों से ऊपर उठकर हम इस मामले को नहीं सुलझाते, तो मुझे लगता है देश में लोकतंत्र का भविष्य दॉव पर लग जाएगा। मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं। श्री लालू प्रसाद यादव के मामले में बिहार में चाहे इसका कानूनी व राजनीतिक परिणाम जो भी रहे हों, हमें उसकी चिन्ता नहीं है, हम शासन प्रणाली के बारे में चिन्तित हैं....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इंतजार कीजिए। 'लेट' शब्द को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैंने 'लेट' नहीं कहा बल्कि मैंने 'लैट' कहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रधानमंत्री के आदेश पर कार्य कर रहा है और जो भी यह करेगा, प्रधानमंत्री उसके लिए सदन और मंत्रिमण्डल के प्रति जवाबदेह हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ठीक तरह से कार्य भी करती अथवा गलत करती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। परन्तु मीडिया की रिपोर्टों से तो यही पता चलता है कि किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट अवसर पर गिरफ्तार करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सेना की सहायता लेनी पड़ी। सेना के कमांडर ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बारे में पत्र लिखा। वह पत्र मेरे पास है।....*(व्यवधान)*

सोमनाथ चटर्जी : कैसे?

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार, आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए।

श्री पी.आर. दासमुंशी: यह सब क्या है?....*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : ....*(व्यवधान)* इस सी.बी.आई. रिपोर्ट की एक प्रति श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास थी।...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. दासमुंशी : प्रत्येक सदस्य इसका उच्चरण दे सकता है और आप उसे चुनौती दे सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : कृपया सदस्य को उसे प्रमाणित करने दें। आप उसे सदन के समक्ष रखें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : यह उचित नहीं है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : चन्द्रशेखर जी को अपनी बात कहने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि हर सदस्य को अपनी बात कहने का

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अधिकार है। यदि कोई सदस्य अपनी बात कह रहा है, इस समय श्री प्रिय रंजन दास मुंशी बोल रहे थे और नीतिश जी ने जो कहा, वह बहुत आपत्तिजनक था।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सुना नहीं है। उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाए।

श्री चन्द्रशेखर : इस तरह के शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं होना चाहिए क्योंकि जब नीतिश कुमार जी बोल रहे थे तो हम सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुना। ये प्रिय रंजन दास जी की बातों से जितने भी असहमत हों लेकिन उनको यह कहने का अधिकार नहीं है कि ईमानदारी का ठेका केवल उन्हीं लोगों ने नहीं ले लिया है जो लालू प्रसाद यादव का विरोध कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकतान्त्रिक सरकार का कार्यकरण कार्यपालिका का कार्यकरण देश के नियमों और कानूनों के अनुसार चलता रहना चाहिए। एक सी.बी.आई. अधिकारी ने न्यायालय के आदेश को उद्धृत करते हुए अथवा न्यायालय के मौखिक अनुदेश सेना कमांडर को प्रेषित किये, श्री इन्द्रजीत गुप्त शायद मुझसे सहमत थे, उनके पास रिकार्ड की एक प्रति है जो सेना कमांडर ने सी.बी.आई. को लिखी कि न्यायालय ने मुझे सूचित किया है कि उन्होंने ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किए हैं और विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा कि नागरिक प्रशासन इन्हें ऐसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेना कमांडर द्वारा यह बताया गया है उन्होंने यह कहा "सिविल प्राधिकारियों को सहायता संबंधी अनुदेश 69 की धारा 1, पैरा 1 तथा 2 में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुरूप यह मामला सेना मुख्यालय को भेजा गया था।

यह सहायता नागरिक सरकार द्वारा मांग की जानी आवश्यक है और यह मामला बिहार सरकार से सम्बद्ध है। नागरिक सरकार ने इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं किया। न तो राज्यपाल ने और न ही मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का कोई अनुरोध किया था।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यदि यह दस्तावेज प्रमाणित हो जाता है, तो कृपया उसे सभा पटल पर रखें। इसे पढ़ा नहीं जा सकता। आप उस दस्तावेज की वैधता प्रमाणित करें। आप इसकी अनुमति लें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं इससे सहमत हूं।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : इससे प्रमाणित करके यहां रख दीजिए। इसकी अनुमति ले लें।

श्री पी.आर. दासमुंशी : मैं इससे सहमत हूं ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने लैटर में से पढ़ा है। औथन्टिक करके इसे टेबल पर रख दीजिए। आगे चलें।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : यदि वे चाहें तो इसे उद्धृत कर सकते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : यदि यह आपका विनिर्णय है तो कोई भी सदस्य सरकारी दस्तावेज को प्रमाणित किए बिना, उद्धृत नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इस प्रकार विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : ठीक है।

श्री प्रमोद महाजन : चूंकि हम सब उनका नाम लेना चाहते हैं, आप कृपया उसको प्रमाणित करें। आप इसे सभा पटल पर रखें। हम सबको एक-एक प्रति मिल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी तो यही कहा है।

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

इससे यह सिद्ध होता है कि सी.बी.आई. ने दिल्ली में सक्षम प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किए बिना, देश के कानून और नागरिक प्रशासन के आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना ही सेना को किस आधार पर बुलाकर नियमों का उल्लंघन किया है।

इस आदेश का उल्लघंन करने के बाद, उसने जानबूझकर अपने अधिकारों को प्रयोग करने के लिए राष्ट्र को गुमराह किया। यदि सी.बी.आई. यह महसूस करती है कि मुख्यमंत्री की पत्नी मेरी सुरक्षा नहीं कर सकती तो सी.बी.आई. राज्यपाल के पास जा सकती थी और यदि राज्यपाल इसमें ऐसा करने से इंकार करते तो सी.बी. आई. मुख्यमंत्री से संपर्क करती । परन्तु इस मामले में सी.बी. आई. को यह अधिकार नहीं है कि वह सीधे सेना के पास जाकर उसकी सेवाओं की मांग करे। केवल बिहार के मामले में नहीं अपितु देश की किसी भी भाग के लिए यह लागू होता है।

मैं दुःख भरे हृदय से कहता हूं – श्री नीतिश कुमार और अन्य सदस्य मुझे गलत समझेगें – कि मैं किसी राजनीतिक नेता के पक्ष या विरोध में नहीं हूं परन्तु मुझे एक संसद सदस्य के रूप में सदमा लगा है। क्या देश में यह न्यायपालिका का कार्य है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यह निर्णय करेंगे कि कौन त्यागपत्र देगा और कौन त्यागपत्र नहीं देगा। यह निर्वाचित विधायकों का कार्य है कि उन्हें राज्यपाल के प्रतिवेदन पर इस्तीफा देना चाहिए, न कि उच्च न्यायालय का मैं यह बता रहा हूं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 356 की व्याख्या तो कर सकता है परन्तु अनुच्छेद 356 के बारे में निदेश नहीं दे सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 356 की व्याख्या तो कर सकता है लेकिन अनुच्छेद 356 के बारे में निदेश नहीं दे सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कुमारी मायावती को अनुच्छेद 356 लागू करने के लिए नहीं कह सकता है। उच्चतम न्यायालय श्री इन्द्र कुमार गुजराल से त्यागपत्र देने के लिए नहीं

कह सकता है। बिहार उच्च न्यायालय सरकार से त्यागपत्र देने या अनुच्छेद 356 को लागू करने के लिए कह सकता है अथवा कलकत्ता उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कह सकता है। यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वह प्रतिवेदन भेजे। यदि सभा में हम इन बातों का अनुमोदन करते हैं तो हम अपने अधिकारों का समर्पण कर रहे हैं। मैं आप से यही निवेदन कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि इस मामले में पूरी सभा मेरा साथ देगी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सेना का इस तरह प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को इस तरह प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मेरा भी नाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे हाथ उठाने का क्या मतलब है, मैं सबको चांस दूंगा।

.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी नाम है, मैं आपको भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

डॉ० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, मैं आपका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

....*(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तोड़गढ़) : महोदय, अन्जाने में दो मुद्दे एक साथ उठ खड़े हुए हैं और यह संघ के एक राज्य की वर्तमान वास्तविकता को परिलक्षित करते हैं कि वे दोनों मुद्दे बिहार से संबंधित हैं।

पहला मुद्दा यह है कि जिसकी भूमिका मेरे अच्छे मित्र और प्रख्यात सहयोगी श्री पी.आर दासमुंशी बना चुके हैं। मेरी भी इस दस्तावेज तक पहुंच थी और वास्तव में सुबह की चर्चा में मैंने इस दस्तावेज का उल्लेख भी किया था। यह मुद्दा प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दा नहीं है। यह कोई प्रक्रियाओं सम्बन्धी प्रश्न नहीं है। यह सारवान प्रश्न है।....*(व्यवधान)* यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। यह सारवान मुद्दा है। यदि कार्यपालिका के एक विशेष वर्ग द्वारा प्रक्रियाओं का ठीक ढंग से पालन नहीं किया जाता है तो यह सारी प्रक्रिया को और जांच करने के सारे सार को असफल करने के लिए आधार नहीं बनना चाहिए। आज यही बिहार में विवाद का विषय है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जो भी किया जा रहा है वह पटना उच्च न्यायालय के अनुदेशों के अंतर्गत किया जा रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य से अनुदेश नहीं ले रहा है। पटना का उच्च न्यायालय उन्हें ऐसा करने के लिए निदेश दे रहा है।

मैं माननीय गृह मंत्री से अपने ध्यान में यह बात रखने की अपील करता हूँ कि उचित जांच के मामले में एक प्रक्रियात्मक त्रुटि की गई है, इसलिए वह बिहार के चारा-घोटाला के मुद्दे को दूर रखना चाहते हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक बड़ी गलती करने के लिए दोषी होंगे।

दूसरा मुद्दा पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से सम्बन्धित है। यह पहला मौका नहीं है जब उच्च न्यायालय को ऐसा कहने के लिए उकसाया गया है। महोदय, मैं आपसे और पूरी सभा से अपील करता हूँ कि इसके लिए यह मंच नहीं है। न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा होने दीजिए और न्यायपालिका और कार्यपालिका के अन्तर सम्बन्धों पर चर्चा होने दीजिए और तब हमारे लिए न केवल पटना उच्च न्यायालय ने जो कहा उस पर चर्चा करने के लिए अपितु अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करने के लिए एक उचित अवसर होगा। फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि पटना उच्च न्यायालय को दो बार टिप्पणी करने का अवसर मिला तो इसे विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है और आवश्यक बन गया था तथा कल पूर्वाह्न 11 बजे यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। बिहार के राज्यपाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मैं की गई टिप्पणी के गुणदोष नहीं बता रहा हूँ। तब यह इस सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि वह स्वयं मामले के तथ्यों और वास्तविक टिप्पणियों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। सरकार इन सारी बातों पर चुप्पी साधे रही है जबकि ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ कहना आवश्यक है जब जांच के बारे में अत्यधिक सक्रियता दिखाई जा रही है जबकि उन्हें इससे दूर रहने की आवश्यकता है। इसी कारण बिहार में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप सरकार को माननीय पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर एक वक्तव्य देने का निदेश दें। सरकार को प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। यदि वह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसी कि आज हम विधायिका बनाम न्यायपालिका की स्थिति देख रहे हैं। इस बात को रोका जाना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पटना हाई कोर्ट ने जो अपनी बात कही है, वह बिल्कुल उसकी सीमा से बाहर है। वह कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिस पर भारत सरकार के गृह मंत्री को बयान देना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सदन की ओर से आपको यह चेतावनी देनी चाहिए कि न्यायपालिका को अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : आप बैठिए। आप लोग क्यों हमारी मदद कर रहे हैं ? हम अपनी मदद कर लेंगे।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी संविधान तोड़े गए हैं, जब कभी अधिनायकवाद आया है, तब लोग अपनी सीमाओं से बाहर गए हैं। अपराधी जो अपराध करता है, वह अपनी मौत मर जाता है लेकिन अपराध मिटाने के नाम पर सत्ता पाए हुए लोग जब सीमाओं से बाहर जाते हैं तो दुनिया में तानाशाही लाने के लिए वे जिम्मेदार हुए हैं। जो कुछ भी प्रवृत्तियां आज दिखाई पड़ रही हैं, वे प्रवृत्तियां इस बात की द्योतक हैं। अगर हम लोगों को थोड़ा भी संसदीय जनतंत्र से मोह है, प्यार है तो इस प्रकार की गतिविधियों को सारे सदन को एकमत से अस्वीकार करना चाहिए तथा इस सदन में बहस के बजाए आपकी ओर से चेतावनी दी जानी चाहिए कि न न्यायपालिका, न कार्यपालिका और न व्यवस्थापिका ऐसा करेगी क्योंकि सबकी सीमांए निर्धारित हैं। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं।

दूसरी बात, जो हमारे मित्र जसवंत सिंह जी ने कही है, मैं उनकी हर बात से अधिकतर सहमत होता हूं लेकिन उन्होंने कहा कि सी.बी.आई. के लोग चारा घोटाले में कुछ कर रहे थे तो और वैसा करना देश को बचाने के लिए जरूरी था तथा भारत का भविष्य, इतिहास उसी पर अड़ा हुआ है। मैं इस बारे में उनकी कोई आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन जिस तरह से सी.बी.आई. की कर्तव्य पालन की परम्परा है, उसी तरह से बिहार में जो प्रशासन चल रहा है, उस प्रशासन की भी परम्परा है। उस प्रशासन के लोगों ने कहा है, चाहे यह सही है या गलत है, कि अगर उस दिन हम लालू प्रसाद यादव जी की गिरफ्तारी करते तो वहां पर लाठियां चल जाती, गोली चल जाती और वहां पर लोगों की जानें जाती। क्या प्रशासन को यह अधिकार नहीं था कि उस गिरफ्तारी को वह बारह घंटों के लिए वह टाल देता ? बारह घंटों में कोई देश नहीं टूट रहा था। बारह घंटों में कोई बाहरी फौजें आकर हमला नहीं कर रही थीं। लालू यादव जी ने जब कहा था कि वह दूसरे दिन आत्म-समर्पण कर रहे हैं तो सी.बी.आई. को इतनी जल्दबाजी क्या थी ? अगर जल्दबाजी थी भी तो....*(व्यवधान)* कहने दो उसको ठीक है।

श्री सत्यपाल जैन : मुजरिम बताएगा कि मैं कब गिरफ्तार किया जाऊँ....*(व्यवधान)*।

श्री चन्द्रशेखर : यह भी होता है। प्रशासन को कई बार मुजरिम से पूछना पड़ता है। इतने जोरों से मत कहिए। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इस बात को भी आप याद रखिए ....*(व्यवधान)* दो बरसों से हमारे मित्र, प्रमोद महाजन ....*(व्यवधान)* कानून हमको मत बताइए .....*(व्यवधान)* प्रमोद महाजन जी बैठे हुये हैं। वहां भी भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता है और गिरफ्तार करने में कितने पैर ठन्डे हो रहे हैं, मुझे मालूम है। यह बहादुरी की बातें हमारे सामने मत कीजिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी पूछा भी जाता है। लोगों की जान बचानी है। अगर देश को और क्षेत्र विशेष को अराजकता से बचाना है, तो प्रशासन को कभी-कभी ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। इसमें कोई भूल वहां प्रशासन ने नहीं की है। उस प्रशासन ने सही काम किया है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था कि आर्मी बुलाओ और वह भी सी.बी.आई. को कहा, तो इससे जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हाई कोर्ट के लोग कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया। यह बात सही है तो हाई कोर्ट ने ठीक काम किया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सीमायें अब पार हो जायेंगी। जूडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जितनी दूर तक न्यायापालिका जा रही है, उसको रोकना न्यायपालिका का ही काम है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश महोदय से, अगर मेरी बात उन तक पहुंच सके, कहूंगा कि वे भी कुछ करें। हर सवाल संसद के ऊपर न छोड़ दें। न्यायपालिका पर अनुशासन रखना, उन पर नियंत्रण रखना, उनका भी कर्तव्य होता है। हर समय सदस्यों से कहा जाएगा कि न्यायपालिका की रक्षा करो, तो व्यवस्थापिका की रक्षा कौन करेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप और हमारे अध्यक्ष महोदय को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। हर बात में अपराधी है सरकार, चाहे वह बिहार की सरकार हो या चाहे केन्द्र की सरकार हो, कहना उचित नहीं है। हमारे मित्र इन्द्रजीत गुप्त काफी हिम्मत के साथ, गृह मंत्री होते हुए भी, विरोध पक्ष का निर्वाह करते हैं, लेकिन उनकी बातों से लोगों को संतोष नहीं है। हमारे मन में इतनी घृणा, द्वेष और आपसी प्रतियोगिता बसी हुई है कि हम किसी बात पर संतोष करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह सदन का कर्त्तव्य नहीं है कि फलां व्यक्ति को गिरफ्तार करो और दूसरे को न करो। यह सदन का काम केवल तभी हो सकता है, जब ट्रेज़न हो रहा हो या कभी देश पर आघात हो रहा हो। यह सदन इसलिए है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही हो, तो हम यह कहें कि उसके नागरिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए यह सदन नहीं है। हम पुलिस

इन्सपैक्टर नहीं हैं और हम कोई वह मशीनरी नहीं हैं, जो लोगों को गिरफ्तार करने की बातें करें। पिछले कई महीनों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए शायद हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य बन गया है। ये सारे लोग जो गिरफ्तारी के लिए रोज़-रोज़ प्रार्थना यहां करते हैं, वे राष्ट्रभक्त हैं, वे ईमानदारी के प्रतीक हैं। उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है और यह मर्यादा का उल्लंघन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस परम्परा को तोड़ना होगा।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी एक बात कहने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

[हिन्दी]

मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ।

....*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) : इसी हाउस के रिकार्ड में है। इन्होंने कहा था, चव्हाण साहब आपकी बन्दूक कहां है, आप आडवाणी जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते ? आज लालू प्रसाद को बचाने के लिए यह कह रहे हैं। जो पहले कहा था, वह रिकार्ड में है।....*(व्यवधान)* उस समय आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए....*(व्यवधान)*

[श्री वासुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 01.29 बजे

श्री नीतीश कुमार : व्यक्ति द्वेष वाला जवाब भी दे दीजिएगा ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नीतीश जी, बैठिए।

....*(व्यवधान)*

प्रो० रीता वर्मा : सभापति महोदय, मैंने भी कल नोटिस दिया था, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : लोढ़ा जी ने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मेरा भी नोटिस है।....*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, मैं केवल लोढ़ा साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। जिस समय आडवाणी जी गिरफ्तार हुए थे उस समय मैं अकेला आदमी था, मैंने कहा था कि आडवाणी जो को गिरफ्तार करना अनुचित है, न्याय के खिलाफ है मैंने सार्वजनिक बयान दिया था और आडवाणी जी के घर जाकर कहा था। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है हाउस में बंदूक चलाने के लिए जब कहा था कि अगर कोई शांति भंग करे तो उस समय आप चुप होकर मत बैठिए, बंदूक चलाइए।....*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : यदि चन्द्रशेखर जी ने इस हाउस में चव्हाण साहब को बंदूक चलाने के लिए नहीं कहा हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप जरा शांत रहिए।

प्रो० रीता वर्मा : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मण्डल कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्यकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया दूसरों को बोलने दें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आपका नाम पुकारूंगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सब क्या हो रहा है।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, बिहार में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डॉ० सत्यनारायण जटिया कृपया बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप बोलने का मौका चाहते हैं तो अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : सभापति जी, समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पर आज चर्चा हो रही है।....*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : पहले यही लोग कहते रहे कि न्यायालय का फैसला माना जाना चाहिए और अब यही लोग न्यायालय की अवमानना की कोशिश कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बैठिये लोढ़ा जी। आप जरा बैठ जाइये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूँ।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : यही लोग कहते रहे कि राम जन्म भूमि के मामले में बी.जे.पी. न्यायालय की बात नहीं मान रही है।....*(व्यवधान)* आज न्यायालय के खिलाफ बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जस्टिस गुमान मल लोढा, आपकी इच्छा क्या है ? क्या आप नहीं चाहते कि सभा अपना कार्य जारी रखे ?

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने भी सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं।

....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप नहीं जानते कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : दो स्टैंडर्ड आप क्यों अपना रहे हैं। राम जन्मभूमि और बिहार के मामले में आपके दो स्टैंडर्ड क्यों आ रहे हैं....*(व्यवधान)* आप एक भ्रष्ट आदमी का समर्थन कर रहे हैं। *....(व्यवधान)*

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : हमें भी बोलना आता है। हम किसी को बोलने नहीं देंगे।....*(व्यवधान)* इसके बाद बी. जे.पी. को बोलने नहीं देंगे। जसवंत सिंह जी बोले तो हमने सुना था....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : जब उनके दल के सदस्य बोल रहे थे, तब हमने कोई व्यवधान नहीं डाला। अब वे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, हमने बहुत धैर्य से सुना है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, आपको भी बुलाएंगे। आप शांत हो जाइये। पप्पू यादव जी, आप शांत हो जाइये। क्या हो गया है आप लोगों को। आप चुपचाप नहीं रह सकते हैं। आप सुनिये, सोमनाथ जी क्या बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने श्री जसवंत सिंह की बातें बड़े धैर्यपूर्वक सुनी थी। कम से कम, हमें परस्पर शिष्टाचार रखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उनको यह भी नहीं मालूम कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ और वे उस पर आपत्ति कर रहे हैं....*(व्यवधान)* जब उनके नेता बोल रहे थे तब उन्होंने कोई आपत्ति क्यों नहीं की? जब श्री जसंतव सिंह बोल रहे थे तब उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं की। उनको दोहरे मानदण्ड नहीं अपनाने चाहिए।

लेफ्ट. जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : यहां चर्चा के लिए अन्य मामले भी हैं। केवल यही मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि हमनें आपत्ति की है....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने केवल श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना आसन ग्रहण कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, यह ऐसा मामला है जिस पर सदन के सभी लोगों को गम्भीरता से सोचना चाहिए। मेरे विचार से यह सारे सदन के लिए गम्भीर मामला है।

आजकल यह बहुत सामान्य हो रहा है कि शक्तियों के पृथक्करण से सम्बन्धित संवैधानिक उपबंध दिनोदिन समाप्त हो रहे हैं। वह समय आ गया है जब हमें गम्भीरता के साथ यह सोचना है कि इस देश का शासन केवल न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका या विधायिका चालयेगी। उनकी भूमिकांए क्या हैं? सेना किसके अधीन है? हमें ज्ञात हुआ है कि मौखिक आदेश या निर्देश दिये गये थे। निर्देश किसको दिये गये। यह केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के एक अधिकारी को दिये गये थे। वह न्यायालय में कैसे पहुँचा?

सेना न तो न्यायपालिका के और न ही केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अधीन है। अल्पतम जानकारी यह है कि इस मामले में उस अधिकारी से अनुरोध किया जाना चाहिए जो सेना तैनाती के आदेश दे सकता है। यदि यह निदेश मौखिक रूप से दिया गया था तो क्या यह कहा जा सकता है कि न्यायालय की किसी भी मौखिक टिप्पणी को ऐसी स्थिति में अन्तिम माना जायेगा जब विद्वान न्यायाधीश इसे इतना गंभीर नहीं मानते कि इसे लेखबद्ध किया जाए? केवल एक लिखित आदेश पर ही कार्यवाही की जा सकती है। यह न्यूनतम मानदण्ड है जो सम्पूर्ण देश में प्रचलित है। यह किसी को भी नहीं मालूम कि मौखिक आदेश दिया गया था या कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। यह किसी सार्वजनिक न्यायालय में नहीं दिया गया था। इसलिए केवल दलगत भावना के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के मामले की अनदेखी करे और कुछ मानदण्डों पर चलें।

मुझे श्री जसंवत सिंह जैसे माननीय सदस्य की बातें सुनकर भारी सदमा लगा। मेरे विचार से वह हर व्यवहार में अपने सेना के नियम लागू कर रहे थे क्योंकि वह एक ऐसे दल के हैं और मैं नहीं जानता कि वह दिल से उस दल के हैं अथवा नहीं ....*(व्यवधान)*।

डॉ० सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मेरा विचार है। आपको मेरे विचार पर आपत्ति क्यों है?

वह कहते हैं कि नियम या प्रक्रिया की बात आड़े नहीं आ सकती है। क्या सेना बुलाने हेतु प्रक्रिया की कोई प्रासंगिकता नहीं है? वह कहते हैं कि सेना भेजकर स्थिति पर नियन्त्रण रखने के लिए प्रक्रिया आड़े नहीं आनी चाहिए।

महोदय, मैं गम्भीर और सही दृष्टिकोण अपनाने के लिए गृह मंत्री को बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : आर्मी बुलाने की नौबत क्यों आई, उसके बारे में कहिये।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैंने सभा में बार-बार यह कहा है कि यदि श्री लालू प्रसाद यादव दोषी हैं तो उचित प्रकार से मुकद्दमा चलाने के पश्चात इस देश के कानून के अनुसार वे सजा भुगतें और मैंने श्री लालू प्रसाद यादव से भी अनुरोध किया था कि वह अपने प्रति लगाये गये गम्भीर आरोपों और दाखिल किये गये अभियोग पत्र को ध्यान में रखते हुए अपने पद से त्याग-पत्र दे दें। मैंने सभा में बार-बार कहा है। इसलिए, इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव या किसी को भी दोषमुक्त करने का प्रश्न नहीं है। परन्तु यह संवैधानिक मुद्दों का प्रश्न है जिन पर आज चर्चा हो रही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि यदि कोई व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दण्डित किया जाना चाहिए और उसे उसके परिणाम भुगतने चाहिए।

महोदय, दूसरी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई अवसर आये अब संविधान के अनुच्छेद 356 लगाने के बारे में चर्चा हो गई। पहले यह माना जाता था कि सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 लगाने की वैधानिकता और न्यायोचितता की जांच के संबंध में न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। तब, हमने यह भी तर्क दिया था कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा क्योंकि अनुच्छेद 356 को लगाने में बदनीयती हो सकती है। न्यायालय के इस दृष्टिकोण

को सही ठहराया था और हमने इसकी सराहना की है। न्यायालय उचित प्रकार से इस पर विचार करेगा कि क्या अनुच्छेद 356 को सही ढंग से लागू किया गया है अथवा संविधान या वर्तमान स्थिति के अनुसार लागू नहीं किया गया है। लेकिन अब क्या हो रहा है? न्यायालय सरकार को निदेश दे रहा है....*(व्यवधान)*

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : यह निदेश नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अभी भी गलत है।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : यह मौखिक टिप्पणी है; यह कोई निदेश या निर्णय नहीं है। सभा को गुमराह मत कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे यह बहुत गलत प्रतीत होता है। एक न्यायिक प्राधिकारी कतिपय टिप्पणी कर रहा है। यदि वह इस बारे में इतना दृढ़मत है तो उसे इसके कारण लिखने चाहिए थे और लिखित आदेश दिये जाने चाहिए थे क्या टिप्पणियाँ न्यायालय में लागू करने योग्य बन जाती हैं। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यहां तक कि प्रासंगिक उक्ति को भी नोट किया जाना चाहिए और निर्णय में लेखबद्ध करना चाहिए।

फिर, इसका इतना प्रचार क्यों है? क्या यह सब इसलिए है कि यह बिहार से संबंधित है? चूंकि यह बिहार से संबंधित है इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इस सभा के बहुत विचारवान और विवेकशील सदस्य भी उन न्यायिक टिप्पणियों की प्रशंसा कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 356 लगाने के परिणामों को कौन भुगतेगा? कार्यपालिका या न्यायपालिका? आदेश कौन देगा? वे पूर्णतया राजनीतिक और अधिशासी मामलों में ऐसी टिप्पणियाँ कैसे कर सकते हैं? इसलिए, हमें इसके बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

महोदय, मैं न्यायपालिका का पूर्ण सम्मान करता हूँ। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि देश में यह जो प्रवृति चल रही है उसे चलते रहने दिया जाए, अर्थात् इस देश में प्रत्येक संस्था – चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका, सब न्यायपालिका के अधीन रहें। यह नहीं हो सकता है। न्यायपालिका को विधि के अनुसार काम करना है।

महोदय, मैंने जन हित मुकदमें का समर्थन किया है और अब तक अधिकारिता के शासन में ढील देकर दलितों को राहत पहुंचाई है; अधिकारिता के शासन से अब यह न्यायिक सक्रियता बन गयी है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस विषय में मेरा भी नोटिस है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है। अभी आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, भारत के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश ने न्यायालय के बाहर एक लेख में यह कहा है कि संसद सदस्य अपने अनुचित कार्यकरण के कारण अब जनता के प्रतिनिधि नहीं रह गए हैं।

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : सभापति जी, कल जब चेयर में नीतिश कुमार जी थे तो उन्होंने कहा था कि कल बोलने देंगे।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ....*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने एक लेख में, यह कहा था कि संसद सदस्यों ने अपनी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता गंवा दी है। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ – 'कार्यपालिका पर और अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह अनुचित रूप से कार्य कर रही है और इसलिए न्यायालय को आक्रामक भूमिका निभानी है और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामले के संबंध में अभिनव प्रणाली अपनाते हुए आदेश जारी करना है, यह एक लिखित लेख में कहा गया है। क्या हमारा इससे संबंध है अथवा नहीं सदन के भीतर भी कभी-कभी जो कुछ होता है उसे भी हम सही नहीं मानते। हम भी इस बारे में बहुत अधिक चिंतित हैं। इसलिए, यह कहना कि सभी संसद सदस्य लोकतांत्रिक नहीं रह गये हैं और कार्यपालिका अनुत्तरदायी बन गई है, काफी गम्भीर मामला है। श्री जसवंत सिंह ने कहा है कि सरकार द्वारा इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक है। ....*(व्यवधान)* कृपया आप अपने सदस्यों को नियन्त्रित करें। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह अपनी बात समाप्त कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, श्री जसवंत सिंह ने कहा कि यह आवश्यक है कि सरकार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मेरे मतानुसार सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह इन टिप्पणियों की पूर्ण अनदेखी कर दे। मैं सरकार को इसकी अनदेखी करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं न्यायपालिका का पूर्ण आदर करते हुए कहना चाहता हूँ कि टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं करे। हम उत्तर प्रदेश के मामलों को न दोहरायें जिसने हमारे देश में बुरा इतिहास बनाया है। हम उस स्थिति की ओर वापस न जायें और कार्य करने के अपने क्षेत्र बनायें। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार को इसे अनदेखा करने का अधिकार है।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : सभापति जी, मैं 22 तारीख से इस मसले को उठाने के लिये लगा हुआ हूँ लेकिन टाईम नहीं

मिला। उत्तर प्रदेश नोटिफाइड एरिया और नगरपालिका के सफाई कर्मचारी विधान सभा के सामने धरना देकर बैठे हुये हैं। देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है तो क्या हम उन लोगों को ऐसे ही बैठने देंगे। क्या देश की आजादी की 50वीं वर्षगाठ ऐसे ही मनाई जायेगी ? जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो यह सोचा गया था कि उन लोगों की बात सुनी जायेगी लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मेरा अनुरोध है कि आप यहां से निर्देश करायें कि उनकी बात सुनकर उनको धरने से उठाया जाये। सफाई कर्मचारियों की बात सुनने के लिए अभी तक कोई अधिकारी वहां नहीं गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी विडम्बना है जो लोग यह घृणित कार्य करते हैं, गंदगी उठाते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं। उनके सम्मान की बात तो छोड़िये, उन लोगों को 40 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनके फंड्स का पता नहीं है। अगर नेताओं से बात की जाये तो बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिये मैं आपसे और इस हाउस से प्रार्थना करता हूं कि सफाई कर्मचारियों की बात सुनी जाये क्योंकि वे चार महीने से विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनके बच्चों को खाना कहां से मिले, उनकी शिक्षा कहाँ से हो ? इसलिये प्रार्थना करता हूं कि आज हम देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, वे धरने पर बैठे हुये हैं।

ऐसा न हो कि वहां सरकार उनके साथ मारपीट की बात सोचे। अगर ऐसा हुआ तो पूरे हिन्दुस्तान के सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा।....*(व्यवधान)* इससे सारे हिन्दुस्तान का क्या होगा ? कैसे यह सरकार चलेगी ?....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रेमी जी, आप बैठिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री साम्बासिवा राव जो कहने जा रहे हैं को छोड़कर कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

....*(व्यवधान)**

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : सभापति महोदय, इस वर्ष गर्मी इतनी तीव्र थी कि आन्ध्र-प्रदेश तथा विशेषकर गुंटूर जिले में कई आग लगने की दुर्घटनाएं घटी जिनके परिणामस्वरूप 600 परिवार बेघर हो गए तथा लाखों रुपए की सम्पत्ति नष्ट हो गई। लोग अब पेड़ों के नीचे रह रहे हैं। एक जगह पर पत्नी और पति ने आत्म-दाह कर लिया।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में कमजोर वर्गों पर आ रही अनेक विपत्तियों के कारण, हमने बैंकों से आग-दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को आसान किश्तों पर ऋण देने का अनुरोध किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने प्रभावित इलाकों में इन विध्वसंकारी आग दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को राहत दी। परन्तु भारतीय स्टेट बैंक की सेवा में इस संबंध में स्थिति कुछ भिन्न रही।

इसी सन्दर्भ में मैं सरकार का ध्यान उस अभूतपूर्व स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जो गुन्टूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बेलाकोण्डा मंडल के विद्याला टंड गांव में विध्वसंकारी आग लगने से पैदा हुई। गांव के वे सभी घर जल कर राख हो गए जिनकी छतें छप्पर की थी। आग से गांव के लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। यह सब गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग थे तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित थे। लगभग 40 परिवार बेघर हो गए और वह सचमुच सड़कों पर है। उनके सिर पर न तो कोई छत है और जीविका का कोई साधन भी उनके पास विद्यमान नहीं है।

आग के शिकार हुए लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जिला समन्वय समितियों की बैठक 9 जुलाई 1997 को हुई जिसमें पर फैसला किया गया कि आग दुर्घटना का शिकार हुए प्रत्येक परिवार को आसान किश्तों पर 5000 रुपए का ऋण मंजूर किया जाएगा, इसमें राज्यसरकारों द्वारा विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत 1,250 रुपए की राजसहायता भी सम्मिलित होगी। ऋण की बकाया राशि का भुगतान लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा जिसकी मासिक किस्त सौ रुपए की होगी। जिले के प्रमुख बैंक आन्ध्र बैंक ने जिले के बैंकों को सलाह दी हैं कि वे अपने-अपने सेवा क्षेत्र में अग्नि काण्ड से प्रभावित ग्रामीणों को तनुसार ऋण देना मंजूर करें।

सभी बैंकों ने ऋणों को मंजूरी दे दी है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारतीय स्टेट बैंक ने बैंक जिला समन्वय समिति द्वारा लिए गए इस निर्णय को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई है और अग्नि कांड का शिकार हुए लोगों को ऋण देना मंजूर नहीं किया है। अनेक निवेदनों के बावजूद भारतीय स्टेट बैंक इन शिकार हुए लोगों को नया जीवन शुरू करने में सहायता देने हेतु आगे नहीं आया।

यदि सामान के रूप में न देकर नकद ऋणों को मंजूरी दे दी जाती है तो लोग अपनी छप्पर की छतों को पुनः स्थापित करने और नये सिरे से अपनी आजीविका कमाने का काम शुरू करने में समर्थ हो पाएंगे और धीरे-धीरे बैंक को ऋण की राशि अदा कर पाएँगे। परन्तु यदि उन्हें भैंसे खरीदने के लिए ऋण मंजूर किया जाएगा और उनके पास सिर छपाने के लिए जगह नहीं है, तो वे इस पर कैसे विचार कर सकते हैं और अपनी आजीविका कैसे चलाएँगे। यह तो ऐसी बात है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।

सभापति महोदय : श्री साम्बासिवा राव, आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। यदि आप इतना अधिक समय लेंगे तो अन्य सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री आर.साम्बासिवा राव : महोदय, मैं बस एक मिनट और लूंगा।

इस पृष्ठभूमि में और गरीब ग्रामीणों द्वारा झेली जा रही विपदाओं और मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे हैदराबाद के मुख्य

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महाप्रबंधक तथा भारतीय स्टेट बैंक विजयवाड़ा के क्षेत्रीय प्रबन्धक को निदेश दें कि जैसा कि जिले के अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में किया है, वह भी यह राशि जारी करें और इस जरूरत की घड़ी में अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों की सहायता करें।

मेरी आपसे यह प्रार्थना भी है कि जरूरत के समय गरीब लोगों की सहायता न करने पर सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, जार्ज साहब को समय दिया जाए कि वे अपनी बात पूरी करें।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी कल 20 मिनट बोले हैं। उसके बाद भी बोलना बाकी है।

श्री नीतीश कुमार : हम पांच मिनट बोले हैं। 20 मिनट नहीं बोले हैं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीस को बोलने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। आपने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने के लिए कहा है परन्तु श्री फर्नान्डीस ने कल अपना वक्तव्य पूरा नहीं किया था. ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, आप बैठिए। आपने कल 20 मिनट बोला। 20 मिनट बोलकर भी बाकी है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : मैं केवल पाँच मिनट बोला हूँ, बीस मिनट नहीं। आप कृपया जी जार्ज फर्नान्डीस को कम से कम पाँच मिनट बोलने दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अभी नहीं।

[अनुवाद]

मैंने श्री अजय चक्रवर्ती को बोलने के लिए कहा है।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : आप समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को तो बुलाएँगे। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पप्पू यादव जी, आप बैठिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मुझे कहने दिया जाए नहीं तो मैं बैल में बैठूँगा।

सभापति महोदय : बैल में क्यों बैठेगें? अपनी सीट पर बैठिएगा।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, स्वर्ण जयन्ती समारोह बहुत धूम-धाम से मनाए जा रहे हैं। परन्तु साथ ही उन शहीदों को उचित सम्मान नहीं दिया गया जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से हमारे देश को आजाद करवाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपनी बलिदानी दीं।....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : सभापति महोदय, मेरा नाम लिस्ट में है। मेरा विषय वही था। कल इस विषय पर यह निर्णय लिया गया था कि जिनके नोटिस है उनको कल मौका मिलेगा। कल यह कहा था कि आज जो लोग जीरो आवर में नहीं बोल पा रहे हैं ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी नहीं, अभी मैंने अजय चक्रवर्ती को बुलाया है। आपको भी बोलने का मौका देंगे। अभी आप बैठिये।

....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी मौका देंगे। मि० कठेरिया आप बैठिए। मैंने अभी अजय चक्रवर्ती को बुलाया है। आपका रिकार्ड नहीं हो रहा है। आपको बाद में बुलायेंगे।

....*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती : श्री खुदीराम बोस मातृभूमि की खातिर हंसते-हंसते अठारह वर्ष की अल्पायु में फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। श्री भगतसिंह, राजगुरू, चन्द्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्य सेन, प्रीति लोटा, बाडिज्यार और कई अन्य मातृभूमि की खातिर फांसी के तख्ते पर लटक गए। हजारों क्रांतिकारियों पर नकली मुकद्मा चला कर आजीवन कारावास की सजा दी गई और उन्हें अण्डमान की सेलुलर जेलों में वर्षों के लिए बन्द कर दिया गया। हमारे देशवासी पंजाब में गद्दर पार्टी की भूमिका को नहीं भुला सकते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल की अनुशीलन समिति तथा जुमास्तर पार्टी द्वारा मातृभूमि की आजादी के लिए निभाई गई भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता।

परन्तु, सरकार उनकी भूमिका को उजागर करने में आगे नहीं आ रही है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि स्वतंत्रता आन्दोलन में इनकी भूमिका को उजागर करने के

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए कार्यक्रम बनाए। इसी तरह से हमारा देश उनको श्रद्धांजलि दे सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : वह सफाई कर्मचारियों के बारे में एक मिनट बोलना चाहते हैं।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको भी चांस देंगे। मंडल जी आप बैठिए। मैंने उनको बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : मैंने कल एक नोटिस दिया था सदन को सूचना दी गई थी कि शून्यकाल के लिए जो नोटिस दिए गए थे, उनको आज्ञा दी जायेगी। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे भी बोलने की अनुमति दें। पीठासीन अधिकारी द्वारा यही विनिर्णय दिया गया था। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। मैं तो आपको केवल यही बता रहा हूं कि अब मुझे बोलने का हक है।

सभापति महोदय : यह तो कल की सूची है। इसमें भी आपका नाम नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूड़ी : मुझे बताया गया था कि यह सूची में है। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : यह क्रम संख्या 36 पर है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह शिष्टाचार है कि कोई भी सदस्य जिसने उसी विषय पर नोटिस दिया हो, उसे बोलने की अनुमति दी जाए। श्री जार्ज फर्नांडीस बोल चुके हैं। मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह न्यायोचित नहीं है।

सभापति महोदय : श्री प्रभुदयाल कठेरिया जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहे हैं। मैं उन्हें अनुमति दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपसे इस बात का अनुरोध कर रहा हूं कि हमें आजादी मिले आज 50 वर्ष होने जा रहे हैं।....*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप थोड़ा इंतजार क्यों नहीं कर सकते ?

....(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह मुद्दा सदन में उठाया जा चुका है। यह इसी विषय में संबंधित है। आप हमें इस विषय पर बोलने के अवसर से वंचित क्यों कर रहे हैं।....*(व्यवधान)* उन्हें बोलने की अनुमति देना उचित नहीं है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक नोटिस में 6 नाम हैं। श्री जार्ज फर्नांडीस का नाम सबसे पहले था। अतः मैं उन्हें बोलने का अवसर बाद में दूंगा। मैं केवल एक ही सदस्य को बोलने का मौका दे सकता हूं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर मेरा भी नोटिस है।....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुदयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समूचे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य है कि इस बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका नोटिस किसी और विषय पर है।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सदन की कार्यवाही चलते रहना चाहते हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं कि सदन चलता रहे तो आप अपने स्थान पर चुपचाप बैठें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं तीन दिन से रोज नोटिस दे रही हूं लेकिन मुझे बोलने का और अपने क्षेत्र की समस्याएँ उठाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : महोदय, कृपया बिहार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिये आप संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं। हम इसमें रुकावट नहीं डाल रहे हैं। *....(व्यवधान)* यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमें अवसर कब मिलेगा ? अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं इस सत्र में हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है कि हम अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा कर सकें।. *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक इश्यू पर 20 मैम्बर्स ने नोटिस दिया है। क्या मैं 20 मैम्बरों को बोलने का अवसर दूं। आपकी इस बारे में क्या राय है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या मैं सभी 20 सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकता हूँ? हम सूची में दिये गये क्रमांक के अनुसर सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंगल राम प्रेमी जी ने जो बात रखी है, मैं उसको उत्तर प्रदेश की बजाय समूचे भारतवर्ष के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर सफाई कर्मचारियों का वेतन रोका जा रहा है। उन गरीबों का वेतन क्यों रोका जा रहा है? क्या कभी किसी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी का वेतन रोका गया? फिर सफाई कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका जा रहा है। *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा 3.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 3.06 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.06 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन* हुई]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी। हम कार्यसूची की मद संख्या 24 पर अर्थात संविधान (अट्ठाईसवें संशोधन) विधेयक, 1997 पर चर्चा करेंगे।

मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को इस विषय पर बोलने के लिये आमंत्रित करती हूँ।

....(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : जी, हाँ। आपका कौन सा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक : महोदया, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, नियम 377 के अधीन मामले पहले उठाए जाएं। दूसरा, नियमों के अनुसार पहले से तैयार कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन करने के लिए एक नोटिस देना अनिवार्य होता है तथा फिर सभापति द्वारा पहले से निर्धारित कार्यसूची में क्रम परिवर्तन की अनुमति दी जानी होती है। यह संबंधित सदस्य की बात है और फिर आप अपने विनिर्णय दे सकते हैं। अन्यथा, इससे कार्यसूची का क्रम बिगड़ जायेगा।

सभापति महोदय : बिल्कुल ठीक। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डे (मंदसौर) : महोदया, कृपया नियम 377 के अधीन मामले पहले उठाएं।

सभापति महोदय : आपके उपयुक्त सुझाव के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, सदन में नियम, 377 के अधीन मामले उठाए जायेंगे। मुझे आशा है नियम 377 के अधीन मामलों के पश्चात् इस विधेयक पर भी चर्चा की जाएगी।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने कहा, 'मुझे आशा है।'

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप मुझे 'आशा' करने से रोक नहीं सकते।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन पूरे सदन की राय जानने के पश्चात ही कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैंने भी वही कहा है। अब नियम 377 के अधीन मामले।

प्रो. अजित कुमार मेहता : इसके पश्चात् उस विधेयक को चर्चा के लिये आपको सदन की अनुमति लेनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : डोप करना तो कोई मना नहीं है। मैं आपसे पूछूंगी।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरम्भ करें?

श्री के.एस.आर. मूर्ति (अमलापुरम) : महोदया, कृपया मुझे अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : अब, नियम 377 के अधीन मामले। केवल वे ही सदस्य अपने मामले उठ सकते हैं जिनका नाम बैलट में आया है।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : महोदया, पिछले तीन दिनों से शून्यकाल में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ किंतु हर बार मुझे मना कर दिया जाता है।....*(व्यवधान)* मैं अनुसूचित जातियों तथा स्वाधीनता सेनानियों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। कृपया मुझे केवल दो मिनट दीजिए, इससे अधिक नहीं। क्षमा करें....*(व्यवधान)* मैं सदन में जोर-जोर से चिल्लाना नहीं चाहता जो कुछ यहां चल रहा है, वह लोकतंत्र नहीं है। केवल नेतागण ही हैं जो बोल सकते हैं। केवल वे सदस्य ही बोल सकते हैं जो चिल्ला सकते हैं। यह कोई लोकतंत्र नहीं है। केवल बिहार का ही शोर मच रहा है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे अपनी बात कहने के लिये केवल दो मिनट का समय दें।

सभापति महोदय : श्री मूर्ति जी मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है। किंतु अब नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए मैं कर्त्तव्यबद्ध हूँ।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : वह लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में संसद के एक सदन के सदस्यों को गैस कूपन मिल रहे हैं और हमें नहीं मिल रहे हैं? यह क्या हो रहा है? वह लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों सदस्य हैं, वे राज्य सभा के सदस्य हैं और हम लोक सभा के सदस्य हैं। उनको गैस कूपन मिल रहे हैं और हमको नहीं मिल रहे हैं।

सभापति महोदय : अब सदन में नियम 137 के अधीन मामलों पर चर्चा की जाएगी।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : कृपया मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता है। आज शून्यकाल बहुत अधिक समय तक चला। नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले मामलों का बैलट होता है। मैं बैलट संबंधी बातों को छोड़ने के लिए नहीं कह सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में कृपया मुझे नियमानुसार कार्य करने दें और उन सदस्यों को बुलाएं जिनका नाम बैलट में है। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आपने इन सभी बातों के लिए अध्यक्ष महोदय को अनुरोध किया था और उन्होंने अपने स्तर पर जितना सम्भव हो सकता था इन बातों के लिए भरसक प्रयास किया था।

श्री के.एस.आर. मूर्ति : महोदया, मैं केवल दो मिनट का समय लूँगा।

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आज तक हम यह समझ रहे थे कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

सभापति महोदय : महोदया, आपको नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा के बाद बोलने का अवसर मिलेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी यह नहीं लगता है कि इस पर चर्चा की जायेगी। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए पूर्णतयः अन्यायपूर्ण है। यह सम्पूर्ण संसद की प्रतिबद्धता है। इसलिए, मैं इस सत्र में इस विधेयक को न लाये जाने पर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय : हम कार्य-सूची के अनुसार कार्य करें। कार्य-सूची का पालन करें। नियम 377 के अधीन मामलों के पश्चात् मैं आपको आपके विचार व्यक्त करने का अवसर दूँगा। इसलिए कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें। सबसे पहले हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूँगा। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप बहुत दयालु हैं। नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा के बाद, निजी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा का समय होगा।

सभापति महोदय : आप उन सदस्यों का समय क्यों ले रहे हैं जिन्होंने निमय 377 के अधीन सूचना दे दी है। श्री देवी बक्स सिंह।

.....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : केवल देवी बक्स सिंह जी का रिकार्ड में जाएगा।

.....*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में उन्नाव में स्थित इकाई और चमड़ा मिलों से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद उन्नाव (उत्तर प्रदेश) में प्रदूषण के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। जनपद उन्नाव में कई इकाई मिलें, कच्चे

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चमड़े के उद्योगों के कारण एवम् रसायन उद्योगों के कारण क्षेत्र में प्रदूषण के कारण यहां के निवासियों के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। कानपुर से भी एक बूचड़खाना स्थानान्तरित करके उन्नाव भेजा जा रहा है। इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए संकट हो गया है। पहले से हड्डी मिलों के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू रहती है, पानी भी स्वच्छ एवम् पीने योग्य नहीं है और लोग अनेक रोगों से ग्रसित हैं।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सरकार इस क्षेत्र में बूचड़खाना स्थापित न होने दे और जो हड्डी मिलें यहां कार्यरत हैं उन्हें शहर/आबादी से दूर करें। साथ ही एक जांच टीम भेजकर प्रदूषण की जांच कराएं जिससे क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

(दो) मध्य प्रदेश में नया गांव स्थित सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया को अर्थक्षम बनाने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डॉ० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति जी, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के उपयुक्त प्रबन्ध के अभाव के कारण निरंतर घाटे की ओर जा रहा है। पुनर्जीवन के लिए कई इकाइयों के मामले विचाराधीन हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नया गांव स्थित सीमेंट कार्पोरेशन संयंत्र की दो इकाई विगत तीन सप्ताह से विद्युत आपूर्ति के अभाव में बंद हैं। इस संयंत्र से कच्चा माल मंगाकर अन्य फैक्टरियों में भेजकर उसका लाभ तो कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किन्तु नया गांव स्थित संयंत्र को समय पर धनराशि न मिलने से विद्युत मंडल ने विद्युत आपूर्ति करने में असमता बताई है। परिणामतः सैकड़ों मजदूर जहां बेकारी के कगार पर हैं। वहीं कॉलोनियों में किराये के जनरेटर सेट मंगाकर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें भारी राशि व्यय हो रही है किंतु बिजली की बकाया राशि न दिए जाने से लाखों रुपयों का उत्पादन न होने से राष्ट्रीय हानि भी हो रही है।

अतः आवश्यक है कि संयंत्र ठीक चले, उसमें उत्पादन हो और प्रतिदिन होने वाली लाखों रुपयों की हानि को बचाया जाए।

मेरा उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि इस संयंत्र को होने वाले घाटे से बचाया जा सके और मजदूरों के हितों का संरक्षण हो सके।

(तीन) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र बुढ़ानिया (चुरू) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लगभग 36 करोड़ लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 10 किलो अनाज दिए जाने की सरकार की घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस योजना से देश के गरीबों को लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही है। एक परिवार में लगभग 40 किलो अनाज प्रतिमाह की खपत सामान्यतौर पर होती है जिसके लिए पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 30 किलो अनाज कंट्रोल रेट पर दिया जाता था, लेकिन अब मात्र 10 किलो अनाज आधे रेट पर देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। गरीब परिवार को अपनी आवश्यकता का शेष अनाज बाजार भाव पर कई गुने दामों पर खरीदना पड़ेगा जिसमें उसका पहले से ज्यादा खर्च होगा। इस प्रकार से यह योजना पूरी तरह से फेल होने वाली है। इससे राज्यों को पूर्व में दिए जाने वाले अनाज का कोटा भी आधा रह गया है जिससे अनाज की कमी होगी और बिचौलियों को लाभ होगा।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को उसकी आवश्यकता का शेष अनाज कंट्रोल रेट पर दिया जाए ताकि वह अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा कर सके या फिर 10 किलो की जगह आधी कीमत पर दिए जाने वाले अनाज की मात्रा 40 किलो बढ़ाई जाए।

[अनुवाद]

(चार) केरल राज्य में बिजली संकट दूर करने के लिए कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड पेट्रोलियम गैस की पूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.एम. सुधीरन (अलेप्पी) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान केरल में विद्यमान गम्भीर विद्युत संकट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

यद्यपि यह मानसून सत्र है, राज्य में विद्युत की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। बढ़ती हुई मांग को हमेशा पूरा करने के लिए तथा मांग और पूर्ति के बीच अत्यधिक अन्तर को कम करने के लिए केरल में नयी परियोजनाओं की आवश्यकता है और चल रही कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र परियोजना की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। मूलरूप से 2000 मेगावाट क्षमता की योजना बनाई गई थी लेकिन इसकी क्षमता 350 मेगावाट तक कम कर दी गई।

मेरे विचार से अब यदि लिक्विड पेट्रोलियम गैस उपलब्ध हो जाता है तो राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। केरल सरकार पहले ही कोचीन में एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस टर्मिनल शुरू करने के बारे में निर्णय ले चुकी है।

भारतीय गैस प्राधिकरण लि० और इंडियन ऑयल कारपोरेशन सहित भारत सरकार की कुछ कम्पनियां भारत में कुछ तरल प्राकृतिक गैस टर्मिनल शुरू करने के लिए एक संयुक्त प्रतिष्ठान लगा रही है। इनमें से कोचीन का भी नाम है लेकिन कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कायमकुलम परियोजना की क्षमता में वृद्धि करने के लिए तरल प्राकृतिक गैस उपलब्ध करायें ताकि 2000 मेगावाट मूल क्षमता को बनाये रखा जाय।

(पांच) तमिलनाडु में इरोड में और अधिक दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री वी.पी. चणमुगा सुन्दरम : मैं इरोड़ दूरसंचार जिले की शोचनीय दशा आपके ध्यान में लाना चाहूँगा जिसके अन्तर्गत मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी आता है। गत कुछ वर्षों से इरोड में कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं हो रहे हैं। यहां कुछ ऐसे गांव हैं जहां एक भी सार्वजनिक टेलिफोन नहीं है। कुछ गांवों में जहां दूरभाष केन्द्र हैं उनमें इनती लंबी प्रतीक्षा सूची है कि उसे पूरा होने में कई वर्ष लग जायेंगे। उदाहरणार्थ कोलाप्पलूर और सिरूवालूर गाँवों में वर्ष 1991-92 की प्रतीक्षा सूची चल रही है। दूरभाष केन्द्र की क्षमता में वृद्धि के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया जबकि ईरोड दूरसंचार जिले के अधिकांश क्षेत्रों में विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए वाणिज्यिक मांग पर्याप्त है।

महोदय, सत्यमंगलम ताल्लुक में टेलीफोन कनेक्शन के लिए 200 से अधिक आवेदन पत्र हैं लेकिन दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है। बार-बार याद दिलाये जाने के बावजूद भी ईरोड दूरसंचार जिले के अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। आज के युग में जब दूरसंचार सुविधायें आसानी से उपलब्ध हैं वहां गांव में एक भी सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था न करना, कादमबूर गांव में एक दूरभाष केन्द्र की स्थापना की बात अलग छोड़ दें औचित्य पूर्ण नहीं है।

यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हफ्तों तक टेलीफोन फाल्ट ठीक नहीं किये जाते हैं लेकिन अधिकारीगण मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किये बिना एस.टी.डी., पी.सी.ओ. में और वृद्धि करने के बारे में अधिक चिन्तित हैं।

मैं माननीय संचार मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ईरोड़ दूरसंचार जिले की समस्याओं पर ध्यान दें और उनका समाधान करें।

[हिन्दी]

(छह) उत्तर-प्रदेश के बलिया जिले में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजानाओं के कार्यान्वयन की जाँच कराए जाने की आवश्यकता

श्री हरिवंश सहाय (सलेमपुर) : सभापति महोदय, बलिया जिला अन्तर्गत केन्द्र सरकार की दस लाख कूप योजना, जवाहर रोजगार योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यों के लिए वर्ष 1996-97 तथा उससे पूर्व भी आवंटित धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हुआ है। सारे निर्माण के कार्य निजी ठेकेदारों द्वारा कराये गये, परन्तु बालकों में पंजीकृत मजदूरों से निर्माण कार्य नहीं कराये गये। इतना ही नहीं कार्य सम्पन्नता को दिखाने के लिए एक ही नाले तथा सड़कों पर अनेक बार निर्माण कार्य कराकर उक्त मद में निर्धारित धनराशि को खर्च किया गया।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस संबंध में केन्द्रीय टीम से स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि इस जिले में केन्द्रीय योजनाओं का विकास हो सके।

[अनुवाद]

(सात) महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों को सांविधिक मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : जैसा कि 30 जुलाई, 1997 को इकोनॉमिक टाईम्स (मुम्बई संस्करण) में प्रकाशित हुआ था, महाराष्ट्र राज्य के चीनी सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे कारखाने निरन्तर विगत दो वर्षों से अर्थात् 1995-96 और 1996-97 से भारत सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य गेट डिलीवरी करने पर दे रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है जो किसानों के हित को सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। इस बात की जानकारी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जारी गन्ने के मूल्य संबंधी अधिसूचना के उल्लघंन पर ध्यान दिया है अथवा नहीं और चूक करनेवाले कारखानों को वंछित करने के लिए कोई पहल की है या नहीं।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चीनी मिलों के लिए गन्ने के निर्धारित सांविधिक मूल्य को दर्शाये तथा वर्ष 1995-96, 1996-97 के गन्ना पेराई मौसम के दौरान उन्होंने वास्तविक तौर पर जितना मूल्य दिया। साथ ही क्या सरकार ने उस गन्ने के लिए, जो कारखानों को पहले ही भेजा जा चुका है, किसानों को पूरा मूल्य दिलाने हेतु कोई कदम उठाया है।

[हिन्दी]

(आठ) उत्तर प्रदेश, विशेषकर मेरठ में जिन चीनी मिलों को लाइसेंस जारी किया गया है, उन्हें शीघ्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : सभापित महोदय, हमारे देश में कुल उत्पादित गन्ने के 33 प्रतिशत हिस्से की ही चीनी मिलों द्वारा पेराई की जा रही है जिससे किसानों को दो रूप में नुकसान हो रहा है - एक तो उनकी प्रति हैक्टेयर उपज नहीं बढ़ पा रही है और दूसरे उनको गन्ने की उपज के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। देश की प्रत्येक चीनी मिल में प्रतिदिन 25 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है।

भारत सरकार द्वारा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु जो लैटर ऑफ इंटेन्ट अथवा लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनको ऋण नहीं मिल पाने के कारण से नई चीनी मिलों की स्थापना में देरी हो रही है। मेरे क्षेत्र मेरठ में भी कुल उत्पादित गन्ने के 25 प्रतिशत हिस्से की ही चीनी मिलों द्वारा पेराई की जाती है। मेरे क्षेत्र में सील शुगर लिमिटेड, मऊखास जिला मेरठ (उ.प्र.) में नई चीनी मिल की स्थापना हेतु ऋण मिलने में बाधा आ रही है जिस का प्रभाव राष्ट्र के चीनी उत्पादन पर, किसानों की आर्थिक स्थिति पर और इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन पर भी पड़ रहा है।

अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह स्वंय इस मामले में हस्तक्षेप करके नई चीनी मिलों को ऋण मिलना सुनिश्चित कराएं।

[अनुवाद]

(नो) कर्नाटक में कोडगु जिले को रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री बी. धनन्जय कुमार (मंगलौर) : देश के विभिन्न भागों को रेल मार्ग से जोड़ने पर सम्पूर्ण आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है और यह किसी भी राष्ट्र का एक जीवन सूत्र होता है। कर्नाटक राज्य में कोडगु ही एक ऐसा जिला है जो किसी रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। यहां रेल मार्ग बिछाये जाने हेतु बीस वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था किंतु यह कार्य वास्तविक रूप नहीं ले सका। हाल ही में, चेन्नारामापटना, और कुशालनगर और चेन्नाटामापटना तथा मेडीकेरी के बीच रेल मार्ग बिछाये जाने हेतु एक नये सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है।

मेडीकेरी और कुशालनगर के रास्ते मंगलौर और मैसूर के बीच व्यावहारिक और लाभकारी रेल मार्ग बिछाया जाना है। यह नया रेल मार्ग विद्यमान मंगलौर-हसन रेल मार्ग पर स्थिति सुब्रहमण्यम जंक्शन से मेडीकेरी तक लाया जा सकता है और नये रेल मार्ग मेडीकरी को कुशालनगर के रास्ते मैसूर से जोड़ेगा। यह नया रेल मार्ग कॉफी और मसाले को लाने-ले जाने के लिए सहायक होगा जो कि कोडगु में काफी तादाद में उपजाया जाता है और जिसका वहां से निर्यात कर देश में भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना के लिए सकारात्मक कदम उठायें।

[हिन्दी]

(दस) बिहार राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा कृषकों को ऋण दिए जाने में बरती गई अनियमितताओं की कथित जांच के किए जाने की आवश्यकता

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 1995-96 एवं 1996-97 में कृषि कार्य हेतु किसानों को पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण देने हेतु जो राशि बिहार राज्य विकास बैंक को दी गई थी, उसके वितरण में भारी अनियमितता बरती गई है। ऋण प्राप्ति पत्र पर किसानों से दस्तखत तो ले लिए गए लेकिन महीनों-महीनों तक किसानों को ऋण की राशि नहीं दी गई। समय पर ऋण नहीं मिलने की वजह से कृषि को तो क्षति पहुंची ही, जो एक राष्ट्रीय क्षति है, किसानों के ऊपर अकारण अधिक ब्याज भी चढ़ गया।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि सरकार जांच कराये कि किस परिस्थिति में कब और कितनी राशि नाबार्ड ने बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को दी और उसका वितरण समय से उचित तरीके किया या नहीं ?

[अनुवाद]

(ग्यारह) चण्डीगढ़-भटिंडा और चण्डीगढ़-लुधियाना सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : वास्तविकता यह है कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और यह पूरे देश को खाद्यान्नों की आपूर्ति भी करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सड़कों पर काफी दबाव रहता है। गंगानगर के रास्ते चण्डीगढ़ से भंटिडा जाने वाली सड़क जो पाकिस्तान सीमा तक जाती है, और चण्डीगढ़ से अम्बाला, जाने वाली सड़क जो अम्बाला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से जुड़ती है पर काफी दबाव है। इसी तरह अमृतसर के रास्ते चण्डीगढ़ से लुधियाना जाने वाली सड़क, जो लुधियाना में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 से जुड़ती है, पर भी काफी दबाव है। ऐसी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए और इन्हें चार लेन वाली सड़क योजना में शामिल किया जाए। हाल में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने पंजाब दौरे के दौरान उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की थी।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर गौर करे।

अपराह्न 3.30 बजे

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कार्यवाही-*जारी*

सभापति महोदय : अब अपराह्न 3.30 बजे हैं इसलिए अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे। सभा 1 अगस्त, 1997 को श्री श्रीराम चौहान द्वारा पेश किये गये संकल्प पर चर्चा जारी रखेगी।

....(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मेरी बहनें कुछ कहना चाहती हैं। कृपया उन्हें बोलने दें।

सभापति महोदय : अब यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

प्रो० रासा सिंह रावत अपना भाषण जारी रखें।

.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि भ्रष्टाचार आज देश की रग-रग के

अंदर व्याप्त हो गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इतना व्याप्त हो गया है कि पिछले दिनों दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार का एक प्रकार से स्केल किया गया है तो उसमें भारत का स्थान आठवां आया। अभी भी भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहां सांयकाल उत्सव का आयोजन होगा और खुशियां मनाई जायेंगी। दूसरी तरफ 50 सालों के अदर पंचवर्षीय योजनाओं पर अरबों-खरबों रुपया खर्च किया गया। देश की जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम यहां से एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और केवल 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया। 1996 का वर्ष घोटालों का वर्ष था। क्या आप और हम यह संकल्प लेने को तैयार हैं कि यह स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती 1997 का वर्ष भ्रष्टाचार रूपी दानव के ऊपर विजय प्राप्त करने का वर्ष होगा ?

सभापति महोदय इस देश में दो प्रकार की ताकतें हैं। एक तो वे ताकतें हैं जो भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाली, भ्रष्टाचार को मिटाने वाली, देश के जनजीवन के अंदर शालीनता और पवित्रता लाने वाली ताकतें हैं तथा दूसरी तरफ वे ताकतें हैं जो भ्रष्टाचार को शह देती हैं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाली न्यायपालिका का विरोध करने वाली, भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली या भ्रष्टाचार की वकालत करने वाली ताकतें .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर आपको बोलना है तो नाम लिखकर भेज दीजिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में जब देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला था, ऐसे समय में जय प्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। एक समग्र क्रान्ति लाने का काम किया था .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलते रहिये, आपकी आवाज बुलंद है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जब 1989 में बोफोर्स तोप घोटाला सामने आया तो वी.पी. सिंह के नेतृत्व में इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी गई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाली ताकतें एक साथ हुईं और परिणामस्वरूप सत्ता परिवर्तन हुआ। इस देश के अंदर फिर बदलाव आया। उसके बाद के पांच वर्ष घोटालों के वर्ष रहे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जब इस देश में उदारीकरण की नीति आई, उसके बाद कांग्रेस के जिन नेताओं के हाथ में देश की बागडोर रही, उस समय हर्षद मेहता ब्रीफ केस के काण्ड, बैंक घोटाला, डिसइनवैस्टमैंट घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, गुड़ घोटाला, टेलीफोन घोटाला, चारा घोटाला और संसद रिश्वत घोटाला हुआ। अब वह समय आ गया है कि हमें भ्रष्टाचार करने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष शुरू करना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि ऐसा पहले भी हुआ था। आने वाले समय में भ्रष्टाचार करने वाले, भ्रष्टाचार को पनपाने वाले, भ्रष्टाचार का साथ देने वाले लोगों को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी और जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने का संघर्ष कर रहे हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, उन ताकतों को फिर से भारत की जनता हिन्दुस्तान की सत्ता की बागडोर सौपेंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

मान्यवर सभापति महोदय, एक उर्दू के शायर की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं –

"गुलिस्तां बरबाद होने को बस एक ही उल्लू काफी है।
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है।"

आज देश के कोने-कोने में भ्रष्टाचार है और इसका एकमात्र कारण यह है कि –

"जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेंगे सृष्टि और जैसी मिलेगी शिक्षा. ....." वैसी प्राप्त होगी दीक्षा .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप शेर तो ठीक पढ़ दीजिए। आपने उल्टा कर दिया है। यह इस प्रकार है – "बरबादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।"

प्रो. रासा सिंह रावत : जी, हाँ।

"बरबादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।"

इसके बारे में देश के हर कोने में चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान यदि कहीं हुआ है तो हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को हुआ है। आज भी आजादी के 50 वर्षों के बाद .. ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : ये आसन के द्वारा कहे हुए शब्द हैं ?

सभापति महोदय : ये शेर हैं। किसी दूसरे को मैं नहीं कह रहा हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत : आज अरबों रुपयों का विदेशी कर्जा हमारे देश के ऊपर चढ़ गया है। विकास के नाम पर हमने खरबों रुपये खर्च किये लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए कि हर गांव के अंदर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क हो, गांव के हर घर में रोशनी हो, हर घर में प्यास बुझाने वाला पानी हो, हर खेत में लहलहाती हुई फसल पैदा हो और नयी पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, वह आज नहीं है। स्कूलों के भवन बने हुए नहीं हैं लेकिन गांवों में सारी चीजों का अकाल

[प्रो. रासा सिंह रावत]

है। इसके लिए करोड़ों-अरबों रुपया जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, यहां की जनता ने टैक्स देकर सरकार के हाथों में धन सौंपा या विदेशों में जो कर्जा हमने लिया, उस धन का देश में सही उपयोग नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ है कि आज "रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान", आजादी के पचास साल बाद भी यह स्थिति पैदा हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का कारण यह है कि आज व्यक्ति के चिन्तन में अंतर आ गया है। उसको जो शिक्षा दी गई, उस शिक्षा में यह था कि -

"टका ही धर्मः टका ही कर्मः
यस्ये टका नास्ति, सः टकटकायति।"

यह जो मनुष्य का दृष्टिकोण बन गया है, उससे मनुष्य अर्थप्रधान संस्कृति का पुजारी हो गया, भोगवादी संस्कृति का पुजारी हो गया। पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ है। पहले पैसा फिर भगवान - यह आदमी की मनोवृत्ति हो गई। इस कारण वह अनुचित साधनों से पैसा कमाने लग गया। उसका पतन शुरू हो गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से जहां श्री चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूँ, वहीं मैं चाहूंगा कि हमें भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्पन करना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सबको त्याग के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से सब राजनीतिज्ञों को दोष दे रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलते जाइए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, ये कह रहे हैं कि धीरे बोलिये।

सभापति महोदय : आप धीमे बोलिये, धारा प्रवाह या जोर से बोलिए, आपकी इच्छा है। जैसे भी बोलिये लेकिन विषय पर बोलिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : विषय यही है कि यह सभा भ्रष्टाचार के ऊपर चिन्ता व्यक्त करती है और वह भ्रष्टाचार हमारे देश को खाने जा रहा है और इसलिए उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको संकल्प करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सत्ता पक्ष की ओर से काफी हल्ला हो रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : हमें नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा और अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी पड़ेगी। हममें त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जियो और जीने दो का सिद्धान्त होना चाहिए, देश के लिए देशभक्ति का भाव होना चाहिए। ये सारे अच्छे विचार अगर शिक्षा में नहीं डोंगे तो फिर "हम रहें मस्ती में और आग लगे बस्ती में" वाली भावना सबके मन में घर कर जाएगी।

भ्रष्टाचार को पैदा करने के लिए सबसे पहले बड़े तीन मूल कारण हैं - लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा। वित्तेष्णा यानी दुनिया के अंदर मेरा नाम हो, खूब धन-संपत्ति, दौलत मेरे पास में आ जाए और मेरी संताने और सात पीढ़ियां उसका सुख भोगती रहें और यानी खूब सारा धन-दौलत आ जाए। समाज में -

"सर्वेगुणा कांचनम् आवयंति"

अर्थात सारे गुण कंचन, सोने का सहारा लेते हैं। जिसके पास में पैसा है वही समाज में बड़ा है।

"यश्यास्ति वित्तः सः नरः कुलिनः
सः पोवक्ता एव वक्ता, सच दर्शनीय"।

यह समाज की मनोवृत्ति हो गयी है कि जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है। दुनिया में वही आदरणीय है। इसी प्रकार हमारे नीतिकारों ने कहा है -

"अपूज्यः यत्र पूजयन्ते,
पूज्यानामतु व्यतिक्रमः,
त्रयि वर्तन्से दुर्भिक्षं मरणं, भंय।"

यानी जो पूजा, सम्मान और आदर के योग्य नहीं है, उनको पूजा, आदर और सम्मान दिया जाता है और जो वास्तव में सम्मान के लायक हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है। उनकी अवहेलना की जाती है, ऐसे समाज के अंदर तीन चीजें व्याप्त रहती हैं या तो दुर्भिक्ष, भूख ही पैदा होगी या मरणं, मौत की खबर आयेंगी या भंय, भय का वातावरण होगा। आज दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान हैं। इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। लेकिन केवल राजनीतिज्ञों को ही भ्रष्टाचारी बताना और समाज के बाकी वर्ग अपने आपको दूध का धुला हुआ समझें, यह बात सही नहीं है।

सभापति महोदय : इस विषय में बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। समाज में चाहे वह रिश्वत लेने वाला व्यक्ति हो। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोषी के भागी होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि मई, 1997 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रशासन को भ्रष्टाचार से रहित बनाने के लिए एक नया व्यापक विधेयक लाया जायेगा और नौ सूत्री कार्यक्रम भी लाया जायेगा। उसके बाद अब तक क्या प्रगति हुई है।

सभापति महोदय, लोकपाल बिल की बड़ी चर्चा सुनते थे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बड़े पदों पर भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए लोकपाल बिल लाया जायेगा। लेकिन यह सत्र भी समाप्त होने का है और लोकपाल बिल के कहीं दर्शन नहीं हुए

हैं, उसका नामो-निशान भी नहीं है। महिलाओं का बिल तो 81वें संशोधन के साथ फिर भी है। लेकिन लोकपाल बिल जो भ्रष्टाचार की बीमारी को मिटाने वाला बिल है, समाज को शुद्ध बनाने वाला, राष्ट्रीय जीवन को पवित्र बनाने वाला बिल है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला बिल है उसका कहीं अता-पता नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार लोकपाल बिल कब लेकर आयेगी। आज भ्रष्टाचार का दायरा व्यापक है। इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमें चिरकालीन लोक प्रशिक्षण देना पड़ेगा और जनप्रतिरोध का एक अभियान चलाना होगा। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने भ्रष्टाचारी शासक के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए और प्रबल जनप्रतिरोध चलाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान को सफलता अवश्य मिलेगी लेकिन इसके लिए सुदृढ़ नेतृत्व और चिरकालीन लोक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह काम कुछ जमातें और संत ही कर सकते हैं, जिनके पास समाज के विकास की निश्चित विचारधारा है। मैं समझता हूँ पिछले दिनों हमारे माननीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी जी ने गरमी, सर्दी, कड़ाके की धूप और ज्येष्ठ महीने की लू इन सबको सहते हुए केवल भ्रष्टाचार और भूख से इस देश को बचाने के लिए देश का जनता को जाग्रत करने के लिए और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए और आजादी का संदेश देने के लिए जो रथयात्रा की थी।

सभापति महोदय : आपको इस पर 15 मिनट का टाइम मिल गया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर आज संकल्प करें कि 1997 का जो वर्ष है यह भ्रष्टाचार रूपी दानव का नाश करने वाला वर्ष होगा। यह जो ताकतें हैं .....*(व्यवधान)* सभापति महोदय, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वास्तव में एक कहावत है - चोर मचाये शोर, मैं कहावत कह रहा हूँ, मैं किसी माननीय सदस्य की बात नहीं कह रहा हूँ। जो जितना भ्रष्ट आचरण करते हैं, जो समाज के अंदर जितना भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, वे लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। मैं आपके माध्यम से देश की मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि मीडिया को भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सतर्क होना होगा। आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता में आक्रोश पैदा करने की आवश्यकता है। जनता इसके प्रति उदासीन न बन जाए, अपितु भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हो। उसके अंदर ऐसी भावना पैदा करनी होगी। हमें सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में पारदर्शिता लानी होगी, तभी भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मैम्बर बिजनेस है। आप लोगों को अगर बोलना है तो लिखकर स्लिप भेज दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम लोग प्रोटेस्ट में वाकआउट कर रहे हैं। हमारी और भी बहनें हैं जो वाकआउट कर रही हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक नहीं लिया गया इसलिए हम विरोध स्वरूप सभा का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 3.46 बजे

इस समय श्रीमती गीता मुखर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, उनके समर्थन में मैं भी आधे घंटे के लिए सभा का बहिष्कार करता हूँ।

अपराह्न 3.46½ बजे

इस समय श्री पी.आर. दासमुंशी सभा-भवन से बाहर चले गए

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मैम्बर बिजनेस चल रहा है। आपको कल चुक पढ़नी चाहिए। आपके बराबर में मंत्री वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनसे नियम समझ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोबार (डिब्रूगढ़) : सभापति महोदय, बम्ब विस्फोट के बारे में उनका क्या कहना है *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैंने श्री रमेश चेन्नितला को बुलाया है।

....(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोबार : आज प्रातः जो रेल दुर्घटना हुई मैं उस बारे में रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ। उस दुर्घटना में छह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यह दुर्घटना आज सुबह हुई है किंतु रेलमंत्री ने अब तक सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। उन्हें सभा में आकर स्वयं एक वक्तव्य देना चाहिए। यह दुर्घटना उत्तरी लखीमपुर में आज प्रातः 10 बजे हुई जिसमें छह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गयी और अनेक लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री को सभा में आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसी दुर्घटनायें एक ही क्षेत्र में हो रही हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रमेश जी जो बोलेंगे केवल वही रिकार्ड पर जायेगा।

श्री रमेश चेन्निथला : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारे समाज में जो दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में हमारे मित्र ने अभी विस्तार से बताया है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज हम लोग हमारी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। लेकिन हमारे देश व अन्य देशों में आज क्या स्थिति है। यह केवल भारत की ही बात नहीं है। दुनिया के अंदर किसी भी देश के बारे में आप लोग देखिये, कोई भी देश करप्शन से मुक्त नहीं है। करप्शन की वजह से आई.एम.एफ. का लोन रोके जाने की खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी है। हमारे देश के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर यह एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए समाज में सख्ती तथा एकता होनी चाहिए। इन 50 सालों के अंदर हमारा देश प्रगति के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ा है। वास्तव में हमारे देश में बहुत सारी प्रगति हुई है। हम देश को मजबूत बनाने में कामयाब रहे हैं।

सभापति महोदय, हम लोग नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बातें हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हमें रोकना चाहिए, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आज हम लोग देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं। इस बारे में सारे राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग आह्वान करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं है। आज स्थिति यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह हमारी और देश की चिन्ता का प्रमुख विषय होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमें अखबारों और अन्य मीडिया से सूचना मिलती है कि आज आम आदमी यह समझता है और सोचता है कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने अपने पंख जमा लिए हैं। यह एक यूनीवर्सल फिनामिना है। चाहे वह पाकिस्तान हो, जापान हो, फिलीपीन्स हो, कोरिया हो, सभी जगह यह व्याप्त है। हर देश को आज भ्रष्टाचार की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री को जेल भेजा जा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाया जा रहा है, कहीं हम देखते हैं कि किसी मंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, कहीं हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ केस चल रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ केस चल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया के समाज के हर अंग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे किसी देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे किसी देश में मिलिट्री रूल हो और चाहे किसी देश में औटोक्रेटिक सिस्टम हो, सभी तरह के सिस्टमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर चुका है।

सभापति महोदय, हमें भ्रष्टाचार के ऊपर साइंटीफिक तरीके से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस रूप में है। आज सिर्फ पैसे के लेन-देन को ही भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं, भ्रष्टाचार के अन्य कई तरीके और रूप हैं। भाई-भतीजावाद और पक्षपात भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हमें हर दृष्टि से इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर प्रकार से आगे आना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि सब लोग धन के बारे में ही चिन्ता करते हैं। आज धन ही सब कुछ है। धन के पीछे आज दुनिया भाग रही है। हमें धन के साथ-साथ अपने देश के आदर्शों और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा देश जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं हमें अपने देश की महान परम्पराओं को नहीं भूलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की महान परम्परा रही है, लेकिन हम हमेशा आर्थिक स्थिति को ही देखते हैं और विचार करते हैं। हमें अपनी आर्थिक स्थिति पर जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे मौलिक सिद्धान्त हैं और जिन्हें आज हम भुला रहे हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें गांधी जी ने जो सिखाया, हमारे देश के महान् नेताओं ने जो सिखाया और जिस रास्ते पर इस ववदेश को चलाया, हमें उस रास्ते पर इस देश को आगे ले जाना है। हमें हमेशा अपने रास्ते का ध्यान रखना चाहिए और यह भी देखते रहना चाहिए कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं या नहीं। यदि हमारी नई पीढ़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही है, तो हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने देश की पुरानी और महान् संस्कृति, परम्परा और मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे देश में चुनाव की जो प्रणाली है, उसमें बहुत दोष हैं और सबसे पहले भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। कोई राजनीतिक दल इस देश के ऊपर नहीं है। देश के अंदर करप्शन का मूल कारण चुनाव प्रणाली है। जो भी व्यक्ति चुनाव के मैदान में उतरता है, उसको पेसे की जरूरत पड़ती है। वह पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है और चुनाव में उसे खर्च करता है। वह पैसा उसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, अन्य लोगों से व काला धंधा करने वालों से प्राप्त होता है। जो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही व्यक्ति जीतता है। ....*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति जी, मिनिस्टर साहब नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप खुद मिनिस्टर के बगल में बैठे हैं, मिनिस्टर की बैंच पर बैठे हैं और आपको मिनिस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 3.56 बजे

श्री रमेश चेन्निथला : जो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही व्यक्ति जीतता है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेम्बली का हो।....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया-बिहार) : सभापति जी, दो बातें आपत्ति के लायक हैं। एक तो इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक

दलों के लोग चुनाव में भ्रष्टाचार करते हैं। कम से कम आप वामपंथी दलों को देखने का काम करें।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : हमें मालूम है कि वामपंथी दलों ने क्या किया है।

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही जीतता है। ....*(व्यवधान)* हमने चुनाव में बहुत कम पैसा खर्च किया है और जनता ने वोट देकर हमको इस हाऊस में भेजा है। ....*(व्यवधान)* मैं सबूत खड़ा हूँ।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : इस देश के अंदर वामपंथी दलों ने रूस से पैसा लिया है।....*(व्यवधान)* इस बात के सबूत हमारे पास हैं।....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : सभापति जी, सभी राजनीतिक दलों को कार्यवाही से निकाल दीजिए।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति जी, मैं किसी राजनीतिक दल या सभी दलों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ....*(व्यवधान)* मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जनरल बात कर रहा हूँ। ....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : आप इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : सभी राजनीतिक दल बोलना ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। मैं वामपंथी दलों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी लड़ाई तो वामपंथी दलों से ही है। हम लोग जानते हैं कि उनके क्या कार्यक्रम होते हैं और कैसे वे काम करते हैं। यह हम सब लोग जानते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं।. ...*(व्यवधान)* बिहार से ज्यादा कम्युनिस्ट केरल में हैं।....*(व्यवधान)* आप मुझे मत समझाइये कि कम्युनिज्म क्या है?

सभापति महोदय : रमेश चेन्नितला जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति जी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं किसी दल के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज समूचे देश की जो हालत है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, उसके बारे में सभी दलों को सोचना चाहिए। केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं, इसके ऊपर हमें विचार करना है और किसी नतीजे पर पहुंचना है। इसलिए हमारे मित्र जो रेजोल्यूशन इस सदन में लेकर आये हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव प्रणाली से इस देश को सबसे बड़ा खतरा है। आज के हालात में साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति बहुत कठिनाई से चुनाव जीतकर आते हैं। आजकल राज्य सभा का मैम्बर बनने के लिए एक उद्योगपति कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और एम.पी. बन जाता है, पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है, जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है।....*(व्यवधान)* आज यह राजनीति के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं इस सिस्टम के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ।....*(व्यवधान)* लोक सभा और राज्य सभा के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। आज समाज के हर अंग को, हर राजनीतिक पार्टी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वह खत्म हो जायेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

मैंने यह इसलिए कहा है कि केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। इसका मुकाबला करने के लिए सबको एक साथ लड़ना चाहिए। लोकपाल बिल के बारे में सदन में बहुत अच्छा हुआ, प्रदेश असेम्बलियों में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, एम.एल.एज., मंत्री अपने ऐसैट्स डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा सुझाव है कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, उसे ठीक तरह से अमल में लाना चाहिए और उसमें जो भी लूपहोल्स हैं, उन्हें ठीक से मिटिगेट करने के लिए विचार करना चाहिए। एम. पीज., एम.एल.एज. को इलैक्शन्स से पहले अपने ऐसैट्स डिक्लेटर करने चाहिए।

हमारे मित्र ने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। आजकल किसी भी सिनेमा या नाटक में आप देख लें, उसमें लोगों को हंसाने के लिए पात्र को राजनैतिक नेता के रूप में पेश किया जाता है। वह लोगों के सामने बफून के वेष में आते हैं। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना चाहिए। चाहे लोकपाल बिल हो या अन्य कोई विधेयक हो, उसे पारित करना चाहिए ताकि कानून के जरिए इस बीमारी को हम रोक सकें। केवल कानून पारित करने से ही यह बीमारी खत्म नहीं होगी। समाज में इसके खिलाफ एक नई जागृति पैदा करनी होगी तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। लोगों में एक ऐसी जागृति आनी चाहिए कि हम न पैसा लेंगे और न ही देंगे।

इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस रैजोलूशन को जरूर पास करना चाहिए ताकि इस समाज में एक नई जागृति पैदा हो और हम इस बीमारी से लड़ सकें।

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस रूल के तहत उठा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : नियम 193 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सवाल पर बहस होनी थी। वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अंदर व्याप्त हो गया है और ऊपर से लेकर नीचे तक समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इतना व्याप्त हो गया है कि पिछले दिनों दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार का एक प्रकार से स्केल किया गया है तो उसमें भारत का स्थान आठवां आया। अभी भी भारत की स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यहां सांयकाल उत्सव का आयोजन होगा और खुशियां मनाई जायेंगी। दूसरी तरफ 50 सालों के अदर पंचवर्षीय योजनाओं पर अरबों-खरबों रुपया खर्च किया गया। देश की जनता को जो लाभ पहुंचना चाहिये था वह नहीं पहुंचा। इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम यहां से एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और केवल 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया। 1996 का वर्ष घोटालों का वर्ष था। क्या आप और हम यह संकल्प लेने को तैयार हैं कि यह स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती 1997 का वर्ष भ्रष्टाचार रूपी दानव के ऊपर विजय प्राप्त करने का वर्ष होगा ?

सभापति महोदय इस देश में दो प्रकार की ताकतें हैं। एक तो वे ताकतें हैं जो भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाली, भ्रष्टाचार को मिटाने वाली, देश के जनजीवन के अंदर शालीनता और पवित्रता लाने वाली ताकतें हैं तथा दूसरी तरफ वे ताकतें हैं जो भ्रष्टाचार को शह देती हैं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाली न्यायपालिका का विरोध करने वाली, भ्रष्टाचार को पनाह देने वाली या भ्रष्टाचार की वकालत करने वाली ताकतें .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर आपको बोलना है तो नाम लिखकर भेज दीजिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में जब देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला था, ऐसे समय में जय प्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। एक समग्र क्रान्ति लाने का काम किया था .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलते रहिये, आपकी आवाज बुलंद है।

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, इसका परिणाम यह हुआ कि 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जब 1989 में बोफोर्स तोप घोटाला सामने आया तो वी.पी. सिंह के नेतृत्व में इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी गई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाली ताकतें एक साथ हुईं और परिणामस्वरूप सत्ता परिवर्तन हुआ। इस देश के अंदर फिर बदलाव आया। उसके बाद के पांच वर्ष घोटालों के वर्ष रहे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि जब इस देश में उदारीकरण की नीति आई, उसके बाद कांग्रेस के जिन नेताओं के हाथ में देश की बागडोर रही, उस समय हर्षद मेहता ब्रीफ केस के काण्ड, बैंक घोटाला, डिसइनवैस्टमैंट घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, गुड़ घोटाला, टेलीफोन घोटाला, चारा घोटाला और संसद रिश्वत घोटाला हुआ। अब वह समय आ गया है कि हमें भ्रष्टाचार करने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष शुरू करना पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि ऐसा पहले भी हुआ था। आने वाले समय में भ्रष्टाचार करने वाले, भ्रष्टाचार को पनपाने वाले, भ्रष्टाचार का साथ देने वाले लोगों को देश की जनता उखाड़ फेंकेगी और जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने का संघर्ष कर रहे हैं, जो इधर बैठे हुए हैं, उन ताकतों को फिर से भारत की जनता हिन्दुस्तान की सत्ता की बागडोर सौपेंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

मान्यवर सभापति महोदय, एक उर्दू के शायर की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं –

"गुलिस्तां बरबाद होने को बस एक ही उल्लू काफी है।
अंजामे गुलिस्तां क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है।"

आज देश के कोने-कोने में भ्रष्टाचार है और इसका एकमात्र कारण यह है कि –

"जैसी होगी दृष्टि, वैसी करेंगे सृष्टि और जैसी मिलेगी शिक्षा. ....." वैसी प्राप्त होगी दीक्षा .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप शेर तो ठीक पढ़ दीजिए। आपने उल्टा कर दिया है। यह इस प्रकार है – "बरबादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।"

प्रो. रासा सिंह रावत : जी, हाँ।

"बरबादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा।"

इसके बारे में देश के हर कोने में चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान यदि कहीं हुआ है तो हिन्दुस्तान के गरीब आदमी को हुआ है। आज भी आजादी के 50 वर्षों के बाद .. ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश भारद्वाज (जमशेदपुर) : ये आसन के द्वारा कहे हुए शब्द हैं ?

सभापति महोदय : ये शेर हैं। किसी दूसरे को मैं नहीं कह रहा हूं।

प्रो० रासा सिंह रावत : आज अरबों रुपयों का विदेशी कर्जा हमारे देश के ऊपर चढ़ गया है। विकास के नाम पर हमने खरबों रुपये खर्च किये लेकिन उसका जो परिणाम आना चाहिए कि हर गांव के अंदर मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क हो, गांव के हर घर में रोशनी हो, हर घर में प्यास बुझाने वाला पानी हो, हर खेत में लहलहाती हुई फसल पैदा हो और नयी पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, वह आज नहीं है। स्कूलों के भवन बने हुए नहीं हैं लेकिन गांवों में सारी चीजों का अकाल

[प्रो. रासा सिंह रावत]

है। इसके लिए करोड़ों-अरबों रुपया जो हिन्दुस्तान में पैदा हुआ, यहां की जनता ने टैक्स देकर सरकार के हाथों में धन सौंपा या विदेशों में जो कर्जा हमने लिया, उस धन का देश में सही उपयोग नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ है कि आज "रोटी कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिन्दुस्तान", आजादी के पचास साल बाद भी यह स्थिति पैदा हो गई है। मैं कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार का कारण यह है कि आज व्यक्ति के चिन्तन में अंतर आ गया है। उसको जो शिक्षा दी गई, उस शिक्षा में यह था कि -

"टका ही धर्मः टका ही कर्मः
यस्ये टका नास्ति, सः टकटकायति।"

यह जो मनुष्य का दृष्टिकोण बन गया है, उससे मनुष्य अर्थप्रधान संस्कृति का पुजारी हो गया, भोगवादी संस्कृति का पुजारी हो गया। पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ है। पहले पैसा फिर भगवान - यह आदमी की मनोवृत्ति हो गई। इस कारण वह अनुचित साधनों से पैसा कमाने लग गया। उसका पतन शुरू हो गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से जहां श्री चौहान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करता हूँ, वहीं मैं चाहूंगा कि हमें भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्पन करना होगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए सबको त्याग के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य से सब राजनीतिज्ञों को दोष दे रहे हैं। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलते जाइए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर, ये कह रहे हैं कि धीरे बोलिये।

सभापति महोदय : आप धीमे बोलिये, धारा प्रवाह या जोर से बोलिए, आपकी इच्छा है। जैसे भी बोलिये लेकिन विषय पर बोलिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : विषय यही है कि यह सभा भ्रष्टाचार के ऊपर चिन्ता व्यक्त करती है और वह भ्रष्टाचार हमारे देश को खाने जा रहा है और इसलिए उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको संकल्प करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले हमें शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। .....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सत्ता पक्ष की ओर से काफी हल्ला हो रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : हमें नैतिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा और अच्छे संस्कारों की शिक्षा देनी पड़ेगी। हममें त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जियो और जीने दो का सिद्धान्त होना चाहिए, देश के लिए देशभक्ति का भाव होना चाहिए। ये सारे अच्छे विचार अगर शिक्षा में नहीं डोंगे तो फिर "हम रहें मस्ती में और आग लगे बस्ती में" वाली भावना सबके मन में घर कर जाएगी।

भ्रष्टाचार को पैदा करने के लिए सबसे पहले बड़े तीन मूल कारण हैं - लोकेष्णा, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा। वित्तेष्णा यानी दुनिया के अंदर मेरा नाम हो, खूब धन-संपत्ति, दौलत मेरे पास में आ जाए और मेरी संताने और सात पीढ़ियां उसका सुख भोगती रहें और यानी खूब सारा धन-दौलत आ जाए। समाज में -

"सर्वेगुणा कांचनम् आवयंति"

अर्थात सारे गुण कंचन, सोने का सहारा लेते हैं। जिसके पास में पैसा है वही समाज में बड़ा है।

"यश्यास्ति वित्तः सः नरः कुलिनः
सः पोवक्ता एव वक्ता, सच दर्शनीय"।

यह समाज की मनोवृत्ति हो गयी है कि जिसके पास पैसा है वही सबसे बड़ा है। दुनिया में वही आदरणीय है। इसी प्रकार हमारे नीतिकारों ने कहा है -

"अपूज्यः यत्र पूजयन्ते,
पूज्यानामतु व्यतिक्रमः,
त्रयि वर्तन्से दुर्भिक्षं मरणं, भंय।"

यानी जो पूजा, सम्मान और आदर के योग्य नहीं है, उनको पूजा, आदर और सम्मान दिया जाता है और जो वास्तव में सम्मान के लायक हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है। उनकी अवहेलना की जाती है, ऐसे समाज के अंदर तीन चीजें व्याप्त रहती हैं या तो दुर्भिक्ष, भूख ही पैदा होगी या मरणं, मौत की खबर आयेंगी या भंय, भय का वातावरण होगा। आज दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर ये सारी चीजें विद्यमान हैं। इसका एकमात्र कारण भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। लेकिन केवल राजनीतिज्ञों को ही भ्रष्टाचारी बताना और समाज के बाकी वर्ग अपने आपको दूध का धुला हुआ समझें, यह बात सही नहीं है।

सभापति महोदय : इस विषय में बहुत लोग बोलना चाहते हैं।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। समाज में चाहे वह रिश्वत लेने वाला व्यक्ति हो। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोषी के भागी होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि मई, 1997 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसमें यह निर्णय हुआ था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रशासन को भ्रष्टाचार से रहित बनाने के लिए एक नया व्यापक विधेयक लाया जायेगा और नौ सूत्री कार्यक्रम भी लाया जायेगा। उसके बाद अब तक क्या प्रगति हुई है।

सभापति महोदय, लोकपाल बिल की बड़ी चर्चा सुनते थे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बड़े पदों पर भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए लोकपाल बिल लाया जायेगा। लेकिन यह सत्र भी समाप्त होने का है और लोकपाल बिल के कहीं दर्शन नहीं हुए

हैं, उसका नामो-निशान भी नहीं है। महिलाओं का बिल तो 81वें संशोधन के साथ फिर भी है। लेकिन लोकपाल बिल जो भ्रष्टाचार की बीमारी को मिटाने वाला बिल है, समाज को शुद्ध बनाने वाला, राष्ट्रीय जीवन को पवित्र बनाने वाला बिल है, राष्ट्र का निर्माण करने वाला बिल है उसका कहीं अता-पता नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार लोकपाल बिल कब लेकर आयेगी। आज भ्रष्टाचार का दायरा व्यापक है। इसलिए इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हमें चिरकालीन लोक प्रशिक्षण देना पड़ेगा और जनप्रतिरोध का एक अभियान चलाना होगा। मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बिहार की जनता ने भ्रष्टाचारी शासक के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए और प्रबल जनप्रतिरोध चलाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान को सफलता अवश्य मिलेगी लेकिन इसके लिए सुदृढ़ नेतृत्व और चिरकालीन लोक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह काम कुछ जमातें और संत ही कर सकते हैं, जिनके पास समाज के विकास की निश्चित विचारधारा है। मैं समझता हूँ पिछले दिनों हमारे माननीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवानी जी ने गरमी, सर्दी, कड़ाके की धूप और ज्येष्ठ महीने की लू इन सबको सहते हुए केवल भ्रष्टाचार और भूख से इस देश को बचाने के लिए देश का जनता को जाग्रत करने के लिए और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए और आजादी का संदेश देने के लिए जो रथयात्रा की थी।

सभापति महोदय : आपको इस पर 15 मिनट का टाइम मिल गया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप और हम सब लोग मिलकर आज संकल्प करें कि 1997 का जो वर्ष है यह भ्रष्टाचार रूपी दानव का नाश करने वाला वर्ष होगा। यह जो ताकतें हैं .....*(व्यवधान)* सभापति महोदय, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वास्तव में एक कहावत है - चोर मचाये शोर, मैं कहावत कह रहा हूँ, मैं किसी माननीय सदस्य की बात नहीं कह रहा हूँ। जो जितना भ्रष्ट आचरण करते हैं, जो समाज के अंदर जितना भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, वे लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। मैं आपके माध्यम से देश की मीडिया को भी कहना चाहूंगा कि मीडिया को भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सतर्क होना होगा। आज भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता में आक्रोश पैदा करने की आवश्यकता है। जनता इसके प्रति उदासीन न बन जाए, अपितु भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हो। उसके अंदर ऐसी भावना पैदा करनी होगी। हमें सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में पारदर्शिता लानी होगी, तभी भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मैम्बर बिजनेस है। आप लोगों को अगर बोलना है तो लिखकर स्लिप भेज दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हम लोग प्रोटेस्ट में वाकआउट कर रहे हैं। हमारी और भी बहनें हैं जो वाकआउट कर रही हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक नहीं लिया गया इसलिए हम विरोध स्वरूप सभा का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 3.46 बजे

इस समय श्रीमती गीता मुखर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री पी.आर. दासमुंशी : सभापति महोदय, उनके समर्थन में मैं भी आधे घंटे के लिए सभा का बहिष्कार करता हूँ।

अपराह्न 3.46½ बजे

इस समय श्री पी.आर. दासमुंशी सभा-भवन से बाहर चले गए

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह प्राइवेट मैम्बर बिजनेस चल रहा है। आपको कल चुक पढ़नी चाहिए। आपके बराबर में मंत्री वर्मा जी बैठे हुए हैं, उनसे नियम समझ लीजिए।

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोबार (डिब्रूगढ़) : सभापति महोदय, बम्ब विस्फोट के बारे में उनका क्या कहना है *....(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। मैंने श्री रमेश चेन्नितला को बुलाया है।

....(व्यवधान)

श्री पवन सिंह घाटोबार : आज प्रातः जो रेल दुर्घटना हुई मैं उस बारे में रेल मंत्री से पूछना चाहता हूँ। उस दुर्घटना में छह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यह दुर्घटना आज सुबह हुई है किंतु रेलमंत्री ने अब तक सभा को इस बारे में सूचित नहीं किया गया है। उन्हें सभा में आकर स्वयं एक वक्तव्य देना चाहिए। यह दुर्घटना उत्तरी लखीमपुर में आज प्रातः 10 बजे हुई जिसमें छह से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गयी और अनेक लोग घायल हुए हैं। रेल मंत्री को सभा में आकर एक वक्तव्य देना चाहिए। यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। ऐसी दुर्घटनायें एक ही क्षेत्र में हो रही हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : रमेश जी जो बोलेंगे केवल वही रिकार्ड पर जायेगा।

श्री रमेश चेन्निथला : सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज हमारे समाज में जो दुर्दशा हम लोग देख रहे हैं उसके बारे में हमारे मित्र ने अभी विस्तार से बताया है। करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज हम लोग हमारी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। लेकिन हमारे देश व अन्य देशों में आज क्या स्थिति है। यह केवल भारत की ही बात नहीं है। दुनिया के अंदर किसी भी देश के बारे में आप लोग देखिये, कोई भी देश करप्शन से मुक्त नहीं है। करप्शन की वजह से आई.एम.एफ. का लोन रोके जाने की खबर हम लोगों ने अखबारों में पढ़ी है। हमारे देश के अंदर, दुनिया के देशों के अंदर यह एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए समाज में सख्ती तथा एकता होनी चाहिए। इन 50 सालों के अंदर हमारा देश प्रगति के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ा है। वास्तव में हमारे देश में बहुत सारी प्रगति हुई है। हम देश को मजबूत बनाने में कामयाब रहे हैं।

सभापति महोदय, हम लोग नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बातें हमें देखने को मिलती हैं, उन्हें हमें रोकना चाहिए, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आज हम लोग देश और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में अपने आपको असमर्थ पा रहे हैं। इस बारे में सारे राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सारे लोग आह्वान करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं है। आज स्थिति यह है कि सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह हमारी और देश की चिन्ता का प्रमुख विषय होना चाहिए।

सभापति महोदय, हमें अखबारों और अन्य मीडिया से सूचना मिलती है कि आज आम आदमी यह समझता है और सोचता है कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने अपने पंख जमा लिए हैं। यह एक यूनीवर्सल फिनामिना है। चाहे वह पाकिस्तान हो, जापान हो, फिलीपीन्स हो, कोरिया हो, सभी जगह यह व्याप्त है। हर देश को आज भ्रष्टाचार की वजह से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री को जेल भेजा जा रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फांसी पर लटकाया जा रहा है, कहीं हम देखते हैं कि किसी मंत्री के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, कहीं हम देखते हैं कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ केस चल रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ केस चल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि दुनिया के समाज के हर अंग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे किसी देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, चाहे किसी देश में मिलिट्री रूल हो और चाहे किसी देश में औटोक्रेटिक सिस्टम हो, सभी तरह के सिस्टमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर चुका है।

सभापति महोदय, हमें भ्रष्टाचार के ऊपर साइंटीफिक तरीके से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार किस रूप में है। आज सिर्फ पैसे के लेन-देन को ही भ्रष्टाचार नहीं कहते हैं, भ्रष्टाचार के अन्य कई तरीके और रूप हैं। भाई-भतीजावाद और पक्षपात भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए हमें हर दृष्टि से इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हर प्रकार से आगे आना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि सब लोग धन के बारे में ही चिन्ता करते हैं। आज धन ही सब कुछ है। धन के पीछे आज दुनिया भाग रही है। हमें धन के साथ-साथ अपने देश के आदर्शों और मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा देश जहां एक तरफ ग्लोबलाइजेशन और लिब्रलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, वहीं हमें अपने देश की महान परम्पराओं को नहीं भूलना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश की महान परम्परा रही है, लेकिन हम हमेशा आर्थिक स्थिति को ही देखते हैं और विचार करते हैं। हमें अपनी आर्थिक स्थिति पर जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ जो हमारे मौलिक सिद्धान्त हैं और जिन्हें आज हम भुला रहे हैं, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें गांधी जी ने जो सिखाया, हमारे देश के महान् नेताओं ने जो सिखाया और जिस रास्ते पर इस ववदेश को चलाया, हमें उस रास्ते पर इस देश को आगे ले जाना है। हमें हमेशा अपने रास्ते का ध्यान रखना चाहिए और यह भी देखते रहना चाहिए कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं या नहीं। यदि हमारी नई पीढ़ी उस रास्ते पर नहीं जा रही है, तो हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने देश की पुरानी और महान् संस्कृति, परम्परा और मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे देश में चुनाव की जो प्रणाली है, उसमें बहुत दोष हैं और सबसे पहले भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। कोई राजनीतिक दल इस देश के ऊपर नहीं है। देश के अंदर करप्शन का मूल कारण चुनाव प्रणाली है। जो भी व्यक्ति चुनाव के मैदान में उतरता है, उसको पेसे की जरूरत पड़ती है। वह पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है और चुनाव में उसे खर्च करता है। वह पैसा उसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों से, अन्य लोगों से व काला धंधा करने वालों से प्राप्त होता है। जो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही व्यक्ति जीतता है। ....*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति जी, मिनिस्टर साहब नहीं हैं।

सभापति महोदय : आप खुद मिनिस्टर के बगल में बैठे हैं, मिनिस्टर की बैंच पर बैठे हैं और आपको मिनिस्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं।

[श्री वसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 3.56 बजे

श्री रमेश चेन्निथला : जो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही व्यक्ति जीतता है, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेम्बली का हो।....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया-बिहार) : सभापति जी, दो बातें आपत्ति के लायक हैं। एक तो इन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक

दलों के लोग चुनाव में भ्रष्टाचार करते हैं। कम से कम आप वामपंथी दलों को देखने का काम करें।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : हमें मालूम है कि वामपंथी दलों ने क्या किया है।

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, वही जीतता है। ....*(व्यवधान)* हमने चुनाव में बहुत कम पैसा खर्च किया है और जनता ने वोट देकर हमको इस हाऊस में भेजा है। ....*(व्यवधान)* मैं सबूत खड़ा हूँ।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : इस देश के अंदर वामपंथी दलों ने रूस से पैसा लिया है।....*(व्यवधान)* इस बात के सबूत हमारे पास हैं।....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : सभापति जी, सभी राजनीतिक दलों को कार्यवाही से निकाल दीजिए।....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति जी, मैं किसी राजनीतिक दल या सभी दलों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ....*(व्यवधान)* मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जनरल बात कर रहा हूँ। ....*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : आप इसको कार्यवाही से निकाल दीजिए।

सभापति महोदय : सभी राजनीतिक दल बोलना ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ। मैं वामपंथी दलों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमारी लड़ाई तो वामपंथी दलों से ही है। हम लोग जानते हैं कि उनके क्या कार्यक्रम होते हैं और कैसे वे काम करते हैं। यह हम सब लोग जानते हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। हम सब कुछ जानते हैं।. ...*(व्यवधान)* बिहार से ज्यादा कम्युनिस्ट केरल में हैं।....*(व्यवधान)* आप मुझे मत समझाइये कि कम्युनिज्म क्या है?

सभापति महोदय : रमेश चेन्नितला जी, आप इधर देखकर बोलिये।

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति जी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं किसी दल के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आज समूचे देश की जो हालत है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, उसके बारे में सभी दलों को सोचना चाहिए। केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। इसके क्या कारण हैं, इसके ऊपर हमें विचार करना है और किसी नतीजे पर पहुंचना है। इसलिए हमारे मित्र जो रेजोल्यूशन इस सदन में लेकर आये हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि चुनाव प्रणाली से इस देश को सबसे बड़ा खतरा है। आज के हालात में साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति बहुत कठिनाई से चुनाव जीतकर आते हैं। आजकल राज्य सभा का मैम्बर बनने के लिए एक उद्योगपति कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और एम.पी. बन जाता है, पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है, जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है।....*(व्यवधान)* आज यह राजनीति के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि मैं इस सिस्टम के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ।....*(व्यवधान)* लोक सभा और राज्य सभा के ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। आज समाज के हर अंग को, हर राजनीतिक पार्टी को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, नहीं तो हमारा जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वह खत्म हो जायेगी।

अपराह्न 4.00 बजे

मैंने यह इसलिए कहा है कि केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। इसका मुकाबला करने के लिए सबको एक साथ लड़ना चाहिए। लोकपाल बिल के बारे में सदन में बहुत अच्छा हुआ, प्रदेश असेम्बलियों में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, एम.एल.एज., मंत्री अपने ऐसैट्स डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा सुझाव है कि जो हमारी चुनाव प्रणाली है, उसे ठीक तरह से अमल में लाना चाहिए और उसमें जो भी लूपहोल्स हैं, उन्हें ठीक से मिटिगेट करने के लिए विचार करना चाहिए। एम. पीज., एम.एल.एज. को इलैक्शन्स से पहले अपने ऐसैट्स डिक्लेटर करने चाहिए।

हमारे मित्र ने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। आजकल किसी भी सिनेमा या नाटक में आप देख लें, उसमें लोगों को हंसाने के लिए पात्र को राजनैतिक नेता के रूप में पेश किया जाता है। वह लोगों के सामने बफून के वेष में आते हैं। इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना चाहिए। चाहे लोकपाल बिल हो या अन्य कोई विधेयक हो, उसे पारित करना चाहिए ताकि कानून के जरिए इस बीमारी को हम रोक सकें। केवल कानून पारित करने से ही यह बीमारी खत्म नहीं होगी। समाज में इसके खिलाफ एक नई जागृति पैदा करनी होगी तभी इस बीमारी को रोका जा सकता है। लोगों में एक ऐसी जागृति आनी चाहिए कि हम न पैसा लेंगे और न ही देंगे।

इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस रैजोलूशन को जरूर पास करना चाहिए ताकि इस समाज में एक नई जागृति पैदा हो और हम इस बीमारी से लड़ सकें।

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस रूल के तहत उठा रहे हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : नियम 193 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सवाल पर बहस होनी थी। वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : अभी तो प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस चल रहा है। साढ़े तीन बजे से छः बजे तक का समय प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस का है।

....(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

सभापति महोदय : इस समय हम दूसरा कोई बिजनेस नहीं ले सकते हैं। आप प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस में इसे कैसे लाएंगे।

....(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमें उसे पेश करने की अनुमति दे दी जाए।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आज की लिस्ट ऑफ बिजनस में यह नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : है।

*....(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप सब बैठिए। केवल एक सदस्य ही बोले।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस चल रहा है। आपको जिस समय बोलना चाहिए था, जिस समय इसको रेज करना चाहिए था, आपने नहीं किया।

कुंवर सर्वराज सिंह : हमने रेज किया था, लगातार बोल रहे हैं। लेकिन उस वक्त महिला आरक्षण विधेयक के बारे में चर्चा चल रही थी।

सभापति महोदय : 193 के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। कैसे कर सकेंगे।

कुंवर सर्वराज सिंह : आप हमें एक बार बुला लें, फिर उसके बाद अगले सत्र में रख दीजिए।

सभापति महोदय : फिर नोटिस दें।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को चालू रखिए, लेकिन हमें एक मिनट का समय दे दें।

सभापति महोदय : कैसे हो सकता है, यह नियम है। छः बजे तक सदन चलने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आपका इस पर नियमन आना चाहिए।

सभापति महोदय : हाउस नियमानुसार चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप अपने नियम के तहत नियमन दे दीजिए कि 193 के तहत बहस कब होगी।

सभापति महोदय : छः बजे के बाद, प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस के बाद देखा जाएगा।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : नहीं देखा जाएगा। कोई व्यवस्था दे दें, स्पष्ट बता दें।

सभापति महोदय : अभी मैं नहीं कह सकता। छः बजे हम देखेंगे कि क्या होना है।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क : उत्तर प्रदेश की स्थिति गम्भीर है।

सभापति महोदय : हम भी जानते हैं कि गम्भीर है इसीलिए इसको आज की लिस्ट आफ बिजनेस में लिया गया है।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*....(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप बैठिए। आपका व्यवस्था का सवाल था।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : पप्पू यादव जी, सुखदेव जी, आप बैठिए। आसन पैरों पर है इसलिए आपको बैठना चाहिए। आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए कार्यसूची में आया है। लेकिन समय तय नहीं हुआ।

....(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप बैठिए और सुनिए। समय तय नहीं हुआ। यह जो समय चल रहा है, यह प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का है। इसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। इसको खत्म होने दें।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले मेरी बात सुनें। इसको खत्म होने दें। जब छः बज जाएंगे, फिर रेज कीजिए, तब देखा जाएगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप कह दें कि छः बजे के बाद समय दिया जाएगा।

सभापति महोदय : अभी हम यह निर्णय नहीं दे सकते।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : छः बजे आप हाउस रोक दीजिए।

सभापति महोदय : उस समय रेज़ कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : लेकिन यह नियमन आ जाना चाहिए।

सभापति महोदय : पप्पू जी, आप बैठिए।

....(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं।

*....(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

कुंवर सर्वराज सिंह : मुझे एक मिनट का समय दे दें।

सभापति महोदय : मैं एक सेंकड का भी समय नहीं दूंगा। हाउस नियमानुसार चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। किसी की जब मर्जी हो वह कह दे कि हमारा विषय है और हम उठाएंगे। यह नहीं हो सकता। अभी सदन में प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस चल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि इस दौरान दूसरा विषय चला हो, यह कभी नहीं हुआ।

डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क : बाद में ले लीजिएगा।
....(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने तो बोला है। आप सुन नहीं रहे हैं। जब घड़ी में छः बज जाएंगे, उस समय उठाइएगा। हम हाउस की राय ले लेंगे कि सबका हो गया है। ठीक है। आप दे दीजिएगा। एक मिनट बोलकर खत्म हो जाएगा।

श्री सुव्रता मुखर्जी (रायगंज) : सभापति जी, आज 14 अगस्त 1997 है। हम देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर प्राइवेट मैम्बर्स रिलोल्यूशन को मूव किया गया है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश के भंयकर संकटों में से सबसे अधिक भयंकर संकट के रूप में उभरकर सामने आया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। जिस समय हम आजादी की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं, उस समय यह रिजोल्यूशन लाया गया है। उसके साथ सहमति रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक नमूना आज हमारे देश में कायम करके हम बैठे हैं जो भ्रष्टाचार का एक रोज का सिलसिला हो गया है। इसमें सर्वोच्च प्रतिष्ठान भी शामिल हो चुका है। ऐसी हालत आज हम देश में उत्पन्न कर चुके हैं।

हमारे देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, हम उनकी बातों को स्मरण कर रहे हैं। उस पर ही इस लोक सभा में स्पेशल बहस होगी जिसमें पांच मामलों पर आलोचना करेंगे लेकिन आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, जिन्होंने हंसते-हंसते अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे, क्या देश को आजाद कराना ही उनका एकमात्र मकसद था ? क्या इसी मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान देश के लिए गंवा दी थी ? इसलिए आज हमें उनके विचारों, ख्यालों का अनुभव करना पड़ेगा। उनमें सबसे जरूरी एक बात थी - उनका देश के प्रति आदर, जो उन लोगों में अटूट था। एक अनुशासन की भावना जो उनमें अपार थी। आज हमें उनकी बातों का स्मरण करना पड़ेगा और हमारे अंदर जो गंदगी प्रवेश कर चुकी है, समाज के चारों तरफ जो भ्रष्टाचार की गंदगी फैल चुकी है और जिसमें सर्वोच्च पदों पर रहने वाले लोग भी इन मामलों में शामिल हो चुके हैं, ऐसी हालत हो गई है तथा कई मामलों में यह बात सांफ भी हो चुकी है, इन सब पर विचार करना पड़ेगा।

मैं रमेश चेन्नित्तला जी का बहुत आदर करता हूँ। अभी इन्होंने अपने देश के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला। विदेशों में जापान और जर्मनी आदि देशों में करप्शन की जो हालत है, उसके बारे में हाउस का ध्यान ज्यादा आकर्षित किया। हमारे देश में जो आज हालत हुई है, उस पर चिंता करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक ही टिप्पणी जरूर की और किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया लेकिन बोलते-बोलते एक बात जरूर कही कि ऐसा कोई राजनैतिक दल नहीं है जो करप्शन नहीं करता।

हम इस मामले में साफ बोलना चाहते हैं। अपने दल की मिसाल देते हुए, उन्होंने बहुत कुछ बातें कहीं। कहा कि हम केरल से आते हैं और वहां पर वामपंथी दल की सरकार है। वहां की स्थिति के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वामपंथी दल किस तरह से चलते हैं। हर एक वामपंथी दल के सदस्य को लैवी के तौर पर महीने भर के उपार्जन का एक हिस्सा पार्टी को देना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या आप किसी ऐसे दल की मिसाल दे सकते हैं ?....*(व्यवधान)* यह सिर्फ लोक सभा में ही नहीं, बल्कि नीचे तक, जो ब्रान्च लैवल के भी सदस्य हैं, सभी को पार्टी फन्ड में पैसा देना पड़ता है। जब इलैक्शन आता है, तो इलैक्शन के दिनों में कम से कम एक दिन का जितना उपार्जन होता है, सब कुछ मिलाकर पार्टी में देना पड़ता है। यह सही है कि कुछ सदस्य ज्यादा भी देते हैं। यह पैसा मजदूरों को भी देना पड़ता है। हमारी पार्टी का नियम है और सदस्य बने रहने का यही तरीका है। इस

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुव्रता मुखर्जी]

तरीके से हम पैसा वसूल करते हैं। इस प्रकार पैसा इकट्ठा करके हम इलैक्शन लड़ते हैं। हमने इलैक्शन कमीशन को भी खर्च की रिपोर्ट दी है और उन्होंने भी वामपंथी दल के बारे में यह नहीं कहा है कि उन्होंने हिसाब नहीं दिया है। आपकी नज़र में ऐसी कोई बात है, तो आप बताइए। हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आपको इस प्रकार की बात को कहने का साहस नहीं है। दूसरे दलों के बारे में इलैक्शन कमीशन ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं।

जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, आप किसी एक दल के बारे में भी बता सकते हैं, जिसने अपने आय और व्यय का सही हिसाब दिया हो? हम कह सकते हैं कि हमारे दल ने ब्रान्च स्तर तक अपनी आय और व्यय का हिसाब दिया है। वामपंथी दल के लोगों ने इनकम टैक्स का हिसाब अभी तक साफ रखा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, जहां तक हो सका है, हमने अपने दल के आय और व्यय के हिसाब को साफ रखने की कोशिश की है। समाज में यह व्याधि और रोग फैल गया है। राजनेता से शुरू होकर सरकारी अधिकारियों में यह भ्रष्टाचार का मामला फैल गया है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में नहीं घुसेगा। लेकिन हमारे दल ने उसको सख्ती से सुधारने का काम किया है। हमारी पार्टी ने पिछले दो महीनों में 800 कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के कारण निकाल दिया है। क्या ऐसी कोई पार्टी है, जिसने भ्रष्टाचार का वजह से पार्टी से निकाल दिया हो? आप ऐसी कोई मिसाल नहीं दे सकते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : दूसरे दलों के कार्यकर्ता भ्रष्ट नहीं हैं, लेफ्ट के ही भ्रष्ट हैं।

श्री सुव्रता मुखर्जी : हम किसी दल पर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। किसी दल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : आप इस पर अपनी राय दीजिए कि भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है, उसको कैसे रोका जाए। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बार-बार बोल रहे हैं, जब आपकी बारी आए, तो बोलिएगा।

श्री रमेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य को भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलना चाहिए। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में वे काफी अनुभवी व्यक्ति हैं....*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : आरोप-प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार दूर होने वाला नहीं है।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए।

श्री सुव्रता मुखर्जी : महोदय, किसी सदस्य पर मैंने टिप्पणी नहीं की है। मैंने किसी पार्टी का तरफ इंगित नहीं किया है।

सभापति महोदय : वह अपने विचार रख रहे हैं। आप भी इस पर अपने विचार रखना।

श्री सुव्रता मुखर्जी : रमेश चेन्नितला जी ने जो प्रश्न उठाए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनकी बात सुनिए। वह बढ़िया हिन्दी बोल रहे हैं।

श्री सुव्रता मुखर्जी : दसवीं लोक सभा में सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों के खिलाफ बार-बार भ्रष्टाचार के जितने आरोप लगे, उतने इससे पहले की किसी लोक सभा में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और इतने मामले में नहीं उठे। इस लोक सभा में भ्रष्टाचार का बार-बार सवाल उठा। हम आजादी के पचासवें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले की किसी लोक सभा पर भ्रष्टाचार का मामला यहां डिसकस नहीं हुआ। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ज्वांइट सिलैक्ट कमेटी बनायी गई थी। उसने बहुत मेहनत करके सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दी। उसमें सभी पार्टियों के लोग थे। उसमें बी.जे.पी., कांग्रेस और हमारे दल के लोग थे। राम निवास मिर्धा जी ने इससे संबंधित एक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी थी। हमने उस रिपोर्ट पर चर्चा भी की। सरकार ने उसे स्वीकार भी किया लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय की सरकार न उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने उस रिपोर्ट में सिस्टम को रिस्पांसिबल कहा था। उन्होंने किसी व्यक्ति को रिस्पांसिबल नहीं कहा था। जहां तक मुझे याद है, वह 110 पृष्ठ की रिपोर्ट थी। उसमें कुछ आदमियों और संस्थाओं की ओर खास तौर पर इंगित किया गया था। पता नहीं उस समय की सरकार की क्या मजबूरियां थी कि उसने कहा कि वह इसमें किसी को दोषी ठहरा नहीं सकती। इसलिए उनको सजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा सिस्टम ही इसके लिए उत्तरदायी है। इसे पहले बदलना पड़ेगा। हम इस बात से पहले भी सहमत नहीं थे और आज भी सहमत नहीं हैं। भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है तो दो-चार उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के सवाल पर एक माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाए, उसे पकड़ कर गोली मार दी जाए। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ....*(व्यवधान)* हमारे देश में जो भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ।....*(व्यवधान)*

यह जो प्रस्ताव हमारे साथी लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस तरीके से कोई संस्थान और प्रतिष्ठान नहीं चल सकता है। देश तो बहुत बड़ी बात है। भारत देश की महान देश के साथ तुलना की जाती है। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, इसकी जनसंख्या और मौसम सब को ध्यान में रखते हुए इसे महान देश कहा जाता है। भारतवर्ष आने वाले दिनों में समूचे एशिया को रास्ता दिखा सकता है। हमने सार्क के जरिए कई अच्छे कदम उठाए हैं। सही रास्ता दिखाने लायक जगह पर अगर हमें पहुंचना है और उसे सही दिशा देनी है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। यह हमारे देश को खोखला कर रहा है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इस मामले में किसी के प्रति नरमी बरतना ठीक नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय : गिरधारी लाल भार्गव। क्या आप उस दिन बोल चुके हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : नहीं, बिल्कुल नहीं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सभापति जी, बी.जे.पी. की तरफ से बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : प्राईवेट मैम्बर बिजनैस पार्टीवाईज नहीं होता है। जो नाम देंगे, वही बोलेंगे।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या हमें समय मिलेगा?

सभापति महोदय : जरूर मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सारा सदन आपका ही है, हमारा तो है नहीं। हम तो छोड़कर चले जायेंगे।

सभापति जी, माननीय सांसद श्री श्रीराम चौहान द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सौभाग्य से आज का दिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए बड़ा उपयुक्त है। आज रात भारत की आजादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन पचास वर्षों में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस पर विचार होगा। आज ही पं० जवाहर लाल नेहरू और 2-3 अन्य वक्ताओं के भाषण कैसेट पर सुनने को मिलेंगे। मेरा कहना यह है कि महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और देश के लिए कुर्बान हो गये, भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई और उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया, क्या उन्होंने आज का दिन देखने के लिये हमें आजादी दिलवायी थी? उनकी आत्मायें स्वर्ग में बैठी हुई रो रही होंगी। संसद भवन के बाहर महात्मा गांधी का स्टैचू है जिसमें वे अपने माथे पर हाथ रखकर देख रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? पचास साल में हमने पाया है कि देश में भ्रष्टाचार हर अंग में, नीचे की उंगली से लेकर ऊपर खोपड़ी तक समा गया है। यदि यह कहा जाये कि भ्रष्टाचार का मानवीकरण हो गया है तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। इसलिये इस संबंध में हमको विचार करना जरूरी है।

सभापति महोदय, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त को भारतवर्ष आजाद हुआ था। आज रात्रि 12 बजे संसद के केन्द्रीय कक्ष में भारत की 50वीं वर्षगांठ पर नेता विचार करने के लिये उपस्थित होंगे। लेकिन आज समाज रो रहा है और जनता दुखी है। यदि टी.वी. खोलें तो अच्छे गाने नज़र नहीं आयेंगे। नजर आता है तो केवल यह कि फला आदमी फंस गया, फलां पर हवाला कांड आ गया और अदालत ने यह फैसला दिया कि फलां कर्मचारी चोर है, गड़बड़ है और इतना पैसा खा गया है यानी करोड़ों रुपया खा गया। आज तक देश में 27 घोटाले हुये हैं। और पहला घोटाला गुड़ से शुरू हुआ था। गुड़ मीठा होता है। गुड़ से चारा तक आ गये जो कड़वा होता है। अब इस देश का क्या होगा? लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है। लोग राजनीति से नफरत करने लगे हैं। मेरे घर पर भी लोग आते हैं और मुझसे लोक सभा के पास के लिये कहते हैं। मैं कहता हूँ कि यदि एक घंटा भी लोक सभा में आकर हमें लड़ता हुआ देखोगे तो तुम लोग आओगे नहीं। आज यदि चौपाल पर या घर में कोई झगड़ा होता है तो पूछते हैं क्या यह लोक सभा है, क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि लोग लोक सभा और विधान सभा को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

सभापति महोदय, आज नेता शब्द की परिभाषा बदल गई है। नेता तो सुभाष चन्द्र बोस थे, जिस आदमी ने कुर्बानी दी। यदि कोई धौली टोपी लगाये, देश के लिये मर मिटे और भारतमाता पर अपनी जान न्यौछावर कर दे, वह नेता कहलाते थे। आज यदि कहा जाता है। 'आओ नेता जी' तो नेता जी का मतलब माँ बहन की गाली के समान है। वह नेता बनने के काबिल नहीं कहलाता है। आज नेता शब्द की परिभाषा पचास साल में बदल गई है।

आज रात्रि को हमें इस संबंध में विचार करना चाहिए। देश के विकास में भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ा बाधक हो गया है। आप भी हिन्दू धर्म में विश्वास करने वाले हैं। जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था तब की बात मैं बताता हूँ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा था कि भगवान कहां है। उन्होंने कहा था कि तुझमें, मुझमें, खड्ग में, खंभे में सब में परमात्मा वास करता है। आज भ्रष्टाचार भी इसी तरह से तुझमें, मुझमें, खड्ग में और खंभे में खड़ा है। इस खंभे में भी शायद कोई इंजीनियर पैसा खा गया होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। यदि भारत के संविधान के अनुसार चुनाव होता तो उसमें भी आज भ्रष्टाचार पैदा हो गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि संसद में आकर जब हम यहां सौगंध खाते हैं, चाहे हिन्दी में खाते हैं, उर्दू में खाते हैं या अंग्रेजी में खाते हैं तो मुझे लगता है कि वह सौगंध खाते समय एक अंटी लगा लेते हैं। कहते हैं अंटी लगाने के बाद कसम का असर खत्म हो जाता है। हूँ तो मैं चोर, बेईमान, लेकिन अंटी खाते हैं तो हमारे ऊपर असर नहीं होगा। वह पांव पर पांव रख देगा। उससे सौंगध का असर खत्म हो जाता है। सारे एम.एल.ए., सारे एम.पी. अंटी लगाकर सौंगध खाते हैं और भारत के संविधान के अनुसार सच्ची शपथ नहीं खा रहे हैं।....*(व्यवधान)*

श्री सैयद मसऊद हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आप सबके लिए मत कहिए। आप ऐसे हो सकते हैं। मैं नहीं हूँ।....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने सबके लिए नहीं कहा है। आप लोग क्यों उखड़ रहे हैं?

श्री शत्रुघन प्रसाद सिंह : आप अंटी चढ़ाकर कसम खाते हैं। हमें उसमें शामिल मत करिये।....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ....*(व्यवधान)* अगर आप ईमानदारी से शपथ खाते हैं तो आप पर यह बात लागू नहीं होती।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

लेकिन 99.9 प्रतिशत सदस्यों पर यह बात लागू होती है। आखिर हम लोग भी जो यहां आए हैं, ईमानदारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वाले चुनकर आए हैं। हममें कोई भी आदमी गलत होगा तो अगली बार वह नहीं आएगा। इसलिए ईमानदारी से देश के संविधान के अनुसार भारतमाता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई है। कोई गड़बड़ होगी तो इतनी संख्या में नहीं आएगी। इसलिए आप गर्मी मत खाइए।....*(व्यवधान)* जब बच्चा पैदा होता है, तो वहीं से भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। अस्पताल में मौ को भर्ती कराना हो, पंखे के नीचे खाट चाहिए, दूध चाहिए, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है और बच्चा जब स्कूल में एडिमीशन के लिए जाता है तो भी भ्रष्टाचार होता है। प्राइवेट स्कूल वालों को डोनेशन देनी पड़ती है, उसकी बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है। फिर सरकारी नौकरी के लिए भ्रष्टाचार होता है। वह भी मिलेगी तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को। सवर्णों को नहीं मिलेगी। वहां पर भी भ्रष्टाचार है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त भ्रष्टाचार है। कमाओ तो टैक्स दो और मर जाओ तो भी आपकी राख तब उठेगी जब इनकम टैक्स का हिसाब पूरा चुकता होगा। इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से हमने बात की थी कि यदि प्राइम मिनिस्टिर साहब ईमानदार हैं, मैं वर्तमान प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा। लोक सभा में बार-बार कहा गया कि लोकपाल बिल लाया जाए। हर सरकार कहती है कि लोकपाल बिल लाएँगे। आखिर यह लोकपाल बिल क्या है मैं सत्तारूढ़ दल के लोगों से पूछना चाहता हूं। अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा सरकार पीटना चाहती है कि संयुक्त मोर्चा की 15 दलों की सरकार है और सब ईमानदार हैं। बेईमान तो हम हो गए, अछूत तो हम हो गए, मुसलमानों से घृणा करने वाले तो हम हो गए। हम पर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी एक ओर और यह ईमानदार के बच्चे एक ओर हो गये हैं। इसलिए मैं ईमानदार लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आप ईमानदार हो तो लोकपाल बिल क्यों नहीं लाते हो....*(व्यवधान)* इसको आपको लाना चाहिए। जब स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश कर दी है तो आपको बिल लाना चाहिए और अगर नहीं लाओगे तो अगली बार जनता आपको देख रही है। मैं समझता हूं कि आप लोकपाल बिल लायें। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन सारी बातों के साथ आज यदि हम रेडियो पर सुनते हैं तो हवाला कांड पर अपील कर रहे हैं। श्री मदन लाल खुराना का नाम फिर से आ गया। आडवाणी जी को फिर से घसीटा जा रहा है। जबकि उनको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता भी उसमें हैं आज हवाला कांड ही क्या, टी.वी. पर देखें तो रोजाना फलां-फलां कांड हो रहे हैं। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि आज कोर्ट भी इन सारी बातों में व्यस्त हैं और आज यदि हम लोक सभा में देख लें तो लोक सभा में भी मिलावट आ गई है। आज लोक सभा में 23 तारीख से लेकर आज तक केवल बिहार-बिहार ही हो रहा है। जैसे केवल हिंदुस्तान में केवल बिहार की ही संसद रह गई है। बिहार की संसद अलग से बना दी जाए तो शायद ठीक होगा। बिहार में चोरी को साफ करने के नाते लालू प्रसाद जी ने काम किया, राज तो उनका बन गया। मैं समझता हूं कि ईमानदारी को लाने के नाते बिहार-बिहार हो रहा है। ....*(व्यवधान)* श्रीमान जी, आप बैठ जाइये....*(व्यवधान)* लालू प्रसाद जी की आपने बड़ी भारी सेवा की है, लेकिन उन्होंने आपको मंत्री, संत्री नहीं बनाया है। रामकृपाल जी मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगली बार आप लोक सभा में नहीं आओगे। यह आप सुन लीजिए।....*(व्यवधान)* अगली बार आप साफ हो जाओगे। ....*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं आपकी पार्टी को दो बार हराकर आया हूं। इस बार आपकी जमानत नहीं बचेगी और आप लोगों का कहीं अता-पता नहीं रहेगा।....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि लोक सभा को बिहार की सभा में बदलना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु विनिमय विधेयक जो अभी आपके सामने आना था आवश्यक वस्तु विनियम विधेयक यह भी भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण है। सरकार ने हमारे प्रधान मंत्री जी से मिलने के बाद, द्रोण साहब प्रधान मंत्री जी से मिले, मैं मिला और रमेश जी भी मिले....*(व्यवधान)* लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्री गुजराल साहब की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि छः महीने के लिए मैं इसका समय बढ़ा देता हूं, मैं भी लोगों को सजा नहीं देना चाहता हूं। मैं भी ठीक प्रकार से काम करना चाहता हूं परंतु यह चमचे करने दें तभी तो काम होगा। ये बार-बार गुजराल साहब को कोसते हैं। अभी 15 अगस्त को उन्हें झंडारोहण करना था। अब आप उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते हैं। श्रीमान गुजराल साहब 15 तारीख को लाल किले पर झंडा फहरायेंगे। उसके बाद भले ही आप उन्हें 16 तारीख को उतार दो। जिस प्रधानमंत्री को आप झंडा नहीं फहराने देना चाहते थे उन्होंने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब आप करम पकड़कर रो, हम तो झंडा फहरा चले। अब 16 तारीख को लोक सभा भंग हो जाए, उनको परवाह नहीं है।

सभापति महोदय : भार्गव जी, समाप्त कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी पांच सौ करोड़ रुपया साल का यह सरकार उन व्यापारियों से खा रही है और उनसे पैसा खाने के नाते प्रधानमंत्री के आश्वासन देने के बावजूद भी इसमें संशोधन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि खाद्य मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह वह भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के व्यक्ति थे। वह प्रधान मंत्री का कहना नहीं मान रहे हैं। इसलिए आज व्यापारी दुःखी हैं। अपराधियों को फांसा जाता है, उनको सजा दी जाती है और उनको सजा नहीं हो पाती है। आखिरकार ऐसे सारे काले कानून का विरोध करने के लिए हमने यहां पर बात की तो आपने हमारी बात नहीं मानी। अभी आप कुछ और पैसा खाना चाहते हैं। पांच सौ करोड़ में से सौ, दो सौ करोड़ खा लो, दो-चार दिन में खा लो, 6-7 दिन में खा लो। लेकिन यह खाना-पीना नहीं चलेगा। भारत की जनता जागरूक है और वह फंसने वाली नहीं है। सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार

मिटाओ, यह हमारा मुद्दा है। आज जनता में निराशा है और जनता इस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती है। भ्रष्टाचार उन्मूलन विधेयक इस सदन में आना चाहिए, इसलिए मुहिम चलेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक आज देश भ्रष्टाचार में लिप्त है।

सभापति महोदय, मुझे इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहना है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि हम सब आपस में आत्म चिन्तन करें और देखें कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, हम जनता की कितना सेवा करते हैं, हम जनता से क्या लेते हैं और हम जनता को क्या देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव को यहां पर प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं और आज पन्द्रह अगस्त की पूर्व संध्या पर हम इस सदन में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं इसके लिए मैं सभापित महोदय आपको और सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमें यहां पर यह विचार करना पड़ेगा कि देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटे। जब तक हम अपने देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बस मुझे आपसे यही अनुरोध करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए आवंटित समय दो घंटे था। हमें समय को बढ़ाना होगा। क्या सभा यह चाहती है कि सभा के समय को दो घंटे बढ़ाया जाए।

कई माननीय सदस्य : हाँ।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कालपुर) : हमें शुरू में केवल दो घण्टों के लिए समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि इस समय हमारे पास दो घंटे नहीं हैं।

सभापति महोदय : वक्ताओं की लम्बी सूची मेरे पास है। यह अगले सत्र में जाएगा। इसीलिए, समय को दो घंटों के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति, महोदय, इस सभा में भारी शोर-शराबे और हंगामें के बीच जब मैं जीवन की सभी गतिविधियों में भ्रष्टाचार के बारे में अपनी बात कहने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं आत्मावलोकन करता हूं। इस बात का आत्मावलोकन कि : क्या मैं यह कहने के लिए सक्षम हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है या नहीं? यह विशेष रूप से इसलिए उचित है क्योंकि मेरे सहयोगियों पर संसद के भीतर और बाहर भिन्न-भिन्न तरीकों से पैसा ऐंठने के आरोप लग रहे हैं चाहे वह गैस का कूपन हो, चाहे टेलीफोन कनेक्शन या फिर मकान को सबलेट करने का मामला हो या कोई और मामला हो।

जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मुझे लोग पाखण्डी कह सकते हैं। अब वो दिन नहीं रहे जब इस समाज ने विश्व में यह उद्घोषणा की थीः

"नयन व्यक्तेन भुंजिया, मैं गृहाः कवयविव धनम"

अर्थात् वस्तुओं का त्याग कीजिए और आपको उसका आनन्द मिलेगा। उन्हें अपने लिए ही प्राप्त नहीं कीजिए। यह एक उपनिषद् का श्लोक है। आज आप हम पर दृष्टिपात कीजिए? हमारे अन्दर संग्रह करने की प्रवृत्तियाँ आ गई हैं और यही हमारे जीवन का प्रमुख पहलू बन गया है। मैं आपसे महाभारत को पढ़ने का आग्रह करता हूँ जहां धर्मवक् युधिष्ठर से यह प्रश्न पूछता है :

"किमाश्चर्यम्

और युधिष्ठर का प्रसंगोचित उत्तर था :

"अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम्
शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति किमश्चर्यम अतः परम्।"

अर्थात नश्वरों को सर्वाधिक अचम्भे में डालने वाली बात यह है कि वे संग्रह की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं, धनार्जन करते है, मकान बनाते हैं और साम्राज्य के निर्माण का प्रयास करते हैं और अन्ततः वे शमशान भूमि में खाली हाथ चले जाते हैं। इससे ज्यादा अचम्भे वाली बात और क्या हो सकती हैं? यही सब आजकल घटित हो रहा है।

इन विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के पहले मैं अपने एक व्यंग्य, जिसे मैंने लगभग बीस वर्ष पहले लिखा था, में से उल्लेख करते हुए समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रकार को बताना चाहता हूँ। यह व्यंग्य जन सेवकों के बारे में है। हमारे समाज में कितने प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैंने भ्रष्टाचार को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। क्योंकि यह व्यंग्य है, इसलिए इसे हलके-फुलके ढंग से लिया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार का पहला प्रकार है सामने से काटने वाला। ऐसे लोग कौन हैं? ये ऐसे लोग हैं जो सामने से काटने वाले दाँत हल्की मुस्कुराहट के साथ दिखाते हैं। जिनके होंठ यहां वहां जाते रहते हैं। वे अपना सीधा हाथ फैलाते हैं। वे अपने बायें हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे और तर्जनी उंगली से टोपी के पीछे सर पर एक लकीर बनाएंगें और कहेगें, "कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए।" बस, बीस, तीस या पचास रुपये उन्हें दे दिए जाते हैं। यह काटने वाले प्रकार का एक भ्रष्टचार है। इसमें चपरासी, कॉस्टेबल, सिपाही या सीमाशुल्क हवाई अड्डों के निचले दर्जे के व्यक्ति इस प्रकार के जन सेवक संलिप्त रहते हैं। ये सामने से काटने वाले प्रकार के लोग हैं।

दूसरा प्रकार है "फूँफकारने वाला नाग"। ये फूँफकारने वाले नाग कौन है? यह है थाना प्रभारी, सीमा-शुल्क इंस्पेक्टर और इनके ही जैसे अधिकारी। ऐसे और भी हैं - हेड क्लर्क, कार्यालयों के अधीक्षक आदि। किसी काम के लिए जब हम उनके पास जाते हैं तो वो तत्काल "नहीं, नहीं ये कार्य नहीं हो सकता कहते हैं इस कार्य को नहीं किया जा सकता, ऐसे कार्य नियमों के अनुसार नहीं किए जा सकते।" तब आप पैसे निकालते हैं और उन्हें देते हैं। यह कसौटी के समान कार्य करता है। फूँफकारने वाला नाग अपने विषदंत छिपा लेता है और कार्य अतिशीघ्र कर देता है। इसलिए यह फूँफकारने वाले नाग के प्रकार का भ्रष्टाचार है।

[श्री अनादि चरण साहू]

तीसरा प्रकार है "सफेद सारस"। आपने पानी में सारसों को देखा होगा। वे पूर्णतः सफेद होते हैं। उनके पंखों पर कीचड़ का एक भी छींटा नहीं होता है। परन्तु वे मछली खाते हैं। वे मछलियों का पीछा नहीं करते हैं। वे मछली के आने का इन्तजार करते हैं। वे मछली को पास बुलाने का वातावरण बनाते हैं। वे अपने पैरों को इस प्रकार से रखने का प्रयास करते हैं कि पानी में हलचल हो और मछली धीरे से उनके पास आए और वे मछली को खा लेते हैं। परन्तु उनके पंखों पर कीचड़ का एक धब्बा भी नहीं पड़ता है। वे वैसे ही सफेद रहते हैं जैसे कि पहले थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : दूसरा प्रकार कौन-सा था?

श्री अनादि चरण साहू : दूसरा प्रकार "फुँफकारने वाला नाग" है।

तीसरा प्रकार है "सफेद सारस"। यह सफेद सारस कौन है? जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, आयकर आयुक्त, सीमाशुल्क आयुक्त और ऐसे अन्य व्यक्ति। वे धन का पीछा नहीं करते हैं। पैसा उनके पास आता है। वे उसे खा जाते हैं और यह फिर यह दर्शाते हैं कि वे अच्छे आदमी हैं। जिला न्यायाधीश और ऐसे व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आते हैं।

चौथा प्रकार है "विशाल फैलाव"। विशाल फैलाव क्या है? आकाश। यदि वह नाश्ता करेगा तो यह पूरी पृथ्वी खायेगा। यदि वह मध्याह्न भोजन करेगा तो पूरे सौर-मण्डल को खाएगा। ये करोड़ो रुपये लेगा। यह लाख-दो लाख रुपए में संतुष्ट नहीं होता है। उस समय मैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे मे सोच नहीं पाया था। मैंने केवल उच्च न्यायालयों का ही उदाहरण लिया था। इनमें मंत्री, न्यायाधीश और ऐसे अन्य व्यक्ति आते हैं। ये विशाल फैलाव प्रकार के भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिन्हें इस देश में पाते हैं, जो भारत कहलाता है। भारत में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार विनियामक विधानों और सामाजिक विधानों के कारण है। स्वतंत्रता के पश्चात् बने विधानों की भरमार है। स्वतंत्रता का पचासवां वर्ष भी कई विधानों का साक्षी रहा है। जब कभी भी आप विधान बनाते हैं तो आप भ्रष्टाचार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं।

जब मैं पुलिस सेवा में आया था तब मैं जिला प्रशिक्षण में था। उस समय कुछ समय पहले ही शस्त्र अधिनियम प्रभावी हुआ था। मैं बहुत प्रसन्न था क्योंकि शस्त्र अधिनियम में कठोर उपबन्ध थे। मैंने मुझे पढ़ाने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर से कहा था कि 'यह बहुत ही अच्छा उपबन्ध है जो प्रभावी हुआ है और मैं समझता हूँ हम ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को रोक पाएंगे जो शस्त्रों का निर्माण करते हैं या शस्त्रों को अपने पास रखते हैं' 31 वर्ष पूर्व इंसपेक्टर ने उचित उत्तर दिया था जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उसने कहा था, "देखिए, महोदय आप एक नवयुवक हो। आप नहीं जानते। यदि कोई नया विधान आया है, इसका अर्थ है पुलिस को और ज्यादा धन मिलेगा" किसी भी विधान का अर्थ है कि पुलिस को अधिक धन मिलेगा और सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी विधान ऐसे व्यक्ति को धन मुहैया कराएगा जो कार्यान्वयन अभिकरणों में कार्य कर रहे होंगे।

हमें इन बातों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहां पर अच्छे लोग हैं, इसीलिए, मैं कहता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्ट व्यक्ति हैं चाहे वो राजनीतिज्ञ हों, चाहे वो नौकरशाह हों या वो न्यायालयों के न्यायाधीश ही क्यों न हों। न्यायाधीशों का ही उदाहरण लीजिए। ओल्ड टेस्टामेंट में एक उक्ति है। 'एरिटियन इज़ अबिस्सानिया', इथोपिया - त्वचा का रंग नहीं बदल सकता न ही तेंदुए के धब्बे ही जा सकते हैं। न्यायाधीश बनने वाले लोग कौन हैं? वे आज के वकील हैं जो कि भविष्य में न्यायाधीश बन सकते हैं।

और, मेरे विचार से कुछ ऐसे वकील हैं जो दोनों ओर से धन लेते हैं और बाद में न्यायाधीश बन जाते हैं। वे न्यायपीठ में स्थान पाने के लिए प्रयास करते हैं। वे न्यायालय में मामले की जल्दी सुनवाई के लिए या विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार विलंब करने के लिए तुरंत धन लेते हैं। आज घूंसखोर न्यायाधीश बन गये हैं। क्या आपका यह कहना है कि क्या ऐसा व्यक्ति अपनी आदत बदल लेगा। वह अपनी आदत नहीं बदल सकते ऐसा सम्भव नहीं है।

मैं वकीलों और न्यायधीशों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा। आप यह अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सदन में यह सब कहना उचित नहीं है।

लोक अदालत का मामला ले लें। लोक अदालत के बारे में सोचें। वहां क्या हो रहा है। यह एक ढोंग है जब कभी लोक अदालतें लगती हैं तो इनके आयोजन का भार या तो तहसीलदार या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या आबकारी निरीक्षक के ऊपर डाल दिया जाता है। यह तमाशाबाजी होती हैं। हम कहते हैं कि शीघ्रता से न्याय दिया जा रहा है परन्तु ऐसा नहीं है।

17-18 वर्ष पहले जब मैं सहायक पुलिस महानिरीक्षक था तो मुझे जिला जज के स्तर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का मौका मिला। तब मुझे पता चला कि न्यायपालिका में किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। मुझे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में पता नहीं है क्योंकि वहां की किसी समस्या से निपटने का मुझे अवसर नहीं मिला लेकिन जिला जज के पद के स्तर पर जो हो रहा है उसके बारे में मुझे मालूम है। आप किसी भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय या उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेड के न्यायालय में जाए तो आपको पता चलेगा कि मजिस्ट्रेट के मध्यान्ह भोजन का प्रबन्ध कौन करता है। न्यायपीठ क्लर्क ही करता है। सब्जियां उसके घर जाती हैं। इन्हें कौन भेजता है? न्यायाधीश के विविध खर्चों का वहन कौन करता है? न्यायपीठ क्लर्क करता है। न्यायपीठ क्लर्क को धन कौन देता है। वकील देता है।

हम अच्छी स्थिति में रहना चाहते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अपनी सम्पन्नता का प्रदर्शन करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम अच्छी स्थिति में हों। किसी भी जिले में जायें वहां जिलाधिकारी है। एक पुलिस अधीक्षक है। जिले में एक मुख्य चिकित्साधिकारी होता है जिसे पहले सिविल सर्जन कहा जाता था। जिले में ये तीन महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। इनके बाद कार्यवाहक अभियंता का स्थान। अब इन्हें लोक निर्माण विभाग में सड़क और इमारत अभियंता कहते हैं। इसके अलावा जिले में और कोई नहीं होता था। जब मैं छोटा था जिला मुख्यालय में पढ़ता था तब मैं देखता था लोग उत्पाद शुल्क अधीक्षक को बहुत पूछते थे। क्यों ? क्योंकि उसके पास पैसा होता था। श्री रावत का कथन इसे प्रमाणित करता है :

यस्यास्ति वितम्
सः नरः कुलीनः
सः एव वक्ता
सर्वेगुणः कांचनम् आश्रयन्ति।

वह यही श्लोक सुना रहे थे। जिसके पास धन है उसी के पास सत्ता है। सत्ता के कारण लोग उसके पास आते हैं और कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता है।

मैं इस संदर्भ में सरकारी कर्मचारियों या राजनीतिज्ञों के बारे में नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री अनिल कुमार यादव (खगारिया) : आप हिन्दी में बोलिए।

श्री अनादि चरण साहू : मैं बोल सकता हूँ। सही सुझाव है लेकिन बाद में बोलूंगा।

[अनुवाद]

मेरे विचारों में व्यवधान पड़ेगा। इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ।

यह कहना गलत है कि केवल राजनीतिज्ञ या सरकारी कर्मचारी ही बुरे हैं। उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। जब मुझसे राजनीति में आने के लिए कहा गया था तब मैंने सोचा था कि समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा लेकिन मेरा अब मोह भंग हो गया है। क्योंकि पूरे समाज में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आप कुछ अच्छा कर सकें।

आप व्यापारी वर्ग को ही ले लीजिए। वहां क्या हो रहा है ? एकाधिकार जमाने के लिए वे इस तरह से जोड़-तोड़ करते हैं कि वे ही बाजार में रहें और अन्य लोग व्यापार न कर पायें। बहुत पहले अग्रिम संविदा अधिनियम था। इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी क्योंकि अधिनियम तो था। आप समझे बिना ही इसे पारित कर देते हैं। और सांसद निहित अर्थ नहीं समझते। इनमें बहुत सी कमियां रह जाती हैं और भ्रष्ट लोग उन लोगों को जो कानून लागू करते हैं पैसा देकर छूट जाते हैं। व्यापार और वाणिज्य में भी ऐसा ही हो रहा है।

स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम को ले लें। व्यापारियों द्वारा भारी मात्रा में धन दिया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं व्यापारियों के बारे में कह रहा था। व्यापारी क्या कर रहे हैं ? उनका एकाधिकार है। अब कानून द्वारा नियंत्रण किया जाता है तो वे इस नियंत्रण से बचने का उपाय ढूँढ लेते हैं। इस तरह से वे दिनोंदिन अमीर हो रहे हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के इस पचासवें वर्ष में हमें अपने जीवन को धूमिल नहीं बनानी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े हो रहे हैं। दुःखी मन से यह मत कहो कि जीवन नीरस है। मैं भी ऐसी बात नहीं कहता हूँ। हम यह नहीं कह सकते हैं कि पचासवें वर्ष में हमारी छवि धूमिल हुई है नहीं, अभी भी आशा है हम विभिन्न योजनाएं बना सकते हैं और यदि हम सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, कम-से-कम इस पर नियंत्रण तो रख सकते हैं।

सभापति महोदय, आप मुझे और समय नहीं देंगे। मैं केवल यह कहूंगा कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ मैं शेक्सपियर का एक उद्धरण देना चाहूंगा – यदि आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो केवल निर्धनों को दोषी मत ठहराइयें। गरीब ऐसे लगता है आप उसे मत पकड़िये क्योंकि उसे ऐसा तो बहुत थोड़ा धन चाहिए जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसे गरीब तबके से लोगों की पकड़ रहे हैं जो हथेली फैलाकर कुछ धन की याचना कर रहा है। आप केवल ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कभी-कभी आस्तीन के साँप और अवसरानुकूल बगुला भगत बन जाते हैं। लेकिन उन व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आपके पास अधिकार साहस नहीं है जो बेतहाशा व्यय करते हैं। अब, एक या दो व्यक्ति पकड़े गये हैं। यह तो ऊँट के मुँह को जीरा के समान है।

मित्रो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हम भ्रष्टाचार को मिटाने के बारे में सोचते हैं तो हमें शेक्सपियर की कविता को ध्यान में रखना चाहिए। सेक्सपियर ने बिल्कुल सही कहा है।

गरीब लोगों की सभी बुराइयां नजर आ जाती हैं लेकिन पैसे वाले अपनी सभी बुराइयां छुपा लेते हैं। धनी लोग अपना लालच दर्शाते नहीं है, केवल गरीब लोग अपना लालच रोक नहीं पाते। आप कोई अपराध करके पैसा चढ़ा दीजिए तो कानून के मजबूत हाथ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गरीब आदमी के छोटे से अपराध के लिए उसे दण्डित कर दीजिये।

आप निचले स्तर के लोगों को पकड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि केवल ये लोग ही भ्रष्ट हैं, आप अमीर लोगों को कुछ नहीं कहते हैं जिनके पास अटूट धन सम्पत्ति है। यदि हम बड़े चोरों को नहीं पकड़ते तो भारतीय समाज दीर्घावधि तक टिक नहीं पाएगा और आगामी पचास वर्षों में असफलताएं और बढ़ जाएंगी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री आनंद मोहन (शिवहर) : सभापति जी, आजादी की पचासवीं वर्षगांठ पर जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, ऐसे में भ्रष्टाचार जिस विकराल रूप में राष्ट्रीय जीवन में ग्रहण की तरह लगता जा रहा है, हमारे मित्र श्रीराम चौहान ने इसके उन्मूलन के लिए प्रस्ताव रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम मानते हैं कि राष्ट्रीय जीवन में भ्रष्टाचार आज पूरी तरह शिष्टचार बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, शिक्षण संस्थान हों, डाक्टरी का पेशा हो, सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रेलवे में आरक्षण कराने जाएं, वहां भी भ्रष्टाचार है। ऐसी लगता है कि देश की हवा में, धूल में और पानी में, यानि सर्वत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

आज हम इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में भ्रष्टाचार पर चिंता करने के लिए खड़े हुए हैं तो यह लाजिमी है कि इसके उन्मूलन की दिशा में ईमानदार प्रयास होने चाहिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कोढ़ बनकर उभरा है। पूरी व्यवस्था से भ्रष्टाचार की सड़ांध आ रही है, बू आ रही है। आज इस भ्रष्टाचार के कारण देश की इज्जत दुनिया भर में गिरी है। ऐसा माना जाता है और यह हकीकत है कि दुनिया के दस भ्रष्टतम देशों में आज भारत की गिनती है। यह हमारे लिए अतिशर्म की बात है। यह देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश, बुद्ध का देश, भगवान महावीर का देश, कृष्ण का देश, गांधी, जवाहर का देश, नेता जी सुभाष चंद्र बोस का देश, सरदार वल्लभभाई पटेल का देश, डॉ० राम मनोहर लोहिया का देश और लोकनायक जयप्रकाश नारायण का देश उसे आज जिस तरह से आज दुनिया में भ्रष्टाचार के रूप में परोसा जा रहा है, यह गहरी चिंता का विषय है।

अपराह्न 5.00 बजे

हमारे बिहार विधान सभा के मित्र श्री वृषिण पटेल जी हैं, वह बराबर जिक्र किया करते हैं कि पहले जब बी.बी.सी. के उद्घोषक पूरी दुनिया में घूमते हुए भारत आते थे तो कहा करते थे कि गांधी और बुद्ध के देश भारत चलो। अब उद्घोषक कहा करते हैं कि भ्रष्टाचार, हवाला और घोटाले के देश भारत चलो। आज यह देश घोटालों और हवालों का देश बनकर रह गया है। इससे अधिक शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि आजादी के पचास वर्षों के बाद जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस तरह से यह देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में कभी भी नहीं आया एकाध मामलों को छोड़कर जो हाल के दिनों में आए हैं और उस दिन हल्लागुल्ला शुरू हुआ है। ऐसे मामलों को छोड़कर शुरू से ही अगर नजर दौड़ाएं तो नेहरू जी के जमाने में मून्दड़ा कांड, इंदिरा जी के जमाने में लाइसेंस कांड, तुलमोहनराम, ललित नारायण मिश्र जिनको इसी हाउस में अटल जी ने प्यार से नकद नारायण मिश्र कहा था, उन सब घोटालों पर भी पर्दा पड़ गया। राजीव जी के जमाने में बोफोर्स घोटाला आया। एक सरकार नहीं, कई सरकारें चली गई। वी.पी. सिंह जी की सरकार भी ईमानदारी का झंडा लेकर आई थी कि बोफोर्स के मुजरिमों को सत्ता संभालने के बाद तीन महीने के अंदर कटघरे में खड़ा करेंगे। तीन महीने तो क्या ग्यारह महीने तक सरकार चली। बोफोर्स का चोर सामने नहीं आया। उसके बाद नरसिंह राव जी की सरकार आई और उसके तो क्या कहने?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : बीच में चन्द्रशेखर जी की सरकार भी आई थी।

श्री आनन्द मोहन : चन्द्रशेखर जी की सरकार में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं उठा था। .....*(व्यवधान)* नरसिंह राव जी के जमाने में सेंट किट्स, हर्षद, यूरिया, चीनी और जे.एम.एम. घूंस इत्यादि घोटाले हुए जिसमें बिचारे आदिवासी नेताओं को तो जेल भेजा गया पर देने वाला तो बाहर मौज मार रहा है। जबकि घूंस लेने और देने वाला बराबर का दोषी है। घूंस लेने वाले जेल के अंदर हैं और देने वालों का कोई अता पता नहीं है। अगर कोई लेने के आरोप में जेल में है तो देने वाला भी होगा और कोई जांच एजेंसी अभी तक उन घूंस देने वालों का पता नहीं लगा सकी। यह खोज का विषय बनकर रह गया। कर्नाटक में जमीन घोटाला और बिहार में जमीन, वन, वर्दी, मल, कतरा, दवा और मवेशीघोटाले के रूप में चारा घोटाले उभर कर सामने आया है। .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनको बोलने दीजिए।

श्री आनंद मोहन : आप क्यों डिस्टर्ब करते हैं? इस भ्रष्टाचार के कारण आजादी के पचास वर्षों के बाद आजादी का अर्थ निरर्थक हो गया है और असमान और असंतुलित विकास हुआ है। जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा था कि –

ऊपर-ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं,
कहते हैं, जीते हैं, जो जीने वाले हैं।

इस तरह के भ्रष्टाचार जो सामने उभरकर आया है, यह हमारे लिए लज्जापूर्ण है। इसके लिए यह देश जितनी शर्म करे, उतनी ही कम है। हम कहना चाहेंगे कि इस पर रोक लगनी चाहिए। येनकेन प्रकारेण आज पचास वर्षों के बाद जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो इसके निदान पर भी हमें सोचना चाहिए, कोई परिणाम देना चाहिए। राष्ट्र की बड़ी पंचायत से कोई एक मार्गदर्शन देश के आम लोगों को मिलना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार खत्म हो। श्री श्रीराम चौहान जी ने सदन में सदस्यों को भ्रष्टाचार पर बोलने का मौका दिया है। इस प्रस्ताव को एक रूप मिलना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार के खात्मे का यह हथियार बनें, औजार बनें, यही हमारी शुभकामना है।

महोदय, भ्रष्टाचार के मामले में हमारे दो मापदंड हैं। छोटे-छोटे चोर जो पकड़े जाते हैं, उनके लिए तो कानून है। उनके लिए जेल है और उनके लिए हथकड़िया हैं। लाख से नीचे के चोर, हजार से नीचे के चोर, पांच सौ से नीचे के चोर, तो पकड़े जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पेट की भूख की मार के कारण, गरीबी के कारण, चोरियां करते हैं, उनके लिए भी कानून हैं। उनके लिए सजा है, पुलिस है, हिरासत है। लेकिन ऐसा लगता है कि बड़े भ्रष्टाचारियों के लिए जेल या कानून नहीं है। पिछला सारा रिकार्ड

बताता है कि आज तक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक भी व्यक्ति सज़ा नहीं पाया है। एक बार नेहरू जी ने कहा था, भारत आजाद होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उनको बिजली के निकटतम पोल से करेंट लगाकर मार देंगे। उनके जमाने में भ्रष्टाचार के एकाध उदाहरण ऐसे पेश हुए हों, लेकिन आज तो आंकठ भ्रष्टाचार में देश डूब गया है। हम कहना चाहेंगे, समान रूप से चाहे छोटे हों या बड़े हों, विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सख्त काननू बनें और उसका इस्तेमाल सख्ती से हो। मैं तो यह मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए और लॉ-एंड-आर्डर के खात्मे के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है। इसके लिए बजट में से एक पैसे का खर्च नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अपने आप से शुरू करें, नीचे से नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से है दिल्ली से है। केन्द्र का शासन जहां से चलता है। बड़ी कुर्सियों से है। प्रधानमंत्री की कुर्सी और दिल्ली भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। राज्यों में राज्य की सर्वोच्च सत्ता, मुख्यमंत्री और राज्य की राजधानी है। नीचे से गंगा साफ करके हम भ्रष्टाचार की गंगा साफ नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की गंगा अगर साफ करनी है, तो पहले गंगोत्री को साफ करना होगा।

महोदय, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही हो। लोकपाल विधेयक का क्या हुआ है। .....(व्यवधान) मंत्री बीच में छूट नहीं जाते हैं। मैं संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक की बात कह रहा हूँ। कोई भी भ्रष्टाचार के मामले में बख्शा न जाए, चाहे वह व्यक्ति छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। यह संकल्प आज इस सदन को लेना चाहिए। लोकपाल विधेयक आज वर्षों से लटका हुआ है। जितना शीघ्र हो, इस विधेयक को पास होना चाहिए। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मिटाओं विधेयक लाना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार हटाओं विधेयक नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हटेगा नहीं, वह फिर आ जाएगा। दिल्ली से पटना, पटना से कलकत्ता और पता नहीं फिर कहां से होता हुआ, वापिस आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार मिटाओ विधेयक लाना चाहिए और पूरी गम्भीरता से हमें इसके समाधान और निदान के लिए विचार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ श्री श्रीराम चौहान जी को और आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सही मायने में वह बहुत गम्भीर विषय है। मैं आज चौहान साहब को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह यह विषय प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के थ्रू लाए हैं। हम आज आजादी की पचासवीं सालगिरह स्वर्ण जयन्ती के रूप में मनाने जा रहे हैं। सही मायने में भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चला है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और बात है। मुझे स्मरण है, बहुत पहले से तो नहीं लेकिन हमें भ्रष्टाचार के बारे में मूंदड़ा कांड से जानकारी है। यहां बोफोर्स का मामला हुआ, बैंक स्कैम का मामला हुआ, हर्षद मेहता का मामला हुआ, हवाला कांड हुआ, चारा कांड हुआ, एम.पी. बिकने वाला मामला हुआ। चाहे जो भी मामला हो, सही मायने में वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पासवान जी, आप इधर-उधर मत देखो।

श्री सुखदेव पासवान : मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री सही मायने में केन्द्र से निकलती है। अगर हम इस पर गम्भीरता से विचार करें तो इसको काफी हद तक समेटा और रोका जा सकता है। हिन्दुस्तान में जितनी संस्थाएं और प्रतिष्ठान हैं, ऐसा कोई भी संस्थान और प्रतिष्ठान नहीं है, जहां भ्रष्टाचार की किसी न किसी तरह से बू न आती हो। राजनीति को छोड़कर दूसरी जगहों में यहां तक कि न्यायालयों में और मंदिरों में भी भ्रष्टाचार होता है। इसमें अधिकांश लोग लिप्त रहते हैं। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विचारक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे जब तक इसको रोकने के लिए गम्भीरता से विचार नहीं करेंगे, सही मायने में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। ऐसा कोई सचिवालय नहीं है जो इससे बचा हो। केन्द्रीय सचिवालय से लेकर प्रदेश सचिवालय, प्रदेश सचिवालय से जिला सचिवालय और जिला सचिवालय से प्रखंड सचिवालय के अधिकांश लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं शत-प्रतिशत तो नहीं कहूंगा लेकिन अधिकांश लोग इसमें लिप्त हैं। इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है।

हम आजादी की पचासवीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। हम ऐसी कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाए जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगे। इसको रोकने का कोई उपाय निकाला नहीं गया। देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी, वे आज क्या सोचते होंगे? हम देश की आजादी की 50वीं जयन्ती मनाने जा रहे हैं। चाहे गांधी हो, जय प्रकाश नारायण हो, लोहिया जी हों, मौलाना आजाद हों, सरदार पटेल हों, सुभाष चन्द्र बोस हो, सभी लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। आज भ्रष्टाचार पर 50 वर्ष बीतने के बाद भी अंकुश नहीं लग पाया, यह दुर्भाग्य की बात है।

सभापति महोदय, आपको तो पता होगा कि इस गरीब देश के लाखों-करोड़ों रुपये विदेशी बैंकों में जमा हैं, उसका क्या हो रहा है? हम लोग तो यहां पर भाषण दे देते हैं। अगर सही मायने में देखा जाये तो किसी भी दल के वरिष्ठ नेता, हम लोगों में ऐसा कोई नहीं जो इस पर गंभीरता से विचार करे। यह साधारण बात नहीं है कि इस देश का लाखों करोड़ों रुपया विदेशी बैंकों में जमा रहे और विदेश का लाखें-लाख रुपया कर्जे के तौर पर हमारे देश के लोगों पर रहे। इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। इसके निदान और समाधान के लिये कोई न कोई निश्चित रूप से ठोस उपाय निकल सकता है। चाहे लोक सभा का चुनाव हो, चाहे विधान सभा का हो या फिर पंचायत का चुनाव हो, चुनाव आयोग निर्धारित करता है कि इस सीमा से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा लोक सभा, विधान सभा या पंचायत का सदस्य है, जो सीमा के अंदर चुनाव में खर्चा करता है। यह कोई बता दे। ऐसे बहुत से कम लोग हैं, एक परसेंट या दो परसेंट से ज्यादा नहीं होंगे। आज कौन सा सदस्य चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा के अंदर अपनी रिटर्न भरता है .....*(व्यवधान)*

[श्री सुकदेव पासवान]

सभापति महोदय, इसलिये जो अभी स्थिति है, इस संबंध में लोक सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। जहां तक सांसदों के वेतन का सवाल है, उसमें भ्रष्टाचार कहां से आता है? यहां कोई भी सांसद कह दे कि उसको जो वेतन मिला है, उससे अपने परिवार का पालन-पोषण सही ढंग से कर सकता है। बहुत ही कम सांसद ऐसे होंगे। मैं भी लोक सभा के लिये चुनकर आया हूँ और सभापति महोदय, आप भी चुनकर आये हैं। ऐसे कई एम.पीज. हैं जिनके यहां सुबह कम से कम 200 कप चाय लोगों को न पिलानी पड़ती होगी। गरीब लोगों को खाना भी देना पड़ता है, इलाज के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, यहां तक कि जो व्यक्ति डेढ़-दो हजार कि.मी. से यहां आया है, उसके लिए टिकट भी कटाकर देनी पड़ती है। एक सांसद को 52-53 सौ के वेतन में मकान का किराया, बिजली पानी और फर्नीचर का भी किराया देना पड़ता है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाये।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : चेयरमैन साहब, इन्होंने भ्रष्टाचार पर बोलते हुए अपना दुख रोना शुरू कर दिया है।

श्री सुकदेव पासवान : सभापित महोदय, मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति कहां से होती है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : सभापति महोदय, मैं 407 वी.पी. हाउस में रहता हूँ ये चलकर देख लें कि मेरे पास न टी.वी. है, न फ्रिज़ है और न गैस है। मैं 18 साल से वहां पर हूँ।

श्री सुकदेव पासवान : मैं, सही बता रहा हूँ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : इन्होंने भ्रष्टाचार पर बोलते बोलते अपनी मांग शुरू कर दी।

श्री सुकदेव पासवान : मैं यह बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति कहां से होती है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये, आपका समय हो गया है।

श्री सुकदेव पासवान : अगर सही बात बोलते हैं तो माननीय सदस्य को कड़वी लगती है। भ्रष्टाचार की उत्पत्ति कहां से होती है, मैं यह बताना चाहता हूँ। आज देश में जो स्थिति है उसके लिए ऐसा कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना, इसके लिये कौन जिम्मेदार है, यह हमें देखना चाहिये। यहां पर लोकपाल बिल के बारे में कहा गया, सही मायने में लोकपाल बिल लाया जाना चाहिये। अभी तक वह लोक सभा में पारित क्यों नहीं किया गया है?

इसमें साधारण व्यक्ति से लेकर देश के प्रधान मंत्री तक आ जाएंगे। अगर यह लोक सभा में पारित हो जाता तो भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लगने का काम होता।

सभापति महोदय, मैं संयुक्त मोर्चा की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। पहले देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे और अब इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधान मंत्री हैं। इनके मंत्रिमंडल का एक भी सदस्य भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं है, यह खुशी की बात है। यह गौरव की बात है कि संयुक्त मोर्चा की सरकार में 11 महीने तक देवेगौड़ा जी प्रधान मंत्री रहे और अब तीन-चार महीने से गुजराल जी प्रधान मंत्री हैं लेकिन एक भी मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, वे सब निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। ....*(व्यवधान)* चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी पर बिहार सरकार का आरोप है, केन्द्र सरकार में रहते हुए उन पर आरोप नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संयुक्त मोर्चा की सरकार पाक साफ है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : राम कृपाल जी आप बैठिए।

.....*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी : मैंने आज सबसे पहले नाम दिया है। आज जो सूची बनी है उसमें भी मेरा नाम नहीं लिखा गया। जितने लोग बोले वे सब मेरे बाद के हैं। मेरा नाम नहीं लिया गया। ....*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : शिव सेना पार्टी से एक भी नाम नहीं आया।

सभापति महोदय : सबका नाम आ जाएगा।

श्री इलियास आजमी : मेरा नाम नहीं है।

सभापति महोदय : सबका नाम है।

श्री नीतिश कुमार।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं श्रीराम चौहान द्वारा प्रस्तुत संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उनका संकल्प है कि 'यह सभा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से इस बुराई का उन्मूलन करने हेतु कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करती है' मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।

भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में व्याप्त है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, इस पर देश में कोई दो राय नहीं हो सकती। जो भ्रष्टाचार में संलग्न हैं, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन जो इस देश के आम नागरिक हैं, वे इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगे? अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार की उत्पत्ति पर हम लोगों को जाना होगा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ कि कहां-कहां भ्रष्टाचार है समाज के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है।

अपराह्न 5.23 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सिर्फ राजनीति में ही भ्रष्टाचार नहीं है या राजनीति करने वाले लोग ही भ्रष्ट नहीं हैं। व्यवसाय में भी भ्रष्टाचार है। प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सेक्टर सबमें भ्रष्टाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है। पीछे से ब्रह्मानंद मंडल जी ठीक कह रहे हैं कि मंदिरों में भी भ्रष्टाचार है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको वीआईपी दर्शन हो जाएंगे और आप साधारण नागरिक हैं तो आप पीछे रहिये। हर जगह व्यवस्था में भ्रष्टाचार है। मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं जिन पर हमारी आस्था होती है, लेकिन जो व्यवस्थापक हैं, वे भ्रष्टाचार में संलग्न हैं। .....*(व्यवधान)* आप जिस क्षेत्र का भी नाम लीजिए उसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ लेकिन भ्रष्टाचार कैसे उत्पन्न होता है? भ्रष्टाचार इस देश में और दुनिया में है क्योंकि खर्च पर किसी प्रकार की पांबदी संभव नहीं है। इस देश में जो जितना चाहे खर्च कर सकता है। समाज का एक तबका ऐसा है जिसकी यह समस्या है कि वह खर्च कहां करे। इनती गैर-बराबरी समाज में है कि समाज में दो प्रतिशत लोग हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जो अमेरिका की बराबरी करने की स्थिति में हैं। उनके सामने समस्या है कि वे अपने पैसे को कहां खर्च करें, कहां व्यय करें, यह समस्या उनके सामने है तो एक तरफ तो समाज के कुछ लोग पानी की तरह पैसा बहाते हैं, उनकी देखा-देखी समाज के दूसरे लोगों के मन में भी पैसा प्राप्त करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। मैं इस प्रवृत्ति की निंदा नहीं कर रहा हूँ जो प्रतिस्पर्धा से पैदा होती है, प्रतियोगिता से पैदा होती है, कंपीटीशन के पैदा होती है। यानी आज भ्रष्टाचार दो तरह का हो गया है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आदत के भ्रष्टाचारी हैं, उनको सब कुछ प्राप्त करने की छूट है। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों के बारे में सुन रखा है कि गाड़ियां हैं तो उनकी इच्छा होती है इस देश की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब उनके पास एक-एक आ जाएं। फिर तमाम विदेशी गाड़ियाँ आ जाएं, फिर उसकी तरह से एयरकंडीशंड हो गया है तो फिर सैन्ट्रली एयरकंडीशंड की ओर चल देते हैं, फिर तरह-तरह के और भी लग्जरी उपकरण हैं उनको प्राप्त करने की उनकी प्रवृत्ति, ख्वाहिश, इच्छा होती हैं। तो एक तो ऐसा तबका है जो कि आदत से भ्रष्टाचारी है और दूसरा तबका है जो मजबूरी में भ्रष्टाचारी बनता है। आज लोगों को जितनी न्यूनतम मजदूरी मिलती है क्या वह उनके भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है। समाज में जो बेरोजगार हैं; वे उससे कैसे जिंदा रहेंगे। समाज में कई प्रकार का भ्रष्टाचार है। एक तो जानबूझकर भ्रष्टाचार करते हैं और कुछ लोग हैं जो मजबूरी में भ्रष्टाचार करते हैं। .....*(व्यवधान)* लेकिन जो स्थिति है उसमें यही है कि अगर खर्च की सीमा हो, अंधाधुंध खर्च करने पर जब तक इस देश में छूट रहेगी, भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मेरा यह सुझाव होगा कि सरकार को इस मामले में कोई कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कार्यवाही करनी हो तो यह होना चाहिए कि इस देश में एक व्यक्ति के खर्चे की क्या सीमा हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए। आमदनी पर आप सीमा लगायें या न लगायें, लेकिन अगर खर्च सीमा पर लगायेंगे तो अपने आप बहुत ज्यादा धन अर्जित करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि समाज में एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि जो धनवान हैं उसकी इज्जत है। गैर-बराबरी वाला समाज है। हमारा समाज सांमती सोच वाला है। राजाओं की इज्जत करने वाला हमारा समाज है। यह समाज है जिसने राजाओं को भगवान का दर्जा दिया है। नतीजा यह होता है कि जिसके पास धन है उसकी पूजा होती है और नतीजा यह होता है कि उस धन को आप किस रूप से प्राप्त करते हैं उसकी कोई परवाह नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थिति आती है कि जब हम कुछ देर तक यह कहते हैं कि यह स्मगलिंग से पैसा अर्जित करता है। एक सीमा के बाद के लोग उसकी बात को भूल जाते हैं और जिसके पास स्मगलिंग का पैसा है सब लोग उसके पास कुछ प्राप्त करने की नीयत से चले जाते हैं। नतीजा यह होता है उसको समाज में मान्यता प्राप्त हो जाती है, उसको भी समाज में क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। इसमें दूसरी बात अगर हम यह देखें कि वह धन कहाँ से ला रहा है, उसको सोर्स क्या है। अगर हम सोर्स पर निगरानी रखें तो एक स्थिति आ सकती है। यहां पर चर्चा होती है और यह मान्य बात है भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर चलता है। लेकिन यह बात सही है कि अगर गंगोत्री को साफ रखेंगे तो गंगा साफ रहेगी। अगर गंगोत्री गंदी होगी तो फिर गंगा के पर्यावरण को ठीक रखना मुश्किल हो जायेगा। यह बात सही है। उसी तरह से अगर समाज में जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, अगर वे भ्रष्ट होंगे तो नीचे के लोग भी वही अनुकरण करेंगे। इसलिए उच्च स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर काबू जरूर पाया जाना चाहिए। हमें तो कभी-कभी अफसोस होता है, हम लोग भी इस बात को मानते थे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि आजकल बड़े-बड़े मामलों की जांच चल रही है। बड़े-बड़े लोग जेलों में जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नीचे हैं वहां भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। कहां असर पड रहा है। एम.पीज. लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को ही ले लीजिए। संसद के विशेषाधिकार का कवच इस स्कीम को प्राप्त है। क्या उसमें लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं। मैं संसद सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। इम्पलीमेंट संसद सदस्यों को नहीं करना है। लेकिन जो एजेन्सीज काम में लगी हुई हैं, वे एजेन्सीज कमीशनखोरी कर रही हैं। कहां असर पड़ रहा है। उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार आज चर्चा में है। लेकिन हम देखते हैं वहीं हालत है। आप ब्लाक में चले जाइये, हर चीज के लिए आय का प्रमाणपत्र लेना है, आमदनी का प्रमाणपत्र अंचल में जाकर लेना है तो आपको पता चलेगा कि उसके लिए पैसा चाहिए। जाति का प्रमाण पत्र लेना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। जमीन के लिए दाखिल-खारिज करने के लिए जाइये तो पैसा चाहिए यानी हर क्षेत्र में किसी भी काम के लिए आप चले जाइये आप ब्लाक में चले जाइये, अंचल में चले जाइये, जिला में चले जाइये, कलक्ट्रेट में चले जाइये, सचिवालय में चले जाइये, हर जगह भ्रष्टाचार के बिना कोई बात आगे नहीं बढ़ती है।

[अनुवाद]

श्री बी.आर. पाटिल (बीजापुर) : कृपया भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उपाय सुझायें।

श्री नीतीश कुमार : हाँ, मैंने आरम्भ में ही सुझाव बताये हैं। आप मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक खर्च पर आप सीमा नहीं लगाएंगे तब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है। जब तक 10 गाड़ियां रखने की छूट मिलेगी तब तक भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता है। कुछ सांसद हैं जो चमचमाती गाड़ियाँ रखते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। हमें भी गाहे-बगाहे उन गाड़ियों में लिफ्ट मिल जाती है। बाहर और यहां पत्रकार और छायाकार लोग कुछ सांसदों को कीमती गाड़ियों में बैठे हुए, चमचमाती मंहगी गाड़ियों में बैठे हुए देखते हैं। कभी-कभी उन सांसदों की तस्वीरें दिखलाई जाती हैं। आज भी आज बाहर खड़े होकर देख लीजिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग आज भी सबसे कम भ्रष्ट हैं। आज भी आम सांसद आपको मैटाडोर में जाते हुए मिल जाएंगे। कभी-कभी मैटाडोर से भी उतरते हुए सांसदों को दिखा दिया जाता है। पहले दो रुपए के टिकट से जाते थे आज पांच रुपए के टिकट से मैटाडोर में जाते सांसद मिल जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे सांसदों की आज बहुत संख्या है। चमचमाती और मंहगी गाड़ियों में बैठने वाले जब तक रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। चमचमाती गाड़ियों में बैठने वाले सांसदों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। बाहर आप चले जाइए छायाकार उनकी कारों की छवि कैमरों में कैद कर लेते हैं और उनको टेलीविजन पर दिखाया जाता है। आज तो पार्लियामेंट पूरा स्टूडियों बना हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी ज्यादातर विधायक मैटाडोर में बैठने वाले हैं। मेरा तो कहना यह है कि इस देश में निजी वाहन रखने की छूट नहीं होनी चाहिए। अगर आप भ्रष्टाचार पर काबू पाना चाहते हैं, तो काबू पाइए। जिस तरह सांसद एक मैटाडोर में चलते हैं, उसी तरह से सरकार के सैक्रेट्री लैवल के अधिकारी बस में सफर करें, साइकल पर चलें। मंत्रियों को चूंकि सरकारी काम करना पड़ता है, उनका ओहदा है, उनको एक गाड़ी रखने की छूट मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी मंत्री के यहां चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। विभाग की भी गाड़ी खड़ी है, कार्पोरेशन की भी गाड़ी खड़ी है। मंत्री की एक टांग एक गाड़ी में होगी और दूसरी टांग दूसरी गाड़ी में होगी।

श्री राम कृपाल यादव : जब आप मंत्री थे तो आप क्या करते थे, क्या आप ऐसा नहीं करते थे? .....*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : हम मंत्री थे तब हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे, इसके बारे में पहले आप पता कर लीजिए। हमारी खुली किताब है। अगर आप हमारे खिलाफ कुछ ऐसा-वैसा पाएं, तो हमारे खिलाफ सबस्टेंटिव मोशन लाइए।

उपाध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ कि मंत्री को भी एक गाड़ी से अधिक की छूट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए केन्द्रीय सरकार के सचिव हैं, उनकी जवाबदेही है, उनको एक गाड़ी मिलनी चाहिए। दफ्तर काम करने की जगह है, यहां फोन होना चाहिए। भला फोन का घर में क्या काम? फोन घर में भी लगा है और एस.टी.डी. की फेसिलिटी सहित लगा है। आप किसी अधिकारी के घर जाकर देख लीजिएगा। आपको घर पर मिलने का टाइम ही नहीं देगा। फिर उनको घरों पर एस.टी.डी. टेलीफोन की फेसिलिटी क्यों मिले? यह अनावश्यक खर्चा है। मार्केट प्लेस पर चल कर देख लीजिएगा कि कितनी सरकारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। निजी इस्तेमाल में सरकारी गाड़ियां आती हैं। अधिकारियों के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होता है, घर की सब्जी लाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल होता है, अधिकारियों की मैम साहिबाओं को शॉपिंग कराने के लिए सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, फिर आप किस आधार पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की मितव्ययिता की बात करते हैं। जब तक आप खर्च पर सीमा नहीं लगाएंगे, जब तक आप मितव्ययिता नहीं बरतेंगे, तब तक भ्रष्टाचार पर कैसे काबू पाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश प्रदूषण से परेशान है, हमारे देश का पर्यावरण खराब हो रहा है। हमारा दिल्ली शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। आप आई.टी.ओ. पर चले जाइए, वहां पर यदि कोई व्यक्ति 45 मिनट खड़ा हो जाए, तो विशेषज्ञों का कहना है कि वह बहरा हो जाएगा। यह स्थिति क्यों पैदा हुई? इससे बचने के लिए लोग बसों में यात्रा करें, ट्रेनों में यात्रा करें, रेलों में विभिन्न श्रेणियां क्यों बनाई हुई हैं, सिर्फ एक श्रेणी थर्ड क्लास रखिए, लेकिन सब कोच एयरकंडीशंड होने चाहिए। क्या जरूरत है ए.सी. सैकिंड क्लास और ए.सी. फर्स्ट क्लास के कोचों की? सबको समाप्त करिए और सिर्फ ए.सी. थर्ड क्लास कोच चलाइए और उन्हीं कोचों में देश की जनता और अधिकारी तथा मंत्री यात्रा करें। इसी से तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। मंत्रियों की विशेष और बड़े लोगों की सुरक्षा की जा रही है और आम आदमी की सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में विधायक था और हमारे श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो आज यहां मंत्री के रूप में बैठे हैं, वे, मैं तथा कुछ और साथी एक बार साथ-साथ ए.सी.टू टायर में यात्रा कर रहे थे। हम आपस में बात कर रहे थे कि इतनी सी जगह में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो क्यों न इतनी सी जगह में छोटे-छोटे घरों का निर्माण किया जाए। रघुवंश प्रसाद जी, यहां बैठे हैं, उनसे मालूम किया जा सकता है कि हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि नहीं? आज यहां भ्रष्टाचार को खत्म करने की जब बात आती है, तो एक-एक आदमी को दस-दस गाड़ियाँ रखने की यदि हम छूट देंगे, तो उससे भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। जब तक समाज में बराबरी नहीं लाई जाएगी जब तक समाज में सबको बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, जब तक मितव्ययिता नहीं बरती जाएगी, तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करना बेमानी है। इससे तो भ्रष्टाचार और पनपता है। बड़े लोगों को हर प्रकार की छूट होती है। उच्च स्तर पर बैठे लोगों को हर प्रकार से धन पैदा करने की छूट होती है, चाहे जिस प्रकार से भी धन कमाया जाए। किसी भी तरीके से धन लेने की छूट होती है। उससे नहीं

होगा, अकेले इस प्रकार के कदमों से नहीं होगा बल्कि इस तरह का कानून होना चाहिए। कई ऐसे मुल्क हैं जहां मन्त्रियों को घर पर एस.टी.डी. फोन की सुविधा नहीं है। आप यहां पर देखिये तो अंडर सेक्रेटरी को भी यह सुविधा प्राप्त है।.....*(व्यवधान)* एम.पी. को है तो वह उसके जवाबदेह हैं। वे लोग दिल्ली में बैठते हैं तो कितनी छूट हैं? पूरे साल में मात्र 50 हजार कॉल्स की छूट है। आप दो फोन यहां और एक फोन अपनी स्टेट में रखिये। यह कोई असीमित छूट है? आप इसी प्रकार की सीमा सरकारी अधिकारियों पर लगाइये कि जो बिल आयेगा, उसका रिंइबर्समैंट होगा। उनको एस.टी.डी. फोन देने की क्या जरूरत है? जो बिल आयेगा, उसका रिंइबर्समैंट होगा। जो खर्च होगा, उसका बिल बनाकर देंगे कि हमने फलां जगह सरकारी काम से इस नम्बर पर इतनी देर बात की, तो उसका रिंइबर्समैंट होगा।

आप एक तरफ तमाम छूट देते चले जायेंगे और दूसरी तरफ सियेलो कार का रोज प्रचार देखिये। कितना सुंदर प्रचार होता है – जब पहली बार डेट्स तय हुई तो हम टैक्सी पर गये, उसको कोई बुरा नहीं लगा। कैसा प्रचार होता है। एक से एक लुभावनी गाड़ियों के प्रचार होते हैं। आप टेलीविजन के सामने बैठ जाइये। गाड़ियों का प्रचार किस प्रकार से होता है कि गाड़ी के अंदर "हैप्पी बर्थ डे टू यू" मनाइये। एक तरफ आप उपभोक्ता संस्कृति को विकसित किये जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर काबू पायेंगे। क्या यह संभव है? राजनीतिक कारण से हम एक दूसरे के विरोधी हैं इसलिए हम आरोप लगायेंगे। जहां हम महसूस करेंगे वहां पर सारी बात करेंगे, वह अपनी जगह है लेकिन जीवन के सभी क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, उसके लिए इस बात की जरूरत है कि हम उस पर सीमा लगायें, अंकुश लगायें। इसके सिवाय भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता।

राजनीति करने वाले लोगों पर बहुत बड़ा दायित्व है क्योंकि वे समाज के नेता हैं। अब चुनाव की बात है, यहां पर सभी लोग बैठे हुए हैं। हम जो रिटर्न भरते हैं, उसके बारे में आप ईमानदारी से बतायें। उसमें चुनावी खर्च की जो सीमा लगाई गयी है, चुनाव लम्बा टाल दिया जाता है, एक महीने आगे चुनाव टाल दिया गया और खर्च बढ़ी है। आप बताइये कि यह मैनीपुलेशन एकाउंट नहीं है, तो क्या है? यह ईमानदारी की बात है और इस ईमानदारी की बात पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन यदि यहां कोई ईमानदारी से बात भी कर दे तो पता चलेगा कि वह तो आपका कंनफेशन हो गया। सारे लोग ईमानदारी से अपने कलेजे पर हाथ रखकर बता दें क्योंकि कानून उन्हीं को बनाना है। सरकार ने कानून बनाना और इस सदन को पास करना है। क्या यह संभव है कि साढ़े चार लाख रुपये में एक लोक सभा का चुनाव हो जाता है? डेढ़ लाख रुपये में एक विधान सभा का चुनाव हो जाता है? लेकिन ऐसे ही सब चला हुआ है। इसके बाद खर्च की सीमा बढ़ा दी जायेगी और हो जायेगा कि साढ़े चार लाख रुपये नहीं बल्कि 15 लाख रुपये लोक सभा में चुनाव के लिए हो तो फिर यह पैसा कहां से आयेगा? कल कोई पूछेगा कि आप पैसा कहां से लाये? किसी चीज के लिए कानूनी रुकावट नहीं है। जब कोई आदमी चुनाव लड़ता रहता है तो उसे कोई गाड़ी दे देता है, कोई पोस्टर छपवा देता है या कोई कुछ और दे देता है। यह सच्चाई है या नहीं? कल जब उससे पूछ जायेगा कि वह साढ़े चार लाख आपके पास कहां से आये, तो यह क्या जवाब देगा क्योंकि जिस आदमी ने आपके लिए पांच हजार रुपये खर्च किये हैं, क्या उससे हमने सर्टिफिकेट लिया है कि तुमने यह पैसा कहां से कमाया है। तुम अपने एकाउंट में इसका रिफलेक्ट कर रहे हो या नहीं, यह प्रमाणित करके दो। हम सब नकली बहस में उलझे हुए हैं। इस देश में कुछ न कुछ नकली बहस करते हैं। उससे यह संभव है कि डिबेटिंग प्वांइट हम स्कोर कर लें लेकिन सच्चाई यह है कि इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर सचमुच जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो यह पार्लियामेंट है, यहीं से इसकी शुरूआत होनी चाहिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के द्वारा गठित होती है। उस इलेक्शन में जो भ्रष्टाचार है, उसको समाप्त करिये। क्या जरूरत है किसी सदस्य को इतना खर्च करने की? मार्क्सवादी पार्टी एक संगठित पार्टी है, इनको ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके लिए सब कुछ पार्टी करती है.....*(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी संगठित पार्टी है। आपके लिए सब कुछ पार्टी ही करती है। तमाम चीजें पार्टी ही करके दे देती हैं लेकिन यहां पर मास पार्टी बैठी हुई हैं। .....*(व्यवधान)* हम दूसरी बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मास पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसको छूट पालिश से लेकर चंडी पाठ खुद करना पड़ता है। उसके अपने लिए चुनाव में साधन भी जुटाना है, कम्पेनिंग भी करना है।.....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आपका भाषण सुनते हुए मैं घंटी बजाना भूल गया।

श्री नीतीश कुमार : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं समाप्त कर दूंगा।

जहां मास पार्टीज की स्थिति है, वहां उनका क्या होगा। ऐसी स्थिति में कभी-कभी गरीब, निर्धन आदमी, बहुत चीजों को जानता नहीं है। अमीर लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, वे निपुण हैं, वे हर चीज का एकाउंट ठीक करके रखते हैं। लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता है, उसे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं होती। इसलिए वह गलती कर देता है और पता लगता है कि आप उसे पकड़कर सजा दे रहे हैं। गलती को दुरुस्त कीजिए। हमारा सरकार से यह सुझाव होगा कि गलतियों को दुरुस्त कीजिए। इस प्रकार की गलती की नौबत क्यों आए और क्या जरूरत है। लोकतंत्र की बदौलत ही यह देश चल रहा है तो लोकतंत्र की संस्थाओं का निर्वाचन के लिए जो खर्च है, वह सरकार क्यों न वहन करे। सरकार का मतलब है पब्लिक फंडिंग। हर खर्च सरकार वहन करे। कोई उम्मीदवार एक पाई भी खर्च वहन नहीं करेगा। उम्मीदवार कौन होंगे, उम्मीदवार होने का किसको अधिकार होगा, इसके बारे में एक मुकम्मिल नीति और कानून आप बना सकते हैं। कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, कितनी मदद हो सकती, किस प्रकार की मदद हो सकती है, इसके बारे में देशभर में एक मुकम्मिल बहस हो जाए। लेकिन स्टेट फंडिंग होनी चाहिए।

दूसरी बात, चुनाव के लिए तो स्टेट फंडिंग का सुझाव हो सकता है लेकिन राजनैतिक दल कह देंगे कि दल आधारित ही लोकतंत्र

[श्री नीतीश कुमार]

है। हमने पार्टी सिस्टम को अपनाया है तो पार्टियां तो चलेंगी, पार्टियों का खर्च भी होना चाहिए। हमारी पार्टियों के जो सदस्य बनते हैं क्या सिर्फ उनकी सदस्यता शुल्क से ही पार्टी का खर्च वहन हो जाता है। यदि ईमानदारी से इस बात को देखें तो यह बिल्कुल ही असत्य बात होगी। उसके लिए चंदा उगाहना ही पड़ेगा, पैसा लाना ही होगा। यह बात अलग है कि पैसा जनता दे या जनता के दुश्मन बड़े लोग दें। यह तय करना है कि हम देश कि सिस्टम को कैसा बनाएं। जनता के पैसे से जनता की राजनीति होगी या जनता के दुश्मनों के पैसे से देश की राजनीति चलेगी। फैसाल आपको करना है। हम एक-दूसरे को छड़ी से पीट सकते हैं, हम एक-दूसरे के बारे में कुछ आरोप लगा सकते हैं, वह अपनी जगह पर हैं। लेकिन यदि हम मूल रूप से आएं तो जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, राजनैतिक दल के खर्चों का क्या होगा।

सदस्यता की बात अलग है। उसके बारे में भी देश को सोचना होगा। हम जनता से भी अपील करना चाहेंगे, इसमें सवाल है कि सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस देश की जनता को भी सोचना होगा। एक ट्रेड यूनियन चलती है। उसे चलाने के लिए ट्रेड यूनियन के सदस्य महीना देते हैं और वे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी से ट्रेड यूनियन का सारा इसटेबलिशमैंट चलता है। एक ऐसोसिएशन है, उसमें उसके सारे सदस्य पैसा देते हैं, और सारा काम चलता है, मंदिर, मस्जिद, मठ, गिरजा, गुरुद्वारा दान पर सबका काम चलता है। लेकिन राजनैतिक दलों का काम कैसे चलेगा। यदि राजनैतिक दल निष्क्रिय हो जाएंगे तो देश नहीं बच सकता। राजनैतिक दल राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र को एक रखने के लिए जरूरी हैं और राजनैतिक दलों का दायित्व सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, राजनैतिक दलों का दायित्व व्यापक है। सम्पूर्ण देश का नेतृत्व करना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए नीतियां बनाना, लोक शिक्षण करना, जन आंदोलन चलाना, अभियान चलाना, ये सब कुछ राजनैतिक दलों का कर्त्तव्य है। आज राजनैतिक दल अपने कर्त्तव्यों से विमुख हो रहे हैं और सब लोग बिना सोचे-समझे जूडिशियल ऐक्टीविजम की चर्चा कर देते हैं। आखिर यह क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि जब तीन खम्बों पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। यदि सब जगह से लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो वे न्यायपालिका की तरफ चले जाएंगे।.....*(व्यवधान)* हम दूसरे संदर्भ में बात कर रहे हैं। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए। इसी सदन ने दसवीं लोक सभा में क्या किया था। बीच के बैंच के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग जवाबदेह हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उस समय के एक जज पर महाभियोग आया था और उसके फैलो जजेस की जांच की थी। ऐसे ही महाभियोग नहीं आया था, सारी जांच होने के बाद वह बात आई थी। क्या हुआ था ? सत्तारूढ़ पार्टी की भूमिका कौन सी पार्टी ने अदा की थी। वही एक घटना इस देश की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। साहू जी बहुत अच्छा बोल रहे थे।.....*(व्यवधान)* मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। लेकिन उस घटना को मत भूलिएगा। उस घटना ने पूरे देश के घटनाक्रम को ही बदल दिया है। आज यहां पर बिहार-बिहार बहुत लोग चिल्लाते हैं। जरा बताइए तो, उस समय जो महाभियोग आ रहा था तो क्या रीजनल सैंटीमैंट्स के आधार पर लीविंग नहीं हुई थी। दसवीं लोक सभ के सदस्य क्या इस बात को आज तक भूल पाए है। आज आप बोलते हैं। इस बात को मत भूलिए। गलती किसने की। जब विधायिका विफल होगी, कार्यपालिका की संवेदनाएं समाप्त होंगी तो लोग न्यायपालिका की तरफ जाएंगे।

वह नौबत न आए, जो राजनीतिक दलों को अपनी सक्रियता बरकरार रखनी होगी। जब वे सक्रिय होंगे और जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, उन पर राजनीतिक दल चुप्पी साधे रहें तो इस हालत में हम किसी को न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोक सकते। तब जो चाहे नतीजा आए और आप ज्यूडिशियल एक्टीविजम कहकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल अपना काम करें। जब वे अपना काम करेंगे तो पैसे की जरूरत होगी। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि अखबार वाले भी यदि काम करते हैं तो उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जब कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसे भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से टी.वी. में दो मिनट के कार्यक्रम के लिए रील इत्यादि बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो क्या बगैर पैसे के और बगैर पूर्णकालिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल चल सकते हैं ? यह कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई में नेतृत्व किया था, यह भी तब चंदा लेती थी। पंडित नेहरू चंदा लेते थे, सब लोग लेते थे। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो अगर वह पूर्णकालिक कार्यकर्ता रखेगा तो उसे उसका खर्च भी वहन करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं से उसे इंतजाम करना पड़ेगा। अगर सरकार यह नहीं सोचेगी, हम सब लोग मिलकर यह नहीं सोचेंगे कि किस ढंग से राजनीतिक दलों का खर्चा वहन हो, तब तक हम कितनी भी बात कर लें, उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा।

आज कुछ लोग इस प्रवृत्ति से ग्रसित हैं कि आज सत्ता में हैं तो इतना कमा लो कि आगे की जिससे राजनीति चलती रहे और हमें कोई दिक्कत नहीं आए। यह प्रवृत्ति पैदा होती जा रही है। अगर स्टेट फंडिंग की व्यवस्था होगी, अगर राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक फंड की व्यवस्था होगी, जैसे ट्रेड यूनियन आंदोलन चलता है तो वह मजदूरों के चंदे से चलता है, इसी तरह से जनता के पैसे से राजनीतिक दल चले तो कुछ बदलाव हो सकता है। यह जनता के ऊपर निर्भर है कि वह जिस राजनीतिक दल से हमदर्दी रखती है, उसके सिद्धांतों से सहमति रखती है तो उसे उदारतापूर्वक अपनी आमदनी में से एक हिस्सा उस राजनीतिक दल को देना चाहिए। उसी को देखते हुए सरकार को उस राजनीतिक दल को चलाने के लिए पैसा देना चाहिए। उस पैसे का एक-एक पाई का हिसाब होना चाहिए। अगर उसमें तनिक भी हेरा-फेरी हो तो दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं फांसी की वकालत नहीं करता, लेकिन जैसे आजीवन कारावास की सजा होती है उसी तरह से हेराफेरी करने वालों के लिए आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन पहले आप इंतजाम करिए और कानून बनाएं, सख्त कानून बनाएं। क्योंकि हमें कहीं न कहीं से तो शुरूआत करनी होगी। नहीं तो आज कुछ भी हो सकता है।

लोगों को न नियम की जानकारी है, न कानून की जानकारी है। कहां से कौन उलझ जाए और फिर उस पर सार्वजनिक बहस छिड़ जाए, उसका नतीजा यह होगा कि हम आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजा दी है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य चौहान को धन्यवाद देता हूं और वहीं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाएं। हो सकता है कि इसमें कुछ समय लगे। लेकिन सामाजिक जीवन में मितव्ययिता हो, राजनीतिक दलों के लिए स्टेट फंडिंग हो, उनके खर्च को वहन करने के लिए कानून बने जिसमें जनता और सरकार दोनों की हिस्सेदारी हो। अगर ऐसा होगा तो हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में कुछ प्रयास कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि पूर्णतः समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में प्रयोग होता है इसलिए हम प्रयोग करें और आगे बढ़ें। आगे फिर जो खामियां आएंगी, उनको दूर करने के लिए हम फिर प्रयास करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले माननीय सदस्य को बुलाने से पहले मुझे एक छोटी सी घोषणा करनी है। कर्मचारियों के लिए आज रात्रि 8.30 बजे से कमरा संख्या 73 में भोजन का आयोजन किया गया है।

श्री वी.वी. राघवन।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नई) : महोदय, यह भ्रष्टाचार मंत्री कौन है?

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी अभी नियुक्ति होनी है। एक और घोषणा है। 26 अगस्त से 29 अगस्त 1997 तक सदन की विशेष बैठक में उपयोगार्थ तैयार किया 'भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पचास वर्ष' नामक एक पृष्ठाधार प्रकाशन केन्द्र, संसद भवन पर उपलब्ध हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस प्रकाशन की प्रतियां ले लें।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : महोदय, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा समाज भ्रष्टाचार के मामले में किस हद तक पहुंच गया है। मैं उन बस बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं अपने आपको सबसे खतरनाक इस मुद्दे तक ही सीमित रखना चाहता हूं जिससे पूरी प्रणाली के चरमरा जाने का खतरा है, वह है उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार - राजनीतिज्ञों और अफसरों द्वारा भ्रष्टाचार और माफिया के साथ सांठ-गांठ। विगत कुछ वर्षों से यह बहुत खतरनाक मुद्दे के रूप में उभरा है।... *...(व्यवधान)*

इस सम्माननीय सभा का सदस्य होने के नाते यह बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है कि जब भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, प्रतिक्रिया पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यक्त की जाती है। यदि ऐसा चलता रहा तो हम भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते हैं। ... *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : चेयर पर जो हमारे पहले सभापति जी थे, उन्होंने आग्रह किया था कि छः बजे के पहले 193 को यहां लाना था, उस पर बहस होनी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : छः बजे तक तो चलने दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उन्होंने कहा था कि छः बजने के छः मिनट पहले उठा देना।

[अनुवाद]

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री वी.वी. राघवन : महोदय, मैं कह रहा था कि सभी राजनीतिक दलों को यह निर्णय लेना है कि वे अपने किसी भी व्यक्ति पर पर्दा नहीं डालेंगे जिस पर कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। यदि राजनीतिक दल यह निर्णय नहीं लेते हैं और वे भ्रष्ट व्यक्तियों को छिपाते हैं तो हम उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे दूर सकते हैं?

अतः समय की मांग यह है हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि जो भी भ्रष्ट व्यक्ति है, उसे जेल जाना होगा, उसे न्यायालय का सामना करना होगा, और चाहे जो भी परिणाम हो किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया जाएगा। दुर्भाग्यवश, जब राजनीतिक विशेषताओं के कारण भ्रष्टाचार का उल्लेख किया जाता है तो भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है। वर्तमान में यही भ्रष्टाचार से लड़ने की यही मुख्य कमी है।

मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से सहमत हूं कि एक जन आन्दोलन की आवश्यकता है। लेकिन केवल एक जन-आंदोलन के साथ ही हम उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते हैं। राजनीतिज्ञों, अफसरों तथा माफियों के साथ सांठ-गांठ करने वाले बहुत प्रभावशाली हैं। उनके पास अपने आपको बचाने के हर साधन हैं। जब तक कि हमारी जांच एजेंसियां भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही नहीं करती तब तक हम केवल जन आन्दोलन द्वारा उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते हैं।

यहां पर न्यायिक सक्रियता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं श्री नीतीश कुमार से पूर्णतः सहमत हूं कि आजकल भ्रष्टाचार के विरुद्ध केवल न्यायपालिका ही एक आशा की किरण है। जब हमारे लोकतंत्रात्मक ढांचे में हमारी कार्यपालिका अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल रहती हैं तो हमारी संसदीय न्यायपालिका ही एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। अर्थात् हाल ही के वर्षों में न्यायपालिका की सक्रिय निगरानी ही लोगों के लिए एक आशा की किरण रही है। यदि न्यायपालिका हमारे विधान में उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा

[श्री बी.बी. राघवन]

नहीं करती है तो भ्रष्टाचार बिना रोक टोक चलता रहेगा। मुझे समझ नहीं आता कि जब कुछ बड़े-बड़े लोगों को पकड़ा जाता है और उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है तो वहां पर इतना जोश और हंगामा देखने में क्यों आता है। इससे जांच करने वाली एजेंसियों को गलत संकेत मिलते हैं।

एक दिन मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा कि डॉ० मनमोहन सिंह ने कहा है कि घोटाले और भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के परिणामस्वरूप नहीं हैं। यह सही नहीं है। यदि आप पिछले सात अथवा आठ वर्षों की घटनाओं पर विचार करें तो उदारीकरण से प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि कोई भी कुछ भी तथा कहीं से भी लूट सकता है। हर जगह धन जमाकर धनी बनने की प्रवृत्ति व्याप्त है। कोई उनसे कुछ नहीं पूछता। घोटाले के बाद हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आवास विकास निगम तथा अनेक अन्य संस्थानों के कुछ उच्चाधिकारी भ्रष्ट लोगों की सहायता कर रहे थे और सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें भ्रष्ट संस्थानों से उच्च पद मिल गए हैं। उदारीकरण द्वारा किसी भी संस्थान में किन्हीं भी साधनों द्वारा धन जमा करने के दरवाजे खुल गए हैं। उन पर कोई रोक-टोक नहीं है।

अपराह्न 6.00 बजे

कार्यपालिका, प्रवर्त्तन निदेशालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड और बहुत सी एजेंसियों ने अपनी आँखे बंद कर ली हैं। वे भ्रष्ट लोगों पर परदा डाल रहे हैं। अन्यथा जो भ्रष्ट लोग घोटाले में शामिल थे, वे अब तक जेलों में होते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघवन, आप अपना वक्तव्य अगली बार जारी रख सकते हैं। कृपया इन्तज़ार करें।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय को जो शक्ति दी गयी है उसका इस्तेमाल किया है या नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में है, मुझे दिखा दी गयी हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : आपने शक्ति का इस्तेमाल कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पेपर दिखा दिये गये हैं।

[अनुवाद]

अब श्री रमाकान्त डी. खलप विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

अपराह्न 6.01 बजे

विधान परिषद् विधेयक*

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजाब और तमिलनाडु राज्यों के लिए विधान परिषदों के सृजन का और उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंजाब और तमिलनाडु राज्यों के लिए विधान परिषदों के सृजन का और उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकान्त डी. खलप : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अपराह्न 6.01½ बजे

विद्युत विनियामक आयोग विधेयक*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के अलग) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना का विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना का विद्युत टैरिफ के सुव्यवस्थीकरण और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा मंगलवार 26 अगस्त, 1997 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 26 अगस्त, 1997/ 4 भाद्र, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2 दिनांक 14.8.1997 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और डाटा प्वाईंट कम्प्यूटिंग टेक्नोलोजी (इंडिया) प्रा॰लि॰, जनक पुरी, नई दिल्ली--58 द्वारा मुद्रित।